राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

वृहस्पतिवार

दिनांक 8 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी

सीकर जिले में कुओं पर सिंचाई

46. श्री घन श्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में वर्तमान में कितने कुओं पर सिंचाई सुविधा। उपलब्ध है तथा प्रत्येक पंचायत समितिवार इनकी कुल संख्या कितनी है ?

(2) जनवरी, 82 से फरवरी, 84 तक पंचायत समितिवार कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिये गए तथा उनमें से कितनों को कनेक्शन दिया जा चुका है एवं शेष को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) सीकर जिले में फरवरी, 84 तक 20,686 कुओं को ऊर्जाकृत किया जा चुका है जिनकी पंचायत समितिवार संख्या परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 तक इस जिले में कुल 4345 प्रार्थना-पत्र कुओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों में से 1220 कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं दिये गए कनेक्शन्स का पंचायत समितिवार विवरण दर्शाते हुए सूचना संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष 3125 कृषि कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रक्रिया में हैं जिन पर अग्रिम कार्यवाही मण्डल द्वारा निर्धारित योजना के अन्तर्गत की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो सूची दी है उसके अनुसार 3125 ऐसे प्रार्थना-पत्र

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं जो इनके पास विचाराधीन हैं। 1982 से 1984 तक का तो पूछा है, वास्तव में 1982 से लेकर अब तक 6 हजार विद्युत कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र सीकर जिले में इनके पास विचाराधीन हैं। अब आप मुझे बता दें कि 3125 जो यह प्रार्थना-पत्र हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं, पैसे जमा हो चुके हैं फिर भी कनेक्शन आप नहीं दे रहे हैं ?

श्रीमती कमला : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि आपने यह नहीं पूछा कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं और कनेक्शन नहीं मिले हैं। आम तौर पर जिनको डिमांड नोटिस जारी किये जाते हैं वह वही होते हैं जिनको कनेक्शन दिया जाना होता है। हो सकता है, वह ऐसे हों। अभी मार्च के महीने में बहुत सारे कनेक्शनों का काम पूरा होना है, बहुत से टार्गेट्स पूरे होने हैं उसमें ऐसे भी कनेक्शन की सूची में हो सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस पर आपने बैन् लगा दिया ?

श्रीमती कमला : डिमांड नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन उनको कनेक्शन दे दें। कनेक्शन देने के लिए महीना-बीस दिन फिर भी लगते हैं । इन दिनों में डिमांड नोटिस जिनको जारी हुये हैं उनको तो कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है। दो साल पहले या साल भर पहले नोटिस दिया, उसकी राशि जमा करा दी और उसका कनेक्शन नहीं हुआ, तो आपत्ति-जनक बात हो जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2220 प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं सीकर जिले में·······

श्री अध्यक्ष : यह आपने सूचना यहां चाही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2220 ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जिनके डिमांड नोटिस के पैसे जमा हो चुके हैं···

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, उनके पैसे जमा हो चुके हैं, 'एल' फार्म दिये जा चुके हैं लेकिन उनको कृषि के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। 3125 प्रार्थना-पत्र जो आपने बकाया बताये हैं उनको कनेक्शन कब तक देंगे ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी यह सूचना बिलकुल गलत है कि 3 हजार व्यक्तियों को डिमांड नोटिस जारी हुए हैं उनको कनेक्शन नहीं दिये गए हैं। यह सूचना सही इसलिए नहीं हो सकती कि इतने बड़े पैमाने पर 1983–84 के प्रार्थना-पत्र भी बाकी नहीं हैं। अगर पुराने समय के प्रार्थना-पत्र इस तरह के पड़े हुए हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जिनके डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं, 'एल' फार्म दिये जा चुके हैं और पैसे जमा हो चुके हैं उनको यह साल खत्म होने के पहले-पहले कनेक्शन जारी कर दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

मन्त्री महोदया ने आश्वासन दे दिया कि जिनके पैसे जमा हो चुके हैं उनको कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक और प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

जिनके डिमांड नोटिस जारी हो चुके हैं उनको 31 मार्च तक कनेक्शन दे देंगे, यह आश्वासन मंत्री महोदया ने दिया। लेकिन कनेक्शन देने में भेदभाव किया जा रहा है। 1982 से 1984 तक फतहपुर पंचायत समिति में सिर्फ एक कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह से लक्ष्मणगढ़ में 29 कनेक्शन दिए गए हैं····

श्री अध्यक्ष : यह सब अलग प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ····श्री फतहपुर में 430 कनेक्शन दिये गये····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है। मैं आपको अवसर दे दूँगा। कृपया समय न लें। बिराज जायें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में कितने का टार्गेट था और उसके अगेन्स्ट में आपने कितने टार्गेट की पूर्ति कर दी? पेन्डिंग हैं वह तो अलग मामले हैं लेकिन जो टार्गेट था क्या उसके मुताबिक कनेक्शन मिल गये?

श्रीमती कमला : जो सूची दी है उसमें दिया हुआ है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कितना टार्गेट था और कितने की पूर्ति कर दी? यह बता दें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुना दूँ। अगर सूची चाहें तो मैं दे दूँगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो संख्या बता दें कि कितने बिजली के कनेक्शन आपने दे दिये हैं?

श्रीमती कमला : कौनसे साल का पूछ रहे हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : इसी साल का, जो चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : सूचना उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कह दीजिए।

श्रीमती कमला : सूचना है लेकिन ढूंढ़ने में टाइम तो लगता है ना।

अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में वर्ष 1983-84 में जो टार्गेट्स तय किये थे वह 862 के थे और जो अचीवमेन्ट है वह 479 हो चुका है। यह महीना है इसमें आम तौर से हाइएस्ट अचीवमेन्ट्स होते हैं। इसके पहले सारा इन्फास्ट्रक्चर तैयार होता है और कनेक्शन तैयार होते हैं। सारा काम इसी समय में किया जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि पंचायत समिति नीम का थाना में रायपुर जागीर के अन्दर 70 कुओं को डिमांड नोटिस जारी किये लेकिन 'एल' फार्म नहीं ले रहे हैं। कह देते हैं, कनेक्शन बन्द कर दिये हैं। जहाँ जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में रोक लगा दी

(श्री मोहनलाल मोदी)
है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनके कब 'एल' फार्म लेकर कनेक्शन दिलाये जा सकेंगे ? यह योजना के अन्तर्गत है। कुछ तो ऐसी कार्यवाही हो रही है कि 'एल' फार्म को रिजेक्ट करके दूसरे लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय की जानकारी में भी मैं लाया हूँ। जिन लोगों को डिमांड नोटिस जारी कर दिये और जिन्होंने पैसे जमा करा दिये, उनके 'एल' फार्म नहीं लिये जा रहे हैं और यह कह कर रोक दिये हैं कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बैन लगा दिया गया है। इसका स्पष्टीकरण करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे ने यह कहा है कि जहाँ 'एल' फार्म दिये जा चुके हैं वहाँ पर भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से निवेदन कर दिया है कि 1983-84 के टार्गेट्स के अन्दर जिन-जिन काश्तकारों को या उप-भोक्ताओं के 'एल' फार्म लिये जा चुके हैं उनको कनेक्शन देना बोर्ड का उत्तरदायित्व है और मार्च 31 से पहले-पहले तमाम लोगों, जिनके 'एल' फार्म लिए जा चुके हैं, को कनेक्शन दिये जायेंगे। जहाँ तक पेन्डिंग फार्म का सवाल है, राजस्थान में लगभग पिछले आठ-दस वर्षों में एक लाख पेन्डिंग एप्लीकेशन्स हैं। हमने पिछले अर्से में ज्यादा एप्लीकेशन्स इन्वाइट नहीं की हैं, नहीं तो दो-ढाई लाख तक पहुँच जातीं। लेकिन जितना पैसा और बिजली उपलब्ध है उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से, निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक हर एक इलाके को हम स्कीमवाइज कनेक्शन देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे यहाँ कनेक्शन 10 साल में पूरे नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने जो प्रश्न पूछा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे यहां....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके जिले में शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफाइड हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री भैरोंसिंहजी के समय में 9 हजार कनेक्शन हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री त्रिलोकसिंह।

श्रीमती कमला : पूरे राजस्थान के लक्ष्य आपके अकेले जिले में पूरे करने के लिए कोई भी मन्त्री या सरकार वायदा नहीं कर सकती....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

श्री मोहनलाल मोदी : जो डिमाण्ड नोटिस जारी हो चुके हैं, 'एल' फार्म नहीं लिए जा रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे ?

श्रीमती कमला : इस सम्बन्ध में आपने मुझे व्यक्तिशः भी कहा था, मैंने नोटिस लिया

(श्रीमती कमला)

हुआ है। उसकी कार्यवाही कर रहे हैं, 'एल' फार्म जिनके आ चुके हैं उनके कनेक्शन नहीं रुकेंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : 'एल' फार्म नहीं लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह सब मामले यहां तय नहीं होंगे।

श्री त्रिलोकसिंह।

श्री मोहन लाल मोदी : जब 'एल' फार्म नहीं ले रहे हैं, योजना के अन्तर्गत है, डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये हैं, अधिकारियों को पैसा नहीं देने से 'एल' फार्म नहीं लिये जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि सीकर जिले में फतहपुर तहसील के कितने टार्गेट थे और कितने कुओं में कनेक्शन दिये गये। कागजात से यह जाहिर होता है कि एक कुएं को कनेक्शन दिया है पिछले तीन साल के अर्से में। जहां खेती का आधार बिजली हो सकता है, जहां बहुत कम वर्षा होती है, यह कितने अफसोस की बात है, वहां बिजली के कनेक्शन्स नहीं दिये जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा, टार्गेट्स कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ? तारीख बताई जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ और फतहपुर क्षेत्र के कुओं में बिजली की पोटेन्शियलिटी कम है, दूसरी तहसीलों में बहुत ज्यादा कनेक्शन और उपलब्धता देख रहे हैं और इन इलाकों में कम देख रहे हैं, उसका कारण यही है वहां पोटेन्शियलिटी बहुत कम है, डिमाण्ड कम है, इसलिये कम कनेक्शन कुओं को दिये जाते हैं। बाकी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूं, हमने इस बार एक काम यह किया है राजस्थान में जहां कम पोटेन्शियलिटी वाले इलाके हैं, 50 से 30 प्रतिशत और 30 से 0 प्रतिशत जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन है उनको प्रायोरिटी पर लेने का काम प्रारम्भ किया है। 0 से 15 प्रतिशत, नैक्स्ट कैटेगिरी 15 से 30 प्रतिशत और 30 से 50 सैकण्ड कैटेगिरी में लेकर उनकी योजना बहुत कुछ बनाई जा चुकी है ताकि 6 प्रतिशत और 90 प्रतिशत डिफरेन्स नहीं रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मंत्री महोदया, कृपया विराज जाय। अगला प्रश्न।

श्री त्रिलोक सिंह : सिर्फ एक कुएं को बिजली देना पक्षपात है....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी किये जा चुके हैं, जिनके 'एल' फार्म लिये जा चुके हैं, उनको कनेक्शन दिये जायेंगे। जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत कम है उनको 1984-85 के अन्दर प्राथमिकता से स्कीमवाइज लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

अगला प्रश्न। श्री भंवरलाल शर्मा, श्री नाथूसिंह।

औषधि नियन्त्रण विभाग द्वारा मारे गये छापे

47. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) **एवं श्री नाथूसिंह** (दौसा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981 में औषधि नियंत्रण विभाग की सतर्कता शाखा द्वारा मित्तल मेडिकल स्टोर्स, डीग, जिला भरतपुर पर छापा मारा गया था? यदि हां, तो कौन-कौन सी औषधियां नकली पाई गई और इस छापे में पकड़ी गई औषधियों की टेस्ट रिपोर्ट क्या है?

(2) क्या इस फर्म के विरुद्ध इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह मामला अदालत में चालान किये जाने योग्य है?

(4) इस मामले में इस फर्म के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और अब तक हुए विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां। नागर स्ट्रेप कैप्सूल, टेटरासाइक्लीन कैप्सूल एवं क्लोरोक्वीन फास्फेट इन्जेक्शन अवमानक (सब स्टेन्डर्ड) कोटि तथा मिथ्या छाप वाले (स्पूरियस) पाये गये।

(2) जी हां। कार्यवाही की गई है।

(3) जी हां। अदालत में चालान पेश कर दिया गया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कार्यवाही कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : यह चालान कब हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्यों बीच में आ गये? मैं उत्तर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह चालान 5-3-84 को अदालत में पेश किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि यह फर्म कब से काम कर रही है?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस फर्म में जो पार्टनर्स थे उन्होंने इस फर्म का नाम बदल कर दूसरा लाइसेंस लिया है और सरकार ने वह लाइसेंस दिया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। लेकिन विरोधी दल के नेता ने इतनी गम्भीरता से प्रश्न पूछा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)
है इसलिये मैं इसकी पूरी जानकारी हांसिल करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या यह सही है कि फर्म का चालान पहले इसलिये नहीं हुआ, अब आपने 5-3-84 को किया है, कि आपके यहां के नेताओं की चिट्ठियां आपको मिलीं कि इसका चालान न किया जाय, उसको दूसरा लाइसेंस दिया जाय ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सही नहीं है, अध्यक्ष महोदय। हकीकत यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दवाइयां सब स्टेन्डर्ड पाई गयीं, जैसा आप जानते हैं, हमने बंगलोर प्रयोगशाला में उनके सैम्पल भेजे। इसमें 10 महीने का समय लगा। जब यह पाया गया कि दवाइयाँ सब स्टेन्डर्ड हैं उसके बाद फर्म को जो नोटिस देना पड़ता है, वह इस फर्म को नोटिस दिया। उन्होंने कहा, हमने यह मेडिशन्स नहीं बनाई हैं, यह मेडिशन्स बम्बई से आई हैं। तब हमने बम्बई की फर्म का पता लगाया। बड़ी कार्यवाही की है।

उसके बाद जैसी अध्यक्ष महोदय ने क्वेरी की, और आपको जवाब दिया है, हमारी कोई और मन्शा नहीं थी, न किसी नेता महोदय ने दबाव डाला, न हम इसमें विश्वास करते हैं। न्याय करना हमारा दृष्टिकोण है। हमने चालान पेश कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है, चालान करने से पूर्व इस सम्बन्ध का प्रकरण बन्द कर दिया गया था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : चालान करने से पूर्व इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी या जो कुछ कार्यवाही आप कर रहे थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस अनुसंधान या विभागीय कार्यवाही जो भी हो रही थी उस कार्यवाही के प्रकरण को बन्द कर दिया गया था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मेरे पास अभी जानकारी नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने चालान पेश कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपने बड़ी कृपा की लेकिन सवाल यह नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें तो ऐसा है कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया और हमने भी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो अपना कर्तव्य मजबूरी से पूरा किया, मन से तो आप बहुत दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब फर्म की स्पूरियस दवाइयां थीं, ठीक प्रकार के नमूने की नहीं थीं, उनकी जांच हुई तो जाँच होने के बाद उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। मन्त्री महोदय ने कहा, नोटिस दे दिया। यह भी कहते हैं कि प्रकरण बन्द कर दिया। प्रकरण के बाद चालान किया। आप कह दीजिये कि प्रकरण बन्द नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विभाग से जानकारी आ चुकी है, हमने प्रकरण बन्द नहीं किया।

श्री नाथूसिंह : यह मामला किस तारीख को पकड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरी बात तो सुन लीजिये। महत्वपूर्ण कैसे नहीं है।

आपने 5 मार्च को अदालत में चालान पेश किया। चालान इतनी देर से करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण नहीं है।

अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है। दवाइयाँ सब स्टेण्डर्ड थीं। इसके अलावा ये उनसे मिले हुए हैं.....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, फर्म के लोग इनसे मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : दवाइयों जैसे मामले में जनता के साथ खिलवाड़ करने की सरकार की साजिश है, यह बहुत बुरी बात है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सरकार के पास रिपोर्ट कब आई ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

मांडा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

48. **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में योजना के तहत किस-किस वर्ष में कितनी धनराशि के क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ के लिए स्वीकार हुये व उन पर कार्य कब-कब से प्रारम्भ होकर कब-कब पूर्ण हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री (श्री बुलाराम) : कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 व 1980–81 में 9 निर्माण कार्यों के लिये क्रमश: 33,000 व 1,15,000 कुल 1,48,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिनमें रामपुरिया, कोडा पुरा, नीमोदाउजाड पीपल्दा समेल व खेडी खुश्क में कूप निर्माण व लाखमनीजा, कोटडापुरा, नीमोदाउजाड व पीपल्दा समेल

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दुलाराम)
में शाला निर्माण कार्य 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में प्रारम्भ किये गये। कोटडापुरा कूप निर्माण कार्य राहत के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में पूर्ण हुआ।

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में मांडा योजना में कुल कितने गांव हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूं। दूसरा बता दें।

क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में 33 हजार रुपये कुएं के निर्माण के लिये और वर्ष 80-81 में स्कूल भवन के निर्माण के लिये 1,15,000 रुपये स्वीकार करने के बावजूद आज तक वे कार्य पूरे नहीं हुये हैं? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1979-80 में जो स्कूल के निर्माण का कार्य स्वीकार किया गया था उसमें केवल 5 हजार रुपये ही खर्च हुए हैं और 1979 से लेकर 1984 तक एक भी पाई खर्च क्यों नहीं हुई? कृपया स्पष्टीकरण दें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, स्कूल भवन में पीपल्दा समेल में वर्ष 1980-81 में आवंटन राशि 20 हजार थी इसमें से 318 खर्च हुये और तीन हजार पंचायत ने किये। कोटडापुरा में वर्ष 1980-81 में आवंटन राशि 20 हजार, इसमें खर्च हुये 11,733 रुपये, लाखामनीजा में वर्ष 1980-81 में आवंटन राशि 40 हजार जिसमें खर्च हुये 31,829 रुपये, जो पैसा विकास कार्यों के लिए होता है। वह पंचायतों को दिया जाता है और पंचायतें ही खर्च करती हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कूप निर्माण के लिये है। जो 33,000 खर्च करने के लिए दिया था क्या उसमें से केवल 5 हजार ही खर्च किये गए हैं और 1,47,000 में से पांच हजार कूप निर्माण में खर्च हुए हैं? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, सरपंचों ने धनराशि वापस लौटा दी है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सरपंचों ने धनराशि वापस क्यों लौटाई?

श्री दुलाराम : यह तो पंचायत विभाग से पूछिये कि क्यों लौटाई।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

अगला प्रश्न। श्री भगवानदास शास्त्री।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, पीपल्दा समेल के बारे में यह कहा गया है कि रकम वापस लौटा दी, अन्य सदस्यों ने बोरिंग करवाया। कृपा करके यह बता दें कि ये अन्य सदस्य कौन थे?

श्री दुलाराम : अन्य सदस्य गांव के ही

(श्री दुलाराम)
कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर बोरिंग करवाया। अन्य सदस्य से यही मतलब है और कुछ नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, 1980-81 में काम बन्द हुये और अब 84-85 चल रहा है। 1,47,000 में से केवल 5 हजार का काम हुआ है, यह आश्चर्य-जनक है। यह मांडा योजना है या क्या मजाक है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आगे माननीय सदस्य को अनुमति दूँ। उनका भी मुझे सहयोग चाहिये। आपको अनुमति दूँ तो अन्य माननीय सदस्य बीच में ही समय ले लेते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांडा योजना के बारे में आश्वासन दिया गया था कि पैसों की कमी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 1982-83 में और वर्ष 1983-84 में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

मेरा निवेदन है कि जिला परिषद् की मीटिंग में सारे एम. एल. ए. और प्रधानों ने कहा कि मांडा योजना में काम नहीं हो रहा है। काम इसलिए नहीं हो रहा है—सरपंच इसलिए काम नहीं करवाते हैं कि जे.ई.एन. और बी.डी.ओ. पैसे खाते हैं। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, ये आपके 20 सूत्री कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

श्री दुला राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बी.डी.ओ. और जे.ई.एन. पैसे खा रहे हैं। हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। पैसे की फिर भी कोई कमी नहीं है। विकास के काम सरपंचों के माध्यम से होते हैं और पैसा हमारी योजनाओं से मांगते हैं और हम देते हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : 1982-83 में क्यों नहीं मंजूर हुआ ? कोटा जिले की मांडा योजना में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, या तो इनके समझने में गलती है या फिर मेरे बताने में कोई कमजोरी है। मैंने स्पष्ट कहा है कि सरपंचों ने पैसा वापस लौटा दिया। जब सरपंच ही काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं कोई हाथ पकड़ कर तो काम करवा नहीं सकता हूँ। अगर सरपंच नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा माध्यम ढूँढ़ कर करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

ब्यावर आगार में फर्जी नियुक्तियां

49. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर संभाग के ब्यावर आगार में 19 फर्जी नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि हाँ, तो उक्त नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियुक्ति आर्थिक लाभ से सम्बन्धित रही हैं और प्रति

(श्री भगवानदास शास्त्री)
व्यक्ति को आर्थिक लाभ लेकर ही सर्विस में गैर कानूनी ढंग से ड्यूटी पर लगाया गया था ?

(3) यदि हाँ, तो भविष्य में सीधी भर्ती न करके नियमानुकूल भर्ती कराई जावेगी ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हाँ। इस प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच के फलस्वरूप नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को लिप्त नहीं पाया गया। अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) यह प्रकरण पुलिस को प्रतिवेदित किया गया है तथापि जो अधीनस्थ कर्मचारी लिप्त पाये गये उनके विरुद्ध जांच-कार्यवाही की जा चुकी है,-जिसके परिणाम प्राप्त होने पर ही वस्तुस्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(3) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवाओं में नियमानुकूल भर्ती की जा रही है तथा भविष्य में भी नियमानुसार ही भर्ती की जावेगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या यह सही है कि जो प्रकरण आपने इसमें प्रतिवेदित किया है, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही थी, 19 अवैध भर्ती के सम्बन्ध में, उसमें अभ्यर्थियों और अधिकारियों ने मिल कर जाँच करने गये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों के ऊपर कातिलाना हमला किया ? क्या नियम विरुद्ध भर्ती की गयी ? इन दोनों में से कौनसे मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गयी और कौनसा मामला विचाराधीन है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह भर्ती सन् 1979 में हुई। भर्ती की मंशा यह थी कि जो लोग कारपेन्ट्री, लोहारगिरी या अन्य आर्ट में थे उनकी भर्ती डेली वेजेज पर करने के अधिकार यहाँ से दिये गये थे। इसी आधार पर डी.एम.ई. ने 8 आदमियों को डेली वेजेज पर भर्ती करने के आदेश दिये। उनके आगे उनका ट्रेड लिखा हुआ नहीं था इसलिए उन्होंने ट्रेड अंकित करने के लिए आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेजा कि कौन कारपेन्टर है और कौन लोहारगीर है। इसके बाद आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उस कागज को तो रख लिया और 19 आदमियों के अपाइन्टमेन्ट लैटर्स अलग से ही निकाल दिये। 9 आदमियों ने जोइन किया था और बाकी ने जोइन नहीं किया था। जैसे ही डी. एम. ई. को इस बात का पता लगा कि फर्जी कार्यवाही की गयी है, उसके बाद वे लोग नौकरी छोड़कर भाग गये। उसके बाद पता नहीं कैसे मामला चला क्योंकि 79-80 में तो उसका असर नहीं पड़ा लेकिन 1981 के बाद जब यह देखा गया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं तो उनका केस पुलिस में दायर कर दिया। उसके साथ-साथ जो आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, क्लर्क और हैल्पर थे जिनकी वजह से यह कागज तैयार हुये थे उनको अब ससपेण्ड कर दिया। अब उनके दस्तखत एक्सपर्ट्स के पास जायेंगे और अन्य कार्यवाहियाँ होंगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है कि जिन लोगों को नियम विरुद्ध नियुक्त किया गया उन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिन लोगों को

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
भर्ती किया गया था उनको नहीं लगाया गया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक ।

भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

50. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बड़े शहरों में जहाँ सैनिक अस्पताल हैं वहाँ रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है जब कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1964 के पूर्व की सैनिकों की विधवाओं और उसके बाद की सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली राशि अलग-अलग है ?

(3) यदि हाँ, तो इस प्रकार दोहरे मापदण्ड बनाये रखने को सरकार क्या उचित मानती है तथा इस विषमता को कब तक दूर कर देगी ?

राज्य मन्त्री, सैनिक कल्याण (श्री शीशराम ओला) : (1) राज्य में जहाँ-जहाँ भी सैनिक अस्पताल हैं उनमें वहाँ रहने वाले एवं ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नियमानुसार उपलब्ध होती है ।

(2) जी हाँ।

(3) यह केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार ही है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, नीति केन्द्र सरकार की है पर आपके विभाग ने एक बहुत बड़ा सैनिक बोर्ड एस्टेब्लिश किया हुआ है जो सैनिकों की विधवाओं, उनके बच्चों और परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार करता है । यह विभाग स्टेट का है, राजस्थान सरकार का है । आपने प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में कहा है-"जी हाँ ।" लेकिन 1964 के पूर्व जो सैनिक मरे उनको पेन्शन नहीं दी जाती है और न दी जा सकती है, तो 1964 के पूर्व जिन सैनिकों की पत्नियाँ विधवा हो गयीं उनको पेन्शन नहीं मिलेगी, उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं । बाद में जो सैनिक मरे हैं उनकी विधवाओं को पेन्शन दे रहे हैं, यह दोहरे मापदण्ड अपनाने का कारण क्या है ?

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्या, यह प्रश्न जाँच से सम्बन्धित नहीं है । आर्मी के कुछ रूल्स-रेगुलेशन्स होते हैं उनमें एक महीने वाले की अलग पेन्शन होती है और पूरी सर्विस वालों की अलग पेन्शन होती है । उसके बावजूद आपने जैसा कहा कि 1964 से पहले और उसके बाद मिलने वाली पेन्शन में अन्तर है तो उसके लिए राज्य सरकार ने 1981 में इस प्रकार की एक योजना शुरू की है कि जो 1964 से पहले सैनिक मरे हैं उनकी विधवाओं को 50 प्रतिशत पेन्शन राज्य सरकार दे और 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार की ओर से मिले । इस तरह से यह पेन्शन स्कीम लागू की गयी है । इसमें विधवाओं की एप्लीकेशन्स आती हैं और उनको देखकर पेन्शन स्वीकृत की जाती है । यह व्यवस्था राज्य सरकार की है । हिन्दुस्तान की काफी स्टेट्स में इस प्रकार के सैनिक बोर्ड हैं । उनकी जो व्यवस्था है उनमें राजस्थान अग्रणी है ।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या यह सही है कि केन्द्र की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया कि 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे, तो 50 प्रतिशत केन्द्र की ओर से अनुदान दिया जायगा ताकि 64 से पहले की सैनिक विधवाओं को पेन्शन दी जा सके ?

श्री शीश राम ओला : एक कोई जोगी गाना गा रहा था तो सुनने वाला सो गया तो इसमें जोगी की क्या गलती है। आपके प्रश्न का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, मैडम। स्थिति यह है कि 1964 से पहले मरे सैनिकों की जो विधवाएँ हैं उनको पहले पेंशन देने का प्रावधान नहीं था किन्तु एक नयी योजना के तहत 50 प्रतिशत भारत सरकार अनुदान देती है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती है जिससे पेंशन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने 1981 से शुरू की है।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या यह सही है कि 1983 तक पेंशन नहीं दी जाती थी और इन दोनों समय की विधवाओं में डिफरेन्शिएट किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले ही सामने आ गया। मन्त्री जी ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि आर्मी की ऐसी व्यवस्था है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह व्यवस्था क्यों रही, दोहरे मापदण्ड क्यों रहे ?

श्री अध्यक्ष : सुरक्षा सैनिकों का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से सम्बन्ध है। सैनिक बोर्ड के माध्यम से इन सारी दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। आज शहर में रहने वालों का तो इलाज हो सकेगा लेकिन गाँव में रहने वाले बिना इलाज के मर जायेंगे।

श्री शीशराम ओला : आपको, माननीय सदस्या, कोई बिना जानकारी रखने वाला सैनिक मिल गया। आप मेरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

सैनिक अस्पताल गाँव-गाँव में नहीं खोले जा सकते हैं। जहाँ अधिक संख्या में सैनिक हों वहाँ सैनिक अस्पताल खोले जा सकते हैं। जैसलमेर में सैनिक अस्पताल खोला गया। इसके अलावा जहाँ भूतपूर्व सैनिक या और लोग पहुँचते हैं तो उनका इलाज किया जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं खोले जा सकते परन्तु उनके इलाज के खर्चे को रिएम्बर्स तो किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है, माननीय सदस्या। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त स्थान पर ही हल निकल सकता है। इसके लिए पार्लियामेन्ट में प्रश्न उठवाइये।

श्रीमती विद्या पाठक : उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह सैनिक बोर्ड के दायरे में नहीं आता है। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, न उनको इलाज की सुविधा मिल सकती है न शिक्षा की सुविधा मिल सकती है, यह राज्य सरकार की व्यवस्था है।

श्री बन्सी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक टू दी पाइन्ट प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार फिफ्टी पर्सेन्ट देती है और केन्द्रीय सरकार फिफ्टी पर्सेंट देती है। अलग-अलग स्टेट्स के बोर्ड बने हुए हैं सैनिकों की विधवाओं को पेंन्शन देने के लिए। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आर्मी का प्रोसीजर बना हुआ है, जो तरीके बने हुए हैं जिनसे विधवाओं को पेंन्शन देने में परेशानी हो रही है फिफ्टी पर्सेंट देने के कारण सरकार का इन्वोल्वमेन्ट है तो इस तरह की शिकायतों के लिए मन्त्री महोदय क्या आर्मी को लिखेंगे ताकि उनको जल्दी पेंन्शन मिल जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री हीरा लाल आर्य, श्री दाऊ दयाल जोशी।

बूंदी जिले के बरड क्षेत्र को भेड़ों से नुकसान

51. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में बाहर से हर वर्ष हजारों की संख्या में भेड़ें चरने आती हैं जो वहाँ के गाँवों के चारे तथा फसलों को नष्ट करती हैं जिससे उस क्षेत्र का वातावरण हमेशा आतंकित व अशांत बन जाता है ?

(2) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में कितनी भेड़ें कहाँ से और क्यों आती हैं ? सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करती है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त भेड़ों के निकास की शांतिपूर्ण व्यवस्था करेगी जिससे उस क्षेत्र का वातावरण आतंकित व अशांत न हो ?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) यह सही है कि बूंदी क्षेत्र में राजस्थान के पश्चिमी जिलों से भेड़ें निष्क्रमण पर आती हैं, परन्तु यह सही नहीं है कि उनके आने से क्षेत्र में चारा व फसलों को नष्ट करती हैं, जिससे वातावरण आतंकित व अशांत बन जाता है।

(2) बूंदी क्षेत्र में लगभग 30,000 से 75,000 तक भेड़ें राज्य के जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, नागौर, पाली व अजमेर जिलों से चारे व पानी की सुविधा होने के कारण बूंदी क्षेत्र में आ जाती हैं। इन भेड़ों को नियमित व नियन्त्रित करने बाबत भेड़ व ऊन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा पुलिस चौकियाँ स्थापित की जाती हैं जिससे शांति व कानून व्यवस्था बनी रहती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा पुलिस चौकियाँ स्थापित की जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाई रखी जाती है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो सूचना दी

(श्री हीरालाल आर्य)
है कि भेड़ों के आने से चारा और फसलें नष्ट नहीं होती हैं, यह आपकी सूचना गलत है। ये भेड़ें सारी फसलों को नष्ट कर देती हैं जिससे इस क्षेत्र का वातावरण अशांत और आतंकित बन जाता है। कई बार लड़ाई-झगड़े होते हैं और गोलियां चलती हैं और आप कहते हैं कि वातावरण खराब नहीं होता है। ये वहां की फसलों को नष्ट करती हैं। इनसे वहां के करीब बीस-पच्चीस गांव प्रभावित हैं।

आपने यह बताया कि इस इलाके में तीस हजार से पिचहत्तर हजार तक भेड़ें आती हैं। यह संख्या आपने दी है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम दो-ढाई लाख के बीच में भेड़ें आती हैं और सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं। मन्त्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि ये भेड़ें कब-कब आती हैं और कितनी पुलिस चौकियां कहां-कहां पर स्थापित करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं। क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान से जो भेड़ें मध्य प्रदेश, यू. पी. में जाती हैं और बूंदी, कोटा, झालावाड़ में जाती हैं वह पानी-चारे के अभाव की वजह से जाती हैं ? मानवीय दृष्टिकोण से जहां आती हैं उनको वहां पर किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करने जा रही है ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि भेड़ें जाती हैं उनको वहां के काश्तकार जबरदस्ती अपने खेतों में खाद के लोभ में बिठाते हैं, उनको थोड़ा बहुत चारा भी देते हैं ?

क्या यह भी बतायेंगे कि कौनसी भेड़ें किस जगह बैठती हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मन्त्री महोदय ने जो यह बताया कि बूंदी जिले में पुलिस चौकियां स्थापित की जाती हैं तो यह बतायें कि कितनी चौकियां कहां-कहां पर स्थापित की गयीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न चौकियों का नहीं है, भेड़ों की चराई का प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि 1980-81 में भेड़-पालकों ने बूंदी जिले के चार किसानों को गोली से उड़ा दिया था ? क्या यह सही है····

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं चाही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही

(श्री दाऊदयाल जोशी)
है कि 1980-81 में जब चार व्यक्तियों को गोली से उड़ाया गया तो राजस्थान विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया, उस समय सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इन भेड़ों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाकर चराने की व्यवस्था की जाएगी ? क्या इस प्रकार का आश्वासन सदन में दिया गया था ? यदि दिया गया था तो उसकी कार्यान्विति क्यों नहीं की गई ? यह कृपा करके बतायें ।

श्री राम किशन वर्मा : जहां तक 83-84 में किसी को गोली से उड़ाने का सवाल है, किसी भी व्यक्ति को गोली से नहीं उड़ाया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : 1983-84 में नहीं, 1981-82 में ।

श्री रामकिशन वर्मा : आप उस समय की बात कर रहे हैं जब मेरे पास यह विभाग ही नहीं था ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके पास नहीं था, लेकिन विभाग तो था ।

श्री राम किशन वर्मा : इस बात को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं । राजस्थान कैनाल के बायीं ओर चरागाह स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास साधन सीमित हैं, पैसा नहीं है कि सबको उधर ले जायं और सबको चारा और पानी उपलब्ध हो जाय । इसमें थोड़ा समय लगेगा । इसके बाद बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में जो भेड़ें आती हैं उनको हम रोकने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है···· ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को टाल गये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि 1982-83 में बूंदी जिले में इन विभिन्न चौकियों पर 73 केसेज भेड़पालकों के विरुद्ध बूंदी की कोर्ट में दर्ज हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के भेड़पालक सैंकड़ों वर्षों से वहां भेड़ें चराने के लिए जाते हैं तो क्या यह उनका पैतृक अधिकार नहीं है ? अगर यह पैतृक अधिकार है तो वहां के जो काश्तकार हैं वे अपने खेतों को उपजाऊ करने के लिए उन भेड़ों को अपने खेतों में वहां बिठाते हैं, उनको आटा देते हैं, उनको चारा देते हैं तो क्या उन कृषकों के लिए यह उपयोगी नहीं है ? अगर यह उपयोगी है, तो फिर चारों तरफ से घेराव करके उनके साथ यह अन्याय क्यों किया जाता है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इन्हें मुख्य मन्त्री जी के क्षेत्र में क्यों नहीं भेज देते ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री हीरालाल आर्य : मन्त्री महोदय यह बतायें कि इनको बूंदी जिले में ही क्यों भेजा जाता है ? इनको भीलवाड़ा में क्यों नहीं भेजते ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा ।

श्री हीरालाल आर्य : ये सारी खेती को नष्ट कर देती हैं ।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यह सही है कि शिवचरण माथुर के मुख्य मन्त्री बनने के पश्चात् से अब तक बूंदी जिले में जो भेड़ें पूर्व की ओर से जाती थीं, भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के उपखण्ड से जो रास्ता था, उस रास्ते को बदल कर उनका सीधा रास्ता बूंदी की तरफ कर दिया गया है ?

श्री रामकिशन वर्मा : यह गलत है। पहले भी आती थीं और अब भी उधर से निकलती हैं। यहां से बाहर जाती हैं।

श्री महाराम चौधरी : क्या राज्य सरकार पशुपालकों की ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है, कृपया बैठ जावें । अगला प्रश्न ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

कोटा जिले में भूमि का आवंटन

52. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा जिले में 1982-83 और 1983-84 में अब तक कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि आवंटित की गई और औसतन एक परिवार को कितनी ?

क्या यह भूमि आर्थिक जोत की श्रेणी की है ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : कोटा जिले में वर्ष 1982-83 में 7495 व्यक्तियों को 14044 एकड़ भूमि एवं वर्ष 1983-84 में 3623 व्यक्तियों को 7132.08 एकड़ भूमि आवंटित की गई। आवंटित भूमि का औसत एक परिवार का 1.90 एकड़ आता है। यह औसत इस जिले की भूमि के वर्गीकरण को देखते हुए औसत से कम है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक परिवार को दो एकड़ जमीन औसतन दी गई बतायी गयी है तो जिस परिवार में सात सदस्य हैं उनके लिए क्या यह उचित है ? क्या वह अपनी मजदूरी छोड़ कर दो बैल लेगा, अपने हल से खेती करेगा, तो इस जमीन से अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेगा ? इस प्रकार एक परिवार को दो एकड़ जमीन अलॉट करके क्या आप उसे मजदूरी से छुड़ा कर और गरीब बनाना चाहते हैं ?

(18)

श्री जयकृष्ण शर्मा : 15 बीघा से कम जिस व्यक्ति के पास जमीन है वह लैण्डलैस की श्रेणी में आता है इसलिए दो एकड़, जो 1.90 बीघा जमीन होती है, उन व्यक्तियों को दी गई है जो लैण्डलैस की श्रेणी में आते हैं यानि किसी के पास 8 बीघा, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 4 बीघा भी हो सकती है उसमें यह प्लस हुई है। इसके अलावा एक बात और महत्व की है कि इसमें आधा बीघा जमीन सिवाय चक की है। सिवाय चक के अलाटमेंट की कमेटी बनी हुई है उसमें जितने भी माननीय सदस्य हैं वे मेम्बर हैं इसलिए अलाटमेंट उनके सामने होता है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, यही प्रवृत्ति रही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हाँ, अध्यक्ष महोदय।

और आधी जमीन कोलोनाइजेशन और सीलिंग की है इसलिए मेरी समझ में आता है कि ज्यादातर जमीन उन लोगों को दी गई है, जिनके पास थोड़ी जमीन थी। उसमें यह तो और एड हुई है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 2-4 बीघा जमीन लेकर अपनी मजदूरी छोड़नी पड़े और अपने बैल लगाने पड़ें तो इतनी जमीन से तो गाँव के लोगों की गरीबी मिटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत 5 एकड़ से 10 एकड़ जमीन अलाटमेंट करने का प्रावधान है। कानून बनाने वाली सरकार कानून के अनुसार अलाटमेंट नहीं करे या उसको दो बीघा या चार बीघा अलग-अलग टुकड़ों में बांटे, तो क्या वह व्यक्ति राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का पालन करेगा या उसको ताक में रख देगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो भू-आवंटन का 1.90 बीघा औसत बताया गया है, यह औसत प्रति व्यक्ति है। जिनको यह भूमि आवंटित की गई है उन व्यक्तियों का यह औसत है। यह नहीं है कि जिनके पास केवल दो ही एकड़ भूमि है उनके नाम भी अलाट की है और जिनके पास 15 बीघा से कम जमीन है, 10 या 5 बीघा है, उनको भी अलाट हुई है। तो भूमि 10, 5 या 4 बीघा हो सकती है परन्तु यह औसत बताया गया है। इसमें कहीं यह मन्शा नहीं है कि कम अलाट करके लोगों को गरीब बनावें। साथ ही जो नाजायज कब्जे करते हैं उनको अलाटमेंट करते हैं वह भी इसमें शामिल हैं। कहीं पर राज्य सरकार की यह मन्शा नहीं है कि इससे लोगों को और गरीब बनाने की बात करें। सभी माननीय सदस्य वहीं बैठ कर जमीन अलाट करवाते हैं, तो कहीं पर यह मन्शा नहीं है कि किसी को गरीब बनावें। सहूलियत देने की दृष्टि से जो भूमिहीन काश्तकार या भूमिहीन मजदूर हैं, उनको भूमि अलाट की गई है। इसलिए इसमें कहीं पर भी अलाटमेंट में फ्रेगमेंट की बात नहीं है। जिस रकबे में भूमि बढ़ी हुई है वह 200 या 50 या 10 या 5 बीघे का भी हो सकता है। उसमें जो व्यक्ति भूमि माँगता है उसी के हिसाब से भूमि दी जाती है। कहीं पर भी फ्रेगमेंट करके भूमि नहीं बांटते हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूँ कि फ्रेगमेंट के नाम से अलाटमेंट नहीं होता, अध्यक्ष महोदय। जो स्ट्रिप आफ लैण्ड है वहीं जिनकी जमीन होगी वह तो दी जायेगी। बाकी किसी जमीन का पार्टीशन या डिवीजन करके ऐसा नहीं होगा कि इकानामिकली अनवायेबल हो जाय। वह तो फिर लेने वाले के लिए भी बेकार हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, हनुमानजी को गायब कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के गाँवों का विद्युतीकरण

53. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1980-81 से 1983-84 तक पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा के कितने गाँवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया और कितने गाँवों को विद्युतीकृत किया गया ?

(2) विद्युतीकृत ग्रामों में से कितने गाँवों में हरिजन व्यक्तियों को बिजली दी गई ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 (फरवरी, 84) तक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ विद्युतीकृत किये गए गाँवों की निम्न प्रकार है :-

पं.स.	1980-81 लक्ष्य	प्राप्ति	1981-82 लक्ष्य	प्राप्ति	शेष	1982-83 लक्ष्य	प्राप्ति	1983-84 लक्ष्य	प्राप्ति	वर्ष 80-81 से 83-84 (फर. 84) तक विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
नागौर	4	4	9	8	1	2	2	12	5	19
मूण्डवा	–	–	12	7	6	16	16	22	13	36

शेष इस काल के शेष काल में पूरे कर दिये जावेंगे।

(श्रीमती कमला)

(2) पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के विद्युतीकृत गाँवों में जिन-जिन विद्युतीकृत गाँवों में हरिजन व्यक्तियों को बिजली दी गई है उसे परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट विवरण दे दिया है, समय नहीं लें, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास

5९. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : [**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास को वर्ष 80-81, 81-82, 82-83 व 83-84 में कितना अनुदान दिया गया था? कृपया संस्था द्वारा अनुदान हेतु इन वर्षों में दिये गए प्रार्थना-पत्र मय प्रत्येक वर्ष के आय-व्यय लेखे सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था ने जो जमीन एवं भवन बेचे एवं रजिस्ट्रियाँ कराईं उस रकम को उन्हीं दिनांकों में संस्था के खातों में जमा नहीं कराया गया? यदि हाँ, तो क्या यह स्पष्टतः गबन की परिभाषा में आता है?

(3) क्या राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त भूमि एवं अनुदान द्वारा बने भवन को बिना स्वीकृति के कोई संस्था, व्यक्ति या पदाधिकारी बेच सकता है? यदि हाँ, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री गुलाब चन्द कटारिया हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि इस प्रश्न को श्री नन्दलाल मीणा को पूछने दिया जाय।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री बुलाराम) : (1) महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा संचालित माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास को वर्ष 1980-81 में 53,486 रुपये, वर्ष 1981-82 में कोई राशि नहीं, वर्ष 1982-83 में 89,162 रुपये तथा 1983-84 में 67,674.55 पैसे का अनुदान दिया गया। संस्था द्वारा अनुदान हेतु इन वर्षों में दिये गए प्रार्थना-पत्र मय प्रत्येक वर्ष के व्यय लेखे के प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री दुलाराम)

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि प्रश्न के खण्ड (2) में संस्था ने जो जमीन बेची और रजिस्ट्रियां करायीं उनकी राशि खाते में जमा करायी गयी या नहीं, इसका सारा विवरण मांगा था। यह भी पूछा था कि प्रार्थना-पत्र कब आये ? यह सूचना इस उत्तर के साथ लगी हुई नहीं है। मन्त्री महोदय कृपया इसको देखें।

दूसरा सवाल. यह जो माणिक्य लाल वर्मा छात्रावास है, जिसको दिये गए अनुदान के आंकड़े बताये हैं, वर्ष 1981–82 में जो इसकी जमीन थी वह श्री उम्मेदसिंह बाफना को बेची गयी या नहीं ?

श्री दुलाराम : विपक्ष के नेता महोदय ही पूछ लें। इनको आपने पूरी ट्रेनिंग नहीं दी है""।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में आपने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता है""

श्री दुलाराम : प्रश्न (3) के उत्तर में 'जी नहीं' कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह मान लिया जाय कि संस्था ने कोई जमीन नहीं बेची है ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने प्रश्न पढ़ा नहीं है। प्रश्न (2) में यह पूछा गया है-"क्या यह सही है कि उक्त संस्था ने जो जमीन एवं भवन बेचे एवं रजिस्ट्रियां करायीं उस रकम को उन्हीं दिनांकों में संस्था के खातों में जमा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या यह स्पष्टतः गबन की परिभाषा में आता है ?" इस संस्था का नाम इन्होंने माणिक्य-लाल वर्मा कन्या छात्रावास लिखा है परन्तु यह जमीन महिला आश्रम के नाम से आवंटित की गयी है। मैंने इसके उत्तर में 'जी नहीं' कहा है। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो जमीन बतलाई कन्या छात्रावास की, वह जमीन उदयपुर में थी, क्या उसका कोई भाग बेचा गया है या नहीं ?

श्री दुलाराम : मैंने तो 'जी नहीं' कह दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 'जी नहीं' से क्या मतलब, नहीं बेची।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का भाग (2) है, उसका उत्तर 'जी नहीं' है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जमीन बेची या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इन्द्राज किया गया या नहीं किया रकम का, बेची या नहीं बेची, यह आपने नहीं पूछा है। यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जमीन बिकती तो इन्द्राज होता।

श्री अध्यक्ष : इन्द्राज अलग चीज है, बेचना अलग चीज है। यह बात अलग है।

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रश्न को यूं पूछते कि जो जमीन बेची गयी उसका इन्द्राज किया गया या नहीं ?

श्री बुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन महिला आश्रम, उदयपुर के नाम से आवंटित की गयी है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 1945 में हुआ था और उसको यह जमीन आवंटित की गयी थी। यह होस्टल जो बना है यह बाद में बना है। जिस होस्टल के बारे में प्रश्न किया गया है, यह होस्टल माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास के नाम से है, यह होस्टल संस्था का नहीं है। यह एडेड होस्टल है। इसको ग्रान्ट देते हैं। महिला आश्रम का प्रश्न पूछते, महिला आश्रम के पदाधिकारियों ने कोई जमीन बेची है या नहीं। यह आप पूछते तो आपको बता देता, उक्त संस्था ने बेची है या नहीं। यह पता नहीं है। प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय भी सन्तुष्ट हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

यह महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिए दो मिनट ज्यादा ले लिए। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपया बैठ जायें। समय होता तो मैं आपको जरूर अवसर देता।

(व्यवधान)

मुख्य सचेतक कई तरह के पन्ने बांट सकते हैं........

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत, डबोक में डिस्पेन्सरी खोलना

54. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (मावली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में 1983–84 में कुल कितनी डिस्पेन्सरियां खोली गईं और कब-कब कहां-कहां खोली गईं ?

(2) क्या मावली चुनाव क्षेत्र की डबोक ग्राम पंचायत में डिस्पेन्सरी खोलने का मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब की जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में कुल 13 नवीन डिस्पेन्सरियां स्वीकृत की गईं, जिसमें से 8

(चिकित्सा मन्त्री)

को दिनांक 13-12-83 को एवं 5 (पांच) को दिनांक 11-1-84 को स्वीकृति दी गई। सूची संलग्न है।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) मुख्य मन्त्री जी के आदेश प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा में कार्यरत मजदूर

63. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत में शिव टिन फैक्ट्री, दौसा में प्रतिवर्ष कितने-कितने मजदूर कार्यरत रहे ?

(2) यह फैक्ट्री कब बन्द कर दी गई और इसके बन्द होने के परिणामस्वरूप जो मजदूर बेकार हो गये उनके रोजगार के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) इस फैक्ट्री के बन्द होने की सूचना विभाग को कब प्राप्त हुई ? क्या इस फैक्ट्री को पुनः चालू कराने के लिए विभाग ने प्रयत्न किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह कारखाना अब बन्द है। इस कारण यह सूचना देना सम्भव नहीं है कि विगत वर्षों में इस कारखाने में कितने-कितने श्रमिक कार्यरत रहे।

(2) कारखाने के मालिकों से कारखाना बन्द करने की कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षक कारखाना जब दिनांक 25-2-80, 7-10-80, 23-12-81, 5-1-83 को निरीक्षण करने गये तब यह कारखाना बन्द पाया।

कारखाने के मालिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कारखाना फरवरी, 1980 में बन्द कर देना बताया।

कारखाना बन्द होने पर बेरोजगार हुए श्रमिकों ने कोई विवाद श्रम विभाग को प्रस्तुत नहीं किया।

(3) कारखाने के बन्द होने की औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई। कारखाना निरीक्षक को निरीक्षण के समय यह जानकारी प्राप्त हुई कि कारखाना बन्द पड़ा है। चूंकि इस कारखाने के बन्द होने पर बेरोजगार श्रमिकों ने कोई विवाद नहीं उठाया था इस कारण श्रम विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

कोटा जिले में काश्तकारों पर बकाया धनराशि

64. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(२५)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कोटा जिले में 5 हजार या उससे अधिक लगान की धनराशि किन-किन काश्तकारों पर कब-कब से बकाया चल रही है और किस कारण से ? कृपया नाम व ग्राम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले में 5 हजार या उससे अधिक लगान की बकाया किसी भी काश्तकार में नहीं है।

बाड़मेर जिले की गुडामालानी तहसील पर स्टेट-बैंक की ब्रांच

65. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले की गुडामालानी तहसील, जिला मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील मुख्यालय पर स्टेट बैंक की ब्रांच है ?

(3) क्या यह सही है कि गुडामालानी तहसील के तमाम पटवारियों को भू-राजस्व की वसूली रकम जमा कराने के लिए बाड़मेर आना पड़ता है ? यदि हाँ, तो इस पर पटवारियों को टी. ए., डी. ए. कितना देना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार गुडामालानी तहसील के पटवारियों द्वारा वसूल की जाने वाली रकम गुडामालानी में ही जमा कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) गुडामालानी तहसील, जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(2) जी हाँ, तहसील गुडामालानी मुख्यालय पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एव जयपुर की एक व्यक्ति शाखा है।

(3) जी हाँ, यह सही है कि गुडामालानी तहसील के समस्त 50 पटवारियों को भू-राजस्व की वसूली रकम जमा कराने के लिए जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है एवं इस पर पटवारियों को लगभग रुपये 45,000/- प्रति वर्ष टी. ए., डी. ए. के रूप में देना पड़ता है।

(4) नवसृजित तहसील गुडामालानी कार्यालय भवन में अभी तक स्ट्रांग रूम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिसके अभाव में गुडामालानी में उप-कोष का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। उप-कोष का कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में भू-राजस्व की वसूल की गई रकम पटवारियों के द्वारा तहसील गुडामालानी मुख्यालय पर ही जमा करा सकने की व्यवस्था पर विचार किया जावेगा।

राज्य में उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्वीकृत पद

66. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने कई वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारियों को इन पदों से वंचित रखा तथा उनके स्थान पर जूनियर लोगों को कार्य दे रखा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आठ पद स्वीकृत हैं।

(2) यह सही नहीं है कि वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारियों को वंचित रखकर उनके स्थान पर कनिष्ठतम चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। कुल आठ पदों के विरुद्ध केवल दो पदों पर ही वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर कनिष्ठतम चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थायी तौर पर पद के विरुद्ध कार्य करने के आदेश दिये हुए हैं। उनके नाम व पदस्थापन के स्थान निम्नलिखित रूप से हैं :–

नाम	पदस्थापन	स्थान
1. डा. पी. एन. सिमलोत	उपनिदेशक (ई.एस.आई.)	नियमित रूप से
2. डा. आर.के. बंसल	उपनिदेशक (जयपुर जोन)	नियमित रूप से
3. डा. होलाराम लीलारमानी	उपनिदेशक (बीकानेर जोन)	,,
4. डा. पी.सी. दत्ता	उपनिदेशक (कोटा जोन)	,,
5. डा. (कु.) एल.साहनी	उपनिदेशक उदयपुर	,,
6. डा. सुगनलाल शर्मा	उपनिदेशक योजना	पद के विरुद्ध
7. डा. गोविन्द सिंह गहलोत	उपनिदेशक, जोधपुर	यथा

राज्य में नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

67. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार वर्ष 1983-84 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने, नये प्राथमिक स्वा. केन्द्रों की स्थापना, नये उप-केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण डिस्पेन्सरीज को सहा. स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले की जनता ग्रामों में, अपने-अपने खेतों में, ढाणियों में बिखरी हुई है ? यदि हाँ, तो उन्हें चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के लिए वर्ष 1983-84 में उपरोक्त चिकित्सा सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान करते समय क्या सरकार विशेष ध्यान देगी ? यदि हाँ, तो क्या-क्या चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी और किस-किस ग्राम में ?

(3) निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ में सन् 1980 से फरवरी, 1984 तक क्या-क्या व किस-किस स्थान पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ, वर्ष 83-84 में नागौर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

जिले में निम्न चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाई गई हैं :–

1. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, कुचामन (नावां)।

2. राजकीय डिस्पेन्सरी रोल, जायल।

3. उपकेन्द्र :–

1.	नावां स्टेशन	कुचामन
2.	माणकपुर	मूण्डवा
3.	ग्याडीसरी	नागौर
4.	जोधियासी	नागौर
5.	भोरियाना	डेगाना
6.	राजोद	डेगाना
7.	भमाना	मकराना
8.	जंजीला	परवतसर
9.	भायपुर	,,
10.	मालगांव	लाडनू
11.	ढिगसरी	,,

(3) पंचायत समिति शेरगढ़ में वर्ष 1980 से 1984 तक निम्न प्रकार की चिकित्सा सुविधायें निम्न स्थानों पर उपलब्ध कराई गई हैं :–

1. उच्चीकृत प्रा. स्व. केन्द्र, बालेसर (शेरगढ़)	1982-83
2. डिस्पेन्सरी, सेतरावा	1980-81
3. डिस्पेन्सरी, बिराई	1983-84
4. स. स्वा. केन्द्र, चौमू	1983-84
5. एडपोस्ट, भलुकला	1982-83
6. एडपोस्ट, बैलवा	,, ,,
7. एडपोस्ट, खिरजाआशा	1983-84

(स्थानान्तरण द्वारा)

उपकेन्द्र :–

1.	रायसर	1983-84
2.	अलोबाई	,,
3.	गुड़पियाँ	,,
4.	साई	,,
5.	गुढ़ा	,,
6.	सियान्दा	,,
7.	केतुकला	,,
8.	सामरोन	,,
9.	जिठानिया	,,
10.	भूंगरा	,,
11.	देवात	,,
12.	दातानिया	,,

भरतपुर में मलेरिया तथा वाइरल बुखार से हुई मृत्यु

68. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1982 से लेकर अब तक भरतपुर जिले में मलेरिया तथा वाइरल बुखार से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(2) इन बीमारियों की रोकथाम व बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रबन्ध किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इन बीमारियों का प्रकोप अभी तक बना हुआ है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में बुखार से 623 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(2) बीमारी की रोकथाम हेतु 1,95,054 रक्त पट्टिकाएँ की गईं जिसमें

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

25670 पोजिटिव निकलीं। सभी पोजिटिव केसों को मेडिकल उपचार दिया गया। इसके साथ ही मई 1983 से अक्टूबर 83 तक 2 राउन्ड बी.एच सी./डी.डी टी. छिड़काव कराया गया था, तीसरा स्पेशल राउण्ड दिनांक 20-2-84 से अभी तक चालू है। अधिक बीमारी बढ़ने पर चिकित्सकों/विशेषज्ञों/रेवेन्यू स्टाफ की टोलियों के साथ घर-घर जाकर (4,606) चार हजार छः सौ छः मरीजों को दवाइयाँ दी गई। भरतपुर जिले में सघन कार्यक्रम चलाने हेतु तीन हिस्सों में विभाजित कर अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। पानी भरे क्षेत्रों में विशेष बी एच सी स्प्रे कराया गया। अक्टूबर 1983 से जिले के प्रत्येक प्रा. स्वा. केन्द्र पर भ्रमणशील इकाइयाँ बनाई गई जिनकी 18 टोलियों ने घर-घर जाकर उपचार किया।

(3) जी नहीं, रोगियों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है एवं भरतपुर के प्रभावी क्षेत्र में कीटनाशक औषधियों के विशेष छिड़काव का कार्य प्रगति पर है।

जैसलमेर जिले में "सब स्वस्थ सूत्र" के निर्धारित लक्ष्य

69. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 में "सब स्वस्थ सूत्र" के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे व क्या उपलब्धियाँ अर्जित की जा चुकी हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में खरीदी गई औषधियाँ

70 श्री दाऊदयाल जोशी (दीगाद), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए किस-किस माध्यम से कितने-कितने की औषधियां कब-कब खरीदी गई ?

(2) क्या उनका विस्तृत प्रचार खरीदने हेतु किया गया था ? यदि हाँ, तो कब-कब, किन-किन माध्यमों से प्रचारित किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य की चिकित्सा संस्थाओं हेतु निम्न तीन माध्यमों से वित्तीय नियमों के अनुसार क्रय की जाती है :-

1. विभाग के एस.पी.ओ. द्वारा अनुमोदित सूची एवं वित्तीय प्रावधान के अनुसार।
2. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रमों से एवं सहकारी भण्डारों से।
3. वित्तीय नियमों के अन्तर्गत स्थानीय बाजार से।

वर्ष 1982-83 एवं वर्ष 1983-84

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(11/83 तक) में क्रमश: 453·20 व 133·07 लाख रुपये की औषधियाँ क्रय की गई ।

(2) जी हाँ, नियमानुसार ।

भ्रमणशील चिकित्सा इकाइयों में किया गया व्यय

7. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भ्रमणशील चिकित्सा इकाई कब से प्रारम्भ की गई ?

(2) प्रारम्भ काल से विभिन्न वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया ?

(3 कितने-कितने कैम्प, कहाँ-कहाँ पर प्रत्येक वर्षों में आयोजित किये गए ?

(4) कितने मरीजों ने इनका लाभ उठाया ? पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) यह इकाई सन् 1956 से प्रारम्भ की गई थी ।

(2) प्रारम्भ काल से विभिन्न वर्षों में जो इस इकाई द्वारा व्यय किया गया है उसका विवरण संलग्न पताका "क" में दिया गया है ।

(3) प्रारम्भ काल से जहाँ-जहाँ शिविरों का आयोजन किया गया उनका वर्ष वार ब्यौरा संलग्न पताका "ख" में दिया गया है ।

(4) मरीजों ने इसका लाभ आज तक उठाया है, इसकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

विषय	संख्या
1. मरीजों को आउट डोर में देखा गया	7,88,515
2. आँख के आपरेशन	67,610
3. सर्जीकल आपरेशन	38,429
4 परिवार कल्याण आपरेशन	5,093
5. दन्त आपरेशन	42,570
कुल आपरेशनों का योग	1,53,702

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें ।)

मांगरोल तहसील में हैल्थ गाइड्स को दी गई दवाइयाँ

72. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मांगरोल तहसील में हैल्थ गाइड्स को कितने रुपये प्रतिमाह की दवाइयाँ दी जाती हैं ? इस कार्य के लिए वर्ष 1983-84 में कितना बजट रखा गया है ?

(2) मांगरोल तहसील में अब तक कितने हैल्थ गाइड्स नियुक्त कर दिये गए हैं ? क्या इनको समय पर वेतन मिल रहा है ?

उत्तर

(1) हैल्थ गाइड को 50/- रुपये प्रति माह की दवाइयाँ दी जाती हैं एवं इस पद पर कार्यरत प्रति हैल्थ गाइड के लिए 600

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)
रुपये वर्ष की दवा का प्रावधान रखा गया है।

(2) मांगरोल (जिला कोटा) के बमोरी कलां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 83 तक 52 हैल्थ गाइडों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनका वर्ष 1983–84 का मानदेय, बजट राशि उपलब्ध न होने से समय पर वितरित नहीं हो पाया है। मामला वित्त विभाग में विचाराधीन है।

सरकार द्वारा पंचायत मुख्यावास पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार

73. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितने पंचायत मुख्यावास पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं?

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत मुख्यावास पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में 2425 पंचायत मुख्यावास पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(2) इस सम्बन्ध में चिन्तन तो समय समय पर किया गया है किन्तु वित्तीय प्रावधानों पर ही निर्भर करता है।

अजमेर में वर्तमान सत्र में प्रारम्भ की गई उर्दू भाषा

74. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल, अजमेर में वर्तमान सत्र में अल्प भाषाई छात्राओं के लिए उर्दू भाषा प्रारम्भ की जा चुकी है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सैण्ट्रल गर्ल्स स्कूल में जहां सिन्धी भाषी छात्रायें अध्ययन करती हैं, वहां सिन्धी भाषा की पढ़ाई शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इस विद्यालय में उर्दू विषय तृतीय भाषा से रूप में सब 1977–78 से तथा ऐच्छिक विषय के रूप में सब 1978–79 में बढ़ाया जा रहा है।

(2) वर्तमान में राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्छ माध्मिक विद्यालय अजमेर में सिन्धी भाषा की पढ़ाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सांगानेर और चाकसू में जले ट्रान्सफार्मर

75. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील सांगानेर और चाकसू में गत 3 वर्षों में कितने ट्रांसफार्मर जले? क्या इनकी जांच राज्य सरकार ने कारवाई है?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) यदि हां, तो प्रत्येक में सरकार ने किसकी जिम्मेदारी ठहराई और उस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) ट्रांसफार्मरों के जलने से कुल मिलाकर कितनी धनराशि की हानि हुई और प्रभावित क्षेत्र कितने घंटे बिजली से वंचित रहे ?

उत्तर

(1) तहसील सांगानेर व चाकसू में गत तीन वर्षों में कुल 185 ट्रांसफार्मर जले हैं, जिनकी तहसील व वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सांगानेर	चाकसू	कुलयोग
1980-81	40	2	42
1981-82	67	5	72
1982-83	61	10	71
			185

(2) जी हां, उक्त सभी ट्रांसफार्मरों की जांच करवाई गई है। जले ट्रांसफार्मरों की विभागीय जांच के दौरान सभी ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी एवं प्राकृतिक विपदाओं की वजह से जलना पाया गया। अत: किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त जले ट्रांसफार्मरों से 6,71,000/- रु. की हानि हुई है। प्रभावित क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर जलने के तुरन्त पश्चात् कुछ समय में ही बदल दिये गये थे। तुरन्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने पर संबंधित क्षेत्र को अन्य ट्रांसफार्मर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्युत प्रदान करदी गई थी।

जिला कोटा की दीगोद तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

76. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले की दीगोद तहसील के मुख्य मुख्य कस्बे बूढ़ादीत, कोटडा दीपसिंह, टाकरवाडा, मंडावरा आदि की आबादी 2 हजार या उससे अधिक की है व उक्त ग्रामों के नाम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अंकित हैं परन्तु फिर भी इन ग्रामों को विद्युतीकृत नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत न करने का क्या कारण है व भविष्य में उन्हें कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। ग्राम बूढ़ादीत, मण्डावरा, कोटडा दीपसिंह एवं टाकरवाडा पंचायत समिति सुल्तानपुर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजना के अंतर्गत संमिलित हैं। उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण बूढ़ादीत 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण से संबंधित है। अत: भविष्य में इनका विद्युतीकरण दीगोद से बूढ़ादीत 33 के. वी. लाइन तथा बूढ़ादीत सब स्टेशन के निर्माण के पश्चात् किया जा सकेगा।

उदयपुर अन्ध विद्यालय को राज्य सरकार व जन सहयोग से सहायता

77. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्ध विद्यालय, उदयपुर कब से प्रारम्भ किया गया ? अब तक इस विद्यालय को कितना राज्य सरकार से अनुदान व कितना जन सहयोग से धन प्राप्त हुआ ? कृपया वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) अप्रेल, 1977 से जनवरी, 1984 तक के आय-व्यय के आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) प्रज्ञाचक्षु शिक्षण संस्थान (अंधविद्यालय) उदयपुर 2 जून, 1965 को स्थापित हुआ। संस्था राज्य सरकार की अनुदान सूची पर वर्ष 71-72 से है। संस्था को अब तक जो अनुदान एवं सहायता प्राप्त हुई है उसका विवरण संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) वर्ष 77-78 से 82-83 तक आय-व्यय का विवरण संलग्न सूची 'ख' में प्रस्तुत है। वर्ष 83-84 का आय-व्यय का विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही प्राप्त होता है। जनवरी, 84 तक प्रोविजनल अनुदान के रूप में संस्था को 56,700/- रुपये का भुगतान किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला जैसलमेर में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11 से प्राप्त उपलब्धियां

78. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्री संख्या 11 (गांव में उजाला) के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 1982-83 व 1983-84 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या-क्या उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी है?

उत्तर

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में जैसलमेर जिले में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। अतः उपलब्धि अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में विकलांग व्यक्ति

79. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में कितने विकलांग व्यक्ति हैं?

(2) क्या विकलांगों के पंजीकरण हेतु कोई राजकीय एजेन्सी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) विकलांग वर्ष में कुल कितने विकलांग राजकीय सेवा में लिये गये हैं? कृपया अप्रेल, 1982 से 15 फरवरी, 1984 तक नागौर व मूण्डवा पंचायत समिति की विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा के 25 विकलांग व्यक्ति नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं। जिनमें 15 नागौर के तथा 10 मूण्डवा पंचायत समिति के हैं।

(2) जी हां। नौकरी के इच्छुक बेरोजगार विकलांगों का नियोजन कार्यालय में पंजीकरण किया जाता है।

(3) विकलांग वर्ष 1981 में कुल 985 विकलांगों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियोजित करवाया गया। अप्रेल, 82 से 15 फरवरी, 84 तक कुल एक विकलांग को पंचायत समिति नागौर में अध्यापक पद पर नियुक्ति दिलाई गई। प्रार्थी का नाम श्री बाबूलाल जाट है जो नेत्रहीन है।

श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ मार्ग पर निजी बसें

80 श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीमाधोपुर (सीकर) से अजीतगढ़ (सीकर) मार्ग पर निजी बसें कितने-कितने समय से प्रतिदिन चलाई जाती हैं ?

(2) क्या उक्त मार्ग पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान समय पर बसों की संख्या पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर प्रतिदिन 8 निजी बसें हर सवा घण्टे के अन्तर से चलायी जाने के परमिट स्वीकृत हैं ।

(2) जी हाँ ।

श्री देवनारायण जी की सेवा पूजा हेतु दाखिल खारिज स्वीकार करना

81. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा श्री माधोलाल पुत्र श्री बिहारीलाल मेहर के नाम श्री देवनारायण, ग्राम किशनपुरा एवं श्री देवनारायण जी बोरदा की सेवा पूजा का दाखिल खारिज स्वीकार करने हेतु आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को दिनांक 27-9-77 को संलग्न 21, क्रमांक 6091 के द्वारा भेजा गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त दाखिल खारिज अभी तक स्वीकार नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त मामले में शीघ्र ही दाखिल खारिज स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह मामला दाखिल खारिज से सम्बन्धित नहीं होकर मंदिर को मिलने वाली वार्षिक वृत्ति से सम्बन्धित था । अतः श्री माधोलाल को जिलाधीश (जागीर), कोटा के यहां पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रपत्र 12 ए जारी कराने की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

(3) यह प्रकरण दाखिल खारिज का नहीं होकर वार्षिक वृत्ति की स्वीकृति का है अतः दाखिल खारिज स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

नागौर निर्वाचन क्षेत्र में पोषाहार केन्द्र

82. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर निर्वाचन क्षेत्र में कहां-कहां पोषाहार केन्द्रों की व्यवस्था है ? पोषाहार सामग्री कहां-कहां तैयार होती है ?

(2) क्या यह आम शिकायत है कि यह सारा सामान काला-बाजारी में बिक जाता है या फिर जो कुछ दलिया बनता है

(श्री महाराम चौधरी)

वह खाने योग्य नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या विभाग इसकी जांच करवा कर कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण छात्रावासों की कार्य प्रणाली एवं छात्रों को दी जाने वाली सुविधा में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया वर्तमान सुविधा एवं कार्य प्रणाली का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर अध्ययनरत छात्रों पर खर्च की जाने वाली राशि निर्धारित कर दी गई है ? यदि हां, तो किस श्रेणी के छात्रावास के छात्र पर कितनी-कितनी राशि किस-किस उद्देश्य पर खर्च की जाती है ? इस राशि में से एक छात्र पर दैनिक खर्चा कितना पड़ता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) नागौर निर्वाचन क्षेत्र में जिन स्थानों पर पोषाहार केन्द्रों की व्यवस्था है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। पोषाहार सामग्री केन्द्रों पर ही तैयार की जाती है।

(2) जी नहीं। सामान कालाबाजारी करने या दलिया खाने योग्य नहीं बनने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां, विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "ब" में रख दिया गया है।

(4) जी हां। यह राशि राजकीय एवं अनुदानित दोनों प्रकार के छात्रावासों के लिये निर्धारित है। अनुदानित छात्रावासों पर अधीक्षक का वेतन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन, यात्रा एवं मेडिकल व्यय, कार्यालय के स्टेशनरी एवं डाक आदि का व्यय एवं छात्रावास भवन का किराया (यदि छात्रावास भवन किराये का हो तो संस्था को वहन करना पड़ता है) छात्रावास के दोनों श्रेणी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टौंक शहर में विभिन्न शिक्षणालयों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र

83. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या समाजकल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक शहर में अनुसूचित जाति और जनजानि के विभिन्न शिक्षणालयों में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? उनमें स्थानीय एवं बाहरी ग्रामों के कितने-कितने छात्र हैं ?

(2) टौंक शहर के विभिन्न स्कूलों में ऐसे छात्रों को 1980 से कितनी छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की गई एवं कितने छात्रों को दी गई ? कितने छात्र इस छात्रवृत्ति से वंचित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक शहर में विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत अनुसूचित

(समाज कल्याण मन्त्री)

जाति एवं जन जाति के छात्रों की सूचना संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(2) जितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई यह सूचना भी परिशिष्ट में अंकित है, बाकी के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहे।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला प्रमुखों द्वारा उपयोग में ली गई गाड़ियों का खर्चा

84. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में जिला परिषदों के चुनाव के पश्चात् जिला प्रमुखों द्वारा जनवरी 1984 तक उपयोग किए जाने पर गाड़ियों पर कुल किस-किस प्रकार कितना व्यय हुआ ?

(2) जिला प्रमुख द्वारा गाड़ी पर व्यय की क्या कोई सीमा निर्धारित है ?

उत्तर

(1) 23 जिला प्रमुखों द्वारा गाड़ियां उपयोग किए जाने पर जनवरी, 1984 तक निम्न प्रकार व्यय हुआ है:—

जिला पुल की गाड़ियों का किराया	पैट्रोल/आयल	मरम्मत पर व्यय	कुल॰ यय
61,567.00	5,460,78/-	2,00,804/-	8,08,449/-

जिला परिषद्, बीकानेर, चूरू व अजमेर की सूचना एकत्रित की जा रही है। जिला परिषद्, धौलपुर के लिये अभी गाड़ी का आवंटन नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

सरपंच रावतभाटा पं. स. भैंसरोडगढ़ द्वारा की गई अनियमितताएं

85. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, रावतभाटा (पंचायत समिति भैंसरोडगढ़) द्वारा की गई अनियमितता एवं धन के दुरुपयोग के विरोध में दिसम्बर, 1983 में आन्दोलन किया एवं विरोध स्वरूप दो दिन तक रावतभाटा बन्द रहा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, चित्तौड़ ने दिनांक 26-12-83 को उक्त मामले में जांच हेतु अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या जांच प्रतिवेदन में सरपंच दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

लाडनू तहसील में पिछड़े को पहले योजना के तहत दिया गया ऋण

86. श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछड़े को पहले योजना के तहत, कितने लोगों को ऋण दिया गया तथा अनुदान की कितनी राशि थी तथा उसमें से कितना भुगतान हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि लाडनू तहसील के आधे से ज्यादा ग्रामीण लोगों के पास ऋण से खरीदे गये पशु मौजूद नहीं हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1983 में जिनको ऋण दिया गया तथा उनके पास ऋण से खरीदे गये पशु मौजूद नहीं हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले में आधे से अधिक फर्जी ऋण दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि गरीब को छप्पर योजना के तहत अनुदान आवंटन में पक्षपात किया गया है ?

(5) इस योजना के तहत लाडनू तहसील की किस पंचायत के कितने लोगों को अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पिछड़े को पहले योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ अक्टूबर, 1978 से लेकर जनवरी, 1984 तक कुल 5,45,912 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और 105.69 करोड़ रुपये ऋण राशि सुलभ कराई गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 68.34 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया था जिसके विपरीत कुल 68.26 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) वर्ष 1983-84 में इस योजना के तहत 4 पंचायतों के 46 व्यक्तियों को

(ग्रामीण विकास मन्त्री)

अनुदान दिया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

झालावाड़ जिले के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

87. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झालावाड़ जिले की डग-पिड़ावा-मनोहरथाना पं. स. के प्राइमरी स्कूलों में वर्तमान में कितने-कितने अध्यापक किन-किन स्कूलों में कार्यरत हैं? कृपया स्कूलों सहित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समितियों में अध्यापकों का भयंकर अभाव है तथा कई ग्रामों के स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हुए हैं?

(3) अध्यापकों के अभाव की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, डग में 7 व पिड़ावा में 10 शालाएँ अध्यापकों के पद रिक्त होने के कारण बन्द हैं।

(3) अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

पाली जिले में भेड़ व ऊन विकास कार्य

88. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पाली जिले में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 के दौरान भेड़ व ऊन विभाग के अधीनस्थ निर्माण व विकास कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई? कृपया पंचायत समिति केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भेड़ों में रोगों की रोकथाम के लिये दवाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल वर्ष 1982-83 में ही पंचायत समिति बाली, भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, बाली पर रुपये 7258·31 का निर्माण कार्य कराया गया। विकास व्यय जिला पाली में पंचायत समिति/केन्द्रों पर कुल वर्ष जून 80 से मार्च 81 तक रुपये 505000, वर्ष 81-82 में रुपये 643000, वर्ष 82-83 में रुपये 746000 एवं 83-84 में दिसम्बर 83 तक रु. 596000 हुआ। पंचायत समिति, केन्द्रवार सूचना एकत्रित की जा रही है। शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जावेगी।

(भेड़ व ऊन मन्त्री)

(2) संलग्न सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

शाही रेल पर व्यय की गई धनराशि

89. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाही रेल (पैलेस आन व्हील्स) को कब से शुरू किया गया ? इसको शुरू करने में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) शुरू किये जाने के बाद शाही रेल पर अब तक रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(3) शाही रेल शुरू होने से लेकर अब तक कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई ?

उत्तर

(1) शाही रेल 26 जनवरी, 1982 से प्रारम्भ हुई। इसको शुरू करने में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 4·40 लाख रुपये पूंजीगत खर्चा किया गया।

(2) शाही रेल पर रख-रखाव का कार्य भारतीय रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के पास इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) शाही रेलगाड़ी के शुरू होने से लेकर अब तक के लाभ हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	हानि अथवा लाभ (रु. लाखों में)	
81–82	(–)	4·99
82–83	(+)	1·97

श्रीमाधोपुर पं. स. की जीप पर व्यय

90. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान निर्वाचित पंचायत समितियों के गठन के पश्चात् पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर (सीकर) द्वारा जनवरी, 1987 तक पंचायत समिति की जीप पर तेल, ड्राइवर एवं टूट-फूट पर कितनी राशि व्यय की गई ? वार्षिक ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जीप के उपयोग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी राशि गत दो वर्षों में खर्च की गई ?

(3) सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जनवरी 1983 से जनवरी 1984 तक पंचायत समिति की जीप पर पैट्रोल, ड्राइवर व टूट-फूट पर कुल रुपये 80,992·47 की राशि व्यय की गई है।

(पंचायत मन्त्री)

जिसका वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यय की गई राशि
1982–83	44,778·52
1983–84	36,213·95
योग	80,992·47

(2) जीप के उपयोग हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/जिला विकास अभिकरण द्वारा कुल रुपये 30,000 की राशि आवंटित की गई तथा गत दो वर्षों में कुल रुपये 80,992·47 में से रुपये 54,896·57 की राशि जीप पर व्यय की गई।

(3) सरकारी वाहनों के उपयोग हेतु नियम बने हुए हैं। दुरुपयोग की शिकायत होने पर बाद जाँच आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 11 जनवरी को झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी कस्बे में रात्रि के समय गुण्डों की पिटाई से अनुसूचित जाति के किशनलाल मेहर की मृत्यु के विषय में।

(2) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से 1981 की बाढ़ से फागी विधान सभा क्षेत्र में हुई पशुधन व जन-धन की क्षति के बाद सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में राहत न पहुँचाने के विषय में।

(3) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर शहर की कुछ बस्तियों व अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पीने के पानी एवं बिजली की व्यवस्था न होने के विषय में।

(4) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के भूलोन बस्बे में गत 16 सितम्बर को एक अर्द्ध विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार होने की घटना के विषय में।

(5) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसीलदार, सिकराय द्वारा गरीब काश्तकारों के विरुद्ध झूठे मुकदमे बना कर उनको सजा देने के विषय में।

(6) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन जिला बूंदी के किसानों की टेल की भूमि पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न कराये जाने के विषय में।

(7) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के थाना गोवर्द्धन विलास के अन्तर्गत ग्राम टीड़ी निवासी श्री प्रभूलाल की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किये जाने के विषय में।

(8) सर्वश्री हंसराज शर्मा, चुन्नीलाल व कुंजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा में टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर के निदेशक द्वारा फर्जी तरीके से कुछ जमीन अपने नाम करा लेने पर भी

(श्री अध्यक्ष)

पुलिस द्वारा चालान न किये जाने के विषय में।

(9) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर पंचायत समिति टोंक की अधिकांश प्राथमिक शालाओं में आवश्यक संख्या में अध्यापक न होने के विषय में।

(10) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत फरवरी माह में महिला मण्डल उदयपुर के छात्रावास की कुछ छात्राओं द्वारा जहर खा लेने के बाद एक की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(11) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अशोक सिंधी का अपहरण और उनकी हत्या तथा बनेड़ा ग्राम की एक वृद्ध महिला की हत्या के विषय में।

(12) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जाने वाले आन्दोलन के विषय में।

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में यूनानी छात्रों की मांगों की पूर्ति न होने के कारण उनमें असन्तोष होने के विषय में।

(14) श्री हीरालाल आर्य व श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान ताप विद्युत् परियोजना कोटा के कर्मचारियों द्वारा गत 9 फरवरी से धरना व आन्दोलन किये जाने के विषय में।

(15) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर की लूनकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत 3 माह से पानी न आने से फसलों के नुकसान के विषय में।

(16) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवम्बर 1983 में सेठ मुरलीधर कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा का सिंचाई विभाग के एक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बलात्कार के प्रयत्न के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जारही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नर्सिंग कालेज, जयपुर में छात्रों के लिये एक नया खण्ड खोलने की मांग के विषय में। यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और माननीय सदस्य बजट पर बहस के दौरान इस मामले को उठा सकते हैं।

(2) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर क्षेत्र के भारत-पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चोरी छिपे आकर बसने की घटना के विषय में। इस विषय पर भी माननीय सदस्य बजट पर आम बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं इसलिए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। दोनों ही माननीय सदस्य इस समय इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं करेंगे।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री शोभराजमल, सदस्य, विधान सभा को सत्रारम्भ 15 दिन तक के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने

(श्री अध्यक्ष)

से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री शोभराज मल, सदस्य, विधान सभा ने सत्रारम्भ से 15 दिन तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

किसानों की मांगों को लेकर गंगानगर में प्रारम्भ किये गये रास्ता रोको आन्दोलन सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य ।

पुरःस्थापित किए जाने वाले....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गंगानगर जिले के किसानों की समस्या के बारे में कल आपने यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में सरकार से बात करके समय निश्चित करूंगा। दूसरा, मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों ने भी पाले के कारण से फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में बार-बार स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिये हैं उन पर भी वक्तव्य दिलाने के लिए आपने कहा था। अध्यक्ष महोदय, आज के बाद तीन दिन तक लगातार सदन की बैठकें होंगी नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फसलों को शीतलहर के कारण जो नुकसान हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आज तो यह सम्भव नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण विषय है। पर सरकार की ओर से, शीतलहर के कारण, सिंचाई वाले मामले में, फसलों के नष्ट होने के बारे में और अन्य स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, किसानों का महत्वपूर्ण मसला है। फसलें कटनी शुरू हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, शीतलहर के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। आन्दोलन चल रहे हैं, हजारों किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आज प्रातःकाल ही मन्त्री महोदय से बात की थी, इसका तखमीना तैयार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

(व्यवधान)

एक-एक करके अगर माननीय सदस्य बोलें तो मैं कुछ सुन सकता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह बाकी माननीय सदस्य बैठ जायें। इन्हें कुछ कहने दीजिए। आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : हड़तालें हो रही हैं, आम रास्ता रोका जा रहा है, हजारों किसानों को गिरफ्तार किया गया है, हजारों किसानों को बुरी तरह से लाठियों से पीटा गया। उसके बारे में कल हमने एक प्रस्ताव भी रखा था कि सरकार जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, कल आपकी ओर से यह आश्वासन दिया गया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सरकार की कल भी तैयारी थी। माननीय सदस्यों को मैंने यह आश्वासन भी दे दिया था कि इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जायेगा। इसके बाद में किसी भी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में दुबारा मांग नहीं की तो....

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस पर वक्तव्य दिलाऊंगा, लेकिन आज नहीं दिलाया जा सकता। किसी और दिन एडजस्ट कर लेंगे...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज वक्तव्य देने को तैयार नहीं है, कल तैयार थी....

श्री नाथूसिंह (बादीकुई) : सरकार कल वक्तव्य देने को तैयार थी तो आज वक्तव्य देने में क्या दिक्कत आ रही है? अध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य देने को तैयार हो तो आज ही वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मन्त्रीजी से पूछ लेते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राज्य मन्त्री, गृह) अध्यक्ष महोदय, सरकार 12 तारीख को इस बारे में वक्तव्य देगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को नहीं, आज ही क्यों नहीं....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : ऐसी लुटेरी सरकार, जो किसानों की दुश्मन है, 12 तारीख को मुंह खोलेगी। शर्म से डूब जाना चाहिए इस सरकार को। हम चाहते हैं कि आज ही वक्तव्य दे।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : कहीं पर नोटिस दिये जा रहे हैं, कहीं पर और प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, कहीं पर मुर्गा बनाया जा रहा है,....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज ही सरकार से वक्तव्य दिलाया जाये....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : किसानों के बेटे, जो इस सदन में बैठे हैं, से मैं अपील करूंगा, यह नाकाबिले बर्दाश्त है, किसान जो हजारों सालों से कुचला गया है, उसकी जमीनें छीन ली गई हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं, हजारों लोगों को जेलों में डाला गया है और जेलों में भी उनके साथ घोर अत्याचार हुआ है उसके बावजूद यह गूंगी-बहरी सरकार कहती है कि आज नहीं बोलेगी, आज वक्तव्य नहीं देगी, तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्रीजी ने कह दिया है, 12 तारीख को वक्तव्य दिलवा देंगे।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज ही वक्तव्य दिलवाने की व्यवस्था करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज भी आन्दोलन जारी है। यह सरकार बराबर किसानों पर अत्याचार करती आ रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज ही वक्तव्य दिलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कल आपने आश्वासन भी दिया था, व्यवस्था दी थी, इसलिए आज ही वक्तव्य दिलायें। 12 तारीख तो बहुत दूर है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना निवेदन करना है कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि सारा मामला सरकार की जानकारी में है। मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार भी किया था कि सारे तथ्य हमारे पास आ चुके हैं, सारी जानकारी है। कल सरकार इस पर वक्तव्य देने को तैयार भी थी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब कल वक्तव्य देने को तैयार थी, तो सरकार आज वक्तव्य देने को क्यों नहीं तैयार है। सरकार को स्वयं चलाकर कहना चाहिए, आज वक्तव्य दे रहे हैं। 12 तारीख में क्यों जा रहे हैं आप।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर हवाई फायर हुये हैं, टेन्शन बना हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं। लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, यदि 3–4 दिन में और गोलियां चल गईं या और कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आदमी मर गये तो इसकी जिम्मेदारी किस की होगी? इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आज सरकार सदन में वक्तव्य दे दे तो हो सकता है....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले को आगे टाले नहीं। माननीय मन्त्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, पूरी जानकारी उनको उपलब्ध है, तो आज वक्तव्य देने में उनको क्या आपत्ति है? आप पूछिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक जनगणना विभाग के कर्मचारियों के बारे में स्थगन-प्रस्ताव दिया था। मैंने आपसे आग्रह भी किया था, सरकार ने बात मान ली है...

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : गंगानगर जिले में किसानों पर जिस तरह से लाठी चार्ज आदि की कार्यवाही हो रही है, जिसमें सरकार जानबूझ कर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बाधा न डालें।....

श्री महाराम चौधरी : इस मामले को लम्बा करती जा रही है। सरकार कहती है कि वहां पर तनावपूर्ण स्थिति नहीं है।

(श्री महाराम चौधरी)
इससे ज्यादा वहां पर आप तनावपूर्ण स्थिति और क्या करवाना चाहते हैं, वह भी बता दें। इसके लिए किसान तैयार हैं, मरने के लिए भी किसान तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था नहीं फैलावें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनगणना विभाग के कर्मचारियों की बात सरकार ने मान ली थी। उन्होंने कहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने कहा था कि 400 को नियुक्ति दे देंगे। केवल 122 को नियुक्ति दी। 280 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। अगर 280 अभ्यर्थियों को और नियुक्ति दे देंगे, तो केवल 375 लड़के हैं, प्रार्थी के बतौर पर....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनगणना का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। मैंने इजाजत दी है।

श्री मेघराज तावड़ : यह कैसी सरकार की नीति है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। सरकार को चाहिए कि वह आज ही वक्तव्य दे।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : सरकार को बाध्य करें की आज ही वक्तव्य दे...

श्री यदुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार को जब पूरी जानकारी है, तो सरकार उत्तर क्यों नहीं देना चाहती है ?

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी: सरकार आज ही वक्तव्य दे....

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : सारा सदन इस बात पर सहमत है।....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह :....आप कल तो वक्तव्य देने को तैयार थे। कल कैसे तैयार थे ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो हल्ला मचा रहे हैं। कुछ सुन तो रहे ही नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि वहां पर हवाई फायर किया गया....

श्री यदुनाथ सिंह : लाठी-चार्ज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बीच में न बोलें : आपकी तो स्मरण शक्ति कमजोर गयी है । अपनी बात तो कह दी फिर सरकार की बात सुनते नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बात कही गयी कि हवाई फायर किया गया । मेरे पास जो प्रारम्भिक सूचना उपलब्ध है उसके अन्दर यह कहा गया है कि यह बात सत्य नहीं है । यह बात सत्य नहीं है कि वहां पर हवा में फायर किया गया, हवा में गोलियां चलायी गयीं ।

अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय से कल रात को मेरे पास कृषि विभाग से ट्रान्सफार होकर जो एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना आयी जो सर्वश्री मेघराज तावड़, राजबहादुर और त्रिलोक सिंह ने पेश किया है, एडजोर्नमेन्ट मोशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रान्सफर होकर रात को 11.00 बजे आया । आपके सचिवालय की कोई भूल रह गयी, ऐसा मैं नहीं कहता । कभी-कभी ऐसा हो जाता है जल्दी में चला जाता है । अध्यक्ष महोदय उस मोशन में दो मुद्दे हैं । एक मुद्दा कानून और व्यवस्था का है और दूसरा मुद्दा जिस बात को लेकर वहां पर एजीटेशन हो रहा है । इसमें दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं । खाली कानून और व्यवस्था की बात होती तो मेरे पास जो प्रारम्भिक सूचना उपलब्ध थी वह दे देता । छुपाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मुद्दे जुड़े हुए हैं, किसानों द्वारा जिस मांग को लेकर रास्ता रोको आन्दोलन प्रारंभ किया गया है, एडजोर्नमेंट मोशन कल रात को मेरे पास आया है, इस सम्बन्ध में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि उनकी क्या समस्या है । वे आज के लिये तैयार नहीं थे । कल वर्किंगडे नहीं है, श्रीमान, नहीं तो सरकार कल ही वक्तव्य दे देती, सारी जानकारी आज शाम तक तैयार करा पाऊं, यह सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार 12 तारीख को जीरो आवर का जो प्रारम्भिक समय है उसमें वक्तव्य देने को तैयार है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जिस प्रकार की स्थिति है उसके संबंध में ऐसा मेरा विश्वास है कि सरकार ने उसे गम्भीरता से नहीं लिया है । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आज से 10 वर्ष पहले गंगानगर में किसानों का आन्दोलन हुआ था उसमें फायरिंग हुयी थी और 9 व्यक्ति मारे गये थे तब तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इस सदन में गंगानगर जिले के किसानों की मांगों को मंजूर किया था और मांगें मंजूर होने के बाद ही आन्दोलन शिथिल हुआ था । अध्यक्ष महोदय आज वही स्थिति फिर पैदा हुयी है । लाठी चार्ज हुआ है, रास्ता रोको आन्दोलन चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं इसलिये मैं सरकार का ध्यान....

श्री अध्यक्ष : सारी बातें मंत्री महोदय ने स्वीकार कर ली हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि गंगानगर जिला पंजाब की सीमा पर है। आज आन्दोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, रास्ता रोकने की कार्यवाही तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि गंगानगर जिले में एक बहुत ही नाजुक स्थिति बन गयी है। अगर सरकार ने आन्दोलन को गम्भीरता से नहीं लिया और केवल उसे कुचलने का प्रयत्न किया, तो आन्दोलन करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, किसानों के जो नेता हैं, प्रमुख हैं वह तो शायद शान्त रहें लेकिन अनसोशल एलीमेंटस इसमें कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने आप स्टेटमेंट देना चाहिए था। वह न राजस्व मंत्री दे सकते हैं और न ही कोलोनाइजेशन मंत्री दे सकते हैं और न स्टेट होम मिनिस्टर दे सकते हैं। वह तो मुख्य मंत्री जी को स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर गंगानगर जिले के किसानों की क्या मांगें हैं उनको किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, आन्दोलन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार की कार्यवाही हुयी, पुलिस ने किस प्रकार की कार्यवाही की इन सब बातों पर पुलिस के बारे में, किसानों के बारे में सरकार की तरफ से स्वतः ही स्टेटमेंट देना चाहिए। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय मुख्य मंत्री जी से चर्चा करें और बात कर लें। अगर यह आन्दोलन ज्यादा चला तो न केवल आपको नुकसान होगा बल्कि प्रदेश का भी नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की आज की कार्यवाही स्थगित होने से पहले मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : आज, विपक्ष के नेता महोदय, समय का अभाव है आपको भी जानकारी है। अगर कल ही सायंकाल तक बता देते कि उत्तर के लिए इतने आतुर हैं, तो....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सारे किसान नेताओं की कल बैठक हो रही है। सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे, तो उनको अपना निर्णय........

श्री अध्यक्ष : 12 तारीख को सरकार की ओर से इसके सभी तथ्यों पर वक्तव्य दिला दिया जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि 12 तारीख को जो स्टेटमेंट दिया जायेगा वह सम्माननीय मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा ही दिया जायेगा। मेरे से उनकी बात हो चुकी है। वे स्वयं ही वक्तव्य देंगे, उनको इस विषय की पूरी जानकारी है। गंगानगर के जन प्रतिनिधियों के साथ आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उनकी बातचीत हो चुकी है और निर्णय भी ले लिए हैं, वे प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित भी कर दिये गये हैं। 12 तारीख को स्वयं मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : आज क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : आज समय का अभाव है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कल आपने अपना एतराज बता दिया होता, तो आज शाम को ही रख लेते।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : आपने वायदा किया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि 12 तारीख को दिला दिया जायेगा........

श्री त्रिलोक सिंह : किसान सड़कों पर आ गये हैं 5 दिन तक गंगानगर का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। 12 तारीख को जितने भी सम्बन्धित मुद्दे हैं उन पर मुख्य मन्त्रीजी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। आर्डर, आर्डर बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा जिले में बरसात के कारण ....

श्री अध्यक्ष : जितने भी सिंचाई के बारे में स्थगन-प्रस्ताव हैं, अलग-अलग माननीय सदस्यों के उनको जोड़कर वक्तव्य दिलाऊंगा..........

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिले में शीतलहर के कारण अफीम को नुकसान हुआ है। अफीम ऐसी चीज है जिसका अगर सर्वे नहीं कराया गया तो..........।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, मैं उन सब पर वक्तव्य दिलाऊंगा। व्यर्थ में समय न लें।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि काफी समय इसमें व्यर्थ हो गया है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : आपने आश्वासन दिया था कि वक्तव्य दिलाया जायेगा..........।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : इसका सर्वे तत्काल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक निवेदन करूंगा....।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप विराज जायें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : सरकार अपना वक्तव्य दे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय व्यर्थ जा रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय भी ये मुद्दे उठाये जा सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से सम्बन्धित मामला है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बिराजें तो सही एक मिनट.........।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य । काफी समय हो गया है ।

श्री नाथूसिंह : मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है ।

श्री नाथूसिंह : दोनों प्रदेशों की सुरक्षा की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है । कृपया बैठ जायें ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : व्यवस्था नहीं दी है..........।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । बैठ जायें ।

श्री हरीश शर्मा : मेरे यहां पर.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें ।

श्री हरीश शर्मा : लेकिन गरीबों पर..........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । कृपया बैठ जायें । बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर । कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

बोलने की जरूरत ही नहीं । मैंने पढ़ दिया उसको और उसकी व्यवस्था भी दे दी । माननीय सदस्य.......

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य । बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर । माननीय सदस्य बैठ जायें । आर्डर-आर्डर ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं..........

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सदन से......

(व्यवधान)

यह क्या बात हुई ? बार-बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब समझदार, अनुभवी और जिम्मेदार विधायक हैं । इस तरह से इतनी व्यर्थ की बात में समय बर्बाद करते रहे हैं । आधे घंटे का समय चला गया जिसमें दो मिनट में सब ध्यान आकर्षित हो जाता..........आर्डर प्लीज.....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : यह व्यर्थ की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरीश शर्मा : किसानों के परिवारों..........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । मैंने आपकी बात सुन ली, उसको निरस्त किया गया ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । ध्यान आकर्षण किया ।

(व्यवधान)

मैंने बात सुन ली ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमने तो नही सुनी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई थी ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें । व्यवधान पैदा न करें । माननीय सदस्या, बैठ जायें । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे दुबारा अपनी बात कहनी पड़ेगी । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपको नाम से, सम्बोधित करूंगा । क्योंकि.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठ जाती हूं लेकिन इन महत्वपूर्ण मामलों पर कोई ध्यान नहीं देना अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष : इतना आधे घंटे का समय लिया उसके अन्दर तो एक स्टेटमेन्ट भी दिलाया जा सकता था ।

श्री देवीसिह भाटी : अभी दिला दो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, इस तरह के शब्द न कहें । अभी दिला दो । आप कोई गांव के चौराहे में नहीं बैठे हैं, विधान सभा में विराजमान हैं । कृपया भाषा का जो उपयोग करें उसका पूरा ध्यान रखें ।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी !

विधायी कार्य
पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश (सन् 1984 का अध्यादेश सं. 3)) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : आवासन मन्त्री जी।

श्री दुलाराम (आवासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) अध्यादेश, 1984 (सन् 1984 का अध्यादेश सं. 1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

सूचना

फ्रांस की संसद के अध्यक्ष व उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के आगमन के उपलक्ष में समारोह

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि आज सदन की कार्यवाही 4.21 बजे समाप्त कर दी जायेगी क्योंकि उसके पश्चात् फ्रांस की संसद के अध्यक्ष महोदय और उनका एक बहुत ही उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल यहाँ पर आ रहा है उसके सम्मान में एक छोटा सा आयोजन रखा गया है।

श्री त्रिलोक सिंह।

व्यवस्था का प्रश्न

एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य पर भ्रष्टाचार और बलात्कार के आरोप

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में एक विषय विचारार्थ रखा था। एक माननीय सदस्य ने एक दूसरे माननीय

(श्री नाथू सिंह)
सदस्य पर कुछ भ्रष्टाचार और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस मामले में दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कुछ आरोप लगाये थे। इस मामले को लेकर सदन में कल आम राय यह थी कि चूंकि दो सदस्यों ने आपस में बहुत गम्भीर आरोप एक दूसरे पर लगाये इसलिये इस सदन के सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो इस मामले की जाँच करे। अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर कल सदन में चर्चा चल रही थी। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। इस सम्बन्ध में आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं और उनकी बिना ···

श्री अध्यक्ष : यानि वह सिलसिला वापस शुरू करवायें यूं ? आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

ऐसा है कि मैंने वह प्रोसीडिंग्स वगैरह मंगवाई हैं। इस सदन में पूर्व में क्या घटनाएँ घटीं, किस तरह से विवाद चला उसके ऊपर यहाँ कोई दुबारा फैसला नहीं होता है। यदि किन्हीं नियमों का हनन हुआ है या कुछ और ऐसी बात हुई है, तो उस प्रश्न को अन्य तरीके से उठाया जाय····

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति तो स्पष्ट कर दूं क्योंकि आप·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपसे तो कोई सम्बन्ध है नहीं।

श्री नाथू सिंह : नियम 131 के तहत एक प्रस्ताव आया। 5.00 बजे हाउस एडजार्न हो गया इसलिए स्पष्टीकरण नहीं आया।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय सदस्य ने आरोप लगाने से पहले सूचना दी थी और उसके बारे में इनके ऊपर आक्षेप था। उनकी पूर्व सूचनाएँ दे करके बाद में एलिगेशन लगायें तो मतैक्य हो जाता है सदन का····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कल कोई बात हुई, आज हुई तो उसका क्या करें? यदि किन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो उसके बारे में हमारे प्रक्रिया के नियमों के अन्दर प्रावधान है। उसके अनुसार, माननीय सदस्य, मसले आ सकते हैं। क्या हुआ, अब इस पर एक माननीय सदस्य ने सुझाव दे दिया कि एक सदन की समिति नियुक्त कर दी जाय, दूसरा उसको स्वीकार कर ले। उससे तो सदन समिति नियुक्त करता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। यदि नियमानुसार कोई कार्यवाई बनती है तो नियमों के अनुसार····

श्री नाथू सिंह : हाँ, नियमों में यह है····

श्री अध्यक्ष : है, तो किसी प्रस्ताव के द्वारा····

(51)

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की एक समिति बनायी जाय इस मामले की जाँच के लिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, कल यह मामला पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से उठाया गया था। उस पर आसन की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक आयी नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं आई, इसका मतलब है कि वह पाइण्ट आफ आर्डर, उस वक्त तक, हरेक पाइण्ट आफ आर्डर तत्कालीन विचारणीय विषय के बारे में होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : तत्कालीन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

उस पर उसी समय व्यवस्था दी जाती है। व्यवस्था के मायने यह हैं कि यदि स्वीकार कर लिया आसन ने, तो उसके अनुसार व्यवस्था होती है, और यदि स्वीकार नहीं किया या कोई व्यवस्था नहीं दी है तो वह व्यवस्था यह हो गयी कि वह निरर्थक हो गया।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : नियमों में, अध्यक्ष महोदय, यह है....

श्री अध्यक्ष : यह सब नियम के ही हिस्से हैं। माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय न लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप जाने दीजिये, कानूनी मामला है।

एक माननीय सदस्य : कल मेरा नाम पुकारा गया था राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आज पुकार लेंगे आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद कल चल ही रहा था कि समय समाप्त हो गया था। माननीय सभापति महोदय....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त होने के बाद मान लें, बजट पर विचार हो रहा होता, उसके लिये मतदान होता। अगर आप उठ जाते तो जो मामले हैं, जो जहाँ पर हैं वहीं पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, यदि कोई नियम का हनन हुआ है अथवा संविधान के प्रावधान हैं उनका हनन हुआ है, उस मामले को दुबारा उठाया जा सकता है...

(व्यवधान)

बैठ जायं, व्यर्थ में समय न लें, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : जिन माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सदस्यों ने आरोप लगाये थे आज उनको सदन में नहीं आने दिया गया ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनसे एक्सप्लेनेशन तो लिया जाय....

श्री अध्यक्ष : सदन में यदि किसी माननीय सदस्य को आने से कोई व्यक्ति अथवा अन्य माननीय सदस्य रोकें, तो उसका नियमों के अन्दर प्रावधान है । यह विशेषाधिकारों का हनन है । आप लिखकर दीजिये उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू सिंह : एक्सप्लेशन तो आप ले लें । आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जायं ।

श्री त्रिलोक सिंह ।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजस्थान सॉ मिल्स रूल्स, 1983 के प्रवर्तन के कारण होने वाली कठिनाइयों से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर सरकारी जानकारी

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार ने एक नियम बनाया है 5 हजार आदमी नीचे आये हैं, उनको उस नियम से परेशान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मिनट सुन लें । इन्होंने यह नियम लगाया है कि घर की दीवार, खिड़की, पट्टा या कोई भी चीज बनाओगे तो उसके लिए तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लाना होगा, तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लाना होगा कि मैंने अनुमति दे दी ।

श्री अध्यक्ष : तथ्य मंगवाये हैं, कृपया धैर्य रखिये इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बारे में कब तक तथ्य मंगाकर मुझे बोलने का अवसर दे देंगे ? आज दे देंगे क्या ? जो नीचे आये हैं, उनको क्या जवाब देंगे हम ? हमने परसों आपको दिया था । परसों से आज तक कोई तथ्य या जानकारी नहीं दी है । सारे राजस्थान के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जाइये । यों तो बहुत से स्थगन-प्रस्ताव हैं । माननीय सदस्या, कृपया बैठ जाइये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बैठ जाऊंगी । मैं तो आपके इशारे से ही बैठ जाती हूं । मुझे यह मत कहिये कि मैं आपका नाम लेकर पुकारूंगा । मेरे से तो वैसे भी नहीं बोला जाता है । महत्वपूर्ण मामला है राजस्थान का, अगर मैं ही आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूं तो और कोई कर नहीं रहा ।

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था करेंगे । मैंने सरकार से जानकारी ली है, उस पर व्यवस्था दूंगा । यदि अस्वीकार करता हूं तो आपको अवसर दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, एक बात सुन लीजिए । लकड़ी हर घर में जलाई जाती है, जीने में भी जलाई जाती है, रोटी पकाने में भी जलाई जाती है, मरने में भी जलाई जाती है । अगर लकड़ी नहीं मिल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रही है तो क्या करें ? यह सरकार बैठी है, कुछ इन्तजाम नहीं कर रही है। वह लोग काम धन्धा बन्द करके बैठ गये। मुर्दा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिल रही। इसका क्या उपचार है ? मुझे आप बता दीजिए। मैं तो बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे कुछ तो उपचार बताइये इसका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार आपको उत्तर दिलायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सरकार को बाध्य कीजिये कि वह इस पर पुनः-विचार करके इस नियम को वापस ले ले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या, कृपया बैठ जाइये। श्री त्रिलोक सिंह। डिबेट शुरू करने दीजिए।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री राज्यपाल के भाषण पर बोलना है। इस सदन में ऐसी परम्परा है कि हर सत्र के पहले एक पोथा लाकर रख दिया जाता है, वह देश और प्रदेश की हालत के बारे में होता है। यह जो राज्यपाल का भाषण है, वह सरकार द्वारा रचा जाता है, यह सरकार की कथनी है। वह सरकार, जो 4 करोड़ आदमियों के प्रति जिम्मेदार है, जिस सरकार का इतिहास आज 36 साल का है, कैसी है, इसने क्या किया, इसमें कितने काले धब्बे हैं, वह मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। पेश्तर इसके मैं कहूंगा कि यह एक × × × पुलंदा है। राज्यपाल का यह जो भाषण है, यह अवाम को धोखा देने का एक षड्यंत्र पत्र है जो हर सत्र के पहले पेश किया जाता है। यह मेरी बयानी नहीं, खुद कांग्रेस के मेम्बरान की बयानी है। कल उन्होंने कबूल किया है कि यह राज्यपाल का भाषण × × × हकीकत से दूर है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, यह आइनी शब्द है। असत्य और × × × में कोई फर्क नहीं है। इसको निकालना बिलकुल गैर-कानूनी होगा। यह आइनी शब्द है। यह तो वैधानिक भाषा है।

एक माननीय सदस्य : आम लोगों की भाषा है।

श्री त्रिलोक सिंह : आम लोगों की भाषा नहीं, हकीकत है। अगर हकीकत को छिपाने की कोशिश की गई तो और और बातें होंगी।

इस दस्तावेज के बारे में मैं बोलूं। कहां से शुरू करूं ? सबसे पहले मैं प्रदेश के उस वर्ग के बारे में बोलूंगा जो 100 में से 90 हैं, जो किसान हैं, जो सभी लोगों को रोटी देते हैं, जो जमीन का, पत्थर का कलेजा चीर कर रोटी पैदा करते हैं। वह किसान जो भयंकर शीत लहर में रात के दो-दो, चार-चार बजे पानी में खड़ा रहता है, जिसके बच्चे को ठण्डी रोटी भी नसीब नहीं

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोक सिंह)

होती है। यह × × × सत्ता के लोग × × × किस तरह से मौज उड़ाते हैं, यह हकीकत है।

(12·45 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

एक-एक शब्द से नहीं घबराइये। हमें × × × कहना पड़ेगा। जब × × × हम कहेंगे तो कहेंगे, कानून के खिलाफ हो गया, यह इसके खिलाफ हो गया, हम इस बात को देखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 90 प्रतिशत लोग देश के लिए रोटी पैदा करते हैं उनकी खेती का सबसे बड़ा जरिया पानी है। इस राजस्थान की सरकार ने कल बहुत बड़ा तारीफ का पुलन्दा बांधा कि भागीरथी-गंगा लाये और उधर ले गये दिल्ली के परे-परे, फिर हमने वह गंगा पुगवा दी गडरा तक। मैं पूछना चाहता हूं, उस गंगा से कितना असर हुआ? कितनी जमीन हमारी सिंचित हुई? एक पर्सेन्ट जमीन। राजस्थान में जो आज तक नहरें आई हैं उनकी सिंचाई का एक प्रतिशत। आप ख्याल करिये उस व्यवस्था का, जिस व्यवस्था में रोटी की व्यवस्था नहीं, खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं। एक दिन का यह मामला नहीं है, यह 36 साल का मामला है। यह बातें बन्द कराइये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : देखिए क्या मीटिंग हो रही है।

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री त्रिलोक सिंह : मीटिंग हो रही है।

श्री सभापति : जारी रखिए भाषण। आप भाषण जारी रखिये, कृपया।

श्री त्रिलोक सिंह : ऐसी हालत में जब कि खेती का आधार पानी है पानी की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है। इस सरकार को खुद इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए था। अपनी नालायकी और अपनी अयोग्यता तो जाहिर अपने आप होती ही। पर यह सरकार यहां बेशर्मी से बैठी है। देश के लोग पानी मांगते हैं यह लाठी देती है, देश के लोग रोटी मांगते हैं यह जेल भेज देती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, मंत्रियों से बातें नहीं करें हाउस के अन्दर, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : जब खेती को पानी नहीं, तो इस सरकार ने क्या किया? मैंने मुख्य मन्त्री माथुर साहब से बात की कि जो पानी भाखड़ा का फिजूल पाकिस्तान में चला जाता है, वह राजस्थान में सीकर, झुन्झुनू, चूरू को दीजिये, तो कहने लगे, हमारे पास पैसा नहीं है। जयपुर को जो कि × × × नगरी है, जिसका इतिहास खून का इतिहास है, जिसका इतिहास लाखों किसानों की हत्याओं का इतिहास है, बेहतरीन बनाने के लिए, सुन्दर बनाने के लिए आपके पास करोड़ों का धन हो सकता है, अरबों का धन हो सकता है, पर यह सरकार किसान

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोक सिंह)

के खेत को पानी नहीं दे सकती है और कहती है, बहानेबाजी करती है, प्रदर्शन करती है कि राजस्थान नहर को वहां ले गये हम। जो नहर बहुत मुद्दत पहले बन कर तैयार हो जानी चाहिए थी वह आज तक तैयार नहीं हुई। उसमें भी करोड़ों रुपये का घोटाला करके तमाम ब्यूरोक्रेसी खा गयी। वह इलाका देखा मैंने पिछले साल। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जहां कि लाखों बच्चे, लाखों लोग पानी के लिए तरसते हैं, एक बुजुर्ग आदमी हमारी गाड़ियों के आगे पड़ गया और कहने लगा कि बिना पानी के क्या धूल पीयेंगे। यह सरकार यहां झूठी-झूठी तारीफों के पुलन्दे बांधती है।

यह तो हालत खेती की हुई। जिसको पानी नहीं देते वहां बिजली खेती का जरिया है, आधार बन सकता है। वहां कैसी हालत है, बेशर्मी की। मेरे इलाके को ले लीजिए। सीकर जिले में 7 हजार दरख्वास्तें, जिनका पैसा जमा करा दिया गया, कुएं तो हैं उनको कनेक्शन नहीं देती, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कुएं को कनेक्शन नहीं देगी, तो यह सरकार क्या करेगी ? बेशर्मी की बात। कैसा भेदभाव, कैसा पक्षपात। दांता तहसील में तो 400 के करीब कुओं को कनेक्शन देगी और मेरी फतेहपुर तहसील में, जहां कि सबसे ज्यादा जरूरत है इलाके को खुशहाल बनाने की, केवल एक कनेक्शन दिया। डूब जाना चाहिए इस नालायक सरकार को, इतनी पक्षपाती, घोर अन्याय करने वाली सरकार को।

कल मेरे पड़ौस का एक माननीय सदस्य बिलकुल हकीकत बयान कर रहा था कि इस सरकार ने हमारे यहां न पानी दिया, न बिजली दी, न गांव में सड़क दी, न स्कूल दिया और न कोई और तरक्की दी। यह हकीकत मेरे सीकर की है। हमारे सीकर के सम्बन्ध में, कल पीने के पानी के सम्बन्ध में बहुत बड़ा बयान दिया गया कि 33 हजार गांवों में से हमने 24 हजार गांवों को पानी दे दिया। कितना × × × कितना असत्य है। × × × शब्द से घबराते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हकीकत है वह हकीकत है।

पिछले साल हमने पूरे राजस्थान के इलाके को देखा है। रीजनल ट्यूब वैल्स के लिए आपकी किताबों में लिख रखा है कि फलां जिले में, फलां इलाके के 20 गांवों को पानी देगा। किसी एक गांव में एक बून्द पानी भी नहीं है। मेरे सीकर में खारे पानी का दांत्रू से बैराज तक एक ट्यूब वैल वहां से शुरू होता है। फतेहगढ़ तहसील में 3 ट्यूब वैल्स—दांत्रू, बिरानिया, राढ़ेतिया हैं। मैं आपको तफ्तीश की बात बताता हूं। दांत्रू ट्यूब वैल्स से 3 गांव—दांत्रू, खोटूवाद और कुछ ढाणियां संलग्न हैं। किसी एक गांव को पानी नहीं मिलता। बिलकुल सफेद असत्य है। यही नहीं, इस सरकार जो कानून की, हरिजनों की हिमायती होने का दावा करती है, को मैं वहां ले जाता हूं। दांत्रू के पास एक खोटूवाद गांव है वहां पर सारण की ढाणी के नाम से चमारों, हरिजनों के घर हैं। उन घरों के लोग आज भी इस आजादी में, इस कांग्रेस के राज में

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोक सिंह)

पीने के पानी से महरूम हैं, उनको पानी पीने को नहीं दिया जाता है। मैंने कलेक्टर से कहा, मैंने यहां से जो मिनिस्टर वहां गये उनसे कहा, फतेहपुर तहसील के प्रशासन से कहा। सब हरिजन हैं, कलेक्टर हरिजन है, एस. डी. एम. हरिजन है, तहसीलदार हरिजन है लेकिन 30 घरों के लोगों को गांव का एक जमींदार पानी नहीं पीने देता है। पीने के पानी का आधार एक कुण्ड है, वह भी सरकार का बनाया हुआ सार्वजनिक कुण्ड है। उस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यह कह दिया कि यह कुण्ड मेरा है। हमने कभी जागीरी के समय में और राजाओं के राज में पीने के पानी को बन्द होते नहीं देखा। पानी की व्यवस्था करना तो एक मानवता का सवाल है, इन्सान तो पानी पीयेगा पर आज इस कांग्रेसी हुकूमत में यह हकीकत है। मैं कहूँगा कि ये माथुर की सरकार उस सारण की ढाणी के रेत के टीबों में नाक डुबो कर मर जाय × × ×। यह हालत है इस नालायक सरकार की जो हरिजन लोगों को पानी भी नहीं पिला सकती है।

अरे, और बात तो जाने दीजिये, यह × × × दुकान है, पिछड़े को आगे, बे-छप्पर को छप्पर। मैं पूछता हूँ सरकार से कि मेरी फतेहपुर तहसील में, मेरे क्षेत्र में दो बड़े कस्बे हैं। फतेहपुर और रामगढ़ में 115 गांव हैं वहां एक इन्च सड़क नहीं इस 36 साल के राज में, तो हम कब तक इन्तजार करें × × ×। राजकीय लोग कब्र खोदें और हम फातिहा पढ़ें। ऐसी × × × सरकार से मैं पूछता हूँ, मेरा इलाका क्या पाकिस्तान में है? वहाँ पर स्कूल नहीं बनाये गये। यह शिक्षा मन्त्री मेरे गांव की स्कूल बेच कर खा गयी हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन ?

श्री त्रिलोक सिंह : यह शिक्षा मन्त्री, श्रीमती कमला। मेरे गांव की स्कूल बेचकर खा गई और × × × खा गई। गांव में न सड़क है, न स्कूल है, न पानी है। दूसरा ट्यूब वैल है बिरानिया का जहां से चूरू के इलाके में पानी देंगे। नक्शे में लिखा हुआ है 15 गांव हैं—बिरानिया से काजिया। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सबसे नजदीक गांव है डेढ़ किलोमीटर पर किशनपुरा, उसको भी आज तक एक लोटा पानी नहीं दे सकी। चलिये, तीसरा ट्यूब वैल है खोटिया जहां से 10–15 गांवों को पानी देना था। आज 10 साल के अर्से में एक गांव को पानी नहीं दिया गया। यह नालायक सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हमने देश का यह किया, वह किया। हालत अब आगे आयेगी। सुन लीजिए हालात।

बड़ा झगड़ा करने के बाद यह तय हुआ कि जलदाय विभाग बिजली विभाग को एक लाख रुपया देगा। रामगढ़ से खोटिया तक नयी लाइन डालेंगे जिससे पूरे गांवों को बिजली मिलेगी इन गांवों को पानी दिया जा सकेगा। हमने जिला स्तर की मीटिंग में प्लान में तय किया। मिनिस्टर से पूछा कि कितने दिन में ? तो उन्होंने कहा कि

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोक सिंह)

एक महीने में पानी मिल जायेगा। आज 14 महीने हो गये, न लाइन खिची और न पानी मिला। अलबत्ता यह जरूर हुआ है कि बिजली वाले जो किसानों के नाम से उद्योगपतियों को बिजली बेचते थे वह सब चोरी में पकड़े गये और सब सस्पेण्ड हो गये। यह हालत है आज उस इलाके की तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सब हकीकत से दूर की बात है, ऐसा नहीं है।

अभी अभी वह श्रीमती जी, बिजली की मन्त्री महोदय कह रही थीं कि सीकर जिले में हमने सब जगह रोशनी कर दी। मैं पूछूं उनसे, अरे, रोशनी गई भाड़ में, पीने के पानी के लिये बिजली नहीं मिली। एक कुआं गांव में महज एक कुआं है। रिणाऊ गांव है मेरी तहसील में 300 घरों का गांव उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। कुएं में सीढ़ी डाल दी गई, उसमें न चरस जा सकता है और न गांव वाले पानी पी सकते हैं। यही बाऊ की ढाणी में हुआ, यही कारनिया में हुआ, यही हर गांव में हुआ है। पर आप लोगों ने तो यह सोच रखा है, ठीक है, यह कागजों में लिख दिया। जनता को बर्गला देंगे। पर, दोस्तों, ऐसा नहीं है. ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ऐसा ज्यादा दिन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके पीछे और कुछ होगा और वह आप सब लोगों को ले डूबेगा, आप लोगों की हुकूमत को ले डूबेगा। यह किसान की खेती की व्यवस्था है।

अब चलिये, किसान पैदा करता है उसकी क्या हालत है? जब किसान अपने खेत में 9 महीने, 10 महीने तक भयंकर मेहनत के बाद फसल पैदा करता है तो ये बाजार में डाकू, जो सरकार द्वारा संरक्षित हैं, जिन्हें इस सरकार ने संरक्षण दे रखा है, उनको लूटते हैं × × × और लूट भी कैसे लेते हैं? जब हमने सरसों बेचा था गत फसल में तो सरसों का भाव 300 रुपये था। जब दुबारा बेचा तो 900 रुपये था। ताज्जुब की बात सरकार कहती है कि गन्ने का भाव 13 रुपये क्विंटल और कचरे का भाव 70 रुपये क्विंटल। देखिये कैसी अन्धी बहरी सरकार है, गन्ना, जिससे रस निकलता है, जिससे चीनी बनती है, का भाव 13 रुपये प्रति क्विन्टल और कूड़े का भाव 70 रुपये क्विन्टल। लकड़ी का भाव 70 रुपये क्विन्टल। यह हालत है इस सरकार की तो मैं कहता हूं, लोग यह कहते हैं कि डकैतों का देश जंगल है, डकैतों का देश यह बाजार है। ये सफेदपोस × × × किसानों को लूटते हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसान को उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिला तो हम बाजार को आग लगा देंगे, फूंक देंगे इनको, भले ही आपका कानून जल जाय। हम कानून को नहीं मानेंगे। जो कानून किसान को लूट सकता है, किसान के बच्चे को भूखा रख सकता है उस कानून को हम मानने के लिए कतई बाध्य नहीं होंगे। क्या यह हकीकत नहीं है? मैं कहना चाहता हूं, यह बिलकुल हकीकत है। चार साल के भयंकर अकाल

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोकसिंह)

के बाद हमारे खेतों में कुछ बाजरा पैदा हुआ। जब खेतों में पैदा हुआ बाजार में आया तो आदमखोरों ने बाजार में सट्टा लगाया, कहने लगे 80 रु., 70 रुपये क्विन्टल। हमने ढोल दी, बहरी और गूंगी सरकार को आगाह किया, यह क्या हो रहा है, तो सरकार कहने लगी कि हमने 124 रु. क्विन्टल बाजरे का भाव रख दिया है। देखिये इस सरकार की हालत। इसकी काबलियत पर रहम आता है। जो बाजरा इतनी मेहनत से किसान पैदा करता है, जो उसकी जिन्दगी का जरिया है, उसके रहन-सहन का जरिया है, जिस पर उसके भविष्य का सवाल आधारित है। उसका भाव 124 रुपये क्विन्टल रखा, उस भाव पर भी सरकार खरीदने को तैयार नहीं। सरकार से तालिका मांगी गई। कहा, हमने 36 क्विन्टल बाजरा खरीदा है। बेशर्मी की बात है। इस सरकार ने लुटेरों को इजाजत दे दी। उनके द्वारा किसानों को लूट लिया गया और सरकार बैठी देखती रही। यह हालत है इस सरकार की।

अब आ जाइये कानून व्यवस्था पर। क्या हालत है कानून और व्यवस्था की? हिन्दुस्तान के लोग, मेरे प्रदेश के लोग इस लुटेरी, भ्रष्ट, गूंगी सरकार को कब तक बर्दाश्त करेंगे? यह क्या कानून है? अरे, प्रदेश में पुलिस लोगों को लूटे, लोगों की माँ-बहिन की अस्मत लूटे और ये यहाँ जिन्दा बैठे रहें और यहां मुँह दिखायें। यह हुकूमत है। मेरे फतेहपुर में एक बच्चा नाटक देखकर कालेज से अपने मकान जा रहा था। पुलिस वालों ने मार-मारकर उसका भुर्ता बना दिया। सब लड़कों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, तो डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. एम. ने नंगा लाठी चार्ज किया, सैकड़ों विद्यार्थियों का सिर तोड़ दिया। यह देखिये काम अमन के वफादारों का, तरक्की के वफादारों का, बच्चों के वफादारों का। यह × × × काम देखिये।

चलिये, अब मैं अजमेर के पास काजीपुर ले चलता हूँ। काजीपुर ने इनकी सब पोल खोलकर रख दी × × ×। दावा करते हो, हम दुनियाँ में मुँह दिखाते हैं। काजीपुर में क्या हुआ? वहां के किसानों के साथ क्या हुआ, उनकी माँ बहिनों के साथ क्या हुआ, अवाम के साथ क्या हुआ? फिर चलिये कोटपूतली, जिस पुलिस को हमने रख छोड़ा है, जिसे नौकरी देते हैं, जो पुलिस हमारी रोटी से पलती है, वह माँ-बहिनों की इज्जत लूटे, इज्जत ही नहीं, इज्जत लूटकर उसके जेवर भी लूट ले और ये लम्बे-चौड़े टोपी लगाये यहां बैठे रहें। लोगों ने विरोध किया तो फौज पुलिस भेज दी गई, मारो इनको। मार दिया लोगों को, गोलियों से उड़ा दिया। यह डेमोक्रेसी है? यह जनता की सरकार है? प्रजातन्त्र का दावा करके कल आप लोग गांवों में जायेंगे तो गाँव वाले क्या स्वागत करेंगे। यकीन मानो....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

फिर कहते हैं, यह तो हमारा कानून है। भई, हम कहते हैं ऐसा कानून नहीं चलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं चलेगा जो अवाम के खिलाफ है।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

शिक्षा का हाल देख लीजिये। पढ़ने वाले लड़के तो लद्‌दी चलाते हैं, होटल में कप-प्लेट धोते हैं, कूड़ा बीनते हैं और इन × × लड़के पढ़ते हैं। तो कल क्या होगा ? उनको खेत में जोत दिया जायेगा बैलों की तरह, बाई आर्डर। हो सकता है इन्कलाब आने से पहले लेकिन × × ×।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जावे।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह सही है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : मुकाबला किया जायेगा। कैसी गलत भाषा ? पंडितजी, आपकी और हमारी तहजीब तो अलग-अलग है। हमारी मां-बहिनें खेतों में जाती हैं, खेतों की हिफाजत करती हैं और आपकी मां-बहिनें मन्दिर में जाकर ताली बजाती हैं। हमारी और आपकी तहजीब दो हैं, हमारे और आपके कायदे दो हैं। यह काबलियत आप में कभी पैदा नहीं होगी कि हमारी भाषा को समझ जाओ। जब समझने का दिन आयेगा तो हो सकता है × × ×

श्रीमतीजी दुनिया की लीडर हैं। × × × घर का हाल यह है, चौ तरफ आपके दुश्मन हैं। पाकिस्तान दुश्मन, बंगलादेश दुश्मन, लंका देश दुश्मन, नेपाल दुश्मन और पिद्दी सा सिंगापुर दुश्मन। अरे, क्या किया आपकी श्रीमतीजी ने ? देश को जहालत, देश को गरीबी के हवाले किया। वह जुर्म किया जिसके लिये यहां का अवाम कभी माफ नहीं करेगा। यहां के गरीबों के साथ आपने और आपकी श्रीमती जी ने और उसके खानदान ने 36 साल के अर्से में वह अपराध किया जो कभी भुलाया नहीं जायगा। जब जनता इन्कलाब करेगी तब आपसे इसका तमाम हिसाब लिया जायेगा। याद कर लो, यह जनता कभी माफ नहीं करेगी, लोग कभी माफ नहीं करेंगे। इंकलाब के बादल नजदीक आ गये हैं। आपके पाप का घड़ा भर चुका है, वह फूटने ही वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ इस असत्य × × × पुलिन्दे की मैं सख्त खिलाफत और विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : श्री रामधन।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): माननीय सदस्य, आपकी पार्टी तो हमारी नीतियों का समर्थन करती है और आप यहाँ सदन में हमारा विरोध कर रहे हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : पंडित जी, बदल गई है। कई गड़बड़ी हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपने तो सभी बातों का विरोध कर डाला। आपकी पार्टी तो हमारी नीतियों का समर्थन करती है।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, 5 तारीख को इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया और जिसके लिये मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं और उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अगर इस वर्ष को उपलब्धियों का वर्ष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे हिन्दुस्तान को और राजस्थान को दिया है वह एक ऐसी आधारशिला है जिसके आधार पर गरीब-अमीर, छोटे-बड़े सभी लोगों को बराबर हर तरह से सहायता मिलती है और सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों की जो क्रियान्विति होती है उसमें सभी भागीदार बन जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसका मैं उदाहरण दूं। हमारे राजस्थान में शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जिसमें प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं हुई हो। दो-दो, तीन-तीन प्राथमिक पाठशालाएं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत हुईं। माननीयसभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा, जो नई पाठशालाएं हमारे यहां पर खोली गईं, उनमें एक तरह से निष्पक्ष भाव से यह नीति रखी गई कि तीन सौ से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में प्राथमिक पाठशालायें खोल दी जायेंगी। यह एक ज्वलन्त उदाहरण है इसको न आप पक्षपात कह सकते हैं और न आप इसमें किसी तरह का भेद-भाव बता सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी निष्पक्षता रखी गई है कि 300 से अधिक आबादी वाला गांव चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई वहां से जीता हो, चाहे कोई भी प्रधान हो, चाहे कोई भी सरपंच हो, चाहे कोई भी एम. एल. ए. हो वहां पर पाठशालायें खोली गई हैं।

एक माननीय सदस्य : वह परिपाटी तोड़ी गई।

श्री रामधन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, कितनी ही पाठशालाओं में नये विषय खोले गये। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में चहुंमुखी प्रगति जिसको कहना चाहिये वह हुई है।

इसके बाद हम जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की तरफ देखते हैं। मैं नहीं जानता, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे या नहीं कि पिछले तीन वर्षों में गांवों में पीने के पानी के लिए सरकार ने पैसा लगाया है और आधे से ज्यादा लोगों, जो वर्षों से खारा पानी पीते आ रहे थे या सैकड़ों मीटर नीचे से पानी निकाल कर पी रहे थे और एक-एक परिवार के हजार-हजार रुपये साल के पिवाई के लगते थे, को 10–10 या 15–15 किलोमीटर दूर से पानी पहुंचाकर के पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया गया है। यह कोई कम कार्य नहीं है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि मेरे नागौर जिले में पिछले तीस सालों में जितने गांवों को पानी नहीं दिया गया

(श्री रामधन चौधरी)

पिछले तीन साल में उतने गांवों को पीने का पानी सुलभ कराया गया है । मैं इस बात को मानता हूँ कि कहना तो आसान है कर दिखाना मुश्किल है । ढाई साल के जनता पार्टी शासन में मेरी लाडनूं तहसील में किसी गांव को पीने के पानी से जोड़ना तो दूर रहा, हां, यह मानता हूँ कि कुछ गांवों में पहले की सरकार की लगाई गई टूटियां तोड़ दी गई थीं । इतने प्रबन्ध जरूर कर दिये गये थे । यह उपलब्धि थी हमारे जनता शासन की । उसके अगेन्स्ट में इस सरकार ने 1980 से 1984 तक जो कार्य किया है उसको जनता तो भूल नहीं सकती यहाँ चाहे हम गाली देवें । यह हमारा काम भी है कि जितना काम हुआ है उसके आगे हम मांग करते रहें लेकिन जनता ने हमको यहां भेजा भी इसलिए है कि हकीकत बात हम यहां पर कहें ।

अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कई गांवों में प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुले हैं, कई गांवों में डिस्पेन्सरियां खुली हैं । इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने हर तरह से प्रगति की है । यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह गरीबों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ पर नीचे के लेवल पर कुछ कमियाँ जरूर हैं । हमारी प्रधान मंत्री ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है हमारी राजस्थान सरकार ने इसकी क्रियान्विति के लिए उसके आधार पर जो कार्यक्रम बनाया है अगर वह उसी हिसाब से लागू होता है तो कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी सरकार ने क्या किया । लेकिन कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं नीचे के अधिकारियों के माध्यम से या मिस-गाइड करने वाले जो असामाजिक तत्व हमारे समाज में बसते हैं उनके हिसाब से कुछ न कुछ गड़बड़ियां इन कार्यों की क्रियान्विति में सामने जरूर आती हैं । जैसे पिछले दिनों नागौर जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग थी उसमें मैं भी मौजूद था । मैंने एक लिखित शिकायत कलेक्टर को की थी कि जो हम "पिछड़ों को पहले" योजना के तहत ऋण देते हैं उसमें 50 पर्सेन्ट से भी ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है । वह, माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार से होता है ? अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हम "पिछड़े को पहले" स्कीम में लेते हैं । उसका चुनाव करके, उसकी लिस्ट बनाकर बैंक को देते हैं । लेकिन उनको धन तो उपलब्ध कराया नहीं जाता वरन् प्रमाणित करने वाले डाक्टर, बैंक के मैनेजर और पर्चेजिंग कमेटी मिल करके पर्चेज तो करवाती नहीं, कागजों में फर्जी पर्चेज करके 50 प्रतिशत लोगों को मायूस रख देती है । उनको धन नहीं दिया जाता, सिर्फ कागजों में दस्तखत करवा लेते हैं । तुम्हारे को पाँच हजार रुपये मिलने वाले हैं, उनमें से 2500 रुपये ही जमा कराने हैं अगर 2000 खर्च कर दो तो तुम्हारा क्या जाता है । इस हिसाब से जिलाधीश, नागौर ने नागौर 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में इस बात को स्वीकार किया । जिले का सर्वेक्षण करवाया गया, उसमें यह पाया गया कि 50 प्रतिशत लोगों के पास धन नहीं है । मुझे दुःख है, सभापति महोदय, यह सारी बात सामने

(62)

(श्री रामधन चौधरी)

आने के बाद भी, हालांकि जिले के प्रभारी मंत्रीजी वहां मौजूद थे, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार के ध्यान में जब ये बातें आती हैं तो उनको बड़ी गम्भीरता से लेकर जो भी अधिकारी गलत रवैया अपनाते हैं या भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम सफलता के आधार पर क्रियान्वित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है, वैसे हम मानें तो पिछले वर्षों की बनिस्बत जिन कुओं पर हमने कनेक्शन दिये हैं उनको बिजली बराबर मिल रही है। काश्तकारों की यह शिकायत नहीं है कि बिना पानी के हमारा धान जल रहा है। लेकिन बिजली की समस्या राजस्थान में इतनी भयंकर है कि उसकी पूर्ति इतनी आसानी में नहीं हो सकती फिर भी विजली विभाग में बड़ा पक्षपात चल रहा है। एक-एक जिला ऐसा है या तहसील ऐसी है जिसमें एक भी गांव बिना बिजली के नहीं रहा जबकि हमारे यहाँ पाँच साल में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ। अब किस प्रकार से अधिकारी लोग रिपोर्ट देते हैं और मन्त्रीजी उसको आगे भेज देते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी तहसील के एक गांव में टी. एस. एस. लगाने के लिये वाटर वर्क्स विभाग में पैसा जमा कराया और टी. एस. एस. लगाने के लिये कनेक्शन दिया गया, उस गांव को विद्युतीकृत मानते हैं। मैंने विधान सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा। उसमें मैंने पूछा कि तीन साल में एक भी गांव को विद्युतीकृत नहीं किया गया तो वह कहते हैं, जी नहीं। हुड़ास गांव सन् 1982 में विद्युतीकृत किया गया जबकि उसमें टी एस. एस. लगाने के लिये जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पैसा जमा कराया गया। बाकी गांवों के पैसे जमा करवाये हुये पड़े हैं फिर भी पीने के पानी के कनेक्शन नहीं देते हैं। तो ऐसी जहां अनियमिततायें होती हैं या गलत रिपोर्ट अधिकारी लोग देते हैं उनके खिलाफ जाँच की जाकर एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार की छोटी-छोटी बातें जो हैं वह आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो बनी है उसमें भी कह सकते हैं। यहां पर तो प्रिन्सिपल्स की, सिद्धान्तों की बातें रखी जानी चाहिए माननीय सदस्यों की तरफ से। ग्रिवेन्सेज कमेटी हैं, ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम कमेटी है उसमें आप लोग हैं, यह बात तो आप वहीं कह सकते हैं और इनका समाधान हो सकता है। जिसको कनेक्शन नहीं मिला, उसकी बात यहाँ नहीं उठायें, क्योंकि इस सदन का समय बहुत कीमती है। इस सदन की मर्यादा और गरिमा के अनुकूल ही भाषण का स्तर रहना चाहिये। मैं कोई विघ्न नहीं डालता और आपको रोकता भी नहीं, आपकी मर्जी आये जो कहें लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिये इस सदन का समय जाया नहीं किया जाना चाहिये, यह मेरी आप सभी से प्रार्थना है। बहस का स्तर ऊँचा रहना चाहिए। इसको कनेक्शन नहीं मिला, इसको दिया, यह बहुत छोटी बात है। इन बातों को आप वहाँ उठा सकते हैं। वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो तो यहाँ पर

(श्री सभापति)

आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको केटेगरिकली यह कहना चाहिए कि वहाँ हमने उठाया, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, तो बात बनती है।

माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामधन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह उदाहरण दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम की जिले में मीटिंग में जब यह बात सामने आ गई कि 50 प्रतिशत लोगों के पास धन नहीं है, फिर भी आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर हम यहाँ कौन-सी बात उठायें। मैं तो यह उदाहरण दे रहा था कि यह बात सामने आने के बाद, और जब जिले के अधिकारी इस बात को मंजूर भी करते हैं कि वास्तव में सही बात है, फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में रुकावट पैदा होती है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, मेरे यहाँ की बात कहूँगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि मेरे यहाँ गाड़िया-लुहारों को 'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम में जिलाधीश, नागौर ने आदेश दिये। प्रशासक महोदय ने प्लाट्स दे दिये कि तुम यहाँ बैठ जाओ। 20 परिवारों के 'प्रशासन शहरों की ओर, कार्यक्रम के एक महीने बाद घर जलाये गये, उनकी पिटाई की गयी। उसके बाद जब मैंने कलेक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि इनको सड़क के ऊपर बैठा दो। माननीय सभापति महोदय, इस बात की सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? शर्म की बात तो यह है कि एस. एच. ओ, लाडनूं के सामने उन लोगों की बेइज्जती की गई, औरतों को उठाकर फेंक दिया, उनके घर जला दिये गये। इतना ही नहीं, उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों का चालान किया गया। उसके सम्बन्ध में मैंने समाज कल्याण मंत्रीजी को लिखा, स्वायत्त शासन मंत्रीजी को लिखा। श्रीमन् हमारे स्टेट होम मिनिस्टर, श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर खुद वहाँ गये थे। उन्होंने थानेदार से कहा था मेरे रूबरू कि इनको नहीं हटाया जाए। उसके बावजूद उन लोगों के घर जलाये गये, उन्हें हटाया गया। उनकी शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि कलेक्टर ने खुद मंजूर किया है कि हां, मैंने लिखकर दिया है। उसकी फोटो-स्टेट कापी मैंने साथ में पेश की। तो उन गरीबों के साथ कौन न्याय करेगा, मुझे बताइये आप। आप मुझे क्षमा करेंगे, मेरे यहाँ की यह ज्वलंत समस्या है। वहाँ अड़चन आती है, यह, कहने का हमें कभी-कभी ही मौका मिलता है। सभापति महोदय, हम जनप्रतिनिधि लोग चुनकर आते हैं, जनता हमें विश्वास देती है, तो हमारा काम होता है कि प्रशासन और सरकार के ध्यान में उनकी समस्या लायें। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को राहत दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो सकता था, अगर हम नीचे के अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखते और उसको अच्छी तरह से लागू करवाते। वहां पर अड़चन आती है, उसको कुछ वैमनस्यवश अधिकारी और हम लोग अनदेखा कर देते हैं, इस बात को छोटी बात समझ लेते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि राजस्थान सरकार के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और

(श्री रामधन चौधरी)

उससे लोगों को लाभ मिलता है, वह कुछ हद तक ही मिलता है। हमारे काम के बीच अवरोध आ जाता है और हम उसको दूर नहीं कर सकते तो उस बात को लोग गिनाते हैं कि क्या किया तुम्हारी सरकार ने। तो इन नीतियों के पालन में जहां-जहां रुकावट आती है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार के मंत्री लोग दौरे करते हैं। वहां जाकर अगर वह किसी बात की घोषणा करके आते हैं या संगठन के सामने किसी प्रकार की घोषणा करके आते हैं या आम सभा में करते हैं तो उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए वरना हमारी कथनी और करनी में लोग अन्तर निकालते हैं। आज वह जमाना नहीं रहा कि कह दें कुछ और कर दें कुछ।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से कि इन गाड़िया-लुहारों वाले केस की निष्पक्ष जांच करायें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण 5 तारीख को इस हाउस में दिया और माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शोभाराम जी।

श्री शोभाराम (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, मैं तकरीर तो करना नहीं चाहता, कुछ बातों पर कुछ जानकारी करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि What is the amount of the Consolidated Fund of the State ? Consolidated Fund of the State में कितना अमाउन्ट रखा है ? दूसरी बात यह है, अगर आप देखेंगे 293 आफ दी कान्स्टीट्यूशन, लिखा है कि इसका कानून बनाना चाहिए कि गवर्नमेन्ट किस हद तक गारंटी दे सकती है। यह कानून नहीं बनने से सरकार उस सीमा का उल्लंघन कर जाती है जिससे रुपयों का बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आर्टिकल 293 को देखेंगे तो साफ तौर पर यह है, असेम्बली में बिल आना चाहिए कि किस कद्र पास हो, कितना पास हो, कितने रुपये का पास हो। मैं समझता हूं, आप सरकार को यह आदेश देंगे कि इसी सेशन के अन्दर 293 के तहत यह कानून बनाना चाहिए। अगर आप मुलाहिजा करेंगे तो देखेंगे कि आखिरकार हमारी सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। महंगाई क्यों है ? महंगाई इसलिए है कि रुपये का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहले सबसे बड़ी बात यह थी, जब करेंसी छपती थी तो गोल्ड रिजर्व 50 पर्सेन्ट रखा जाता था। उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था और कीमतें एक तरीके से काबू में रहती थीं। लेकिन आज क्या है कि 50 पर्सेंट की जगह 8 पर्सेन्ट गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। नतीजा यह है कि दिन-प्रतिदिन यह महंगाई बढ़ती चली गई और हमने विदेशों से सहायता ली। अमेरिका से इक्कीस हजार डालर्स की सहायता ली, रूस से ली। यह रुपया जो यहां पर आया और उसका सर्कुलेशन हुआ तो निश्चित तौर से

(श्री शोभाराम)

चीजों के भाव बढ़े। महंगाई हमारे वालों पर लागू कर दी गई।

अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रिकवरी के बारे में। आप क्यों जाते हैं टैक्स में ? मैं जानता हूँ कि टैक्स लगेगा। सन् 1982-83 तक तेइस सौ करोड़ रुपये की बकाया हो जायेगी। 1981-82 में 594 हजार 4 लाख रुपयों की बकाया पहले है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो आपके सर्वेन्ट्स हैं उनकी तरफ भी बहुत-सा रुपया बकाया है। उसकी वसूली का काम करें तो मैं यह समझता हूँ कि कई हजार रुपये जो पड़े हुए हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं, कई एम. एल. एज और मिनिस्टर्स में जो सरकारी बकाया है, वह सख्ती के साथ वसूल की जाए तो हमको टैक्स लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब जरा जयपुर उद्योग के बारे में आप देखें। हमारा इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवाह है कि जयपुर उद्योग के लिए पच्चीस लाख की एक, चवालीस लाख की एक गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी। गारंटी एक तरीके से बैंक को नहीं दी, फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाकर चवालीस लाख तिरासी हजार रुपये की डिग्री की गई। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वसूल की थी। राजस्थान स्टेट ग्रांट एण्ड गारंटी रेगुलेशन, 1970 के अधीन कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, जब तक कि जो रुपया रहता है वह रिमोट नहीं करे और कोई जमानत नहीं दे, तब तक राज्य सरकार उसकी गारंटी नहीं ले सकती। यहां पर जयपुर उद्योग से कोई गारंटी नहीं ली और उनको रुपया दे दिया। उनका अकाउण्ट एक्जीक्यूट करना चाहिए था। आप ताज्जुब करेंगे, 31 मार्च, 1979 की बात कर रहा हूं। उसमें 2 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है और 66 लाख रुपया रोयल्टी का है। यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने रुपये की वसूली की गई ? क्या जयपुर उद्योग की तरफ और रकम बकाया है या किस का बाकी है ?

एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ। कई वर्षों पहले दवाई का, खाद का और बीज का वितरण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वह काम कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया। नतीजा क्या हुआ ? हमको यह बताया जाये कि कितने रुपयों का माल कोआपरेटिव सोसाइटीज को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से गया ? जहां तक मुझे जानकारी है करोड़ों रुपयों का माल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोआपरेटिव सोसाइटीज को गया, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। हम नहीं बता सकते कि कितना रुपया गया और कितना रुपया नहीं गया। कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसमें अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट अगर देखें, तो हमने जो मेन्शन किया है डेयरी कारपोरेशन में, गवर्नमेंट कम्पनीज में, अदर जोइन्ट स्टाक कम्पनीज में, कोआपरेटिव बैंक और सोसाइटीज में, कुल मिला कर 98 लाख का है और 46 लाख रुपया कोआपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज में है जिसकी आज तक कोई वसूली नहीं हो रही है। आप ताज्जुब करेंगे, ए. जी. ने यह लिखा है :

(श्री शोभाराम)

"Information regarding the number of Co-operative Banks and Societies awaited from tho Government (March 1983)"

मतलब यह है कि एक साल गुजर जाने के बाद भी आज तक वह इन्फार्मेशन हमारे पास नहीं आई। मतलब हमको यह पता नहीं होता कि हमारा रुपया कहां फंसा हुआ है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव बैंक के और नगर परिषदों के आज तक चुनाव नहीं हुए। उनको 12-12 साल हो गए। कम से कम डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए चुनाव तो वक्त के अन्दर होने चाहिए। अगर चुनाव वक्त के अन्दर नहीं होते हैं, तो उसके कोई मायने नहीं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है लेकिन तारीखें तय हो जानी चाहिए कि हम फलां तारीख को नगर परिषद् के चुनाव करायेंगे और फलां तारीख को बैंक के चुनाव करायेंगे।

आप यह भी जानकर ताज्जुब करेंगे कि रिजर्व बैंक जो रुपया देता है वह गवर्नमेंट गारन्टी के ऊपर जाता है। फिर अपेक्स बैंक के पास जाता है। अपेक्स बैंक को हम लोग देते चले गये और लोन बढ़ता चला गया, उसकी अदायगी नहीं हुई। आखिरकार ऐसे लोन देने से क्या फायदा है कि ले लें और अदायगी नहीं हो। यह बीच में रुपया कहां चला गया।

एक बात और है, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक समिति इसलिए बनाई थी कि इस सहकारिता को किस तरह से मजबूत बनायें। सन् 1976 में वह रिपोर्ट हमने पेश की। चार साल बाद जब मैं वहां गया और तलाश किया तो रजिस्ट्रार और आपके सैक्रेटरी कोआपरेशन सब के सब कहने लगे कि हमने तो इस कमेटी का नाम ही आज सुना है। पता नहीं ऐसी समिति कब बनी थी।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1970 के अन्दर जब कि गंगानगर में बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई सैंकड़ों आदमी जेल गये तब इस कमेटी का निर्माण हुआ था। उस कमेटी ने बहुत अच्छी सुन्दर रिकमण्डेशन की थीं। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग थे वह उस कमेटी को ही यहां से उठाकर पता नही कहां ले गए। मुझे बताया जाये कि क्या इस सचिवालय में उस कमेटी की रिपोर्ट है? अगर है. तो कम से कम, उसको मेज पर रखें। मेज पर नहीं रखें तो, सभापति महोदय, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट है या नहीं है। कहीं बड़े आदमियों ने वह गुम तो नहीं कर दी? हमें मालूम पड़ा कि वह बहुत दूर तक चली गई है क्योंकि वह उनके खिलाफ पड़ती थी एक तरीके से। तो यह सब चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूं कि रुपये-पैसे के मामले में कभी भी उनको सुस्ती नहीं करनी चाहिए।

गारण्टीज के मामले में मैंने आपसे अर्ज किया कि गारण्टी कितनी दी जा सकती है, यह आर्टिकल 293 के तहत तय करना चाहिए। आप यह जानते हैं शुरू-शुरू में 4 अप्रेल, 1949 में जब नाटो संगठन दुनिया में कायम हुआ, नार्थ एटेलाण्टिक

(श्री शोभाराम)

ट्रीटी आर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई मुल्क थे। उसके मुकाबले में एशिया ने भी एक वारसा पेक्ट किया था। तो इन सब चीजों से यह मालूम पड़ता है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। दो बड़े ब्लाक के अन्दर हमारी बड़ी मुश्किल है। रुपया हम लेते हैं और वह सौदा करते हैं कि यह चीज चननी चाहिए, यह चीज मंगानी पड़ेगी। आखिरकार हम पांच साल या दस साल का अन्दाजा लें। जितना पहले अमेरिका से आता था, मैं समझता हूँ कि आज कल ऐसे मुल्कों, जिनसे हमने रुपया लिया है, से ज्यादा माल आने लग गया है। नतीजा यह हुआ कि हमारे जितने कामशियल बैंक थे और जितनी इण्डस्ट्रीज थीं वह एक तरीके से घाटे में चल रही हैं। इस तमाम बातों पर बोलने का मौका तो राज्यपाल के अभिभाषण पर मिलता है।

एक बात और है, विपक्ष के नेता यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने नवम्बर या अक्टूबर, 1978 में एक घोषणा की थी। वह घोषणा यह की थी कि लैण्ड डवलपमेंट बैंक का कोआपरेटिव बैंक में विलय कर दिया जायेगा और स्टेट कोआपरेटिव बैंक की जो अपेक्स बैंक हैं इनका स्टेट डवलपमेंट बैंक के अन्दर विलय हो जायेगा। 1979 में जो गवर्नर थे उन्होंने भी अपने अभिभाषण में कहा था, हम यह चाहते हैं कि आदमी को दो जगह नहीं जाना पड़े और शार्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लोंग टर्म लोन एक ही जगह से उसको प्राप्त हो जायें। वह प्राप्त तब होगा जब कि लैण्ड डवलपमेण्ट बैंक्स और वह बैंक जो दीर्घ-कालीन कर्जा देते हैं, आपके सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक्स का अपेक्स बैंक्स में विलय कर दिया जाये। मुझे ताज्जुब यह होता है कि मुख्य मन्त्री ने घोषणा की, गवर्नर ने घोषणा की लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं। यह बहुत जरूरी चीज है कि कोआपरेटिव बैंक से जितना कर्जा देते हैं उसका कण्ट्रोल होना चाहिए। जब कि हम मीडियम-टर्म-लोन देते हैं या शार्ट टर्म लोन देते हैं तो उसकी पेइंग केपेसिटी को देखकर लोंग टर्म लोन भी एक ही एजेन्सी से दिया जाये, तो कम से कम उसकी पेइंग केपेसिटी का पता तो लग जाये। इसी तरह से यह घोषणा हुई थी और गवर्नर साहब ने भी अपने एड्रेस में कहा था लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज के लिए तो मान्य कर दिया जाये, नहीं तो इसमें एक तरीके से नुकसान होगा।

इस तरह से रोजगार की बात करते हैं। बीस सूत्री प्रोग्राम में कम से कम 7 प्रोग्राम तो ऐसे हैं जो कि कोआपरेटिव के माध्यम से शुरू होंगे। कोआपरेटिव स्ट्रक्चर हमारा गिर गया है, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो मैं समझता हूँ कि बीस सूत्री कार्यक्रम पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।

मुझे ज्यादा नहीं कहना; काफी कहा जा चुका है, और भी लोग बोलने वाले हैं इसलिए इतना ही कह कर मैं क्षमा चाहता हूँ।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री समरथ लाल जी ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने 5 तारीख को सदन में आकर जो अपना अभिभाषण दिया उस अभिभाषण के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा ।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी ने पेश किया । उस प्रस्ताव को रखते वक्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री को भागीरथ की संज्ञा दी गई । सभापति महोदय, जिन भागीरथ की संज्ञा दी गई वह एक महान् व्यक्ति था, वह एक ऐसी पवित्र आत्मा का व्यक्ति था जिसने गंगा को लाने के लिये प्रयास किये, उस गंगा के आने पर जमीन सरसब्ज हुई और उसमें उपज पैदा हुई । उसकी संज्ञा राजस्थान के मुख्य मन्त्री को देना न्याय संगत नहीं होगा ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में भी इस सदन के अन्दर कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है । इनको विकास की आधारशिला बताया है । राजस्थान के गरीबों के उत्थान के लिए इसको बहुत बड़ी चीज मान करके सदन के अन्दर पेश करने की कोशिश की गई हैं । सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर और देश के अन्दर आज हालत क्या हैं, आप जानते हैं । राजस्थान के अन्दर भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है । सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या करीब साढ़े दस लाख है । यह शिक्षित बेरोजगार राजस्थान के मन्त्रियों के यहां, माननीय सदस्यों के यहां, सरकारी अधिकारियों के यहां नौकरी पाने के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं । इनके बारे में इस अभिभाषण के अन्दर कोई संकेत नहीं दिया गया है ।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कानून की जो व्यवस्था है और जो बिगड़ी हुई हालत है उसकी इस सदन को पूरी जानकारी है और राजस्थान की जनता को अच्छी प्रकार से जानकारी है । इस अभिभाषण के अन्दर यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति की सन्तोषजनक रही है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में पिछले दो-तीन वर्षों के अन्दर जितनी डकैतियां हुई हैं उतनी डकैतियां पिछले 20 वर्षों के अन्दर नहीं हुई । राजस्थान के अन्दर इन पिछले वर्षों के अंदर जब से यह नई सरकार आई है, जितनी चोरियाँ हुई हैं, उन चोरियों के होने के बाद कोई बरामदगी नहीं हुई है । इसके अलावा राजस्थान के अन्दर आये दिन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जयपुर से दिल्ली को जाने वाली बस कई बार लुट गई, कई बार रेलगाड़ियां लुटीं, बाजारों के अन्दर महिलायें लुटीं । इस प्रकार का जब वातावरण राजस्थान के अन्दर हो रहा है, कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सन्तोष प्रकट करना, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी भूल है ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इस कानून-व्यवस्था के बारे में निवेदन करूंगा.

(श्री समरथ लाल)

राजगढ़ एरिया के अन्दर दिन के करीब 11 बजे एक महिला, जो किसान महिला थी, जो खेत में काम कर रही थी, को आज से तीन महीने पहले काट दिया गया और उसके जेवर ले गये। उन जेवरों का आज तक पता नहीं, उन काटने वाले लोगों का भी आज तक पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी। राजगढ़ और अलवर एरिया के अन्दर तीन-चार डकैतियां हुई। उन डकैतियों का आज तक पता नहीं लगा। फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति को आप सन्तोषजनक कहें तो मैं समझता हूँ, राज्यपाल महोदय के द्वारा इस प्रकार का डाकूमेंट बनाकर गलत बात कहलवाना अच्छी बात नहीं है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पुलिस के द्वारा बलात्कार हुए। राजगढ़ में हुआ, कोटपूतली में हुआ, जोधपुर के अन्दर डाक्टरों ने बलात्कार किया। इसके अलावा एक उप पुलिस निरीक्षक, अरविन्द कुमार ने एक जमांदार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। तो फिर यह कानून व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक कैसे कही जा सकती है। यही एक प्रश्न एक एम. एल. ए. साहब दूसरे एम. एल. ए. साहब से कर रहे थे। सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति राज्य के अन्दर चल रही है और राज्यपाल महोदय इस सदन में आ करके इस प्रकार का अभिभाषण दें, तो मैं समझता हूँ ऐसे अभिभाषण का समर्थन हम किस प्रकार से कर सकते हैं।

सभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रमों के बारे में यहां पर डींग हांकी गई। प्रस्तावक महोदय ने इसके बारे में काफी कहा। समर्थक ने हर मन्त्री को इसकी क्रियान्विति के बारे में धन्यवाद दिया कि अच्छी प्रकार से इसका एक्जीक्यूशन हो रहा है। सारे मन्त्रियों को उन्होंने धन्यवाद दे डाला। सभापति महोदय, पीने के पानी की भयंकर समस्या है, पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिये हैण्ड पम्प लगाये गये। आज राजस्थान के अन्दर कितने हैण्ड पम्प चालू हैं? अलवर जिले के अन्दर दो-तीन पंचायत समितियों का मैंने दौरा किया। पंचायत समिति राजगढ़ में 140 हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें से केवल 10 चालू हैं, आज की तारीख में। पंचायत समिति रैनी में 90 लगे, केवल 7 चालू हैं, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के अन्दर 250 लगे, केवल 15 चालू हैं। पंचायत समिति कठूमर के अन्दर 230 लगे, केवल 20 चालू हालत में है। पंचायत समिति थानागाजी में 150 लगे, केवल 12 चालू हालत में हैं। फिर भी पेयजल की समस्या के बारे में यहां कहा गया कि हमने अब की बार जितनी पेयजल की समस्या निपटाई है उतनी पेयजल की समस्या किसी सरकार ने नहीं निपटाई। मैं समझता हूँ यह नितांत असत्य बात है।

इसके अलावा अभी अभी, सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले, जहां से मुख्य मन्त्री आते हैं, के कांग्रेस के एक माननीय सदस्य, जिनका चुनाव क्षेत्र है पंचायत समिति जहाजपुर, का अभी एक ताजा सर्वेक्षण हुआ है। उस ताजा सर्वेक्षण के आधार पर सभापति महोदय, पंचायत समिति जहाजपुर में बीस सूत्री कार्यक्रमों की उपलब्धियों के आंकड़ों का प्रचार-प्रसार और मापदण्डों का बड़ा गुणगान किया किन्तु जहाजपुर क्षेत्र में वास्तविकता का पता लगाये जाने पर यह दावे खोखले नजर आये।

(श्री समरथ लाल)

इस क्षेत्र के दौरे में हैण्ड पम्प्स के बारे में जानकारी मिली है कि पंचायत समिति क्षेत्र में 350 हैण्ड पम्प लगाये गये जिनमें से 120 हैण्ड पम्प खराब हैं, 60 हैण्ड पम्प का पानी खारा व कसैला होने से पीने के योग्य नहीं है। यह तो वहां हैण्ड पम्पों की हालत है। गैस संयंत्रों की हालत देख लीजिये इसी प्रकार। इस क्षेत्र में 53 गोबर संयंत्र लगाये गये जिनमें से 13 पूरे बन चुके हैं, बाकी सारे अपूर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, आवास समस्या की बात है। इसी तरह 'गरीब को छप्पर' योजना के तहत निर्माणाधीन मकानात अधिकांश अपूर्ण अवस्था में है, कई मकानों की छतें नहीं तो किन्हीं मकानों की तो अभी चारदीवारी भी बनी हुई नहीं है। मात्र योजना के तहत लिये गये अधिकांश निर्माण कार्य भी अधूरे से पड़े हुए हैं।

वृक्षारोपण का भी अभी सर्वेक्षण हुआ है। करीब एक लाख पौधे लगाये गये हैं किन्तु पंचायत समिति के गांवों में जाने से पता लगा है कि कहीं वृक्ष के कुछ पेड़ ही बड़े हुये दिखते हैं। इसी प्रकार से ट्राइबल योजना के अन्दर, ट्राइबल स्कीम के अन्तर्गत पंचायत समिति के मुख्यालय पर वर्क शालायें चलाई जा रही हैं। इसमें सभी कानून नजर अन्दाज किये जा रहे हैं। कार्यशालाओं में 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोगों को रोजगार उन्मुख कराये जाने के लिये ट्रेनिंग दी जाती है किन्तु इन कार्य शालाओं में अधिकांश अल्प-आयु के शिक्षार्थियों एवं 45 साल से ज्यादा वालों को राजनैतिक आधार पर धर्मादा बांटने का कार्य किया जा रहा है या ऐसे अशिक्षित अनुदेशकों को रखा गया है जिनको इसका प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। सिलाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने वालों को सिलाई की मशीन तक चलाना नहीं आता, कपड़े सीना तो दूसरी बात है। बीस सूत्री कार्यक्रमों का, श्रीमान्, इस प्रकार का एक नजरिया है।

बीस सूत्री कार्यक्रमों की जो किताब निकली है उस किताब के अन्दर से कुछ आंकड़े इकट्ठे करने की मैंने कोशिश की है। 'गरीब को छप्पर' एक सूत्र है। उसके अन्तर्गत पिछले 3½ वर्षों के अन्दर जो उपलब्धियां हुई उसके आंकड़े मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। अजमेर जिले में 26 प्रतिशत, बूंदी जिले में 5 प्रतिशत, जयपुर जिले में 8 प्रतिशत, कोटा जिले में 1·30 प्रतिशत, सवाई माधोपुर जिले में 6 प्रतिशत और टोंक में 31 प्रतिशत। श्रीमान्, 'गरीब को छप्पर' का जो एक सूत्र है उसकी उपलब्धि के आंकड़े मैंने आपको निवेदन किये हैं।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर असत्य आंकड़े दे करके राज्यपाल महोदय के द्वारा इस सदन को गुमराह कराने की कोशिश की गई है। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं, गांव से आते हैं, माननीय सदस्य भी गांव से आते हैं, रात-दिन गांवों के अन्दर हम लोग घूमते हैं। उसके आधार पर सारी जानकारी हम लोगों को रहती है। जो आंकड़े इस सरकार ने केन्द्र सरकार को दिये हैं, वित्त आयोग को दिये हैं, जो आंकड़े सरकार के द्वारा दिये गये हैं, और कुछ आंकड़े जो मन्त्रियों ने अलग-अलग अपने विभागों के दिए हैं, कुछ आंकड़े जिले की

(श्री समरथ लाल)

जो कमेटियां होती हैं उन्होंने दिये हैं, कुछ आंकड़े पंचायत समितियों ने दिये हैं, इन आंकड़ों में भारी मत-भेद है। मेरा यह दावा है, सभापति महोदय, जो आंकड़े सरकार देती है, वे आंकड़े सही नहीं हैं, बिल्कुल गलत हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, मैं यह कहना चाहता हूँ, सदन को गुमराह करने की कोशिश न की जाय। जो आंकड़े दिये गये हैं मैं कहना चाहता हूँ कि तीन-चार माननीय सदस्यों की कमेटी बना दीजिये, वे माननीय सदस्य राजस्थान की किसी भी पंचायत समिति में जाकर देखें- गाय, भैंस, बकरी खरीदने की जो बात आती है, जितनी संख्या में वहां धन दिया गया पशुओं को खरीदने के लिये उतनी संख्या में वह नहीं मिलेगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो यह अभिभाषण पेश किया है, यह बिलकुल निराधार और बिलकुल असत्य है।

दूसरा, सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बारे में यह सरकार काफी दावा विधान सभा के अन्दर और बाहर करती रहती है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी अन्तर है। सन् 1981-82 के अन्दर राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जो छात्र थे उनको 1981-82 की छात्रवृत्ति नहीं मिली। उस छात्रवृत्ति के बारे में बार-बार यहां सवाल उठाये गये, छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया गया लेकिन वह छात्रवृति आज तक नहीं दी गई। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये माडा योजना चल रही है। इस माडा योजना के अन्तर्गत राजस्थान में जहां पर ट्राइब्स ब्लाक बनाये गये हैं वह करीब 37 हैं। राजस्थान के अन्दर इन 37 ब्लाकों के अन्दर भारत सरकार से सीधा पैसा आता है। राजस्थान सरकार को केवल वह पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से जितना पैसा इस माडा योजना के अन्तर्गत इन ब्लाक्स में खर्च करने के लिए आया, वह पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर रही है और उस पैसे का भी राजनैतिक दुरुपयोग किया गया। सभापति महोदय, जहां-जहां से विरोधी दल के सदस्य चुनकर आते हैं वहां यह पैसा पिछले वर्षों में खर्च नहीं किया गया, वहां यह पैसा इन मिनी ब्लाक्स के अन्दर नहीं भेजा गया। तो, राजनैतिक आधार पर इस प्रकार की योजनाओं को नजरअन्दाज करके इस प्रकार के कार्यक्रम जो यह सरकार चला रही है, सभापति महोदय, यह एक खेद का विषय है।

इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बारे में जो प्रगति की बात करते हैं, सभापति महोदय, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, जिनकी राजस्थान के अन्दर इस नई जन-गणना के अनुसार एक करोड़ के करीब जनसंख्या पहुँच गई है, के लिये जनकल्याणकारी जो योजनाएँ पिछले 2-3 वर्षों में बनाई हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं के अन्दर जो अनियमितताएं हुई हैं उनका मैं दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ। भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य में अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्गों के लिये चल रही कल्याण-

(श्री समरथ लाल)

कारी योजनाओं की क्रियान्विति में कई अनियमितताएं पाई हैं। उनमें से एक यह भी है कि 203 ऐसे छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां इन योजनाओं के तहत दे दी गई जो इन जातियों और वर्गों के नहीं थे। श्रीमान्, महालेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट पिछले साल विधान सभा के पावस सत्र में वित्त मन्त्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने पेश की थी। श्रीमान्, इसके अन्तर्गत यह भी बताया गया है कि सन् 1981-82 के दौरान इन कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य में 40 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च किये गये। महालेखा परीक्षक ने योजनाओं की जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जिलों में क्रियान्विति का जायजा लिया। उस क्रियान्विति में, श्रीमान्, उन्होंने पाया कि 1343 छात्रों को 1 लाख 61 हजार रुपये की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान जाति-प्रमाण-पत्र या छात्रावास में भर्ती नहीं होने का प्रमाण-पत्र लिये बिना ही कर दिया गया। 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दूसरी जातियों के छात्रों को कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार 532 मामलों में 2·24 लाख रुपये की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों का अधिक भुगतान किया गया। 71 हजार रुपये के 113 मामलों में जाति या नागरिकता के प्रमाण पत्र या तो दिये नहीं थे या वे सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं दिये गये थे। पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के वितरण में 2 से 6 माह तक की देरी हुई। सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती किये गये विद्यार्थियों में से 32 तथा 39 प्रतिशत विद्यालय छोड़कर चले गये। सन् 1980-81 के दौरान सात सहायता प्राप्त छात्रावासों को निर्धारित सीमा से 65 हजार रुपये का अधिक अनुदान दिया गया। इसमें, श्रीमन्, यह भी बताया गया है कि मार्च, 1979 से अप्रेल, 1981 के दौरान राजस्थान आवासन मण्डल को श्रीगंगानगर में छात्राओं के छात्रावास भवन के निर्माण के लिये भुगतान किये गये 6·18 लाख रुपये का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि जमीन जुलाई, 1982 तक आवंटित की गयी थी, जब कि भवन का निर्माण स्थल बदल कर बीकानेर कर दिया गया।

इसमें, श्रीमन्, आगे यह भी कहा गया है कि 360 मामलों में 1·44 लाख रुपयों के ब्याज का पुनर्भरण बैंकों को कर दिया गया यद्यपि बैंकों ने ऋणियों के ब्यौरे नहीं दिये थे। उदयपुर जिले में 30 प्रतिशत मामलों में तथा सवाई माधोपुर जिले में 12·5 प्रतिशत मामलों में अनुपयोग या अनुचित उपयोग पाया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसी प्रकार से, श्रीमन्, झाड़ू लगाने वालों के लिये 300 मकान बनाने के लिये जयपुर विकास न्यास को 9 लाख रुपये का ब्याज रहित ऋण दिया गया। 9·31 लाख रुपये से केवल 150 आवास बनाये गये और इनमें से 50 प्रतिशत मकान बनाने में लगभग 6 वर्षों की और आवंटन में 4 से 8 वर्षों की देरी हुई। जिन्हें मकान आवंटित किये गये उनसे किश्तों की वसूली केवल 14 प्रतिशत थी। न्यास ने उनसे वसूल 19 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा नहीं कराये थे। तो, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सूत्रों की जो यह बात कह रहे हैं

(श्री समरथ लाल)

और जिन सूत्रों के आधार पर जो यह कहना चाहते हैं कि यह राजस्थान के विकास की एक आधारशिला है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि न तो यह राजस्थान के विकास की आधारशिला है और न ही और कुछ है, केवल मात्र एक असत्य कहने की बात है।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ, माननीय मन्त्रीगण दौरों पर जाते हैं, दौरे पर जाकर ये जब आम सभा में जो कुछ कह कर आते हैं उनकी यहां क्रियान्विति नहीं होती है। मेरे इलाके के अन्दर कुछ मन्त्रियों ने जाने का साहस तो किया, तीन चार मन्त्री वहां गये भी। श्री चेतरामजी मीणा शुरू-शुरू में गये, एक गांव के अन्दर गये, वह रेलवे का स्टेशन था। खुलवाया हमने था और उद्घाटन वह करने चले गये। उस गांव की एक समस्या थी, वहां 2 किलोमीटर की एक सड़क अधूरी पड़ी हुई है, डेढ़ साल पहले आश्वासन देकर आये थे कि इस सड़क को मैं 5 दिन के अन्दर शुरू करवा दूंगा। डेढ़ साल हो गया वह आज तक शुरू नहीं हुई। इसके अलावा श्री खेतसिंहजी राठौड़ गये, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। राजगढ़ के अंदर एक आई कैम्प था उस कैम्प में कहकर आये कि राजगढ़ का रैफरल हास्पिटल करवा दूंगा। मैं जाते ही आदेश निकाल दूंगा। लेकिन तीन महीने हो गये आज तक रैफरल हास्पिटल के आदेश नहीं हुए। इसके अलावा श्री दिनेश रायजी डांगी, आयुर्वेद मन्त्री आयुर्वेद के कैम्प में गये थे, वह गांव के अन्दर कह कर आये थे कि आयुर्वेद का औषधालय इसी सत्र में खुलवा दूंगा। आयुर्वेद औषधालयों की हमने लिस्ट देखी, तो उस गांव का उसमें नाम ही नहीं था। तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मन्त्रीगण अपने दौरों पर जाते हैं, जाकर कुछ कह कर आते हैं लेकिन कहने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। इस प्रकार से सरकार में लोगों की आस्था कम होती जा रही है।

दूसरा निवेदन, सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं यह भी करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि रोजगार गारण्टी, लघु तथा सीमान्त कृषक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के अन्दर जो चयन किया है गांवों में जाकर ब्लाक आफिसर्स, रेवेन्यू आफिसर्स ने, उसके अन्दर भयंकर धांधलियां हैं। रेवेन्यू आफिसर्स ग्राम पंचायत का जो हैडक्वार्टर का गांव है वहां चले गये और उस गांव के अन्दर से ही उन्होंने अपने चयन की सारी पूर्ति कर ली, पंचायत के अन्दर 3-4 और गांव होते हैं उनको उन्होंने टच ही नहीं किया। केवल उन्हीं गांवों को जो पंचायत हैडक्वार्टर के गाव हैं, उस पंचायत हैडक्वार्टर के गांव पर जाकर के उन्होंने इनका चयन किया और जो उस गांव के आस-पास के 3-4 गांव होते हैं, उन की ओर उन्होंने बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया। जो ऋण दिया जाता है, उस ऋण देने के अन्दर भी भयंकर धांधलियां हैं। कई विकास अधिकारी रिश्वत खाते पकड़े गये, बैंक के अधिकारी पकड़े गये, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिये, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि यदि इस कार्यक्रम को ईमानदारी से चलाना है तो इसके अन्दर सच्चाई से प्रशासनिक

(74)

(श्री समरथ लाल)

अधिकारियों को काम करना पड़ेगा तब यह कार्यक्रम पूरा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो यहां आकर अभिभाषण दिया मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरू लाल जी भारद्वाज।

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मूल बात यह है कि जब राज्यपाल महोदय यहां अभिभाषण देने आये तो जो मित्र आज उन सब कार्यक्रमों को नकार रहे हैं, उनका तो पहले ही मंतव्य स्पष्ट हो गया था। उनका तो जिस तरह से दिन उगता है....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आपका भी प्रकट है।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : बीच में नहीं, साहब। आदत पड़ रही है आपकी।

जिस प्रकार सूर्य उदय होता है....

श्री हीरालाल आर्य : अरे, थोड़ी शर्म करो।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : राज्यपाल × × आयेंगे, राज्य में हुई प्रगति के बारे में कुछ ब्यौरा देंगे, इनको यह बात सुहा नहीं सकती। सवाल यह है कि जोंक जो होती है उसको, माननीय सभापति महोदय, प्रकृति ने खराब खून खींचने के लिए बनाया है। अगर आप उसको अच्छे खून वाले आदमी के शरीर पर लगा दो तो जोंक कभी उसका अच्छा खून पीने के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि उसकी प्रकृति यही है। सड़ा-गला, गंदा और नकारात्मक कोई कार्यक्रम हो, तो उसके पीछे जोंक की प्रकृति के लोग जाया करते हैं। मेरे खयाल से प्रकृति ने सबको एक सा ही बनाया है पर इनके नेताओं ने इनको ऐसी दीक्षा दी है और ऐसा दीक्षित किया है कि देश में कितनी ही उपलब्धियां हों, पर वह यह कभी स्वीकार करने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिये अब यह जो इस समय विरोध कर रहे हैं, छांटकर लाते हैं इस बात में कहां क्या कमी रही है, केवल कमी ढूंढ़ना इनका काम है। यह बात ठीक है कि जहां कमी रहे उसको भी बताना चाहिए, खासकर विरोधी दलों का यह काम है पर क्या केवल कमी की ही तरफ निगाह इनकी रहती है ? माननीय विरोधी दल के साथियों को रात को जब सपना आता है मैंने यह सुना है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपकी तरफ से जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो पूरी तसल्ली के साथ सुना जा रहा था।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, ऐसे उदाहरण हमारी तरफ से किसी माननीय सदस्य ने

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

नहीं दिये × × × जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से अपना मानसिक स्तर प्रकट कर रहे हैं उसका उत्तर यही होगा। अपना मानसिक स्तर प्रकट कर रहे हैं, कितना मानसिक स्तर है बोलने का।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं...

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : दो साल में 5 लाख रुपये टी. ए., डी ए के अपने घर में भर रखे हैं। आपका दिमाग पैसे से भर गया है। आप अपने पद को देखिये, आप × × × हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप अपने लिए क्यों समझते हैं ? विरोधी दल तो और भी हैं।

श्री हीरालाल आर्य : सब एक हैं। आप तो राजस्थान की जनता का खून चूसते रहिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, सवाल यह है कि ज्यों ही किसी दुखती रग पर हाथ रखता हूं....

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × × उसके लिए नहीं कहोगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बीच में खड़े होकर शोर मचायेंगे, बात सुनेंगे नहीं। क्योंकि आदत इनको सुधरनी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने विरोधी दल का नाम क्यों लिया ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, विरोधी दल बहुत से हैं. आप ही नहीं हैं इसलिए कोई....

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : सब एक हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कमी-खामी है आपमें × × × मुझे कोई एतराज नहीं है, नहीं तो कोई नामजद तो कहा नहीं। जिन-जिन आदमियों में जोंक वाली प्रकृति है वह चिपकते हों, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है।

मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार के कार्यक्रमों में कोई कमी-खामी रही हो, यह मैं मानने को तैयार हूं। वह कुछ कमी-खामी भी मैं आपको बताऊंगा यदि आप सुनने की कोशिश करेंगे तो। पर यह कहां का प्रश्न रहा कि हम सब लोग, जो अपने आप को प्रजातन्त्र के प्रहरी कहने वाले हैं, न किसी अच्छे काम में एक मत होते हैं, न अच्छे काम की वृद्धि के लिये अपना सहयोग देते हैं। केवल दो कामों के लिये हम सब लोग एकमत हैं, इस विधान सभा में मैंने यह देखा, चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों, एक तो शोक प्रस्ताव पास करने में एकमत हैं हम सब, इसमें

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भेरूंलाल भारद्वाज)

कोई कुछ नहीं कहता अगर कोई दूसरे काम में हम सब सहमत हैं, तो 51 रुपये भत्ता पकाने में एकमत हैं बाकी तो सवाल यह है....

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या जमुना नदी परियोजना में एकमत से प्रस्ताव पास नहीं किया था ?

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : कितना ही अच्छा काम किया हो उसको उजागर करना तो दूर रहा, उसमें ऐब निकालकर उसको कण्डम करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग यह भी ठीक है कि कितना बुरा काम किया जाय उनको जबरदस्ती खुश करने की कोशिश करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम जनता के प्रतिनिधि पहले हैं और किसी विचारधारा से बधे हुए बाद में नम्बर दो पर हैं। हम जन प्रतिनिधि हैं और उस जनता के प्रतिनिधि हैं, जो आज गांवों के अन्दर बसती है, उनकी क्या कमियां-खामियां हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके प्रवक्ता बनकर आकर वह कहें। निहित स्वार्थियों के प्रवक्ता के रूप में यहां अपने आपको अगर उजागर करें तो यह उस जनता के साथ, उस मतदाता के साथ विश्वासघात होगा जिसने हमको चुनकर भेजा है। केवल गरीबों के वोट के लिए हम गरीबों के प्रतिनिधि बनकर उनकी बात कर लें बाकी निहित स्वार्थियों के प्रतिनिधि हैं तो मैं समझता हूं यह उन वोट देने वालों के साथ धोखा है। इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, को बैठकर राज चलाने की उन प्रक्रियाओं पर तो कम से कम एकमत होना चाहिए जो प्रजातन्त्र के लिए मूलभूत हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं नौकरशाही वाली बात का। चाहे तीन साल तक विरोधी दल के लोगों ने राज में अपनी गद्दीनशीनी की हो, चाहे आज हम लोग राज में बैठे हों, जो कुछ भी विधान सभा में प्रस्ताव पास करते हैं उसके क्रियान्वयन का माध्यम नौकरशाही है। पर क्या कभी इस मामले पर भी हम एकमत हुए हैं कि मौजूदा नौकरशाही एक व्यक्ति की नहीं ? व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है नौकरशाही में और एक बहुत बुरा भी हो सकता है पर क्या नौकरशाही की मूल-प्रवृत्तियों के बारे में हमने कभी सोचने की कोशिश की है ? यह प्रवृत्ति जारी रही, तो चाहे पार्टियां बदलती रहें, सरकार में व्यक्ति बदलते रहें, उस गरीब तक उसका हक कभी नहीं पहुंच सकता। इसका कारण है नौकर, जिसका नाम नौकर है, माननीय सभापति महोदय, वह नौकर केवल नाम का है। वस्तुतः व्यवहार में और सारे हालात में वह बाकायदा पहले से ही ठाकुर बना हुआ है। जिस प्रकार ठाकुर को एक जागीर मिलने के बाद उम्र भर और पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिलता था, उसी प्रकार सरकारी सेवाओं में कोई आदमी एक बार घुस जाय उसके बाद लगातार 35 साल तक सुरक्षा के साथ-साथ जीवन-पर्यन्त पेंशन आदि की सुविधायें, वह काम करे या न करे, लेने का वह अधिकारी है। हम कभी उस पर हाथ रखने की स्थिति में नहीं आए, × × × पैसे की बात करता है, तो काम

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

की भी बात करता है कि नहीं। सबसे बड़ी कमी-खामी प्रजातन्त्र की यह चल रही है जिस पर हमको, हर एक दल को विचार करना चाहिए। नौकरशाही के मौजूदा मूल्यों में हम परिवर्तन करें। उसमें दो बातें मुख्य हैं, काम के साथ दाम जोड़ने वाली बात है। "काम नहीं तो दाम नहीं, काम आधा तो दाम आधा, और काम पूरा तो दाम पूरा।" हर 29–30 तारीख को चपरासी से लेकर कलेक्टर तक पे का बिल बनता है बिना इस बात की जांच किये कि इस आदमी ने काम भी किया या नहीं, इसको पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, काम किया है तो कितने काम का कितना पैसा मिलना चाहिए, इसका कोई हिसाब नहीं रहता। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो और कोई आदमी, जो प्राइवेट सिस्टम में एक आदमी रखता है, उसको पैसा चुकाने से पहले उसके काम का हिसाब लेता है। यह राज नाम की संस्था ही ऐसी धर्मशाला है जिसमें कोई हिसाब नहीं लिया जाता। नौकर को आंख मींचकर पैसे का पेमेंट किया जाता है। कोई अधिकारी भला हो, तो बात जाने दीजिए वरना कोई पागल कुत्ते नें नहीं काटा है जो किसी दिन आठ घण्टे तक काम करे। नतीजा यह है कि अधिकांश लोग, नौकरशाही के लोग नाकारा हैं, काम नहीं करते हैं और तनख्वाह को अपनी जागीर समझते हैं। जनता का कोई काम, जो कायदे और कानून का उसके जिम्मे है, करने में भी कुछ प्राप्ति की आशायें लगाए रहते हैं।

दूसरी बात जो मैं नौकरशाही के बारे में काम और दाम के अलावा कहना चाहता हूँ, वह बात है। नियुक्ति और निवृत्ति की। हम नियुक्ति के साथ निवृत्ति रखें। कहने को तो मैं सुनता हूँ कि जो अपोइन्टिंग अथोरिटी है वह डिसमिस भी कर सकती है पर मैंने तो कहीं देखा नहीं। एक साधारण आदमी का ट्रांसफर सरकार करती है, तो उसी पर कोर्ट इंजेक्शन देता है तो फिर नौकरी से निकालने वाली बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आप काम के लिये नौकर रखते हैं तब यह बात कागजी चेतावनी और उससे जवाब तलबी के बाद सिद्ध हो जाती है कि अगले ने अपनी ड्यूटी पूरी अदा नहीं की, तो फिर उसकी निवृत्ति में कहां रोड़ा अटकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जब आदमी को यह बात नहीं मालूम हो कि काम करेगा तो रखेंगे नहीं, तो हटा देंगे, तो बताइये कि नौकरशाही काम क्यों करेगी? इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वे यह सोचते हैं कि हम सदा ही विरोधी दल में रहेंगे और नकारात्मक ही शोर मचाते रहेंगे, तो आपकी मर्जी है। नहीं, तो अगर कभी सौ साल में भी आपको वापस आने की उम्मीद हो, जैसा कि सम्भव भी है, प्रजातन्त्र में तो यों ही सरकार आती रहेंगी और सरकारें जाती रहेंगी, तो आपको गम्भीरता से इस विषय को लेना चाहिये और इस पर बैठ करके निर्णय लेना चाहिये, आमूलचूल परिवर्तन कराने चाहिये, जरूरत पड़े तो लोक सभा और विधान सभाओं द्वारा इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों के जरिये, विधान में संशोधन के जरिये नौकरी को पाबन्द किया जाना चाहिये कि उसकी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

आठ घण्टे की ड्यूटी है, उसमें कितना काम वह करेगा। उतना काम नहीं करेगा, तो हाजरी आठ घण्टे की उस दिन की मानी नहीं जायेगी। यह एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

व्यवधान जो पैदा हो रहे हैं उनमें से कई हमारे सामने आ रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम से ही बहुत से मित्र चमकते हैं, और बहुत से लोग बिना जाने समझे केवल बीस सूत्री कह देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कई-लोग तो सूत्रों को गिनती में ही अपनी बुद्धि लगाए बैठे रहते हैं। कोई बीस और बीस चालीस करते हैं और कोई पांच जोड़कर पैंतालीस करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई कहते हैं कि कौन से सूत्र हैं। अरे भाई, इनकी गिनती में क्यों जाते हो। इस लाइन पर जाओ ना कि यह कार्यक्रम क्या है। असल में बीस सूत्री कार्यक्रम में दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक बात तो यह कि देश के आम लोगों के विकास के लिए, बहबूदी के लिए के लिए काम करना है जैसे सिंचाई, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवायें। और एक दूसरा पार्ट है इसका, देश के आम गरीब आदमी की व्यक्तिश: मदद करने की बात।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अधिकांश में वह कार्यक्रम तो चलाए थे, जिसके जरिये समूह को लाभ होता था परन्तु व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने वाली बात देश की आज की प्रधान मन्त्री और तत्कालीन प्रधान मन्त्री, यानि दस बारह तेरह साल पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इन्दिराजी के दिमाग में यह बात आई कि चाहे देश में कितनी ही सड़कें बना दें, चाहे कितने ही स्कूल खोल दें, कितनी ही कुछ और व्यवस्थायें कर दें, परन्तु यदि गरीब की जेब में पैसा नही होगा तो सारी सुविधाओं का उपयोग वह नहीं कर पाएगा। अच्छी सड़क पर भूखा पेट वाला चल कर क्या करेगा। अच्छा कालेज बनने के बाद भी किसी की जेब में पैसा नहीं तो बच्चों को पढ़ायेगा कैसे ? बीमारों के लिये अस्पताल भी खोल देंगे, तो डाक्टर तो पर्चियां लिख देगा, ज्यादातर तो दवाई कहां में लाएगे। इसलिये व्यक्ति को जब तक हम मदद नहीं देंगे, जब तक उसकी खुद की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। प्रश्न आया रुपयों का कि रुपया कहां से लाया जाय। तो रुपया तो सारा बैंकों के अन्दर खास-खास करोड़पतियों के लिए रिजर्व रखा गया था, रुपया तो वहां था। रुपये पर हाथ धरने के लिए ज्यों ही इन्दिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की तो माफ कीजिए, फिर कहीं नाराज न हों ये सारे मित्र, जो गरीबों की दुहाई दे करके और ज्यादातर गरीबों के वोट ठग करके यहां आते हैं, वे अपने हृदय पर हाथ रखें कि कौन कौनसी पार्टी और किन-किन व्यक्तियों ने एक साजिश में शामिल होकर के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ वोट दिया था उस समय। ऐसा करके क्या देश की आम गरीब जनता के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था ? परन्तु देश के गरीबों का भाग्य उज्ज्वल है, जैसा कि लगातार हमारे देश के विकास से सिद्ध हो रहा है, देश के अधिकांश लोगों ने राष्ट्रीयकरण के पक्ष में वोट दिए और इस सारे रुपये के खजाने पर गरीबों की भी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कुछ हिस्सेदारी हुई। लोग कहते थे कि गरीब खा जायेंगे। मैं यह कहता हूँ कि टाटा और बिड़ला के खिलाफ किसी भी माननीय सदस्य ने, खास तौर से उन लोगों, जिन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण के खिलाफ वोट दिए थे, ने कभी यह नहीं कहा कि डी. सी. एम. में कितना रुपया बकाया है, टाटा, बिड़ला और डालमिया बैंकों का कितना रुपया खा गये। एक-एक परिवार के पास पांच-पांच सौ उद्योग-धन्धे क्या उनकी जेबों के पैसों से चल रहे हैं, या इन सारे बैंकों के पैसों से चलाए जा रहे हैं जिससे गरीबों के लिए कहें कि वे खा जायेंगे। क्या खा जायेंगे? गरीब को आप बैंक के जरिये केवल थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए साधारण सहायता दे पाते हैं। अव्वल तो कोई गरीब इस नीयत का नहीं होता कि वह रुपये को खाने की नीयत रखे सिवाय सेठों के। कोई दूसरे आदमी या सेठों की विचारधारा से मिलान रखने वाले लोगों, पैसा खाने की तरकीब और जुगाड़ बैठाने वाले लोगों की बात जाने दीजिए, आम आदमी हमेशा यह पसंद करता है कि उसको जो सहायता मिले उसको वह सधन्यवाद और मय ब्याज के वापस चुकाए। आपने देखा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ये सारे गरीबों की सहायता के कार्यक्रम चल रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के दो मुद्दे हैं। आम लोगों, देश की आम समस्याओं को दूर कर विकास का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाना और व्यक्तियों की मदद करके उसको उन्नति पर पहुँचाने के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ाना, ये दो प्रकार के कार्यक्रम इस बीस सूत्री कार्यक्रम में हैं। माननीय विरोधी दल के लोगों को भी जो-जो अच्छे काम इनमें से नजर आते हों, उनका समर्थन करना चाहिए। चूंकि वे विधान सभा के सदस्य हैं उनके इलाके में ये काम हो रहे हैं, ये उचित हो रहे हैं, अनुचित हो रहे हैं उन पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। यह फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सरकार तो कांग्रेस की है, अपने इलाके में भी कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें मैं क्यों सहयोग करूं। मैं समझता हूँ कि उनके राजनैतिक तरीके से भी उनके लिए यह शुभ नहीं है। वह अपने गांव में, अपने इलाके में जायें और इस बीस सूत्री कार्यक्रम के यदि बीच में नौकरशाही की वजह से या अन्य कारणों से बुराई आ रही हो तो डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए, यह मान करके कि वह भी विधान सभा के सदस्य और बराबर के भागीदार हैं। ऐसा अगर उनमें आत्म विश्वास होगा और यह फ्रस्ट्रेशन यदि वे हटा देंगे कि कांग्रेस के राज में हम क्यों बीच में आयें, क्यों हम सहयोग करें, हमारा काम तो केवल नकारात्मक भाषण देने का है, तो मैं समझता हूँ कि उनके इलाके में भी प्रगति और तेजी से होगी। यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ।

इस 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रथम सूत्र के बारे में मेरा कुछ निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी ने इसका प्रथम सूत्र कोई अन्दाज से नहीं दे दिया है, जो सिंचाई का कार्यक्रम दिया, यह प्रथम सूत्र बहुत सोच समझ कर ही रखा गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 72 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। बाकी लोग खेती पर आश्रित हैं। देश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की काफी कोशिश करते-करते भी अभी तक चार आने

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जमीन में सिंचाई के साधन हो पाये हैं बाकी 12 आने जमीन अभी भी असिंचित पड़ी है। इसलिये इस सिंचाई के सूत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस सूत्र को प्राथमिकता देने का अर्थ यह है कि हम सिंचाई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ें। हमारे प्रान्त में भी राजस्थान नहर, माही, बजाज सागर परियोजना आदि कार्यक्रमों से हमने अपने लक्ष्य पूरे भी किये हैं और आगे भी बढ़े हैं, इसकी तो मैं तारीफ करूंगा। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि प्रान्त के किसी एक ही हिस्से की ओर हम अपनी योजना लेकर आगे बढ़ें और हमने समग्र गांवों को, जिलों को ध्यान में नहीं रखा तो इससे राजस्थान के लोग पिछड़ जायेंगे। इस मूल सूत्र सिंचाई की ओर को ध्यान में नहीं दिया। उस राजधानी के जिले, जहां कि आप सब लोग विराजते हैं, की ओर आप सब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जयपुर ज़िला तो अपने आप में बहुत पहले से ही खेती के मामले में काफी उन्नतिशील था उसमें इस सिंचाई वाले सूत्र में पहले के मुकाबले में उतनी ही कमी आई है। रियासती काल में जो 2-3 बांध बने थे उनमें सबसे बड़ा जमुआ रामगढ़ बांध था जो आजादी के बाद में सिंचाई के बजाय जयपुर शहर में आप सब मित्रों को, भाइयों को पानी पिलाने के लिये ले लिया गया। कोई बात नहीं, पानी पिलाना खेती से ज्यादा जरूरी है लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि खेती के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हम किसी से जब कुछ भी कोई छोटी सी चीज लेते हैं, तो नियम और कानून भी है, उसको कुछ न कुछ मुआवजा देते हैं। जमुवा रामगढ़ बांध के नीचे तीन तहसीलों जमुवा रामगढ़, बस्सी और दौसा की जमीनें हैं। उनकी हजारों-हजारों एकड़ जमीन ज्यों की त्यों रह गई। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक धेले का काम भी हम लोगों ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त छापरवाड़ा और दूसरा सागर दूदू तहसील के पास है, माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले बनने के बाद आगे उसमें कोई राइज नहीं किया गया है। जब कि यहां के बांधों में काफी मिट्टी भर गई है और उनमें पानी की क्षमता भी कम हो गई है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर जिले में कोई राजस्थान नहर या गंगा-जमुना का पानी कभी सौ साल में आये, यह तो होने की बात नहीं है। इसलिए यहां वर्षा के पानी को रोकने के बारे में मैंने कई बार निवेदन किया। किन्तु और तो और इसके लिए कोई योजना तैयार करने की शुरुआत नहीं की गई है। यह ठीक है कि माननीय मन्त्रीजी ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि जयपुर जिले में बरसाती पानी को रोका जाय। इस सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, मैं चार स्टेज के लिए निवेदन करना चाहूँगा। हम जिस तरह करोड़ों, अरबों की सिंचाई की योजनायें गांवों के लिए बनाते हैं, जयपुर के बरसाती पानी को यथा स्थान रोकने के लिए चार स्टेज पर पानी रोकना पड़ेगा। पहली स्टेज है खेत का पानी खेत पर रहे, खेत का पानी खेत के बाहर न जाय। अगर डेढ़ दो फीट से ज्यादा हो, तो एक पक्का निकासी का छोटा सा मोरा बने, उसके बाद बाहर निकले। क्या आप यह महसूस करते हैं कि किसान अपने स्वयं

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

के सोर्सेज से यह कर सकेगा ? वह चाहता तो है लेकिन कर नहीं सकता । इसलिए उन सिंचाई योजनाओं का एक हिस्सा है, पहली स्टेज पर खेत का पानी खेत में रुके । उसके लिये खेत के चारों ओर मेड़बन्दी होकर एक फीट से अधिक पानी को निकालने के लिये पक्का मौरा बनाया जाय, इसके लिये हमको एक स्कीम तैयार करके पैसा किसानों को देना है । इसके बाद गांव का पानी गांव में रुके । खेत के पानी के बाद अन्य बचे हुये फालतू पानी को रोकने के लिए जहां तक हो सके एनीकट्स बनाने चाहिए । हर गांव के बचे हुये पानी को उसी गांव की रोकने की जगह पर एनीकट्स बना कर हमको पानी को रोकना चाहिये । इसके बाद 10–5 पंचायतों के बचे हुए एनीकट्स का फालतू पानी रोकने के लिए तहसील स्तर का या पंचायत स्तर का या किसी भी तरह मण्डल स्तर का एक एनीकट या जिसे बांध कह सकते हैं बनाया जाय । जहां उस पानी को रोका जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त बचे हुए पानी को जिला स्तर पर हमको रोकना चाहिए । जब तक पानी नहीं रोकेंगे तब तक न तो भूमि क्षरण रुकेगा । काफी कीमती जमीन जयपुर जिले की कट-कट कर चली गयी और नदी नाले बन गये, कुओं के पानी की इतनी अत्यधिक कमी हो गई है कि हर साल फीटों पानी नीचे जा रहा है । अगर वापस कुओं में पानी बढ़ाने का कोई तरीका है तो यही है कि बरसाती पानी को रोका जाना चाहिये ताकि कुओं का जल स्तर ऊंचा हो और किसानों की तरक्की हो ।

मैं 11वें सूत्र, जो बिजली के बारे में है, की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा । जयपुर जिले में कुओं में से पानी निकालने का साधन सिवाय बिजली के और कोई हो नहीं सकता । इसलिये इस जिले का शत प्रतिशत विजलीकरण होना चाहिये । जितने भी कुओं के लिये जहां लोगों ने मांग रख छोड़ी है, बहुत दिनों से फार्म भरे हुये बैठे हैं उनको बिजली देने के खिये खास तौर से इस जिले का शत-प्रतिशत बिजलीकरण होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है ।

गरीबों को योजनाओं के तहत जो पैसा दिया जाता है उसके सम्बन्ध में मेरा इतना सा सुझाव है, लाखों करोड़ों रुपया हमारी सरकार गरीबों की मदद के लिये देती है परन्तु अनुदान वाला नकद पैसा देने में कुछ लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतें रोज मिलती हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो वस्तु के रूप में दो या फिर उस × × × गरीब से ब्याज नहीं लो, जिससे कि पैसा लेते हो । इस रूप में उसको मदद पहुँचायी जानी चाहिये ताकि नकद अनुदान देने में भ्रष्टाचार की शंकाएं हैं और शिकायतें जो मिल रही हैं उसमें रोकथाम जरूर हो, सहकारी समितियों के जरिये भी बहुत लोगों ने × × × गरीबों के नाम निशानी, दस्तखत चेप करके पैसा उठाकर उनके साथ बदमाशी की है । इसकी हमने शिकायतें भी की हैं । इस सम्बन्ध में मेरा

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(82)

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

निवेदन है, जिन्होंने पैसा लिया है एक-एक आदमी की जांच होनी चाहिये कि लोगों ने पैसे भी लिये या नहीं लिये ? कहीं यों ही तो लोगों के नाम नहीं लिख दिये गये हैं। यह भी एक जरूरी मामला है।

जहां तक फसलों का उचित मूल्य दिलाने का किसान का सवाल है यह एक बड़ा अहम प्रश्न है। हमारे इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि मण्डी यार्ड बनाये गये हैं। इससे इसमें सहायता मिलेगी। यह तो अच्छी बात है कि प्रधान और गौण मण्डियां बन रही हैं। परन्तु इससे किसान को उचित मूल्य मिलने में कोई अधिक सहायता नहीं मिल रही है। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि बहुत-सी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के पास गोदाम हैं, नहीं हैं तो उनको गोदाम बनाकर देने चाहिये। हर किसान अपने यहां के गोदाम में, क्रय-विक्रय संघ के गोदाम में अपना माल रखे उस वक्त के भाव के हिसाब से उसको 80 प्रतिशत रुपया एडवांस मिले बाकी आर्डर पर, जब भी भाव ठीक हो तब उसको बेचने का उसको पूरा अधिकार मिले। किसान को तुरन्त रुपया चाहिए बोहरों को चुकाने के लिये या अपनी घर-गृहस्थी में खर्च करने के लिये। वह × × × बाजार में जब सामान लेकर आता है, तो सारे होशियार व्यापारी लोग, माफ कीजिये कुछ व्यापारियों के अग्रज लोग आंखें फाड़ रहे हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि आप सब सच समझिए ये व्यापारी उस गरीब के इस तरह से चिपका बैठा है कि उसकी सारी मेहनत को केवल इस कारण खा जाता है कि उसकी मजबूरी है, उसको उस टाइम पर बेचना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए क्रय विक्रय संघों के जरिए हमको 80 प्रतिशत रुपया उनको दिलाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वह जब चाहे, जब भाव ठीक हो, तब बेचने की बात करे। यह मेरा आपसे सुझाव है।

मण्डी कमेटियों की ओर से जो सड़कें स्वीकृत की गई हैं काफी दिनों से उनके बनने में ढिलाई है। मैं बिना नाम बताए यह निवेदन करना चाहूंगा यह कोई अच्छी बात नहीं है। एक बार शुरूआत करने के बाद, ठेके देने के बाद, कार्य-क्रम शुरू करने के बाद यदि किन्हीं कारणों से सड़कें बन्द होती हैं, तो गांव वालों पर उसका बुरा असर होता है। इसलिए इन सड़कों को जल्दी पूरी कराई जानी चाहिए।

जहां तक आपकी श्वेत क्रांति का सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इस ओर भी पूरा ध्यान दिया है। मौजूदा सरकार ने श्वेत क्रान्ति की ओर काफी ध्यान दिया है। परन्तु इसमें भी मेरा यह निवेदन है कि दूध के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में बहुत बड़ा अन्तर है। साधारण तौर पर गांव में जो डेयरी द्वारा दूध खरीदा जाता है उसकी औसत अगर हम 6 फेट पाइन्ट, 7 फेट पाइन्ट की भी लगा लें तो उसको वहां ढाई रुपए किलो से अधिक नहीं मिलता। 6 और 7 फेट पाइन्ट वाले

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दूध का उत्पादक को तो मिलता है ढाई रुपया किलो और यहां डेयरी में लाने के बाद उसको सरकारी नीति के अनुसार 4 प्रतिशत फेट पाइन्ट का रखा जाता है और उस 4 फेट पाइन्ट का दूध भी लोगों को तीन, साढे तीन और चार रुपये किलो मिलता है। यानि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के अन्तर को हमको कम करना चाहिये। सबसे पहली बात तो यह है, श्वेत क्रान्ति को सफल करने के लिये जिस गरीब आदमी ने भैंस, गाय खरीदी है जो महंगे भाव का दाना-चारा खिलाता है उसको तो पूरे दाम देने चाहिये। बाजार में लोगों को जो जिस भाव पर दूध मिलता है उसका न्यूनतम 80 प्रतिशत पैसा तो कम से कम उत्पादक को जरूर मिलना चाहिये। यदि बाजार में चार रुपये किलो दूध का भाव है तो उसको तीन, सवा तीन, साढ़े तीन रुपये जरूर मिलने चाहिये। इस ओर ध्यान दिये बिना आप श्वेत क्रान्ति को तेजी से आगे नहीं बढ़ा पायेंगे।

हाथ करघे का जो कार्यक्रम हम ने हाथ में लिया है उसमे गांव में कई बुनकरों को बड़ी सहायता मिली है। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। आज के जमाने में यह विद्युत चालित करघे भी हमको गांवों में देने चाहिये। अभी कुछ कस्बों तक ही सीमित हैं। विद्युत चालित करघे गांवों में लोग व्यक्तिशः मांगते हैं। उनको अलाट करने चाहिये। अगर कोआपरेटिव सोसायटीज इसके जरिये काम खोलना चाहतीं हैं, तो उस जरिये से हम को इस कार्यक्रम को आगे हाथ में लेना चाहिये।

जहां तक खनिजों का सवाल है, हमने कई अच्छे-अच्छे खनिजों का दोहन किया है। मैंने यह जानकारी दी है कि कई जगह वन विभाग के दायरे के अन्दर कई अच्छे-अच्छे खनिज हैं परन्तु वन विभाग की जमीन वापस निकालने में बड़ी दिक्कतें हैं। यह बात तो ठीक है कि वन संरक्षण कार्यक्रम हमको तेजी से आगे बढ़ाने हैं। परन्तु जहां पेड़ कम हों, जहां कीमती खनिज हों उनको वन विभाग से निकालने में, मैं समझता हूँ, हमारे देश की समृद्धि की दृष्टि से देरी नहीं होनी चाहिये। खनिज डिपार्टमेन्ट को ऐसी एक रिपोर्ट जल्दी तैयार कर के उन खनिजों को निकालने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिये।

खनन रोड के बारे में भी हम बहुत पीछे हैं। जमुवा-रामगढ़ में काफी खानें हैं वहाँ सारी उम्र में केवल एक सड़क बस्सी घाटी से नायला तक बनाने के लिए सरकार ने तय किया, वह भी, केवल बूज तक बन पाई। आधी सड़क बनी हुई पड़ी है। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार मैं समझता हूँ दूसरी जगह भी कहीं हो सकती है। दूसरे इलाकों में मेरा सुझाव है कि खनिजों को यथा स्थान पर पहुँचाने के लिये खनन इलाकों में सड़कों का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिये।

विकेन्द्रीकरण करने में हमने कई अच्छे कार्य किये हैं जिनमें पंचायतों का कार्यक्रम भी एक है। परन्तु पंचायतों के छोटे छोटे मामलों में निर्णय लेकर इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना है। यद्यपि मौजूदा सरकार ने कई अच्छे अधिकार पंचायतों को दिये हैं और दूसरे अधिकार देने का

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

इरादा रखती है, इसके लिये तो मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ परन्तु सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि जब तक एक पंचायत को एक सचिव देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक पंचायत पंगु रहेंगी। उनके कार्यक्रम नाम के लिये ही हैं। ताले बंद पड़े रहते हैं। एक सचिव तीन-तीन पंचायत में लगे रहते हैं। वह तीनों जगह नहीं जा कर फर्जी इधर-उधर की बहानेबाजी करते हैं। पंचायतों के काम को लंगड़ा करने में केवल सचिवों की कमी है। इसमें अधिक पैसा भी नहीं लगेगा। एक-एक सचिव देने की व्यवस्था हमको जरूर करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रधान, प्रमुख और मन्त्री जी के जिम्मे कोई रुपये का सीधा ही लेन-देन का झंझट नहीं है तो सरपंच को अभी तक आपने इससे मुक्त क्यों नहीं किया है। सचिव सरकारी है। पैसे के लेन-देन का काम उसके हाथ में होना चाहिये। सरपंचों के ऊपर यह पैसे के लेन-देन की जिम्मेदारी की वजह से कई तरह के मुकदमे और झंझट उन पर चलते हैं। बदमाशों को घपला करने का मौका मिलता है और शरीफ आदमी के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है। मेरा निवेदन है कि सचिव के द्वारा ही पैसे के लेन-देन की व्यवस्था होनी चाहिये और सरपंच से इसको हटाना चाहिये।

जहाँ तक न्याय समिति का सवाल है मेरे ख्याल से उसमें सरपंच जी तो हैं ही, उसमें चार व्यक्ति और रखे गये हैं परन्तु वह प्रभावी कार्यक्रम नहीं है। जैसे पहले हमने पंचायतों को, पूरी पंचायत के दीवानी और फौजदारी अधिकार भी दिये हुए थे, केवल इस सिद्धान्त से इसको अलग करने की कोशिश की है कि न्याय और प्रशासन अलग होने चाहिये। सिद्धान्ततः यह ठीक है परन्तु व्यवहार में आपने क्या देखा ? सरपंच और उसके साथ चार आदमी जोड़े हैं, उनमें एक महिला होगी, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा, तो प्रभावी सरपंच ही होगा × × × महिला सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य बिना पढ़े लिखे होंगे तो न्याय व्यवस्था में वे अपना कोई कन्ट्रीब्यूशन दे नहीं सकेंगे, वे न्याय के मामले में कोई सुझाव नहीं दे पायेंगे और उसमें सरपंच की अधिक मनमानी चलेगी। बजाय इसके यह ठीक रहता कि 10-8 पंचों की पूरी पंचायत होती है पूर्व में जैसे अधिकार थे दीवानी और फौजदारी के, वापस उसी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि गाँवों में हम इस न्याय व्यवस्था को अच्छा रूप दे सकें।

पेयजल का जहाँ तक सवाल है, इसके बारे में सिद्धान्ततः मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो टी. एस. एस. की योजना है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जयपुर जिले और अन्य जिलों में लाई गई है, यह बिलकुल फेल शुदा है उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। या तो महरबानी करके इन गाँवों में टी. एस. एस. के बजाय आप टंकी की योजना, बड़ी योजना बनावें। यदि किसी कारण से

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

नहीं बना सकते हैं, तो आप हैण्ड पम्प ही दीजिये। पूर्वी राजस्थान में ऐसी गुंजाइश नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की तरह कि एक जगह कहीं मोटर से पानी निकाल दें और मीलों से लोग आकर पानी ले जावें; यहां ऐसी स्थिति नहीं है। टी. एस. एस. की योजना के बजाय या तो टैंक की योजना में, नहीं तो हैण्ड पम्प की योजना में इनको कन्वर्ट करना चाहिये बहुत से गांवों से ढाई-ढाई हजार रुपये दस-बारह साल पहले कन्ट्रीब्यूशन के लिये गये थे। उन में आज तक हमने काम नहीं किया है। कुछ गांवों जैसे भामोद के लिये तो यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा गांव तो उस लिस्ट में देखा तो मालूम पड़ा कि समस्याग्रस्त ही नहीं है। बहुत से गांवों को सर्वे की कमी और गलती से समस्याग्रस्त होते हुए भी समस्याग्रस्त नहीं माना गया। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि दुबारा सर्वे होना चाहिये उन गांवों का जो समस्याग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं, जिनमें वास्तव में समस्या है, उनको समस्याग्रस्त घोषित करके उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था हमको करनी चाहिये।

इस मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ काम अच्छे किये हैं। डिस्पेन्सरियां खोली हैं। हमारे पिछड़े इलाके में, रायसर में एक डिस्पेन्सरी खोली है। इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। कुछ सब सेन्टर खोले हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस तरह हमने स्कूलों का निर्णय लिया है साहस करके कि 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल देंगे उसी प्रकार हमें स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ तय करना चाहिये कि हम 25 हजार की आबादी पर एक मेडिकल डिस्पेन्सरी देंगे, पांच हजार की आबादी पर एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी देंगे। जिन इलाकों के अन्दर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की अत्यधिक कमी है, उनकी ओर ज्यादा ध्यान देकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है।

मैं आयुर्वेद के सम्बन्ध में आयुर्वेद मन्त्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि उन्होंने 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोल कर तो राजस्थान के गरीब गांवों की अच्छी सेवा का काम किया है, परन्तु गत दो साल से लगातार औषधियों की व्यवस्था बिलकुल न कर इस नौकरशाही ने कानूनी जाल में फंसा दिया है। जिस नौकरशाही का मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लगातार दो साल से आयुर्वेद दवाखानों का दवाइयों का बजट लैप्स होता है महज इस नौकरशाही के आपसी झमेले के कारण। कहते हैं, इस तरह का यह कायदा नहीं है। अरे भाई, कोई कायदा सही, बीमार को तो आप दवाई लाकर दो। इसके लिये मैं आयुर्वेद मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक आयुर्वेदिक औषधियों का निगम स्थापित करें ताकि वह तुरन्त निर्णय ले और लोगों तक दवाई पहुंचाने का और शुद्ध दवाई बनाने का काम करे। मेरी यहां तक मान्यता है, आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखे हुए तरीके से हम शुद्ध औषधि का निर्माण करना शुरू कर दें तो मेडिकल की ऐसी सब औषधियां लेना लोग छोड़ देंगे जिसके लेते ही कई प्रकार के रि-एक्शन और कई प्रकार की बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। केवल सर्जरी के लिए लोग मेडिकल व्यवस्था को पसन्द करेंगे।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

यदि हमने आयुर्वेदिक औषधियां बनाने की अपनी खुद की तैयारी बतायी और शुद्ध औषधियां जनता को दे सके, तो मेरा विश्वास है कि यह दवाइयां आपकी सारी बीमारियों को दूर करके लोकप्रियता हासिल करेगी। दुनियां के कई देश भारत की तरफ निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। यहां कई डेलीगेशन आते हैं। वे कहते हैं हम भारत के आयुर्वेद से कुछ ले जाना चाहते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों ने क्रान्ति मचायी है आपकी स्वास्थ्य सेवाओं में। यह मेडिकल व्यवस्था सर्जरी सबसे पहले श्रुत ऋषि के जरिये चली है। सर्जन कुछ नहीं हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत समय के हिसाब से परिवर्तन किया है। नहीं तो हजारों साल पहले हिन्दुस्तान में –श्रुत ऋषि ने एक बहुत बड़ा ग्रन्थ सर्जरी के बारे में लिखा था। ठीक उसी आधार पर आज की यह सर्जरी चल रही है। इसी प्रकार जो चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी थी उसके बड़े ऊंचे परिणाम आये थे, आ रहे हैं और आ सकते हैं बशर्ते की शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां बनाने का सरकार जिम्मा अपने हाथ में ले और इस देश को, दुनियां को मार्गदर्शन दे। आयुर्वेद के जरिये गरीबों की कितनी बड़ी सेवा हम कर सकते हैं।

स्कूलों के अन्दर, अध्यापकों की कमी माननीय सभापति महोदय, बड़ी शोचनीय है। हम स्कूल्स खोलते हैं, अच्छी बात है। हमारी सरकार ने लगभग 18;000 प्राइमरी स्कूल्स, लगभग 600 मिडल स्कूल्स खोले हैं। इसके लिये बार-बार साधुवाद। हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। अध्यापकों की कमी हम मानते हैं। उसके बाद भी हम इस ओर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि स्कूल खोलने के पहले प्राथमिकता हमको अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये देनी चाहिये। खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापकों की कमी है उससे देश की शिक्षा की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। माननीय सभापति, मैं खुद भी शिक्षक रहा हूं। मुझे इस बात का ज्ञान है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा आता है, वह इस भावना को लेकर आता है कि मैं कुछ पढ़ूंगा, सीखूंगा मगर 70/80 नहीं 100-100 लड़कों पर एक अध्यापक बैठा रहता है और वह भेड़-बकरियों की तरह भी इन पर कन्ट्रोल नहीं कर पाता है। एक बच्चे को कलम पकड़ा कर क, ख, ग सीखाना उसके बूते के बाहर की बात है। नतीजा यह है कि हम बिना परीक्षा लिये लड़कों को पास करते जा रहे हैं। मैट्रिक और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं, आप जानते हैं उनका क्यों रिजल्ट गिरता जा रहा है। आज आपका बी. ए. पास शुदा लड़का शुद्ध दरख्वास्त नहीं लिख सकता। इसका कारण क्या है ? करोड़ों रुपया 260 करोड़ रुपया राजस्थान के खजाने का हम शिक्षा विभाग पर खर्च कर रहे हैं। हमने इस ओर ध्यान कम दिया कि अध्यापकों की कमी को दूर करें। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी को इस मसले को टेक करना चाहिये। आयन्दा बजट में इसका वह ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

जहां तक जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम है इसमें गांवों के कुछ हिस्सों को आपने आत्मसात तो किया है परन्तु गांवों

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

के विकास के लिये एक धेला भी नहीं रखा है। इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी का जब ध्यान आकर्षित किया गया, तो उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि जिन गांवों को जयपुर विकास प्राधिकरण में जोड़ा गया है, उनके विकास के लिए इसी बजट में कुछ पैसा दिया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि गांवों के विकास के लिये भी कुछ काम होगा। हुड़को योजना से हम गरीबों को 3-3 हजार रुपये देते हैं उसमें एक खामी मुझे बहुत खटकती है। माननीय सभापतिजी, आप देखेंगे कि डवलपमेंट डिपार्टमेंट के नौकरशाहों ने एक परिपत्र जारी किया है उसके जरिये यह कहा गया है कि तीन हजार रुपये का जो ऋण देते हैं, गरीबों को मकान बनाने के लिये उसमें से 100 रुपये प्रबन्ध चार्जेज के पंचायत समिति वसूल कर सकती है। बड़े अफसोस की बात है. केन्द्र सरकार ने हुड़को योजना के तहत तो गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया है, उस केन्द्रीय योजना की व्यवस्था करना हमारी प्रान्तीय सरकार और हमारे पंचायत विभाग का काम है, पंचायत समिति चलाना उन गरीबों के ऊपर नहीं है जिन्होंने तीन हजार रुपये का कर्जा लिया है। मैंने इसके लिये भी मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने इसकी जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। मैं इस सदन के जरिये भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस गरीब से प्रशासनिक खर्चे के तौर पर तीन हजार रुपये में से 100 रुपये काटना कतई अन्याय है। यह तो उसी प्रकार से है जैसे बोहराजी पहले अपना काटा काट लेते थे, पर्सेन्टेज के हिसाब से, यह काटा काटना हमारे लिए शोभा की बात नहीं है, इसको हमको तुरन्त ठीक करना चाहिये।

जहां तक आदिवासी बहुल क्षेत्रों में माडा योजना का कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में जो सूची बनाई है उसके लिए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस सूची में काफी संशोधन करने की जरूरत है। नियम यह बना हुआ है कि गांव में मीणों के, आदिवासियों के परिवार 50 प्रतिशत से ज्यादा हों वह माडा योजना में शामिल किया जायगा। इसके लिए मैंने कई बार ध्यान आकर्षित किया है ऐसे गांव, जहां 79-80 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, को भी माडा योजना में सर्वे की भूल से रख दिया गया है। ऐसे कुछ गांव भी आ गये हैं जहां मीणों के, आदिवासियों के बिलकुल भी दर्शन नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी माडा योजना में शामिल किया गया है। मेरा सुझाव है कि दुबारा सर्वे करके उस कमी-खामी को दूर किया जाना चाहिए। जो खास तौर से आदिवासियों का इलाका है उसमें सम्पर्क सड़कें और एनीकट्स बनाना बहुत जरूरी है। सम्पर्क सड़कों के बिना ये पहाड़, नदी-नाले के इलाके कटे रहते हैं। इसलिए माडा योजना में आवश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि जो माडा योजना का गांव है वह सड़क से जरूर जोड़ा जायेगा, कुओं में पानी की कमी है वहां एनीकट्स भी जरूर बनाए जायेंगे। ये दो बातें माडा योजना में विशेष तौर से शामिल करनी चाहिए। यद्यपि एनीकट्स का काम शुरू हुआ है, हमारे इलाके में भी माडा योजना के छः एनीकट्स का काम मौजूदा चालू है परन्तु और तेजी से इसकी संख्या को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है।

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

जहां तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम का काम है, जमुवारामगढ़ में भी एक पर्यटन विलेज बनाया गया है इसके लिए तो मौजूदा सरकार को खूब-खूब धन्यवाद दूंगा। परन्तु उसमें कई कमी-खामी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यटन विकास निगम ने एशियाड के टाइम पर एक कमरा, जो गेस्ट हाउस का था, लिया था डेढ़ दो साल निकल जाने पर भी उस कमरे को नहीं छोड़ रहा है कई बार लिखने के बावजूद भी। माननीय सभापति महोदय, हर जगह तो कुछ न कुछ तरक्की हुई है, जमुवारामगढ़ में रियासती काल के बन्धे पर जो गेस्ट हाउस 4 कमरे का बना हुआ है उसमें भी उल्टी कमी इस कार्पोरेशन ने एक कमरे पर नाजायज कब्जा करके कर दी है। मनमर्जी से उसको खाली नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन है कि सुविधायें उल्टी बढ़ाई जानी चाहिए। वहां पर नया गेस्ट हाउस बनाना चाहिए और उस कमरे को तुरन्त खाली कराना चाहिए।

जहां तक अभयारण्य के स्थापित करने का सवाल है, जमुवारामगढ़ में और मेरे ही क्षेत्र के कानरवाड़ा बांध पर पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है यह बहुत अच्छा काम है, परन्तु इसके स्थानीय अधिकारी, खास तौर से वनविभाग के अधिकारी शिकारियों से मिलकर नाजायज शिकार करवाते हैं। मैंने वन मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसे ××× के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जो सरकारी अधिकारी होते हुए भी शिकारियों से मिलकर वहां अभयारण्य में शिकार करवाते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, ××× शब्द कह रहे हैं इसको एक्सपंज किया जाय। माननीय सदस्य बार-बार ××× शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ××× शब्द दो-तीन बार आप कह चुके हैं....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : ××× शब्द बुरा लगता है, तो इसका कोई हिन्दी शब्द बता दीजिये वह मैं बोल दूंगा। मेरी मंशा यह है कि जो बदमाशी करते हैं वह ××× होंगे। आप उनकी तरफदारी क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : थोड़ा पार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। समय का ध्यान रखें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मेरा कहना यह है कि जिस तरह से डेजर्ट डवलपमेंट में 11 जिले रखे हैं वह बहुत अच्छी बात है क्योंकि राजस्थान के डेजर्ट को रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ट्राइबल

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

डवलपमेंट आथोरिटी के अन्दर हमने ट्राइबल इलाकों को लिया है ठीक उसी तरह से जो इलाके किन्हीं कारणों से, कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ भौगोलिक कारणों से और कुछ अन्य अनदेखे कारणों से रह गए हैं उनके लिए भी अलग से आथोरिटी कायम करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, जयपुर जिले के लिये, जयपुर जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सभापति जी, राजस्थान की 1/10 जनसंख्या इस जयपुर जिले में निवास करती है। तो, हम व्यक्तियों की मदद नहीं कर रहे हैं हम व्यक्तियों के लिए सारी योजनायें बनाते रहे हैं तो राजस्थान के बजट का हमको 1/10 हिस्सा जयपुर जिले के विकास के लिए मिलना चाहिए। आप देखेंगे, जिस तरह से मौजूदा वितरण होता है, उससे अभी 1/26 हिस्सा भी नहीं मिल पाता है। मुझे यह भी शिकायत है कि राजस्थान में जितना पैसा जनता से आम करों से वसूल होता है उसका 1/6 अकेले जयपुर जिले से वसूल होता है। 1/6 हिस्से का आपके खजाने में योगदान करने वाले जयपुर जिले के लिए वापस आप क्या देते हैं? यह एक विचारणीय विषय है। वित्त मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इन दो बातों की ओर ध्यान दें कि जयपुर जिले में राजस्थान की 1/10 जनसंख्या है, जयपुर जिला राजस्थान के खजाने में पूरी रकम का 1/6 हिस्सा अदा करता है तो उसको उसके हिसाब से जयपुर के विकास कार्यों में पैसा मिलना चाहिए। यह मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ।

जहां तक पुलिस सुविधाओं का प्रश्न है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, अब बस मैं एक मिनट में ही समाप्त करता हूँ। आपको दुबारा घण्टी नहीं बजाने दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो सड़कों पर यू पी., दिल्ली और अन्य बाहर के लोग आकर के, फिर माननीय सदस्य नाराज होंगे, कुछ × × × आकर के डाकेजनी, चोरी और लूटें करते हैं, इसमें फिलहाल रोकथाम हुई है। इसके लिये यह तय किया गया है कि सड़कों पर जितने थाने हैं आगरा रोड, अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर उन थानों पर तुरन्त ही जीप और टेलीफोन की व्यवस्था की जाय। मैं यह भी इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि शहर के नजदीक खास-खास थाने हैं वहां पर जीप की व्यवस्था भी होना भी बहुत जरूरी है। जमुवारामगढ़ थाने पर भी जीप की व्यवस्था होनी चाहिए। चंदवाजी थाना, जिसने अधिकांश ऐसे लोगों को पकड़ने में अच्छा काम किया है, पर भी टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अपराधियों को पकड़ने में कुछ मदद मिल सके।

मैं पुलिस के उन छोटे कर्मियों, उन बेचारों, जो सिपाही और हैड कांस्टेबल हैं की दयनीय स्थिति की ओर भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आफिसर्स रैंक के

(90)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वेतन और भत्ते क्या है और क्या नहीं हैं, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उन गरीब कर्मचारियों की क्या स्थिति है? एक तो उनकी संख्या भी बहुत कम है। एक थाने के अन्दर 10–15 सिपाही होते हैं, 2–3 सम्मनबाजी में और 2–3–4 और कहीं ड्यूटी पर चले जाते हैं पीछे थाने में कोई नहीं रह पाते हैं। इसलिए पुलिस को सक्षम बनने के लिए जहां जीप और टेलीफोन की जरूरत मैंने बताई है, ठीक उसी प्रकार पुलिस बल में संख्या वृद्धि भी बहुत जरूरी है। साथ ही जो पुराने जमाने से चली आ रही है चौकियां, उनको थाना बनाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से और अपराधों की वृद्धि के हिसाब से हमको क्षेत्र के अनुसार बल की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

इतना ही निवेदन करते हुये आपसे पूर्व में जो मैंने बात शुरू की थी पुनः उसी बात पर आना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने प्रान्त के विकास के लिये काफी कुछ अच्छा काम किया है, उन सब अच्छे कामों की हम सब लोगों को तारीफ करनी चाहिये। उसमें जो कमी खामियां रही हैं जो नीति से सम्बन्धित हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सरकार की भी आलोचना करें तो कोई बुरी बात नहीं है परन्तु अधिकांश कमी-खामी, जो आप माननीय सदस्य भी कहते हैं, जो रही है वह नीतियों की कमियां नहीं हैं बल्कि इनके क्रियान्विति में आई हुई गड़बड़ियां हैं। वह नौकरशाही के जरिये से आती है उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। हम सब प्रजातंत्र के प्रेमियों को नौकरशाही के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। मेरा नौकरशाही या नौकरों से मतलब है, आपके और मेरे लड़के या काका-भतीजे ही नौकर हैं कोई बाहर के आदमी नहीं हैं पर यह तरीका गलत है जिसमें अच्छा आदमी भी जाकर के वापस गड़बड़ का गड़बड़ हो जाता है। अंग्रेजों और राजाओं के जमाने से जो प्रशासन की व्यवस्था चली आ रही है उसमें आमूल-चूल सैद्धान्तिक परिवर्तन हमको करना चाहिये ताकि नौकर अपने आप को नौकर समझें। माननीय सभापति जी, आप मुझे बताइये कि कौन सा ऐसा नौकर है जो गरीब जनता, जो इस देश की मालिक है, को अपना मालिक समझता है। आज भी राजाओं के जमाने की तरह और अंग्रेजों के जमाने की तरह अपने आपको मालिक और गरीब आदमी को लल्लू-पंजू समझने की आदत नौकरशाही के लोगों ने छोड़ी नहीं है। इसलिये गंभीरता से आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिये और इस देश के विकास के लिये हम सब को अपना सहयोग देना चाहिये।

इतनी बात कहते हुये मेरा निवेदन है, यदि मैंने कोई गलत बात कह दी हो, तो उसके लिये क्षमा करें। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

जय हिन्द। धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सदस्यों पर आक्षेप

श्री सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट ग्राफ आर्डर।

श्री सभापति : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम 256 के अन्तर्गत।

श्री सभापति : नियम पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय सदस्य ने जब अपना भाषण प्रारम्भ किया था....

श्री सभापति : नियम पढ़िये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फंस गये × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा : फंस क्या गये ?

श्री सभापति : नियम पढ़ें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिये।

श्री सभापति : सदन की और मेरी दोनों की जानकारी के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सदन को तो जानकारी है।

श्री सभापति : नहीं है। पाइन्ट आफ ऑर्डर मेरे और आपके बीच नहीं है सदन की प्रोपर्टी बन गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन सदन को तो जानकारी है।

श्री सभापति : बहुत समय ले रहे हैं। जल्दी से पढ़ दें।

माननीय सदस्य श्री तिवाड़ी जी। मैं समझता हूँ कि कोई पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे नहीं है ?

श्री सभापति : तो पढ़ो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो पढ़ रहा हूँ। नियम 295—

Raising a matter which is not a point of order—A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing....

यह नहीं है।

श्री सभापति : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन की भाषा हिन्दी है, राजभाषा भी हिन्दी है तो आप....

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम 294

"**औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय**

(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।"

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा क्यों नहीं है ?

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : यह अंग्रेजी से भी मुश्किल है ।

श्री सभापति : अब बतायें क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो शुरू में एक बात कही कि जो माननीय सदस्य यहां पर आते हैं वह, दो बातों के लिये सदन में बैठते हैं—एक तो शोक संदेश आता है तब और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह तो बोल चुके हैं। उनका तो भाषण भी समाप्त हो गया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मैं बीच में बोलना उचित नहीं समझता था इसलिये ।

श्री सभापति : अगर आपको आपत्ति थी तो उस समय कहते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या अब नहीं कह सकता ? यह हम सब की बात है ।

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है, 40 मिनट पुरानी बात है ।

माननीय श्री देवदत्त तिवाड़ी, आप बोलें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय यह सारे सदन के लिये शर्म की बात है। माननीय सदस्य ने सदन के सारे सदस्यों के लिये कहा कि 51 रुपये के लिये यहां आते हैं । ऐसी अपमानजनक और आपत्तिजनक बात कही है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने सारे सदन पर आरोप लगाया है ।

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप भाषण जारी रखें ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या प्रश्न था ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : किसी की दुखती रग पर हाथ रखो तो वह चिल्लाता है ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सहमत हैं क्या ?

श्री देवदत्त तिवाड़ी : नहीं हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही बात तो है । कोई भी सहमत नहीं है, केवल भारद्वाज जी को छोड़कर ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री देवदत्त तिवाड़ी : सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, जिसके सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन किया गया उसके सम्बन्ध में मैं अपनी राय प्रकट करना चाहता हूं ।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

सभापति महोदय जहां तक मेरे विचारों का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूँ कि राजस्थान में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिये। प्रगति की है इस पर सन्तोष जरूर होना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि अभिभाषण जो यहां पर दिया गया उसके विषय में यह आपत्ति उठायी गयी कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया वह समय से पूर्व दिया। इस कारण से सदस्य सदन के अन्दर नहीं आ सके। मैं समझता हूं....

एक माननीय सदस्य : वह तो डिसाइड हो गया।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : डिसाइड हो गया वह तो मैंने सुन लिया। अब मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ कृपया उसको भी आप सुन लें।

मेरा निवेदन यह है कि उनका ऐसा कहना भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीति के अनुकूल नहीं था। वह उस प्रकार नहीं था जिसको कि वह भी मानते हैं। जब उन्होंने बायकाट किया था उस समय इस बात को स्पष्ट स्वीकार करना चाहिये था कि बायकाट किया है और इस कारण से किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और अब इस प्रकार की बात की जाती है कि अभिभाषण समय से पहले चालू हो गया इसलिये सदन में नहीं रुके। इसको मैं पाखण्ड मानता हूँ। यह पाखण्ड की बात है। मैं इस बात को बड़े दायरे में कहना चाहता हूँ कि जहां तक इनकी पार्टी या दल की बात है बड़े दायरे में सभी जगह कहीं न कहीं पाखण्ड इनकी बातों में छिपा रहता है। इसी का विरोध है दूसरी और किसी बात का विरोध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इसको सही तरीके से देखें, निष्पक्षता के साथ देखें तो इस अभिभाषण में कुछ जगह आंकड़े सही नहीं दिखाये गये हैं। वैसे कुल मिलाकर यह तो स्पष्ट है कि जितना पहले आगे बढ़े हुए थे उससे दो कदम और आगे बढ़े हैं, दो कदम आगे बढ़े हैं। किसी जगह कोई लक्ष्य दो गुना आगे बढ़ गया है तो मैं समझता हूं कि यह भी अच्छा नहीं है। दो गुना आगे बढ़ गये हैं इसको मान भी लें, तो इसका यह भी स्पष्ट दूसरा मतलब निकलता है, हो जाता है कि अन्य लक्ष्यों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया है और किसी एक लक्ष्य के ही पीछे पड़े रहे। आपको दूसरे लक्ष्यों की भी क्रियान्विति करने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर आपने सारी पावर अन्य दूसरे लक्ष्यों की ओर लगा दी होती तो सम्भवतः और लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते थे या उस ओर जा सकते थे। इसलिये मेरा इस बात की तरफ इंगित करना है कि जितने लक्ष्य हैं सब पर पर्याप्त दृष्टि रखनी चाहिये और पर्याप्त तरीके से सब की ओर आगे बढ़ना चाहिये। आज जो आगे बढ़े हैं उसके लिये आपको अवश्य साधुवाद है।

अब मैं मेरे जिले के दृष्टिकोण से दो-चार बातें निवेदन करना चाहूँगा। मैं बहुत लम्बा भाषण करना उचित नहीं समझता हूँ, जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको दोहराना उचित नहीं लगता है। मैं यह निवेदन

(३५)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

करना चाहूंगा कि हमारे जिले में पिछले तीन-चार साल से, बल्कि पांच साल से लगातार अकाल पड़ता चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में जो सहायता राज्य सरकार ने वहां पर की है उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। कोई भी कदम जो उठाया जा सकता था, वह नहीं उठाया गया हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ा गया है। इससे हमारी जनता को भी सन्तोष है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक तो ये बैठे हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : इतने प्रयास पिछली दफा किये गये लेकिन हमारे जिले में 116 गांव अकाल से पीड़ित हैं उन गांवों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। कहा यह जाता है कि राजनैतिक भावना से हम लोग कह रहे हैं जबकि हमारी इसमें राजनैतिक भावना कुछ नहीं है।

हम यह कहते हैं कि स्पष्ट तरीके से इस बात की जांच कर ली जाय कि 116 गांव अकाल पीड़ित हैं या नहीं। और यदि हैं तो उन्हें अकाल राहत दिलाने की कोशिश की जाय। अकाल की जब घोषणा हो जाती है तब केवल भू-राजस्व ही वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता, और भी बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिससे कि वह जिला और वह गांव बच जाता है। इसीलिये हमें यह चाहिये कि हम उन गांवों की ओर भी देखें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वह अकालग्रस्त घोषित होने से रह जायें। हमने यह नियम बना रखा है कि एक गांव के अन्दर 51% से ज्यादा अगर खेत खराब हो जायेंगे तो फसल खराब मानी जायेगी। तो फिर क्या कारण है कि कलेक्टर ने जो रिपोर्ट उन गांवों के बारे में की है जो वहां से कहा गया है उसको हम न मानें? इसलिये उन्हें फेमिन ग्रस्त तुरन्त मान कर डिक्लेयर करना चाहिये। एक प्रश्न यह भी उठता है कि फेमिन में कई गांवों के अन्दर जल पहुँचाया गया था क्योंकि उनके आस-पास में कहीं जल नहीं था, जलाशय सब सूख गये थे, कुओं के अन्दर भी इतना पानी नहीं था कि जिससे उनको पानी पहुँचाया जा सकता था। सरकार ने बड़ी कृपा करके उन गांवों में पानी पहुँचाया लेकिन गांवों की अभी भी हालत सुधरी नहीं है। इस बात की जांच करली जाय, वहां अभी भी पानी का कोई स्थाई जरिया नहीं है जिससे कि वे पानी प्राप्त कर सकें। पानी वहां खारा भी है। इसलिये जहां-जहां सरकार ने पिछली दफा टैंकरों से पानी पहुँचाया था वहां अभी भी टैंकर से पानी पहुँचाया जाय तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। अब रहता है, जब सरकार पानी सप्लाई करती है, पानी सप्लाई करने के लिये भी हम सरकार का बहुत स्वागत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे यहां जितने भी साधन लगाये जा सकते थे, लगाये और बहुत अच्छे तरीके से पानी उन गांवों में भी पहुँचाया जहां कि पानी पहले पहुँचा नहीं था। उसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा संतोष है।

(3.03 म. प.)

(श्री हरिसिंह, कुम्हेर, सभापति, पदासीन)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

अब एक कठिनाई रह जाती है, जो कि केन्द्र के द्वारा सम्भवत: ठीक की जा सकती है। वह यह है कि हमारे यहां गांव के जो पाश्चर हैं, गांव की जो बनावट है उस बनावट के ऊपर ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे यहां एक-एक गांव 50-60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो कुछ वर्ग कि मी. में नहीं हो। जब शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा तब भी इसी बात को कहूंगा कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो कि छोटी सी जगह में हो, सब विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसीलिये उनकी समस्या को दूसरों की समस्या से नहीं मिलाना चाहिये। जहां 500 की आबादी हो, वहां पर कम से कम पानी जरूर पहुँचाना चाहिये, कनेक्शन देना चाहिये। यह पेयजल की समस्या जहां-जहां है वहां-वहां इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात को आप भी मान चुके हैं और इसको कार्यान्वित भी किया है।

दूसरा यह है कि हमारे यहां जानवरों का बड़ा बाहुल्य है। बहुत से आदमी तो ऐसे हैं कि जो जानवरों के ऊपर ही जीते हैं। उन जानवरों को जो पानी पिलाया जायेगा वह उस गणना, जो कि मनुष्य की गणना के ऊपर पानी देते हैं, में शामिल नहीं किया। इसलिये सभापति महोदय, आप मुझे माफ करेंगे जब पानी लोगों को पीने को मिलने लग जाता है तो फिर वे अपने स्वयं के साधनों को ठुकरा कर एक तरफ रख देते हैं, फिर कोई साधन उनके पास ऐसा नहीं रहता है जिससे कि पीने के लिये वे पानी प्राप्त कर सकें। फिर वह अपने जानवरों को पानी कहां से पिलायेंगे। इस सम्बन्ध में आपसे मेरा इतना ही कहना है कि जो कुछ भी पानी की फैसेलिटी हमारे यहां उपलब्ध कराई है, वह आप ऐसी कर दें कि वह निरन्तर बनी रहे, वहां बराबर पानी की सप्लाई बनी रहे। आप कृपा कर इस तरह का कोई प्रबन्ध करायें, अन्यथा वह बेकार हो जायेगी।

(3.05 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक गांव है, एक टाउन है, अब आप कृपया इस बात का अनुमान कीजिये कि उस जगह पिछली दफा 10-12-15 दिन के लिये पानी बन्द हो गया। जहां गांव में पीने के लिये पानी प्राप्त करने का कोई साधन ही नहीं है, जहां लोगों के टांके भी इतने बड़े नहीं हैं कि 15-20 दिन सारे गाव को पानी पिला दें तो वह गांव कैसे पानी प्राप्त कर सकेगा, और पानी कहां से लायेगा ? एक-एक बूंद पानी के लिये सारा गांव तरस गया। मैं निवेदन करता हूं कि जहां आपने वाटर सप्लाई कर रखी है उसको आप किसी भी प्रकार से निरन्तर चालू रख सकें तो ज्यादा अच्छा है। पहले सरकार ने यह प्रयास भी किया था, उसके लिये हम बहुत अनुगृहीत हैं। 62 ट्यूब वैल्स पर उन्होंने इस तरह के साधन लगा दिए थे, डीजल इन्जन लगा दिये थे, लेकिन हमारे यहां लोगों का नेचर ही ऐसा है कि उसमें डीजल की चोरी बहुत होने लगी। फिर क्या करें ? तो आप बिजली का भी सुचारु प्रबन्ध करें। किसी

(श्री देवव्रत तिवाड़ी)

दूसरे पावर हाउसेज से डायरेक्ट लाइन दे दें। जो सुदूर के गांव हैं, जहां कि इसके कारण कितनी ही बाधाएं पैदा होती हैं, वहां के लिये आप डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं दे सकते हैं। जहां-जहां पर कुए हैं, उन कुओं से पानी की सप्लाई इसी से हो सकती है। पानी की सप्लाई मीन्स सारे जिले को प्यासा मारना है। मैं तो यही समझता हूं कि अगर इस तरह सारी जगहों पर आप पानी पिलाते रहेंगे और फिर किसी भी दिन या 7 दिन के लिये सप्लाई बन्द कर देंगे, तो फिर लोग आपके बहुत ही विरोध में हो जायेंगे और आपको पटक देंगे। इसलिये निरन्तर पानी की सप्लाई जारी रखना बहुत आवश्यक है। उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना इतना आवश्यक नहीं है, जितना कि आपने सोच लिया है। उसको आप अच्छा रखेंगे, उसे आप निरन्तर जारी रखेंगे उसे आप सदैव बनाये रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है। 300 की आबादी के रेवेन्यू विलेजेज पर आपने महवानी करके स्कूल तो दे दिये, बहुत अच्छा काम आपने किया है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका लाभ पूर्वी राजस्थान को ही अधिक मिला है। पश्चिमी तथा दक्षिणी राजस्थान के लिये जैसा कि पूर्व में एक माननीय सदस्य ने बताया था, अलग-अलग पहाड़ियों पर लोग गांवों में बैठे हुए हैं। जहां-जहां ऐसे गांव हैं उनके स्तर से वह रेवेन्यू विलेजेज नहीं बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे गांव हैं जो 300 की आबादी के नहीं हैं। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां तो कोई भी गांव, जिसे एक बड़ा गांव कहा जा सकता है, वह 50-60-70 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। उसमें एक भी रेवेन्यू विलेज ऐसा नहीं जिसकी आबादी 300 से कम हो। उन सबकी आबादी 300 से अधिक ही है। उनमें आप पहले स्कूल खोल चुके हैं लेकिन हमारे यहां आपने क्या एक भी स्कूल खोला ? एक भी नहीं खोला। आपने शिक्षा की दृष्टि से पहले एक नार्म बनाया उसे आपने तोड़ दिया है, यह ठीक नहीं है। आपने स्कूल खोलने के बारे में एक नार्म बना रखा है कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए छः किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं चलना पड़े। उस नियम को अब आपने क्यों तोड़ दिया ? जब आपने इस प्रकार के नियम बना दिये तो आपको करना यह चाहिये था कि जहां कहीं 300 की आबादी का क्लस्टर आया हुआ है उसको पाइन्ट-आउट करें और उसके ऊपर एक स्कूल दें तब तो हमारे साथ न्याय होगा, नहीं तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो गांव दूर-दूर बसे हुए हैं उनमें आप समान अवसर देने की बात करते हैं लेकिन आप शिक्षा में समान अवसर लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो दूर-दूर से पढ़ने आते हैं उनके वहां ठहरने की कोई जगह नहीं है। यदि कहीं कोई जगह है भी तो वह ऐसी नहीं है कि कोई उस जगह आकर बैठ सके, ठहर सके। ऐसी कोई जगह आपके पास नहीं है तो आपको करना यही चाहिये कि आप जगह-जगह पर कालेजेज खोलिये, जगह-जगह हाई-स्कूल्स खोलिये।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

उतने आप खोल नहीं सकते हैं। तो फिर कम से कम यह तो करिये, वहां पर अच्छे बोर्डिंग्स बनवाइये जिनमें लोग रहें; उन बोर्डिंग्स में बच्चों को स्टाइपेण्ड दीजिए। इससे बच्चों को समान अवसर मिलेगा। शहर का आदमी तो वहीं बैठा पढ़ रहा है, लेकिन गांव का आदमी वहां से आकर पढ़ रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो फिर उसको कुछ न कुछ स्टाइपेण्ड तो दीजिए। आप ऐसा करें तब तो आप सबको समान अवसर दे रहे होंगे।

इसी तरह से अध्यापकों का प्रश्न आता है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में सूचना मिली कि हमारे यहां कितने ऐसे स्कूल हैं, दो पंचायत समितियों में, जिनमें अध्यापक नहीं हैं। मैं हमेशा निवेदन करता रहा हूँ कि वे तो आटोमैटिक स्कूल्स हैं। आप आश्चर्य करेंगे, आटोमैटिक स्कूल्स कैसे हैं। आटोमैटिक ऐसे हैं कि उनमें कोई अध्यापक तो है नहीं और लड़के आपको तीसरी कक्षा तक पास करने ही हैं। तो आटोमैटिक चल रहा है। एक बार आया, नाम लिख दिया तो 3-4 साल तो चलता ही रहता है। लड़का पास होता जायेगा। यह आटोमैटिक है। यह आटोमैटिक स्कूल की प्रथा आप बंद करिये। बहुत से लोग अनएम्पलायड हैं मेहरबानी करके जहां से भी टीचर्स मिलते हों, वहीं से टीचर्स लेकर जल्दी से जल्दी वहां पर भेजिये। नहीं तो कोई भी काम बनने वाला नहीं है।

शिक्षा के बारे में एक निवेदन और कर दूं। यदि आपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाई, तो फिर आप बच्चों का किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार विनयशील नहीं बना सकते, विनयशील एम. एल. ए. नहीं पा सकते। कोई भी विनयशील नहीं होगा। "शिक्षा ददाति विनियम्:"। शिक्षा एक तो हमें यह सिखाती है कि हम विमुक्त हो जायं। एक तो शिक्षा हमें यह सिखाती है। एक शिक्षा विनय देती है। इसके सिवाय दूसरी कोई शिक्षा है ही नहीं। यह शिक्षा तो एक ट्रेनिंग है, जिसे कोई भी आदमी प्राप्त कर सकता है। मूलतः आप इस चीज को सुधारिये। इसे सुधारने के लिये, मैं मेरे जिले की ही कह रहा हूं, वहां जो कालेज बना हुआ है, उस कालेज में तो संस्कृत आप्शनल सब्जेक्ट कर रखा है लेकिन जिले के किसी भी हाई स्कूल या किसी भी मिडल स्कूल में संस्कृत आप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। यह आश्चर्य और मजे की बात है। फिर विद्यार्थी किस प्रकार महाविद्यालय में संस्कृत लेगा और पढ़ेगा।

श्री हजारी लाल शर्मा : पाखंड है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पाखंड नहीं है, कमी है। जिसकी ओर ध्यान नहीं गया और जिसकी ओर ध्यान जाते ही ठीक किया जायेगा। यह पाखंड नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जहां आप शिक्षा को अच्छी करना चाहते हैं, जहां आप शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते है, वहां अगर आप 300-500 की आबादी पर स्कूल नहीं खोलोगे और रेवेन्यू विलेजेज देखते रहोगे तो यह बात अच्छी नहीं होगा। मुझे ऐसा आश्वासन दिया गया कि इस प्रकार के स्कूल जो आप लोगों ने चाहे हैं, जिनको जिला परिषद् ने रिकमण्ड किया है, जिनको और लोगों ने भी रिकमण्ड किया है, उनकी ओर भी ध्यान दिया जा

(98)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

रहा है और देंगे। आप दोगे तो उनका भी स्वागत है। ऐसा करके इसमें जो कुछ आपने लक्ष्य रखा है, उसमें चार चांद लगाओगे।

पंचायती राज के जो आपने चुनाव कराये, यह भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य है। सबसे ज्यादा प्रशंसा का विषय तो यह है कि आपने पंचायतों के माध्यम से अनेकानेक काम करवाये। माननीय विरोध पक्ष के सदस्य ऐसा कह रहे थे कि अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, अच्छे देखने वाले नहीं हैं, पंचों-सरपंचों ने निकम्मा काम करवाया है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे जिले में पंचायतों के द्वारा जितने भी काम करवाये गये हैं उनमें से 90 प्रतिशत काम ऐसे हैं जिनमें लोगों का शेयर ज्यादा है। अब यह हो सकता है कि यह हमारे यहां के लोगों की अभिज्ञता हो, हमारे यहां के लोग कुछ ज्यादा उत्साह से काम कर गये हों। वह बात अलग है। लेकिन जहां कहीं भी हम देखते हैं, वहां उन्होंने अच्छे-अच्छे मकान बना लिये हैं। उसके लिये जनता भी धन्यवाद की पात्र है और जिन्होंने यह स्कीम चलाई कि पंचायतों के माध्यम से काम कराये जायें, वह स्कीम चलाने वाले भी साधुवाद के पात्र हैं।

आपने दो प्रोग्राम चलाये थे वह बहुत सुन्दर थे। "प्रशासन गांवों की ओर" के लिए हमारे कुछ साथियों ने कहा, अब प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है, फिर खड्डों की ओर न चला जाय, पंडित जी, बचाना। लेकिन नहीं, एक अच्छा प्रयास था "प्रशासन शहरों की ओर" का। दोनों प्रयास बहुत सुन्दर रहे हैं। यह बात जरूर है कि हमको जितने टार्गेट्स अचीव करने चाहिये थे, जितना आगे बढ़ना चाहिये था, उतना नहीं बढ़े। लेकिन यह प्रयास बहुत सराहनीय था, प्रशासन शहरों और गांवों की ओर गया। यह बात दूसरी है कि हम लोगों ने उसको वहां जाकर अटेण्ड नहीं किया, उसमें रुचि नहीं ली हो, उसका बायकॉट किया हो लेकिन जो लोग वहां गये हैं उन्होंने काफी सन्तोष प्राप्त किया है, गाँव के लोगों को भी काफी संतोष प्राप्त हुआ है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के अभियान फिर चलायें। जहां आप प्रशासन गांवों और शहरों की ओर चलाते हैं उनको इतना संबल दीजिए, इतनी स्ट्रेन्थ दीजिए कि जिससे वे स्पाट पर ही काम कर सकें। शहरों में यह कमी रही है। 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान में, मैं बराबर कहता हूँ, सम्भवतः इसलिए कमी है कि पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर लोग यहां रहते हैं, ज्यादा आशाएं नहीं हैं शहरों के वोट्स से, इसलिये शहरों की ओर ध्यान कम जाता है। लेकिन यदि शहरों में भी अच्छे कार्य करेंगे, यदि मौके पर जाकर लोगों को राहत देंगे तो अच्छा रहेगा। यदि गरीबों को कोई भी प्लॉट अच्छा सा मिल जायेगा तो वह बस जायेंगे। गरीब क्या है? मालूम पड़ जाता है कि किसको प्लॉट देना है। जो किराये पर बैठा है, जिसके घर है वह जान बूझकर किराये पर नहीं बैठा है, ऐसे लोगों को पहले प्लाट्स दीजिये। यदि यह होगा तो मैं यह समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं निवेदन करना चाहूँगा लॉ एण्ड

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

आर्डर के बारे में। इस साल हमारे यहां विशेष परिस्थिति हो गयी। 3-4 साल पहले जब अकाल पड़ता था तो गांव के लोगों से दूसरे लोग कुछ मांगते नहीं थे। लेकिन अब, जब कि सुकाल आ गया है जबकि काम अच्छे बन गए हैं, धान अच्छा हुआ है तो जो पासीपा लोग थे, जो एक तरह से उनसे चौथ वसूल करते थे, जिनका नाम पासीपा था, पासीपा इसलिए लेते थे, वह यह कहते थे, पुराने जागीरदार इत्यादि, हम तुम्हारे जानवरों की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे जानवरों की चोरी नहीं होने देंगे, वे लोग अब फिर सक्रिय हो गये हैं। वे लोग उन लोगों से कुछ न कुछ अनाज, धान वगैरह मांगते हैं। क्योंकि लोग एनलाइटन हो रहे हैं, दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं इसलिए वे मना करते हैं। जब वे मना करते हैं, तो उनका तो धर्म हो जाता है कि चोरियां करायें। नहीं, तो उनका दबदबा कैसे बना रहेगा। तो वे लोग चोरियां कराते हैं। जब चोरियां कराते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमारे साधन इतने अच्छे नहीं हैं। एक तो हमारा इलाका बॉर्डर का है। उस बार्डर के कारण लोग क्या करते हैं कि जल्दी से बार्डर पार कर जाते हैं, जानवरों को छिपा लेते हैं, खुद भी चले जाते हैं। पुलिस को भी एक बहाना मिल जाता है। चाहे वे घूमकर वापस आ जाते हैं, अन्दर वापस आ जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : फिर मालूम पड़ता है, चोरी हो गयी है। इसलिए इन लोगों को, जैसा पहले माननीय सदस्य ने बताया था, हमारे जिले में जहां जहां, जगह जगह पर जीपें दी हुई हैं, वह पेट्रोल की जीपें दी जायं, जो अच्छे कम्प्रेशर की हों ताकि उनके मुकाबले में सब जगह आ जा सकें, अच्छी तरह से उन चोरों को पकड़ सकें।

अब मैं एक बात ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और निवेदन करनी है, और वह यह है कि सारे प्रशासन में एक तरह से ढील है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह ढील इसलिए पैदा हुई कि इससे पहले सारे प्रशासन को निरर्थक कर दिया गया था इसलिए ढील पैदा हो गयी लेकिन मैं इतनी बात जरूर निवेदन करूंगा कि आप चाहे सेक्रेटेरिएट में जाइये, किसी भी जगह जाइये, मैं यह कहता हूं कि nobody is responsible to anybody आप इस चीज को जाकर चैक कर लें and you will findthat nobody is responsible to any body ऐसा माहौल है कि जो कागज जिस रूप में अन्दर जायेगा, उसी रूप में कभी नहीं निकलने पायेगा उसको चेज करना पड़ेगा send a paper, send a chase; उसको चेज करके नहीं भेजा और चेज नहीं किया, तो या तो मृत निकलेगा या मृत प्राय: निकलेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। प्रशासन को गति मिलनी चाहिए। किन्तु जैसा अभी भारद्वाज जी ने सुझाव दिया, उससे मैं विनयपूर्वक डिस-एग्री होता हूं, एग्री नहीं हो रहा हूं, मैं तो यही समझता हूं कि प्रशासन के ऊपर पकड़

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

होती है, जिस प्रकार से घोड़े पर बैठने पर घोड़े को मालूम हो जाता है कि सवार है या असवार है उसी प्रकार से प्रशासन पर जितनी अच्छी तरह से पकड़ होगी, पकड़ कर रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा, नहीं तो यथास्थिति बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी अभिभाषण में यहां पर कहा गया है वह राजस्थान के लिए बहुत ही सौहार्द्रपूर्ण है। जो कुछ भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर कृपा करके अभिभाषण दिया है और इसके विषय में जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, जिसका समर्थन किया गया है, मैं भी उसकी ताईद करता हूँ।

जय हिन्द !

श्री अध्यक्ष : किसी की तैयारी नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरे नम्बर का बड़ा राज्य है। इतने विशाल प्रदेश में आजादी के बाद में जो जो हमारी कठिनाइयाँ थीं उन कठिनाइयों का हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने निराकरण करने के लिये, समाधान करने के लिए जो प्रयत्न किये वह बहुत ही सराहनीय हैं। इसके लिए मैं हमारे मुख्य मन्त्रीजी, मंत्रिमण्डल के तमाम सदस्यों को, हमारे नहर मन्त्रीजी और हमारी माननीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसलमेर जैसे इलाके के अन्दर रावी-व्यास का पानी आ जाय इससे बढ़ कर कौनसा बड़ा काम हो सकता है। हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र यही है कि "अधिक सिंचाई और अधिक उपज"। राजस्थान नहर जैसलमेर में आने से खेती उस इलाके में होगी। मेरे समीप के माननीय सदस्य, जो अभी सदन में विराजमान नहीं हैं, जो कि जैसलमेर से आते हैं, से मैंने यह बात पूछी थी कि भाई, राजस्थान नहर का पानी जैसलमेर में आ गया, तो उन्होंने कहा कि पानी तो आ गया लेकिन खेती तो नहीं बढ़ी। तब मैंने कहा कि पीने के लिए तो कम से कम पानी मिला। इस बात को उन्होंने भी एडमिट किया। जहाँ हजारों वर्ष पहले कभी भी पानी नहीं था और जहां वर्षा भी कम होती थी, चौथी कक्षा का विद्यार्थी बरसात के बारे में समझता भी नहीं था उस प्यासी धरती को, मरुभूमि को रावी-व्यास का पानी मिल गया इससे बढ़कर और बड़ा काम क्या हो सकता है। इसके लिये मैं हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को और हमारे मुख्य मन्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खेती के लिये जल चाहिये, जमीन चाहिये और जानवर चाहिये। जैसलमेर के जानवर हमेशा बाहर जाते थे। वहां पर पानी हो जाने से वह

(श्री अमराराम चौधरी)

बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। पीने का पानी और चारा नहीं होने की वजह से जैसलमेर के पशुपालक अपने मवेशियों को मध्य-प्रदेश ले जाते थे, वहां पर उनके मवेशी मर जाते थे, उनकी हड्डियां वहीं रह जाती थीं, खाल वहीं पर रह जाती थी जिसके कारण उन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। यह कठिनाई अब नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन पिछले 4 वर्षों में जो काफी प्रगति हुई है वह बहुत ही सराहनीय है। पेयजल के बारे में मैं निवेदन करूंगा, जहां 24 हजार गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे उन सभी समस्याग्रस्त गांवों में पिछले 4 वर्षों में हैण्ड पम्पों के जरिये से बहुत ही प्रगति हुई है। मेरे स्वयं के क्षेत्र में 60 हैण्ड पम्प लगे थे उनमें से 50 हैण्ड पम्प बहुत ही अच्छी हालत में काम कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जीवन—पशुधन पर निर्भर है, लोगों के पीने के लिये तो पानी हैण्ड पम्पों से मिल गया लेकिन जब तक वहां पर पेयजल की कोई योजना नहीं होगी तब तक मवेशियों के लिये पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। जिन गांवों में हैण्ड पम्प नहीं खुदे हैं उनको भी इस योजना में जोड़ना चाहिए ताकि लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। हमारे यहां पर पानी बहुत कम है, जमीन के नीचे 150 मीटर तक पानी नहीं है। इसलिए राजस्थान नहर का पानी बाड़मेर जाय। क्षेत्रीय और अन्य योजनायें भी बन रही हैं जो 8-10-15-20 साल तक कामयाब होंगी। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन कैनाल का पानी तामलोड़, नाचना, पचपदरा, हीरा की ढाणी से गोल, जहां कुओं की कोई सम्भावना नहीं है, तक राजस्थान कैनाल से, नाचना से लिफ्ट करके या 36 इंच की पाइप लाइन बिछा कर पहुँचायेंगे तो वहां की समस्या दूर हो सकेगी तथा हमें और हमारे जानवरों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्थान कैनाल के अलावा और भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति हुई है। सहकारिता के अन्दर 25 सहकारी बैंक्स आज हमारे जैसलमेर के अन्दर काम कर रहे हैं, अपेक्स बैंक्स काम देख रहा है और बाकी सहकारी बैंकों के द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण काश्तकारों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे बहुत से काश्तकारों को लाभ मिल रहा है। जो काश्तकार बनिये की दुकान पर हमेशा जाता था और जिसे बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता था अब उसको सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना असुविधा के ऋण प्राप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है जिससे मेरे क्षेत्र बालोतरा में राज्य सरकार को इन्कम टैक्स और सेल टैक्स के जरिये करोड़ों रुपये की आय होती है। हमारे यहां चार सालों में उद्योग-धन्धे पनपे हैं यह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन एक समस्या और है वह समस्या है वाटर पोल्यूशन की। वाटर ट्रीटमेंट का प्लान्ट जब तक हमारे यहां नहीं लगेगा तब तक लोगों के लिए यह समस्या बनी रहेगी। पाली में भी कितने ही करोड़ों रुपया लगाकर वाटर ट्रीटमेंट का प्लान्ट लगाया गया लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। इसकी

(श्री अमरा राम चौधरी)

ओर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब तक हमारे यहां वाटर ट्रीटमेंट का प्लान्ट नहीं लगे तब तक ऐसा कोई सरल तरीका निकाला जाय जिससे पैसा भी कम खर्च हो और वाटर पोल्यूशन की समस्या भी हल हो जावे। यह तरीका जब तक लागू नहीं किया जायगा तब तक हमारे यहां मजदूरों को धन्धा नहीं मिलेगा। हमारे यहां पर हमेशा अकाल पड़ता रहता है और सरकार काम कराती रही है, सरकार का हमेशा सहयोग रहा है इसकी मैं सराहना करता हूँ लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक विलम्ब क्यों हुआ है ? मैं चाहूँगा शीघ्र ही वाटर ट्रीटमेंट का कोई सरल तरीका निकाला जाय, कोई नाला बनाकर पानी उसमें डाला जाय, जिससे बहुत ही कम खर्च हो, यह समस्या हल हो सके, और यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाय।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस साल राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले, जहां ढाणियों में स्कूल खोलने का सवाल था, में ढाणियों में स्कूल खोले गये पंचायतों में स्कूल खोले गये, पंचायत समितियों में स्कूल खोले गये, वहां पर दस दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील की दूरी पर स्कूल खोले गये, उसके लिए मैं सरकार को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। पहले गरीब विद्यार्थी दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर जाकर पढ़ते थे वे अब तीन-चार मील पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे।

जहां तक कृषि उपज मण्डी का सवाल है, हमारे यहां पर काफी प्रगति रही है। पिछले साल कृषि उपज मण्डियों के जरिये से किसानों को बहुत लाभ मिला है। हमारे यहां 332 मण्डियां हैं जिसमें से 42 मण्डियों का निर्माण हो चुका है, 38 निर्माणाधीन हैं और 32 मण्डियों का यार्ड का निर्माण बहुत शीघ्र ही हो जायगा।

जहां तक ग्रामीण गोदामों का प्रश्न है, हमारे यहां पर 131 ग्रामीण गोदाम स्वीकृत हो चुके हैं उनसे हमारे कृषकों को बहुत बड़ा लाभ होगा और भण्डारण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जायगी। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी और कृषि मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस बारे में प्रगति बहुत धीमी है, 29 गोदाम ही बन पाये हैं जबकि 131 गोदाम स्वीकृत हैं, शेष नहीं बन पाये हैं अतः इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

गांवों में सम्पर्क सड़कों का काम भी हमारे यहां बहुत अच्छा हुआ है। मेरे यहां एक दो सड़कें ऐसी बनी हैं जिससे दो गांवों को बहुत ही लाभ मिला है। पिछले चार सालों में कृषि उपज मण्डियों का जो काम हुआ है वह सन्तोषजनक है।

इसके अलावा वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि मेरे यहां हिरण बहुत हैं सरकार को इसका सर्वे कराना चाहिये। हमारे यहां इतने हिरण हैं जो गांवों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, लोग उनको भगाते भी नहीं, विश्नोई लोग उनको प्रेम करते हैं। इसका सर्वे कराया जाय। चाहे आप इनको भरतपुर ले जावें या और कहीं पर ले जावें ताकि हिरणों से फसलों का प्रोटेक्शन हो सके और

(श्री अमराराम चौधरी)

फसलें नष्ट होने से बचाई जा सकें। मैं माननीय वन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इनका सर्वे करवायें। मेरे हिसाब से आठ हजार हिरण होने चाहिये। आठ हजार हिरण चार-पांच गांवों में हैं, उनको आप एक ही जगह रखें। अभी एक खेत में दो-सौ, तीन-सौ का झुण्ड मिलेगा। इसलिए इनका जल्दी ही सर्वे कराया जाय ताकि काश्तकारों की फसल नष्ट होने से बचाई जा सकें।

जहां तक सड़कों का सवाल है, हमारे यहां सड़कों का भी काफी विकास हुआ है जिससे बसों का बहुत आराम हुआ है। डामर की सड़कें भी बनी हैं और ग्रेवल रोड भी बनी हैं। पाटोदी और पचपदरा की जो सड़क है वह ट्रकों के चलने से खराब हो गई है। कई सड़कें जो फेमिन के समय बनी थीं वह टेंकर चलने से नष्ट हो गई हैं। उनका सर्वे कराया जाकर जो भी नुकसान उन सड़कों का हुआ उनकी पुनः मरम्मत कराई जावे ताकि बसें गन्तव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सकें और लोग आराम से आ और जा सकें। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन सड़कों का सर्वे कराया जावे और सर्वे कराकर इनकी मरम्मत कराई जावे ताकि वहां की गरीब ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल सके।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे जिले में बहुत ही सफल रहा है। इसका कारण ऐसे अधिकारियों को हमारे यहां लगाना है जो यह जानते हैं कि जो झोंपड़ी में रहने वाले लोग और गरीबी की रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनकी क्या समस्यायें हैं। जो अधिकारी लगाये गये वे गरीब घरों से सम्बन्ध रखते हैं और आगे बढ़े हैं। इसीलिए हमारे यहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हो सका। हमारे यहां नये-नये स्कूल खोले गये, पंचायत घरों का निर्माण हुआ, बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज हुआ। सरकार ने काफी पैसा खर्च किया लेकिन इसकी सफलता का कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों को लगाया गया जो उनकी समस्याओं को स्वयं जानते थे, उन्होंने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे जिले में यह काम बहुत ही सफल रहा है।

इसके अलावा हमारे यहां तटबन्दी का भी काफी काम हुआ है। लूणी की तटबन्दी कराई गई लेकिन कुछ ऐसे तहसील हैड-क्वार्टर्स हैं जहां पर पेचिंग नहीं होने से स्पर्श टूट गये लाखों रुपया लगाया लेकिन वह पानी में बह गया। इसके बारे में यदि इस साल ध्यान नहीं दिया गया तो समदड़ी में कुएं नष्ट हो जायेंगे और समदड़ी रेलवे स्टेशन होगा लूनी का। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो फेमिन के अधूरे कार्य हैं या सरकार के जो अधूरे कार्य वहां चल रहे हैं वह जल्दी से जल्दी पूरे कराये जायं और जब तक वह पुराने काम पूरे न हो जायं तब तक नये कार्य शुरू नहीं किये जाने चाहिये। हमारे यहां पर लूनी नदी के आसपास जो

(श्री अमराराम चौधरी)

कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराया जाये। इसके अलावा हमारे यहां बालोतरा के पास जो पुराने काम चल रहे हैं उनको भी पूरा कराया जाये। इसी प्रकार भादरवा का बान्ध, जो कि अधूरा पड़ा है, को भी पूरा कराया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब लूनी नदी के अन्दर पहले बाढ़ आयी थी तब कई जगह पर टूट-फूट हो गयी थी, हमारे यहां की जो हाउसिंग बोर्ड की कालोनी थी वह बची हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो और निवेदन करना चाहूँगा वह है हमारे यहां पर सिंचाई के लिये छोटे-छोटे बान्धों के निर्माण के बारे में। वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, हम बाड़मेर जिले वाले और बान्धों की बात करते हैं तो लोगों को हंसी भी आती है। पर हमारे यहां पर पचपदरा के पास जहां पर कि पहाड़ी इलाका है वहां पर कीटनोद और वारिया बान्ध बन सकते हैं। पहले जब फेमिन के समय में काम शुरू हुआ था तो उनको हाथ में लिया गया था और दो-तीन लाख रुपये भी उन पर लग चुके थे पर अब अधूरे पड़े हैं। इसके बारे में उस इलाके के एक्स. ई. एन. से हमने बात की। उन्होंने वहां आकर मौका भी देखा और कहा कि अगर ये बान्ध बन जावें तो उस एरिया के काश्तकारों को बहुत भारी लाभ पहुँच सकता है। पिछले तीन साल से जो अधूरे काम थे वह अभी भी अधूरे पड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, हालांकि उन पर दो-तीन लाख रुपये लग चुके हैं। इसी तरह भादरा का बान्ध है। अगर इन छोटे-छोटे बान्धों को पूरा करा दिया जाये तो हमारे यहां जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है वह दूर हो सकती है। हमें खेती करने के लिये पानी चाहिए यह बात भी नहीं है, हम चाहते हैं कि केवल लोगों की जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो सके और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरह और भी कई कामों पर दो-दो लाख रुपये लग चुके हैं और वह कार्य अधूरे पड़े हैं। मैं सिंचाई मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि उन अधूरे कार्यों को पूरा कराने में क्या दिक्कत है? उनमें पहले ही दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये फेमिन में लग चुके हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये।

एक बात और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह कि इस साल बिजली हमारे यहां पर बहुत अच्छी मिली। अच्छी बिजली मिलने के कारण काश्तकारों की फसल भी अच्छी होने की बात हुई। अध्यक्ष महोदय, हालांकि फसल अच्छी हुई थी और लोग खुश भी बहुत थे पर प्रकृति के प्रकोप के कारण, ठण्डी हवा चलने के कारण जो फसल हुई थी वह नष्ट हो गयी। विशेष तौर से गेहूँ की फसल, रायड़े की फसल और जीरे की फसल 70 प्रतिशत खराब हो गयी। अध्यक्ष महोदय, 70 प्रतिशत फसल नष्ट होने के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं खुद, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जाकर देख कर आया हूं, वैसे तो ठण्डी हवा के कारण राजस्थान में ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में नुकसान हुआ है पर हमारे यहां पर विशेष तौर से अधिक नुकसान

(श्री अमराराम चौधरी)

हुआ है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि काश्तकारों का जो नुकसान हुआ उनको उसके लिये कुछ न कुछ रियायतें दें और कोई ऐसा हल ढूंढें जिससे कि भविष्य में अगर ऐसी कोई ठण्डी हवायें चलें या कोई ऐसी दुर्घटनायें घटें तो काश्तकारों को लाभ पहुँचा सकें। मैं इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूँगा कि फसलों का बीमा होना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि हमारी आई. आर. डी. की स्कीम चलती है उसमें बीमा योजना लागू होनी चाहिये। जैसे मवेशियों के मामले में बीमा होता है उसी तरह से अगर फसलों का बीमा हो जावे तो काश्तकारों को बहुत राहत मिल सकती है। अन्यथा काश्तकारों को जो नुकसान होता है उसका कोई हल नहीं निकल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को अभी वर्तमान समय में फसलों से जो नुकसान हुआ था उसके लिये तो मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं उनसे आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और इसका कुछ न कुछ हल निकालें ताकि जब कभी फसल नष्ट हो तो सर्वे कराया जाकर जितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार काश्तकारों को रियायत दी जा सके। अबकी बार जो फसल नष्ट हुई है, वह ˉ0 प्रतिशत बल्कि कहीं कहीं पर 80 प्रतिशत फसल नष्ट हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस फसल को देखोगे तो आपको विशेषकर गेहूँ की फसल में ऐसा देखने को मिलेगा कि गेहूँ का जो दाना है वह बहुत पतला दाना है। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। यद्यपि काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है वह कोई सरकार की बदइन्तजामी के कारण नहीं हुआ है बल्कि कुदरत के प्रकोप के कारण हुआ है फिर भी, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया और उसके ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया उसका मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री द्वारका प्रसाद बैरवा।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 मार्च को जो अभिभाषण इस सदन में दिया और उसके ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। बड़े गर्व की बात है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में हमारा प्रदेश हमारे देश में दूसरे स्थान पर रहा और इसका फायदा हमारे प्रदेश की जनता को मिला। अध्यक्ष जी, माननीय माथुर साहब ने 14 जुलाई, 1981 को मुख्य मन्त्री पद का भार सम्भाला था।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जा रहे हैं मुख्य मन्त्री जी।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : जब तक इन्दिरा जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है तब तक तो यह नहीं जायेंगे।

(व्यवधान)

आप मुझे बोलने दें, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

तो अध्यक्ष जी, इनके द्वारा मुख्य मन्त्री का पद भार सम्भालने के कुछ ही दिनों बाद जयपुर और टोंक जिले में बाढ़ आई। कई लोगों की जानें गयीं और लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुँचा। अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस बाढ़ का बहुत भारी प्रकोप रहा। उस बाढ़ के कारण 92 आदमी मर गये। माथुर साहब ने इस चुनौती का बहुत ही धैर्य के साथ सामना किया। माथुर साहब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आये और वहां के लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखायी। न केवल माथुर साहब, बल्कि हमारे देश की महान् प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे देश के नेता श्री राजीव गांधी भी वहां पर आये और बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखायी।

(व्यवधान)

आपको तो इन्दिरा गांधी का भूत ही दिखायी देता है। आप मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : तो अध्यक्ष जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां के हाल को देख कर बहुत ही दुखी हुईं चूंकि सब कुछ बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग बह गये, 6–6 लोग एक साथ बहे। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनके दुख को महसूस किया। अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोगों को सिर्फ बातें ही करनी आती हैं यहां पर बैठे-बैठे बातें करते रहते हैं। आपकी किसी से सहानुभूति तो है नहीं और यहां पर आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। आपको जनता से क्या लेना देना। अध्यक्ष जी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, विरोधी पार्टी के सदस्यों का काम सिर्फ विरोध करना ही है, वह तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे देश की नेता ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है उससे गांवों की जनता को बहुत लाभ पहुँचा है।

इसके अलावा, अध्यक्ष जी, अभी प्रधानों और जिला प्रमुखों के जो चुनाव हुए थे, उसमें प्रधानों के चुनाव में हमारी कांग्रेस के लोगों को दो-तिहाई बहुमत मिला और जिला प्रमुखों में तो राजस्थान की जितनी भी जिला परिषद् हैं, उन सभी के जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर कांग्रेस में लोगों की आस्था नहीं होती तो गांवों में कांग्रेस को समर्थन कैसे मिलता। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में उप चुनाव दो जगह पिण्डवाड़ा और मण्डावा में हुए हैं उसमें भी दोनों ही सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी को ही मिलीं, हमने ही वहां पर विजय प्राप्त की है। इन उप-चुनावों में देश के बहुत ही उच्च कोटि के नेता वहां पर पहुंचे थे।

(श्री द्वारका प्रसाद बैरवा)

उन्होंने वहां पर जनता को भयभीत किया। लेकिन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वहां जाकर लोगों को समझाया। आज कितना भी गुमराह किया जाए, विरोध किया जाय, लेकिन उनकी जो आस्था है वह कम नहीं होगी। राजस्थान में ही नहीं अपितु और भी जगह, 11–12 जगह बाई इलेक्शन हुए थे उनमें से 8 में हमारी पार्टी को विजय हासिल हुई। पश्चिम बंगाल, जहां सी. पी. एम. की सरकार है, में भी हमने सीट प्राप्त की। इससे पता चलता है कि कश्मीर से कन्या-कुमारी तक हमारा बहुमत है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 17 अक्तूबर 1983 का दिन जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी गंगानगर के लिए ऐतिहासिक रहा। आपको याद होगा कि हजारों वर्षों से प्यासी धरती, जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, को हमारी प्रधान मन्त्री के कुशल प्रयासों से, माथुर साहब के प्रयासों से पानी मिला। 570 किलोमीटर लम्बी पक्की नहर बनी उसके प्रथम चरण में 353 गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई। हमारी सरकार कार्य करने में आस्था रखती है, किसी नारेबाजी में आस्था नहीं रखती। उसके दूसरे चरण में, मैं समझता हूँ, सन् 1985 तक बहुत बड़ी खेती की जमीन, जो वर्तमान में बेकार है, को सिंचित करने के लिए प्रयास कर सकेगी। जैसे प्रथम चरण में 5.33 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हुई, दूसरे चरण में 9.90 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो जायेगी। यह तो एक बात है जिससे आम लोगों, किसानों, दलित वर्गों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों जो भूमि का महत्व नहीं नहीं समझते हैं, के नाम पर हजारों-लाखों बीघा भूमि का आवंटन हो गया। यह उनके लिए समृद्धि का चैप्टर शुरू हुआ है।

चौथा, मैं कहना चाहूँगा हमारे मन्त्रीजी ने बिना किसी भेद-भाव के 300 की जन-संख्या के समान आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। यह एक सराहनीय कदम है। उसमें विपक्ष और सत्ता पार्टी के सदस्यों सभी के क्षेत्र आते हैं। इससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। पहले जो बच्चे 15-15 किलोमीटर दूर तक पढ़ने जाते थे उनके साथ न्याय हुआ है। यह एक सराहनीय कदम है। इसी प्रकार से सन् 1980 में जब हमारी पार्टी सत्ता में आई, हमारी सरकार बनी तब हमने हजारों मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल, एग्रीकल्चरल संस्थान खोले हैं। यह भी एक सराहनीय कदम है।

पांचवीं बात मैं बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। वर्तमान में यह एक मूलभूत आवश्यकता है, यह प्रत्येक किसान के लिए एक अनिवार्य चीज है। राजस्थान सरकार ने अन्य प्रान्तों के मुकाबले रबी की फसल के लिए ज्यादा बिजली इस बार दी है। आप इसके आंकड़े देख सकते हैं...

एक माननीय सदस्य : आप ही की बात दो।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : उन्होंने भीलवाड़ा में उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ दिया जायेगा। यह एक सराहनीय कदम है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, आजादी के बाद जो किसान की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है उसकी पूर्ति होगी। उसके परिवार को, प्रान्त को लाभ मिलेगा और उसका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।

छठी बात मैं सड़कों के लिए कहना चाहता हूँ। हमारे पहले जो मुख्य मन्त्री थे, उनके समय में सड़क फेमिन के तहत बना करती थी। वर्षा के कारण सड़कें साफ हो जाया करती थीं, मस्टर रोल बनते थे और बेकार हो जाते थे, लोगों की जो समस्या थी वह हल नहीं हो पाती थी, लेकिन मुख्य मन्त्री ने इस बार निर्णय लिया कि हर पंचायत समिति हैडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा और जी. टी. रोड दी जाएगी। मैंने कल विधान सभा के मीटिंग कक्ष में ब्लू प्रिंट भी देखा, विपक्षी पार्टी के माननीय सदस्य भी देख रहे थे। उस समय उन्होंने भी इस कार्यक्रम की सराहना की थी। हमें ऐसे कामों का आजादी के बाद लाभ मिला, अंग्रेजों ने ढाई सौ वर्ष राज किया उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

मैं ढाई सौ वर्ष की कह रहा हूँ, ढाई साल तक तो आपने किया था।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, समय का ध्यान रखें।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : मैं पेयजल में बारे के कहना चाहूंगा। जो समस्याग्रस्त गांव थे वहां पर हैण्ड पम्प लगायें गये हैं। किसानों की पानी की समस्या थी, उसके समाधान के तहत आज वह हैण्ड पम्प वहाँ काम कर रहे हैं। मन्त्री महोदय ने निर्णय लिया है कि जहाँ पर हैण्ड पम्प खराब हैं वहां तकनीकी आदमियों से उनको ठीक करवाया जायेगा। यह एक लाभकारी कार्यक्रम सिद्ध होगा।

परिवार कल्याण की बात लूं........

श्री अध्यक्ष : आपको पूरे 20 सूत्रों पर कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आप कह दें, कुछ और सदस्यों के लिए छोड़ दें।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : परिवार कल्याण के कार्यक्रम में लोगों को गुमराह किया, लोगों को हिजड़ा बनाया जाता था, इस तरह के प्रचार से लोगों को हटाया गया पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर। इस तरह का नसबन्दी का प्रचार करके आप लोग सत्ता में आ गये, लेकिन आज लोग स्वेच्छा से नसबन्दी करवा रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की लोग सराहना करते हैं। हमें आकर लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर कैम्प लगाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की और पहले की स्थिति में फर्क है। लोग हमारे कार्यक्रम में विश्वास करते हैं।

जहां तक हाउसिंग बोर्ड का सवाल है, हमारी सरकार ने कितने ही फ्लैट लोगों को दिये जो गरीब तबके के एस सी. और एस. टी. के लोग हैं जो यह सोच ही नहीं

(श्री द्वारका प्रसाद बैंरवा)

सकते थे कि हमें मकान मिलेगा उनको मकान उपलब्ध कराये गये। एस. सी. और एस. टी. के एम. एल. एज. का भी जो बैकलॉग था उसको भरा गया, उनको मकान देकर। यह काम जनता पार्टी ने कभी नहीं किया।

मेरे कहने का मतलब है कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता ....

अनेक माननीय सदस्य : बोलो, बोलो।

श्री द्वारका प्रसाद बैंरवा : हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जो इस देश की प्रधान मन्त्री ही नहीं बल्कि सारे संसार की एक महान् नेता हैं, उनका मान और सम्मान सारा विश्व करता है। आपने अभी पिछले दिनों ही देखा होगा कि दूसरे देशों के मन्त्री और प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति उनको किस तरह से अगुवाई करते हैं। इसको सारे लोग स्वीकार करते हैं। जो नान एलाइन कन्वेन्शन हमारे यहां हुआ उसके बारे में सारा संसार जान गया है कि वह कितना सफल हुआ। हमारी प्रधान मन्त्री की इज्जत दूसरे देशों के सामने है। उस कन्वेन्शन की छवि सारे वर्ल्ड में फैली। सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि श्रीमती गांधी गरीबों की कितनी बड़ी मसीहा हैं। हमारे यहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सम्मेलन हुए हैं उनके बहुत ही सक्सेसफुल रिजट्ल्स आये हैं। जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री हैं उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। आप मानें या नहीं मानें, उस लीडर की छवि कभी धूमिल होने वाली नहीं है। आप कभी अपने मंसूबों में कामयाब होने वाले नहीं हैं।

आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? आपने या तो कमीशन बैठाये हैं या फिर सड़कों और अस्पतालों के नाम अपने लोगों के नाम पर बदले हैं। आपने कहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल नाम रख दिया और कहीं कुछ नाम रख दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या अपने समय में कोई हास्पिटल तक भी बनाया? श्रीमती गांधी ने जो अन्न का भण्डार बनाया था आपने उसको भी नष्ट कर दिया, उजाड़ दिया। अब भारत की जनता यह जान गयी है कि सारे देश को नेतृत्व सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी ही दे सकती हैं। आपने अपने समय में साढ़े उन्नीस करोड़ रुपये का जो सोना था उसको भी बेच दिया। बहुत सी माताओं और बहिनों ने चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के समय में अपने गलों से और कानों से उतारकर गहना दिया था उसको आप लोगों ने बेच दिया। मैं आपको चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव में पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया उसका क्या हुआ? यह कोई तरीका है, आप लोगों को उभारते हो, आप लोगों को गुमराह करते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। टाइम काफी हो गया।

श्री द्वारका प्रसाद बैंरवा : माननीय सदस्यों ने कोटपूतली बलात्कार काण्ड की बात कही कि पुलिस वालों ने वह बलात्कार किया। मैं समझता हूं कि उनको गिरफ्तार

(श्री द्वारका प्रसाद बैरवा)

कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। नियमों के मुताबिक़ जो भी कार्यवाही होगी वह होगी और जो सजा उनको मिलनी चाहिए वह मिलेगी। आप ऐसी बातों को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और उनको गुमराह करते हैं, यह कोई तरीका है।

मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। समय कम है और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का, मैं पुनः उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, गत 5 मार्च को राज्यपाल महोदय ने यहाँ अभिभाषण पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है वह आने वाले साल के लिए एक दर्पण का काम करता है कि हमारे विकास की क्या दिशा होगी, हम किस रास्ते पर चलना चाहेंगे, हमने पिछले सालों में क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां रहीं और क्या कमियां रहीं—उसका एक दर्पण होता है। लेकिन इस साल का यह दर्पण तो बहुत छोटा कर दिया गया है। साथ ही इस अभिभाषण पर माननीय श्री राम नारायण चौधरी से धन्यवाद प्रस्ताव रखवा कर और उसको माननीय गहलोतजी से सैकण्ड करा कर इस छोटे से दर्पण को धूमिल कर दिया है। क्योंकि जिस तरह की छवि और प्रतिष्ठा उनकी समाज में रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सारी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन राज्यपाल महोदय, जो इतने पवित्र और गरिमामय व्यक्ति हैं और जो आने वाले साल के लिए दिशा बोध करेंगे, के अभिभाषण पर उनसे कहलाकर उसको बिलकुल धूमिल कर दिया है। अगर आप इसके पन्ने पढ़कर देखेंगे, पिछले साल की उपलब्धियां देखेंगे और देश में जो हालात हैं उनको देखेंगे तो आप पायेंगे कि देश की हालत बिल्कुल खस्ता हो गयी है। हर साल की तरह इस साल भी वही हालात हैं। जब से इन्दिरा गांधी की सरकार आई और राज्यों में भी श्रीमती गांधी के दल की सरकार बनी है बीस सूत्री कार्यक्रम और इन्दिरा गांधी का ही गुणगान किया जाता है, उनकी ही स्तुति की जाती है....

एक माननीय सदस्य : इनाम मिला है।

श्री यदुनाथ सिंह : इनाम आपको मिला है। मैं आपको इसे साबित करके बताऊंगा। समय कम है और आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आम बहस हो रही है इसलिए मैं मोटी-मोटी बातें ही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम की बड़ी स्तुति की जाती है लेकिन सब लोग जानते हैं, उधर बैठने वाले भी जानते हैं और इधर बैठने वाले भी जानते हैं और इस देश का हर नागरिक जानता है, हर आदमी जानता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का एक ही कार्यक्रम है कि किस प्रकार से नेहरू परिवार इस देश में कायम रहे। वह इस

(श्री यदुनाथ सिंह)

देश में वंशानुगत शासन को बढ़ावा दे रहे हैं। उस सूत्र को लागू करने के लिए, उसके क्रियान्वयन करने के लिए चाहे देश बरबाद हो, देश के टुकड़े हों, देश में आग लगे, महंगाई बढ़े, भुखमरी बढ़े, कुछ भी हो उनका जो वह सूत्र और जो लक्ष्य है वह पूरा होना चाहिए। एक तरह से देखा जाये, तो आप लोग बोल तो रहे हैं लेकिन आप सब लोगों को नकारा गया है, आप सब को ××× साबित किया है श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, वह इस तरह कि इस देश के अन्दर अगर राज करने की अकल किसी में है तो सिर्फ नेहरू और इन्दिरा गांधी के परिवार में ही है। इस चेलेन्ज में आप साथ दें लेकिन कोई भी स्वाभिमानी नागरिक साथ नहीं देगा।

आप इस अभिभाषण के शुरू के ही पन्ने को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि जब कभी मानसून खराब हो जाता है तो कहा जाता है कि मानसून की खराबी के वजह से हमारी कृषि का उत्पादन गिर गया....

सूचना

फ्रांस की संसद के अध्यक्ष व उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के आगमन के उपलक्ष में समारोह

श्री अध्यक्ष : एक सूचना देनी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता होती है कि फ्रांस के संसदीय मण्डल के सदस्यगण हमारे मध्य पधारे हैं। संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व फ्रांस की संसद के अध्यक्ष महामहिम लूरी मेरमाज कर रहे हैं। यह भी हमारे लिए खुशी की बात है कि वह हमारे बीच में हैं। फ्रांस की संसद के तीन उपाध्यक्ष और आठ संसद सदस्य आज हमारे मेहमान के रूप में यहां मौजूद हैं। महामहिम भारत स्थित फ्रांस के राजदूत और उनकी पत्नी भी हमारे बीच में हैं। बहुत से उच्च अधिकारी और विशेषज्ञ हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर मेज थपथपाकर उनका स्वागत करें।

माननीय सदस्य कोई उत्तेजनात्मक बात न हो, इस प्रकार कार्यवाही चलनी चाहिये।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से कृषि उत्पादन की वृद्धि की डींग हांक रही है, वह बात ज्यादा सत्य नहीं है। आखिरकार आप पिछले दस साल के फिगर्स देखें, हर साल ग्रोथ रेट घटती जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 41 मिलियन टन पैदा होगा देश में लेकिन इकोनामी में, अर्थ-व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ ? महगाई क्यों बढ़ रही है ? अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने 9 प्रतिशत कृषि पैदावार बढ़ने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, कृषि की पैदावार बढ़ने के तीन कारण होते हैं। एक लैंड, दूसरा लेबर और तीसरा

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथ सिंह)

कैपीटल। कृषि की पैदावार ही हम बढ़ा सकते हैं लेकिन उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। कागज की फैक्ट्री में जितना सामान तैयार करना होगा, उतना कच्चा माल डालना होगा। खेती ही ऐसी है जिसमें हम पूंजी बना सकते हैं। कैपीटल का निर्माण खेती में होता है। इसलिए देश की खेती को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाये। हमारा देश शक्तिशाली है एक मायने में। हम खेती पर ध्यान दें, तो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ सुधर सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, खेती पर ध्यान दिया है आबादी पर ध्यान दें, तो सुधार होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्रिमण्डल स्वयं से शुरू कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस मामले में आप और हम बराबर हैं। आपकी मेज के पीछे 12, 12 हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यही कह रहा हूँ, खेती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, संसद में जो आंकड़े दिये गये हैं पिछले साल खेती पर खर्च किया गया है 460 49 करोड़ और इस वर्ष रखे हैं 429·98 करोड़। इसका मतलब यह है, पैसा कम करते जा रहे हैं। खेती में पूंजी की कमी है खेतों की जमीन अब बढ़ नहीं सकती। आदमी वहां पर पहले से ज्यादा लगे हुए हैं, एक्सेस लेबर लगी हुई है। एग्रीकल्चर और फार्म लेबर में रेयो बढ़ता जा रहा है इसलिए उस लेबर को रोजगार देने का साधन उपलब्ध करना जरूरी है....

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मन्त्री, कृषि) : इसीलिए प्रोग्राम लिया है लैण्डलैस एग्रीकल्चर....

श्री यदुनाथ सिंह : वह भी बता दूंगा....

श्री देवेन्द्र सिंह : वह हमारी प्रधान मन्त्री ने चलाया है आपको यह बात नहीं सूझी।

श्री यदुनाथ सिंह : सब × × × चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, किस बात को पूछना चाहते हैं, देश की हालत सुधर रही है? परकैपिटा आप देख रहे हैं घट रहा है, प्रति व्यक्ति जो खाने को मिल रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है? कुछ आधार तो आप मानेंगे। लीजिये, पर कैपिटा कन्जम्प्शन देखिए। आज से दस साल पहले कितना कन्जम्प्शन था, आज कितना है? सन् 1961 में सीरियल्ज था पर डे का 399.07 ग्राम, सन् 1964 में था 401, सन् 1965 में था 418 और आज है 392 ग्राम। परकैपिटा कन्जम्प्शन देश में घटता है तो देश की हालत में सुधार कैसे कहते हैं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री चन्दनमल बैद (मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना) : दूसरी चीजें खाने लगे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपको नसीब होंगी, सामान्य आदमी को नसीब नहीं हैं। आप अपनी सरकारी रिपोर्ट को देखिये। "Nearby 70 per-cent of the people in the country have an income below the national average." यानि 70 प्रतिशत आदमियों की, आपकी रिपोर्ट कहती है, बिलो नेशनल एवरेज जाती है। देश में आप सब्जी, फल की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है....

श्री चन्दनमल बैद : आलू और प्याज भी सब्जी हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अणुव्रत धर्म के प्रचारक और राजस्थान के अध्यक्ष श्री चन्दनमलजी इस सदन में कहें कि मांस और मछली खाने की आदत बढ़ी है....

श्री चन्दनमल बैद : मांस और मछली का नाम नहीं लिया. आलू और प्याज का नाम लिया है। आप कान का इलाज भी कराइये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं देश की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। जैसे पापुलेशन ग्रोथ रेट है उसके बराबर एम्पलायमेंट रेट नहीं ले पा रहे हैं। भुखमरी इसलिए है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है। भुखमरी का कारण बेरोजगारी है दूसरा कारण नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय समाप्ति पर आ रहा है। कृपया आप भाषण को संक्षिप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : कन्टीन्यू रह जायेगा, अध्यक्ष महोदय।

यहां बैठने वाले या इधर-उधर बैठने वाले जो भी राजनीतिज्ञ हैं समाजवाद के लिए हैं। महात्मा गांधी से लेकर सभी कहते आये हैं, फैक्ट भी है, हमारा देश गांवों में बसता है। गांवों की हालत और भी खराब होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं गांवों से वाकिफ हैं। चन्दनमल जी से काम चलने वाला नहीं है। इनके संस्कार तो दूसरे हैं। ये गांवों की जनता का रिप्रेजेन्टेशन नहीं करते हैं। इन्होंने वह दुख-दर्द देखा नहीं है। जब तक देश की राजनीति पर ऐसे लोगों को हावी रखा जायगा तब तक देश का किसी प्रकार भला होने वाला नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी कांस्टीट्यूएन्सी से मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में ज्यादा गांव हैं। यदि मैं उनके दुख-दर्द को नहीं समझता, तो इस विधान सभा में पांच बार नहीं आता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप गलत बोल गये। आपके तो ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से हैं और उसमें सब महाजन ही महाजन हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(114)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि उधर जो महाजन हैं वे सब कण्डेम किये जाने योग्य हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेती पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। हमारा राज्य क्या बता रहा है ? वित्त मन्त्री जी खेती पर ध्यान नहीं देंगे, तो किसी भी प्रकार से इस देश में सुधार नहीं आ सकता है। यहां का सारा जीवन मरण खेती पर निर्भर है....

(व्यवधान)

जी हां, इसी तरह मरते-जीते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, खेती के लिये सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश उन दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेशों में से है जहां पानी के स्रोत नहीं के बराबर हैं। हमारी जमीन में राजस्थान कैनाल का का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं राजस्थान कैनाल मन्त्री को बधाई देना चाहता हूँ कि वे इस ओर तेजी से कार्य कर रहे हैं....

श्री चन्दनमल बैद : चलो, आपने बधाई तो दी।

श्री यदुनाथ सिंह : बावजूद उसमें क्या-क्या गडबड़ियां हो रही हैं, इस बात के लिए सरकार जिम्मेदार है। 5½ करोड़ का प्लान अब तक कहां पहुँच गया और फिर भी पूरा नहीं हुआ है। आप इस थोड़े से पीरियड के लिए बधाई के पात्र अवश्य हो सकते हैं। फिर भी 6 मिलियन एकड़ को ही सिंचित कर पाते हैं पूरे जितने रिसोर्सेज हैं उनको टेप करने के बाद। जब तक सिंचाई से पैदावार को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, एन. आर. ई. पी. व अन्य प्रोग्रामों द्वारा जब तक परमानेण्ट लोगों को पेट भरने का साधन नहीं मिलेगा तब तक हालत किसी प्रकार सुधरने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 12 मार्च, 1984 के प्रातः 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4–23 बजे सोमवार दिनांक 12 मार्च, 1984 के म.पू. 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची

परिशिष्ट "अ"

सीकर जिले में पंचायत समितिवार दिनांक 29-2-84 तक, ऊर्जाकृत कुओं का विवरण

क. सं.	पंचायत समिति का नाम	दिनांक 29-2-84 तक विद्युतीकृत कुओं की संख्या
1.	पीपराली	2,819
2.	नीमकाथाना	2,661
3.	दांतारामगढ़	3,776
4.	धोद	2,140
5.	लक्ष्मणगढ़	1,387
6.	फतेहपुर	363
7.	खण्डेला	2,931
8.	श्रीमाधोपुर	4,609
	कुल योग :—	20,686

परिशिष्ट "ब"

सीकर जिले में पंचायत समितिवार जनवरी, 82 से फरवरी, 84 तक कृषि कनेक्शन लेने हेतु प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र एवं दिये गये कनेक्शन का विवरण

क सं.	पंचायत समिति का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	प्रदान किये गये कनेक्शनों की संख्या	शेष विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या
1.	फतेहपुर	64	1	63
2,	लक्ष्मणगढ़	232	29	203
3.	नीमकाथाना	579	262	317
4.	पीपराली	859	224	635
5.	खण्डेला	696	125	571
6.	दांतारामगढ़	1028	430	598
7.	धोद	351	22	329
8.	श्रीमाधोपुर	536	127	409
	कुल योग:—	4,345	1,220	3,125

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची

पंचायत समिति सुल्तानपुर में निर्माण कार्यों की स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम व ग्राम	स्वीकृत कार्य का वर्ष	स्वीकृत कार्य की राशि	स्वीकृत कार्य चालू होने का वर्ष	कार्य पूर्ण होने का वर्ष	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कुआं रामपुरिया	79–80	10,000	81–82	—	70 फीट कुआं खुदवाया गया है। पर पानी नहीं निकला। भू-जल विभाग को लिखा गया है।
2.	कुआं कोटड़ापुरा	79–80	5,000	81–82	81–82	राहत कार्य के अन्तर्गत पूर्ण।
3.	कुआं निमोदाउजाड़	79–80	10,000	82–83	—	केवल प्लेटफार्म का कार्य बकाया है। कार्य प्रगति पर है।
4.	कुआं पिपल्दासमेल	79–80	8,000	83–84	—	सरपंच ने पैसा वापस जमा करा दिया है, अन्य सदस्यों ने बोरिंग करवाया परन्तु पानी नहीं आने से भू-जल विभाग को लिखा गया।

1	2	3	4	5	6	7
5.	नलकूप खेड़ी खुश्क	80-81	15,000	—	—	सरपंच ने राशि वापस जमा करा दी खेड़ी खुश्क में 2 हैण्ड पम्प लग चुके हैं। अतः अन्य कूप निर्माण प्रस्तावित किये जा रहे हैं।
	शाला भवन निर्माण					
6.	शाला लाखमनीजा	80-81	40,000	81-82	—	छत केवल तक कार्य पूरा हो चुका है। कार्य प्रगति पर है।
7.	शाला कोटड़ापुरा	80-81	20,000	81-82	—	पूर्ण पक्की भरी जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।
8.	शाला निभोदाउजाड़	80-81	20,000	—	—	सरपंच द्वारा राशि वापस जमा करा दी गई है, टेण्डर द्वारा कार्य टेण्डर स्वीकृति पर प्रारम्भ किया जावेगा।
9.	शाला पिपल्दासमेल	80-81	20,000	—	—	कार्य प्रगति पर है।

(118)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

हरिजन व्यक्तियों को माह फरवरी, 1984 तक दिये गये कनेक्शनों का श्रेणीवार विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	हरिजन व्यक्तियों को दिये गये कनेक्शनों की संख्या				
		घरेलू	अघरेलू	लघु उद्योग	कृषि	योग
(क) पंचायत समिति मूंडवा						
1.	कुचेरा	24	—	1	1	26
2.	मूंडवा	9	—	1	—	10
3.	गजू	—	—	—	8	8
4.	पालड़ी जोधा	—	—	—	1	1
5.	खेन	15	—	—	—	15
6.	खारदा	—	—	—	1	1
7.	भदाना	3	—	—	—	3
8.	खींवसर	27	12	—	—	39
	योग (क)	78	12	2	11	103
(ख) पंचायत समिति नागौर						
1.	नागौर	204	—	—	—	204
2.	बासनी	20	—	—	—	20
3.	चेनार	15	—	—	1	16
4.	टाउसर	3	—	—	—	3
5.	गोगोलाव	2	—	—	—	2
6.	डुकोस	—	—	—	—	—
7.	अलाई	5	—	—	—	5
8.	भादोसा	3	—	—	—	3
9.	अथियासन	—	—	—	6	6
	योग (ख)	252	—	—	7	259
	योग (क+ख)	330	12	2	18	362

(119)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

(उदयपुर स्थित संस्था की भूमि के कुछ भाग की बिक्री का विवरण)

क. सं.	भूखण्ड क्रेता का नाम	विक्रय की राशि (रुपये)	राशि जमा कराने का विवरण दिनांक	राशि जमा कराने का विवरण जमा राशि	संस्था की बहियों में जमा का विवरण दिनांक	संस्था की बहियों में जमा का विवरण जमा राशि
1	2	3	4	5	7	7
1.	श्री उमरावसिंह बापना	49,111.00	24–12–80	49,111.00	24–12–80	49,111.00
2.	सेन्ट पाल, उदयपुर	47,804 00	3–2–79	2,000 00	3–2–79	2,000.00
			6–3–79	2,000 00	6–3–79	2,000.00
			19–3–79	36,000.00	19–3–79	36,000 00
			14–4–79	15,000 00	14–4–79	15,000.00
			18–4–79	5,000.00	18–4–79	5,000.00
			1–5–80	15,000.00	1–5–80	15,000.00
			30–8–80	8,000.00	30–5–80	8,000.00
			31–8–80	9,000.00	31–8–80	9,000.00
3.	सेन्ट पाल, उदयपुर	45,972.00	29–4–81	1,776.00	29–4–81	1,776.00
		93,776.00		93,776.00		93,776.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	श्री राजमल मूंदड़ा महेश्वरी (लीज होल्ड राइट्स पर)	28,000.00	14–5–81	28,000.00	14–5–81	28,000.00
5.	श्री राजमल मूंदड़ा (लीज होल्ड राइट्स पर)	28,000.00	2–4–80	15,000 00	2–4–80	15,000 00
			4–6–80	5,000.00	4–6–80	5,000 00
			1–6–81	8,000.00	1–6–81	8,000.00

माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी कन्या छात्रावास उदयपुर

आय व्यय पत्रक दिनांक 30–6–81 को समाप्त हुए वर्ष का

व्यय	रुपये	आय	रुपये
भोजन सामग्री	42,585.00	अनुदान (समाज कल्याण विभाग) द्वारा	53,486.00
वस्त्रादि व्यय	3,128 00		
स्वास्थ्य रक्षा	1,242.68	ब्याज	27.00
रोशनी एवं पानी व्यय	1,942.50	सहायता—महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा	24,610.70
पाठन सामग्री	1,451.61		
यात्रा व्यय	709.75	अन्य सहायता	163.00
अंकेक्षण शुल्क	300.00		
वेतन	16,077.90		
सामान मरम्मत	10.00		
अन्य व्यय	1,034.10		
शिक्षण व्यय	3,330.00		
बागवानी व्यय	567.61		
आय की व्यय पर अधिकता जो कि स्थिति विवरण में ले जाई गई	5,907.95		
	78,287.10		78,287 10

अक्षरे अठत्तर हजार दो सौ सित्यासी रुपये दस पैसा मात्र

हमारे इसी दिनांक के संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार

सही प्रतिलिपि

ह.	मंत्री	अध्यक्ष	व्यवस्थापक	
ओरगे. सैकेट्री महिला आश्रम भीलवाड़ा	महिला आश्रम भीलवाड़ा	छात्रा परिषद उदयपुर	माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी छात्रावास उदयपुर	सम्पत्तिलाल बोहरा वास्ते सम्पत्तिलाल बोहरा एण्ड कं. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स उदयपुर

(121)

माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी कन्या छात्रावास, उदयपुर

आय-व्यय पत्रक दिनांक 30–6–82 को समाप्त हुए वर्ष का

व्यय	रुपये	आय	रुपये
वेतन	12,720.00	सहायता	1,710.00
पाठ्य सामग्री	211.37	सहायता (महिला आश्रम भीलवाड़ा)	18,217.81
यात्रा व्यय	41.00	ब्याज स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर	6.25
पानी व प्रकाश	908.33		
अन्य व्यय	96.07		
आय की व्यय से अधिकता जो स्थिति विवरण में ले जाई गई	5,228.29		
	19,934.06		19,934.06

मंत्री महिला आश्रम, भीलवाड़ा	अध्यक्ष छात्रा परिषद् महिला आश्रम, उदयपुर	अधीक्षक मेस समिति महिला आश्रम उदयपुर	व्यवस्थापक अनुदानित महिला आश्रम उदयपुर	वास्ते, सम्पत्तिलाल बोहरा सम्पत्तिलाल बोहरा एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स उदयपुर ।

सही प्रतिलिपि

ह.

ओरगे. सैकेट्री

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी कन्या छात्रावास उदयपुर
आय-व्यय पत्रक दिनांक 30-6-83 को समाप्त हुए वर्ष का

व्यय	रुपये	आय	रुपये
वेतन	22,093 55	अनुदान (समाज कल्याण द्वारा)	89,162.00
भोजन सामग्री	73,885.70	ब्याज	1,551.65
वस्त्रादि	8,309.83	अन्य सहायता	2,855.00
पानी, प्रकाश व्यय	3,726.70	व्यय की आय से अधिकता जो स्थिति विवरण में ले जाई गई	22,085 32
पाठ्य सामग्री	1,951.24		
यात्रा व्यय	859.70		
अंकेक्षण शुल्क	600.00		
सामान मरम्मत व्यय	510 70		
अन्य व्यय	1,852 51		
शिक्षण व्यय	144.43		
बागवानी व्यय	445.80		
सामान खरीद व्यय	201.75		
स्वास्थ्य रक्षा व्यय	1,072.06		
	1,15,653.97		1,15,653.97

अक्षरे रुपये एक लाख पन्द्रह हजार छः सौ तरेपन एवं सितानवे पैसा मात्र
हमारे इसी दिनांक के संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार

सही प्रतिलिपि	मंत्री	अध्यक्ष	अधीक्षिका	सम्पत्तिलाल बोहरा
ओरगे. सैकेट्री	महिला आश्रम	छात्रा परिषद्	मैस समिति अनुदानित	वास्ते सम्पत्तिलाल बोहरा एण्ड कं.
महिला आश्रम,	भीलवाड़ा	महिला आश्रम	महिला आश्रम	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स उदयपुर (राज.)
भीलवाड़ा		उदयपुर	उदयपुर	

जी पी सिंघल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

महिला आश्रम, भीलवाड़ा
संस्था की उदयपुर में स्थित जायदाद
स्थिति विवरण दिनांक 30-6-82

कोष व देनदारियां	रुपये	सम्पत्तियां व लेनदारियां	रुपये	रुपये
जायदाद कोष		आय व्यय कोष		
भूखण्डों से प्राप्त राशियां संलग्न सूची "क" के अनुसार गत वर्ष के अनुसार	2,87,977.50	गत वर्ष के अनुसार	62517.70	
		जोड़ा : आदिवासी कन्या छात्रावास उदयपुर को सहायता इस वर्ष	18217.81	80,728.51
		लेनदारियां		
		गत वर्ष के अनुसार		1,100.00
		सस्पेन्स अकाउन्ट		
		"संलग्न सूची के अनुसार" गतवर्ष के अनुसार		89,090 50
		रोकड़ पोते व बैंक बेलेन्स		
		डबल लोक अकाउन्ट में		1,17,058.49
	2,87,977.50			2,87,977.50

नोट—

1. अंकेक्षण की तारीख में रुपये 1,07,058 49 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी कन्या छात्रावास के खाते में जमा कराये हुए पाये गये।

2. भूखण्डों से प्राप्ति राज्य सरकार से सन् 1956 में हुई थी। उसकी कीमत स्थिति विवरण में प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि कीमत के भुगतान का हिसाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3. सस्पेन्स अकाउन्ट "संलग्न सूची" "ख" में जो राशि नाम दिखायी गई है, उसका हिसाब प्राप्त करने की आवश्यकता है।

4. जायदाद कोष एवं सस्पेन्स अकाउन्ट में 4,000/- रुपये का अधिक जमा खर्च हुआ है। जायदाद कोष में "1" श्रीमती गीतादेवी "2" श्रीमती केसरदेवी एवं "3" श्री बद्रीलाल जी को भूखण्ड बेचे गये वे क्रमश: 7,999/-, 6,999/- एवं 6,999/- में बेचे गए थे, किन्तु कोष में 9,999/- 7,999/-, एवं 7,999 जमा कर सस्पेन्स अकाउन्ट में नाम लिखे गये हैं जिसे इस वर्ष ठीक नहीं किया गया। जायदाद कोष में 4,000/- रुपये व सस्पेन्स अकाउन्ट में 4,000/- रुपये का अधिक जमा खर्च हो गया है, इसे ठीक किया जांय जिससे वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो सके।

उपर्युक्त टिप्पणी सहित हिसाब जांचा एवं सही पाया गया।

भीलवाड़ा | सही प्रतिलिपि

दिनांक 9 मार्च, 1983 | ह० | ह०

ओरगे. सैक्रेट्री
महिला आश्रम, भीलवाड़ा

जी. पी. सिंहल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

महिला आश्रम भीलवाड़ा का विधान

1. इस संस्था का नाम—महिला आश्रम होगा।
2. इसका कार्यालय—भीलवाड़ा में होगा।
3. इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय नागरिक दृष्टि से महिलाओं का जीवन निर्माण करना होगा।
4. इसके निम्नलिखित साधन होंगे—
   1. महिला छात्रालय
   2. महिला विद्यालय
   3. महिला चल पुस्तकालय व पुस्तकालय
   4. महिला सेवा दल
   5. महिला उद्योग शाला
   6. महिला पाठशाला (प्रौढ़ नारी शिक्षण केन्द्र)
   7. महिला प्रसूति गृह
   8. खादी व ग्रामोद्योग चलाना (प्रबन्ध समिति की दिनांक 20–10–69 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार)

उपरोक्त साधनों की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता लेना, देना व मकान बनाना, बेचना, पत्र चलाना, प्रकाशन करना, रिपोर्ट हिसाब प्रकाशन करना, साहित्य तैयार करना, वेतनिक कार्यकर्ता या कार्यकर्ता रखना, अलग करना, रसीदें देना, वाउचर लेना, छात्रवृत्तियां लेना, दिलाना, साधारण सदस्य, संरक्षण सहायता संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य आदि बनाना, जमीन लेना देना, अचल सम्पत्ति बनाना, बेचना व बढ़ाना।

5. इसका कार्यक्षेत्र भीलवाड़ा के आस पास मुख्यतः भीलवाड़ा ही होगा।
6. इसका निम्नलिखित संगठन होगा—
   1. साधारण सदस्य 16 वर्ष से अधिक उसकी कोई भी विवाहित या अविवाहित बहिन नीचे लिखी मर्यादाओं का पालन करती हुई सदस्य हो सकेगी—
      (अ) जो इस आश्रम को साल भर में तीन रुपये देती हो।
      (ब) जो महीने में तीन दिन महिला आश्रम के काम को सेवायें दे।
      (स) जो महीने में आधा पाव आठ नम्बर की सूत दे।
   2. संस्थापन सदस्य—
      1. जिन सदस्यों ने इसको जन्म दिया हो और जो उसके शेष समय में कार्यकारिणी की सदस्या रही हो तथा जिसने सात वर्ष आश्रम की सेवा करली हो।
      2. आजीवन सदस्य जिन्होंने सात वर्ष तक आश्रम की सेवाओं के लिये अपना जीवन देने का निश्चय किया हो।

3. संरक्षण सदस्य जो एक हजार रुपये संस्था को दे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।

4. सहायक संरक्षक – जो एक मुश्त 100 00 रुपये दे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।

7. कार्यकारिणी समिति—

(क) पदाधिकारी, अध्यक्ष, संचालिका (2) मंत्री, सात अन्य सदस्या उपरोक्त सातों विभागों की एक एक संचालिका आश्रम की संच लिका मंत्राणी कुल मिलाकर 9 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी।

(ख) कार्यकारिणी समिति को आश्रम के सारे संचालन का अधिकार होगा।

(ग) कार्यकारिणी का निर्णय बहुमत से हुआ करेगा।

(घ) कार्यकारिणी की सदस्या केवल वही महिला हो सकेगी, जो नियम 6 की धारा 2–1–3 की योग्यता रखती हो।

(च) संघ की कार्यकारिणी का पूरा संगठन न होने तक संस्थापिका सदस्या ही कार्यकारिणी के अधिकार का उपयोग करती रहेगी।

8. सदस्यों के अधिकार—

1. कार्यकारिणी के सदस्यों के हाथ में सारी संस्था का संचालन, संयोजन और प्रबन्ध रहेगा।

2. संस्थापन तथा आजीवन सदस्यों की पांच वर्ष के बाद नई कार्यकारिणी बनने व पुरानी को हटाने का अधिकार होगा।

3. सहायक सदस्य तथा संरक्षक सदस्य हिसाब की जांच करने के अधिकारी होंगे। किन्तु यह नियम पहले 5 वर्ष के लिये लागू होंगे, बाद में प्रति तीसरे वर्ष चुनाव हुआ करेंगे।

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

राज्य परिवहन निगम में स्वागत-कर्ताओं को पदोन्नति

56. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य परिवहन निगम में स्वागतकर्ता के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो कब से व किस वेतनमान में हैं ?

(2) क्या इन पदों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ? इनका प्रमोशन चैनल किस प्रकार रखा गया है एवं पूरे चैनल पर नियुक्ति, पदोन्नति दिये जाने पर निगम पर कितना वार्षिक वित्तीय भार बढ़ने की सम्भावना है ?

(3) क्या निगम की पदोन्नति नियम समिति द्वारा स्वीकृत प्रमोशन चैनल पर कार्यरत स्वागतकर्ताओं में से अब तक किसी को प्रमोशन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या निगम इस पद को किसी अन्य पद में समायोजित कर चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, परन्तु इन पदों का (cadre) संवर्ग राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18-7-79 से स्वीकृत है। वर्तमान वेतनमान 500-860 का है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पदों की नहीं बल्कि स्वागतकर्ता के संवर्ग की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इनका प्रमोशन चैनल निर्धारित करने का प्रकरण निगम के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में कार्यरत स्वागतकर्ताओं की सेवाओं को समायोजित करने का प्रकरण भी निगम के विचाराधीन है।

टोंक जिले में दूरदर्शन कार्यक्रम

57. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;--

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में टी. वी. सैट स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों में एवं इनमें कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टी. वी. सैट विभिन्न खराबियों के कारण बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब कब से ? इतने लम्बे समय से टी. वी. सैट बन्द होने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है एवं उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त बन्द टी. वी. सैटों को कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला टोंक के 103 गांवों में टी. वी. सैट लगाये गये हैं, जिनकी सूची एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। 53 टी. वी. सैट विभिन्न खराबियों के कारण बन्द हैं जिनका विवरण सदन के पटल पर रखी गयी सूची में अंकित कर दिया गया है। दूरदर्शन एवं रीको द्वारा लगाये गये बंद सैटों के लिए जिम्मेदारी क्रमश: दूरदर्शन व रीको की है। इसके लिए कौन दोषी है, इसकी जांच करवाई जावेगी।

(3) बन्द टी. वी. सैटों को शीघ्र ही ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है।

सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम जहां टी. वी. सैट स्थापित किये गये हैं	पं. स. का नाम	टी. वी. सैट लगाने पर हुये व्यय का विवरण	ग्रामों के नाम जहां टी. वी. सैट खराब पड़े हैं	दिनांक जब से टी. वी. सैट खराब पड़े हैं
1	2	3	4	5	6
1.	लावा, डिग्गी, सोडा, चान्दसेन, अम्बिकानगर, बजलालनगर, टोरड़ी, रूपाहेला, रिण्डलिया, अम्बापुरा, धानोता, लाम्बा हरिसिंह	मालपुरा	23,397	निल	निल
2.	उनियारा, ककोड़, बनेठा व शोप	उनियारा	28,711.60	उनियारा ककोड़	पिछले एक वर्ष से
3.	दूनी व आवा	देवली	5,950.00	निल	निल
4.	पंवालिया, मान्दोलाई व भासू	टोडा	2,355.80	मान्दोलाई	24,10.83

1	2	3	4	5	6
5.	देवली, मेहन्दवास, वजीरपुरा, धोलाखेड़ा, सकरावाद, गोवरपुरा, चिरोद, लहन, हाडीकला, डारडातुर्की, वगड़ी, बरोनी, पराना, हथोना, भाँची, मोलाईपुरा, छाण, भरनी, रानीपुरा, महुवा, दाखिया, झिराना, बोरखण्डी, डारडाहिन्द, मण्डावरा, सोहेला, पीपलू, काशीपुरा, नानेद, साठा गांव, उचीटाना, बिठोला, देवपुरा, सोनवा	टोंक	4,529.00	देवली, मेहन्दवास धोलाखेड़ा गोवरपुरा, वगड़ी, हाडीकलां, डारडातुर्की बरोनी, पराना, हथोना, भांची मोलाईपुरा, छाण, भरनी, रानीपुरा महुवा, दाखिया, झिराना, वोरखण्डी, डारडाहिन्द, मण्डावर, पीपलू, काशीपुरा, साठागांव, उचीटाना, बिठोला, देवपुरा, सोनवा,	एक वर्ष से
6.	चैनपुरा, ढाणी जमात,	निवाई	2,40,000/-	रजवास	15.12 83
	वलेई, वह्कवा, गुढ़ा			आलियावद	20.1.84
	आनन्दपुरा, रजवास			बिडोली	1.6.82
	गांधीशाला,			डांगरथल	20.12 83
	आलियावाद, भावता,-			गुन्सी	3.11.83
	बिठोली, वनस्थली,			मुण्डिया	20.8.83
	सुनारा, सुनारी,			लुहारा	25.8 83
	डांगरथल, खण्डदेवत,			दहलोत	20.10.83
	राहोलो, सिदड़ा,			दतवास	20.8.83
	गुन्सी, मुण्डिया, लुहारा,			जगसरा	17.9.83

1	2	3	4	5	6
	दहलोद, दतवास,			करेड़ा	16.10.83
	जगसरा,			बुजुर्ग	
	पिपवाड़ी, ललवाड़ी,			हिंगोनिया	20.6.82
	हनोतिया, कनेसर,			झिलाय	1.8.83
	करेड़ाबुजुर्ग, नोहटा			नोहटा	25.8 83
	निम्बहेड़ा, रहड़,			निम्बहेड़ा	1.8.83
	खिडगी, जामडोली,			जामडोली	1.8.83
	सिरोही, बड़ागांव,			सिदड़ा	20.9.82
	सिथरा, रामनगर,			सिरस	20.10.83
	भरथला, गोपालपुरा,			बस्सी	20.1.84
	सिरस बस्सी, लेड़ा,				
	नला,			लेड़ा	20.8.83
	खण्डवा,बहड़, धतूरी,			नला	20.2.84
	हिंगोनिया, झिलाय ।			खण्डवा	1.10.83
			3,04,943.40		

बांसवाड़ा जिले में आवास हेतु जमीन

58. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में आवास हेतु काबिल काश्त जमीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितनी बीघा भूमि कहां-कहां पर है ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त भूमि को कब तक भूमिहीनों को आवंटन करने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि कई वर्षों से भूमिहीनों ने नाजायज कब्जे कर पेनल्टी जमा करवाई है ? यदि हां, तो क्या उन भूमिहीनों को भूमि अलॉट की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) भूमिहीनों को नियमानुसार यथा-शीघ्र भूमि आवटन करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां । भूमिहीनों को नियमानुसार भूमि नियमन/आवंटन किया जा सकेगा ।

जिला बांसवाड़ा का तहसीलवार विवरण

क्रमांक	नाम तहसील	कमाण्ड भूमि	नॉन-कमाण्ड	कुल
1.	बांसवाड़ा	3191	1520	4711
2.	गढ़ी	8774	निल	8774
3.	घाटोल	8448	1072	9520
4.	बागीदोरा	2846	731	3577
5.	कुशलगढ़	--	599	599
	योग	23259	3922	27181

पंचायत समिति बेगूं के गांवों का विद्युतीकरण

59. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति बेगूं के कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ?

(2) क्या बेगूं के शेष गांवों की विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो कब ? कृपया स्वीकृत योजना की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) यदि उक्त योजना स्वीकृत हो गई है तो इसका कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा

(श्री घनश्याम जैन)

व प्रति वर्ष कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण होगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बेगूं के 123 गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है।

(2) जी हां, 107 गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ओ. बी. श्रेणी की हाल ही में (माह अक्टूबर, 1983) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। स्वीकृत योजना की स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष 16 ग्राम उपजाऊ उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित नहीं किये जा सके।

(3) उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप मण्डल द्वारा उक्त योजना के लिये ऋण राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ग्रा. वि. नि. से ऋण राशि की उपलब्धि पर आगामी वर्षों के कार्यक्रम में इन ग्रामों के विद्युतीकरण करने के लिये विचार किया जा सकेगा।

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD.

(A Gorvernment of India Undertaking)

REGISTERED OFFICE
ODA Building
Nehru Place,
New Delhi–110019

PROJECT OFFICE : RAJASTHAN
B–105, University Marg,
Bapu Nagar,
Jaipur–302015

No. REC/POR/OB/Begun/170313/2799–2804

Dated 24th Oct, 1983

To,

The Secretary
Rajasthan State Electricity Board,
Vidhyut Bhawan, Vidhyut Marg,
Jaipur.

Dear Sir,

Sub : Scheme for rural electrification in Begun PS (107) Village in Chittorgarh District of Rajasthan, State (OB Category) Code No. 170313.

Please refer to your letter No. RSEB/CE(RE)/SE (S&I) F.7/606/D.831 dated 17.8.83 forwarding the proposal for sanction on an aggregate loan of Rs. 85.601 lacs by the Corporation in respect of the above referred scheme of rural electrification in Chittorgarh district. We advise that the scheme has our general approval for financial assistance, under OB category and the Corporation is agreeable to sanction you an aggregate loan of Rs. 85.601 lacs consisting of Rs. 55.534 lacs for infrastructure part and Rs. 30.067 lacs for load development part to enavle you to finance the cost of the above scheme subject to the terms and conditions mentioned in the following paragraphs and as set out in Annexure 'A' & 'B' to this letter which form part of this letter.

2. The first year phasing of loan will be as follows:—

Infrastructure Part	Rs. 21.741 lacs
Load Development Part	Rs. 3.892 lacs
Total	Rs. 25.633 lacs

3. At the time of execution of documents, loan amount will be restricted to 40% of work (both infrastructure & loan development wherever provided) proposed to be executed during Ist year subject to its inclusion in Annual Works Programme. The balance 60% of the cost of works to be executed during the Ist year will be released in first year itself or thereafter on reimbursement basis.

4. During the 2nd and subsequent years an advance of 40% of the cost of the works proposed to be executed during the given year will be provided subject to the amount being reduced to the extent of shortfall in achievements (if any) during the previous year(s) for which the advance has already been drawn.

5. 3rd instalment will be released subject to the commissioning of 33 KV S/S at Barasoli and Anwalhera.

6. The Corporation will be agreeable tc provide additional loan of Rs. 12.340 lacs (being 15% of the santioned loan) to meet cost escalation in such manner as may be agreed to by the Corporation, if the Corporation is satisfied that—

(a) The additional loan to meet the cost escalation is necessary for timely and proper implementation of the sanctioned project,

(b) The overall increase in the scheme cost and additional loan amount will be limited to 15% of the original loan outlay. The additional loan shall be released after taking into account the actual cost datea of the year in which a particular work is originally scheduled to be executed and has actually been done during that year. In other works such of the works which are done as per original time schedule alone but have been affected by cost escalation would be eligible for the sanction of additional loan to meet the cost escalation.

136

7. The agreement and the Guarantee Deed to be executed in respect of the above loan will be for the total amount of Rs. 98.441 lacs including 15% addl. loan for cost escalation.

8. We shall be glad if you kindly advise whether the State Electricity Board and the State Govt. are agreeable to avail of the above loan on the said terms and conditions.

9. Certificate for availability of 6 hrs. minimum supply to rural feeders may be furnished.

Yours faithfully,
Sd/-
(D. N. KHANNA)
CHIEF PROJECT MANAGER

Encl. Annexure as above.

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

Annexure (i) to letter No. RSEB/POR/OB/Begun/170313 dated 24th Dec. 1983 Addressed to Secretary, RSEB

TERMS AND CONDITIONS OF LOAN (GENERAL)

1. Unless the Corporation otherwise agree in writing, the loan for infrastructure part of the scheme shall be disbursed over a period of 3 years from the date of disbursement of the 1st instalment of loan. The first instalment of the loan for the infrastructure part will be released in advance in the financial year in which the first phase of works for the infrastructure part is included in the annual works programme of the State Electricity Board. The amount of first instalment will be restricted to the cost of works included in the annual works programme for the respective financial year (1st April to 31st March) subject to the maximum of 40% of the total loan for the infrastucture part.

2. Unless the Corporation otherwise agree in writing, the loan for load development part shall be made available over a period of 5 years from the date of disbursement of 1st instalment of loan for infrastructure part. The first instalment of the loan for the load development part will be released in advance in the financial year in which the first phase of works for the load development part is included in the annual works programme of the State Electricity Board. The amount of first instalment will be restricted to the cost of works included in the annual works programme for the respective financial year subject to a maximum of 25% of the total loan for the load development part.

3. The amount of the loan for first phase of the scheme as aforesaid shall be released in advance after completion of necessarv legal formalities and execution of related documents.

4. The amount of second and subsequent instalments of loan for both the infrastructure part as well as the load development part will be released on reimbursement basis at quarterly rests to be

138

reckoned from the date of disbursement of first instalment of loan or on completion of works worth Rs. 5 lac whichever is earlier.

5. The State Electricity Board shall complete the work relating to the infrastructure part within a period of three years from the date of disbursements of the first instalment of the loan for infrastructure part. The Corporation shall have the discretion to extend the period by one year or more on a request being made by the State Electricity Board in writing. The load development part shall be completed over a period upto 5 years from the date of disbursement of the first instalment of the loan for the infrastructure part.

6. The State Electricity Board shall submit its application for the loan duly supported by such certificates and authentication in the forms as may be prescribed for the purpose.

7. The State Electricity Board shall execute such agreement and documents as may be prescribed for the purpose by the Corporation.

8. The loan shall be guaranteed by the State Govt. fully and uncondtionally in respect of repayment of principal and payment of interest thereon, either by being secured by a bulk guarantee executed between the said Govt. and the Corpn. for loan that may be granted by the Corporation to the Board under agreements to be executed between the Corpn. and the Board for implementation of Rural Electrification scheme in the State or by the State Govt. executing such separate deed of guarantee and other documents as may be prescribed by the Corporation before drawal of loans are permitted.

9. If the loan is to be secured by a deed of bulk guarantee as aforesaid executed between the said Govt. and the Corpn. the Agreement for grant of the said loan duly executed by the State Electy. Board under para (8) shall be forwarded to the Corporation through the State Govt. and the said Govt. while forwarding the said Agreement shall specify the deed of bulk guarantee by which the loan would be secured and shall require the Corporation to annex the said agreement to the said deed of bulk guarantee as one of the agreements the loan under which is secured by the said guarantee.

10. The loan shall also be subject to such further terms and conditions as may be laid down in the forms of agreement to be executed

by the State Electy. Board and executed or to be executed by the guarantor State Govt.

11. Notwithstanding anything hereinbefore, in the event of an increase in the Govt. of India's lending rate to the Corporation or the cost of funds to the Corporation increasing otherwise, it will be open to the Corproation to correspondingly enhance the rates of interest in respect of any of the loan instalments not disbursed up to date of such enhancement. The enhancement of rates of interest shall be duly communicated by the Corporation to the State Electy. Board and the revised rates shall take effect from such date as may be specified by the Corporation in this behalf.

12. The State Electy. Board shall furnish to the Corporation necessary technical opinion from State Ground Water Organisation supporting the availabitity of adequate ground water of acceptable quantity to sustain the programme of energisation of agricultural pumpsets/feasibility of the wells/tubewells/lift irrigation/drinking water proposed in the scheme.

13. It will be open to the Rural Electrification Corpn. to depute its officers and other staff for the inspection of matters relating to the scheme and the inspecting staff shall have access to such books and records of the Electy. Board as may be deemed necessary by the inspecting staff The Electy. Board shall also furnish to the Corpn. such reports on its working either in general or in specific relation to the project financed by the Corporation from time to time.

14. The State Electy. Board shall have to certify that :

(a) No provision has been made in the State Plan outlays for financing of the scheme;

(b) It will not, for meeting a any part of the capital outlay for the work included in the scheme, raise borrowings from other sources such as LIC or commercial Banks and

(c) In the event of the State Electy. Board proposing to promote or implement a scheme of consumer deposits for the same purpose, viz. of financing its capital outlay envisaged under the scheme, it will do so only after obtaining the permission of the Corpn.

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD.

Annexure to letrer No REC/POR/OB/Begun/170313
dated 24 Oct. 1983 addressed to Secretary, RSEB, JAIPUR

TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO LOAN FOR (UNNOTIFIED) AREA OR CATEGRORY

The State Electricity Board shall pay interest on the load develpment part for first five years from the date of disbursement of the first instalment of loan for the infrastructure part and thereafter the total year shall carry interest a 9.25% per annum from 6th year to 20th year.

There will be a rebate of $\frac{1}{4}$% on all stages for punctual repayment of principal and payment of interest.

The interest shall be paid on 20th day of March and of September each year.

2. The period of moratarium for repayment of principal shall be 5 years from the date of the disbursement of first instalment of loan for the infrastructure part but the entire loan shall be repaid by the State Electricity Board within a period of 20 years from the date of disbursement of the first instalment of loan.

The Board shall pay interest as indicated in clause (1) above during the period of moratorium. The repayment of principal thereafter will be effected on the basis of equal annual instalments and interest shall be calculated at the rates prescribed in clause (1) above or the amounts outstanding.

3. In part of any instalment of interest or of principal not being paid to the Corporation by the Board on the due dates as indicated in clauses (1) and (2) above, the Board shall pay to the Corporation a penal rate of compound interest O $2\frac{1}{2}$% above and in addition to the rates of interest stated in the clause (1) above.

4. The State Electricity Board shall ensure that over a period of 20 years the benefits from the project computed according to the

guidelines issued by the Corporation for the purpose are such as will enable an economic rate of return of not less than 15%.

5. The Corporation shall allow a rebate of ½% per annum in the interest charges prescribed in clause (1) above on the amount for the first phase of the programme from the date of disbursement of 20th March of the current financial year or 6 months whichever is more, provided the loan documents complete in all respect for release of the amount for the first phase are submitted to the Corporation within 45 days from the date of the letter conveying sanction of loan. This clause shall not be applicable if the loan is sanctioned during the month of Jan., Feb. and March.

6. In the event of the loan documents for drawal of the amount for the first phase duly completed in all respect not being submitted within 6 months from the date of letter conveying sanction of the loan or such further extended period, as may be allowed by the Corporation in its absolute discretion the sanction of the loan shall stand withdrawn.

पंचायत समिति बेंगू की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की सूची :

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	पटावरी	21|3|126
2.	अनोपपुरा	129
3.	खेड़ी अनोपपुरा	131
4.	आमझारिया	48
5.	अभयपुरा	47
6.	रामपुरिया	45
7.	फतेहपुर	140
8.	जावदिया जूना	139
9.	जावदिया नया	137
10.	भचरड़ी	136
11.	बन्दे का रामनगर	179
12.	छलियों की बाटिका	144
13.	मनकेशर	181
14.	खुमावास	182
15.	वृजपुरा	196
16.	हरीपुरा	183
17.	जल सागर	195
18.	झामा	185
19.	उदयपुरिया	190
20.	रान्डोला	189
21.	रामनिवास	187
22.	गोपालपुरा	177
23.	लक्ष्मीगंज	178
24.	राजगढ़	201
25.	गढ़वाड़ा	200
26.	चेकली	239
27.	सामरों का लेवा	242
28.	सरली का खेड़ा	241

1	2	3
29.	फतेहपुर	21|3|237
30.	बोरा कुण्डी	233
31.	भाट खेड़ा जूना	230
32.	डोबिया	229
33.	करून्दिया	208
34.	भाट खेड़ा नया	226
35.	हणुतिया	220
36.	अमरपुरा	219
37.	सुरपुर	149
38.	पांचपुर	125
39.	पालना का रामनगर	121
40.	नरसिंहपुरा	74
41.	अमर का खाल	68
42.	निलिया	66
43.	घटाबाव	67
44.	अमरपुरा	51
45.	फतेहपुर बामन	52
46.	मण्डावरी	53
47.	किशनगढ़	59
48.	मखनगंज	60
49.	पोहपुरा	57
50.	बूजड़ा	56
51.	हरीपुरा	91
52.	तुम्बा	86
53.	निमोदा	87
54.	कुरातिया	89
55.	किशनपुरिया	84
56.	मखनपुरा	21
57.	दौलतपुरा	20
58.	कंवरपुरा	10
59.	संगजी का खेड़ा	9
60.	चौमू	11
61.	डाडो का खेड़ा	25
62.	माली खेड़ा	6
63.	संग्रामपुरा	2
64.	बडा खेड़ा	4
65.	छोटा खेड़ा	3
66.	कड़ा खेड़ा	1

(१५५)

1	2	3
67.	मुरलिया	21|3|12
68.	रूपपुरा	17
69.	अकोड़िया	15
70.	लीरडी	13
71.	रुघनाथपुरा	18
72.	इटावा	31
73.	साहाड़ा	32
74.	लाहोरिया	16
75.	नाथावतों का खेड़ा	37
		37
76.	तख्तपुरा	38
77.	मुलतानपुरा	
78.	रतनपुरा	30
79.	उल्लूपुरा	64
80.	तोरनिया	33
81.	कुन्डालिया	42
82.	पाट कलां	43
83.	पाट कुर्द	44
84.	श्री नगर	113
85.	रामनगर तारा पीपल	108
86.	भामरिया कलां	110
87.	गोरला	98
88.	अन्दारिया की झोपड़ियां	97
89.	नया गांव चौहानों का	99
90.	छान्डा	101
91.	परख्या खेड़ी	168
92.	तीखों का खेड़ा	105
93.	सादुलपुर	106
94.	करनपुरिया	158
95.	देबरिया	167
96.	जयसिंहपुरा	214
97.	सिंहपुरा	216
98.	स्वरूप जी की खेड़ी	217
99.	गिरोलिया	252
100.	सांगा की बड़ी	251
101.	बीना का खेड़ा	253
102.	धमनिया	254
103.	मेघ निवास	255
104.	बालेछा	256
105.	जाम्बू कुडी	246
106.	घाटी	245
107.	सांगवा	243

जिला बाड़मेर और जैसलमेर की डिस्पेन्सरीज

60. श्री अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में कुल कितनी डिस्पेन्सरी व पी. एच. सी. हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर सीमावर्ती व पुनर्वास की आबादी होने के कारण सरकार ने कितना विशेष प्रावधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में सीमावर्ती पिछड़े जिलों के लिए विशेष ध्यान देगी ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 19 डिस्पेन्सरी व 10 पी. एच. सी. हैं तथा जिला जैसलमेर में 8 डिस्पेन्सरी, 3 पी. एच. सी. है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) पुनर्वास कार्य की प्रगति के अनुरूप आवश्यकतानुसार सभी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(3) योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कुल डिस्पेन्सरी एवं पी. एच. सी. की तहसीलवार

सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील	प्रा. स्वा. केन्द्र	डिस्पेन्सरी
1	2	3	4	5
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	रामसर	बिसाला
			बायतू	रानीगांव
			सिणधरी	
				क्वास
				बाटाडू
				दाखां
		शिव	गूगां	भीयाड
			शिव	गडरारोड
		सिवाना	समदड़ी	सिवाना
				रमणिया
				अजीत
				राखी
		पचपदरा	मन्डोली	पचपदरा
				पादोदी

1	2	3	4	5
				जसोल
				थोब
				वालोतरा
		गुडामालानी	गुडामालानी	
			धोरीमन्ना	गांधव
		चौहटन	चौहटन	सेड़वा
				बांखासर
2.	जैसलमेर	पोकरण	पोकरण	मनियाना
			(उच्चीकृत)	फलसूण्ड
				रामदेवरा
		जैसलमेर	सानगढ़	रामगढ़
				सम
		जैसलमेर	नाचना	मोहनगढ़
				जैसलमेर
				रामगढ़

जैसलमेर को निगम की सुपर-डीलक्स बस सेवा से जोड़ना

61. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राज्य पथ परिवहन निगम की सुपर डीलक्स, सेमी सुपर डीलक्स तथा टूरिस्ट बसेज किन किन मार्गों पर चलाई जा रही हैं ?

(2) पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार जैसलमेर को सुपर-डीलक्स, टूरिस्ट बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में परिवहन निगम की सुपर डीलक्स, सेमी डीलक्स तथा टूरिस्ट बसेज निम्न मार्गों पर चलाई जा रही हैं—

सुपर डीलक्स बसेज—

1. जयपुर–कोटा
2. उदयपुर–जयपुर–दिल्ली
3. जोधपुर–जयपुर–दिल्ली

सेमी डीलक्स

1. जयपुर–अलवर
2. अजमेर–कोटा
3. कोटा–उदयपुर
4. उदयपुर–जयपुर

(राज्य मंत्री, यातायात)

5. उदयपुर–अहमदाबाद
6. नाथद्वारा–अहमदाबाद

(2) टूरिस्ट बसेज

1. जयपुर–दिल्ली
2. जयपुर–आगरा

अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु यदि यात्री भार पर्याप्त हो तो प्रारम्भ की जा सकती है।

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा प्रदत्त सीमेंट

62. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा आठ सौ कट्टे सीमेन्ट अनधिकृत ठेकेदार श्री शिवजी राम किलक को दिये गये ? यदि हां, तो ओवरसियर की के. बी. में कितने कट्टों का इन्द्राज है ?

(2) क्या तालाब पूर्ण होने के बाद सीमेन्ट उक्त ठेकेदार को दी गयी ?

(3) तालाब के लिये उक्त ठेकेदार को किस-किस तारीख को कितने-कितने कट्टे सीमेन्ट दी ? कृपया पूर्ण तथ्यों सहित विस्तृत जानकरी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा श्री शिवराज किलक को 970 कट्टे सीमेन्ट के दिये गये। एम. बी. में 907 कट्टे पशु मेला पक्का तालाब निर्माण के लिए दर्ज किये गये।

(2) जी नहीं। ठेकेदार को सीमेन्ट कार्य पूर्ण होने से पहले दे दी गई थी। कार्य 31.10.82 को पूर्ण हुआ।

(3) ठेकेदार को दिनांक 7.9.82 को 235 कट्टे 10.9.82 को 500 कट्टे एवं दिनांक 8.10.82 को 235 कट्टे कुल–970 कट्टे सीमेन्ट दिया गया।

जिला बाड़मेर में सीलिंग से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण

63. श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में पिछले वर्षों में सीलिंग से ज्यादा भूमि होने से अधिग्रहीत की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग से अधिक भूमि का मुआवजा देने का भी निर्णय हो चुका है ?

(3) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को अभी तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 में है।

(राजस्व मंत्री

(3) प्रभावित व्यक्तियों में से 198 को रु. 1,31,862.63 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। शेष रहे व्यक्तियों को भुगतान का क्रम जारी है।

राजस्थान विद्युत् मंडल के ट्रांसफार्मर्स

64. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में विद्युत् बोर्ड के पास कितने ट्रांसफार्मर्स जले हुये अथवा खराब हुये पड़े हैं और इन बेकार ट्रांसफार्मर्स का खरीद मूल्य क्या है ? कृपया ट्रांसफार्मर्स के हार्सपावर कैपेसिटीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष 1-4-83 से 31-1-84 तक कितने ट्रांसफार्मर्स विभाग ने रिपेयर कराये ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर्स एकदम अतिशीघ्र नहीं लगने से जहां विभाग की आय में कमी हुई है वहां किसानों को अपनी फसल को पानी पिलाने में देरी होने से करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है ? यदि हां, तो भविष्य में सुव्यवस्था के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

(4) इस वर्ष नवम्बर 83 में कितने घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई और जनवरी 84 में कितने घंटे बिजली दी गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में विद्युत् मण्डल के पास जले हुए अथवा खराब पड़े हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या 6344 है। क्षमतावार विवरण परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। इन बेकार ट्रांसफार्मरों का खरीद मूल्य बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर्स बहुत समय पूर्व अलग-अलग वर्षों में खरीदे गये थे तथा ट्रांसफार्मर का स्थान भी बदलता रहता है।

(2) इस वर्ष 1.4.83 से 31.1.84 तक विद्युत् मण्डल द्वारा रिपेयर कराये गये ट्रांसफार्मरों की संख्या 2465 है।

(3) ट्रांसफार्मरों के जलने, बदलने एवं मरम्मत कराने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। जले हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर उपलब्ध नये या रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर्स लगाकर अल्प अवधि में ही बदल दिया जाता है, तत्काल ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध न होने पर निकट के ट्रांसफार्मर से विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती है। ट्रांसफार्मर के जलने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने तक किसानों को हुई क्षति की जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

(4) इस वर्ष माह नवम्बर 1983 में कृषि उपभोक्ताओं को 570 घन्टे अर्थात् 1 नवम्बर से 25 नवम्बर तक 20 घन्टे प्रतिदिन तथा 26 नवम्बर से 30 नवम्बर तक 14 घन्टे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई गई। माह जनवरी 84 में 361 घन्टे बिजली उपलब्ध कराई गई अर्थात् 1 जनवरी से 14 जनवरी तक 13 से 14 घन्टे प्रतिदिन तथा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक 10 घन्टे प्रतिदिन।

दिनांक 1.2.1984 को (एज ओन) जले हुए अथवा खराब पड़े हुये ट्रांसफार्मरों की क्षमतावार सूची—

(अ) 11/0.4 के. वी.	
500 के. वी. ए.	5
250 के. वी. ए.	95
100 के. वी. ए.	1751
63/50 के. वी. ए.	2037
25 के. वी. ए.	2094
योग (अ)	5982
(ब) 33/11 के. वी.	
5 एम. वी. ए.	1
3.15 एम. वी. ए.	3
2.5 एम वी. ए.	9
1.6/1.5 एम. वी. ए.	75
1 एम. वी. ए.	111
0.63 एम वी. ए.	47
0.50 एम. वी. ए.	68
0.25/0.2 एम. वी. ए.	35
योग (ब)	349
(स) 33/0.4 के. वी.	
0.5 एम. वी. ए.	1
0.25 एम. वी. ए.	1
$\frac{0.10}{0.05}$ एम. वी. ए.	10
6.6/0.4 के. वी. / 0.05 एम. वी. ए.	1
योग (स)	13

कुल योग (अ + ब + स) = 6344

मुख्यालय अस्पतालों में जूनियर स्पेशलिस्ट के पद

65. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाँ सी. एम. एच. ओ./एम. एस. लगे हुए हैं वहाँ के मुख्यालयों के अस्पतालों में जूनियर स्पेशलिस्ट के पद कम कर दिये गये हैं ? जिस विषय में सी. एम. एच. ओ. स्वयं जूनियर स्पेशलिस्ट हैं वहाँ सर्जरी के जूनियर स्पेशलिस्ट का पद कम कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सी. एम. एच. ओ. की अधिकतर टूरिंग ड्यूटी होने के कारण वह अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं संभाल पाता है ?

(3) क्या सरकार कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने के लिए सी. एम. एच. ओ. जिस विषय में जूनियर स्पेशलिस्ट है; उसी विषय का दूसरा पद कायम करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उनकी अनुपस्थिति में अनुभवी स्नातकोत्तर डाक्टर कार्य को देखता है।

(3) दूसरे पद को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

पंचायत समिति, सांचौर के भवन में नीलम होटल की गलत नीलामी

66. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुराने बस स्टेंड पर पंचायत समिति सांचौर के भवन में नीलम होटल की गलत नीलामी के बारे में श्री रमेश पुत्र श्री संतोष सिंह माली एवं श्री भीया राम भूतपूर्व सरपंच, सांकड़ ने शिकायतें राज्य सरकार को की थीं ? यदि हां, तो कब ? उन शिकायतों के बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नीलामी के बारे में शिकायतें होने पर सरकार द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था ? यदि हाँ, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर होटल एवं वीडियो चलाना राज्य सरकार द्वारा बन्द किये जाने के बावजूद भी अभी होटल व वीडियो चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त नीलामी की गलत कार्यवाही को शीघ्र रद्द कर दुबारा नीलामी की कार्यवाही करने का आदेश देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांचौर के विश्राम गृह को किराये पर नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीयाराम भूतपूर्व

(राज्य मन्त्री पंचायत)

सरपंच सांकड़ एवं श्री रमेश पुत्र श्री संतोष सिंह द्वारा क्रमशः दिनांक 18.6.83 व दिनांक 29.6.83 को शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। स्थगन आदेश दिनांक 1.7.83 को जारी किया गया।

(3) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चौमू कस्बे की उ. मा. शाला के खेल मैदान का विकास

67. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौमू कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक शाला को खेल के मैदान हेतु भूमि उपलब्ध करवा दी गई है? यदि हां, तो कहां पर तथा कितनी?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षण संस्था के पास खेल के मैदान के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि होते हुये भी खेल मैदान का विकास नहीं किया जा रहा है और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इसके विकास व अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) चौमू कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक शाला को खेल के मैदान हेतु जिलाधीश जयपुर के द्वारा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की गई जो रेल्वे स्टेशन चौमू सामोद के पास धीया धर्मशाला के पीछे है।

(2) विद्यालय के खेल मैदान पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, अतः विद्यालय उसे विकसित कर सकता है।

ग्राम फिरवासी (लाडनू) अस्पताल में मुख्य चिकित्सक का रिक्त पद

68. **श्री रामधन** (लाडनू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फिरवासी (लाडनू) में मुख्य चिकित्सक का पद पिछले कई महीनों से रिक्त पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस औषधालय को बजट के मुताबिक दवाइयां भी नहीं दी हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इस अस्पताल में मुख्य चिकित्सक की नियुक्ति का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में नियुक्त चिकित्सक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

के सेवानिवृत्त हो जाने से 1.11.83 से पद रिक्त है।

(2) जी नहीं। औषधियां बराबर उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(3) जी हां, शीघ्र ही नवीन नियुक्ति कर पद भर दिया जावेगा।

प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

89. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं? उन्हें भरने के लिये सरकार की क्या योजना है?

(2) प्रदेश में कितनी प्राथमिक शालाएं एक-एक अध्यापक ही चलाते हैं?

(3) प्रदेश में कितनी प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की आवश्यक संख्या के अनुसार अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं?

उत्तर

(1) 22 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार अध्यापकों के 1195 पद रिक्त हैं। पांच जिलों से सूचना एकत्रित की जा रही है। रिक्त पदों को भरे जाने के लिये विभाग द्वारा निर्देश जारी किये हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान पंचायत एवं स्वायत शासन अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने के लिए जिलेवार चयन किया जा रहा है।

(2) 22 जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर 9,812 प्राथमिक शालाएं एक एक अध्यापक द्वारा चलाई जाती हैं।

(3) 22 जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर 6,497 प्राथमिक शालाओं में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों की कमी है।

पंचायत समिति मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल

70. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर पंचायत समिति के मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी विद्यालय खोला जायेगा? यदि हां, तो कितने एवं क्या सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर खोले गये हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बड़गांव के मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्या बड़गांव में हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी 2 पंचायत समिति मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

(2) चालू सत्र में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची

क्र. सं.	नाम नवीन डिस्पेन्सरी	राज्यादेश दिनांक	पंचायत समिति	जिला
1	2	3	4	5
1.	राखी	13-12-83	सिवाना	बाड़मेर
2.	वाला	,,	बिलाड़ा	जोधपुर
3.	श्यामपुरा	,,	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
4.	हरवाई	,,	राजाखेड़ा	धोलपुर
5.	सांगरिया	,,	शाहपुरा	भीलवाड़ा
6.	रोल	,,	जायल	नागोर
7.	गोठड़ा	,,	नवलगढ़	झुन्झुनू
8.	बिराई	,,	बालेसर	जोधपुर
9.	काली पहाड़ी	11-1-84	झुन्झुनू	झुन्झुनू
10.	रायसर	,,	जमवारामगढ़	जयपुर
11.	माटून्दा	,,	तालेड़ा	बून्दी
12.	बडकला	,,	जेतारण	पाली
13.	मालविया नगर (जयपुर शहर)	,,	जयपुर	जयपुर

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची

सूत्र सं.	कार्य	लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ती					
				प. स. साकड़ा		प. स. जैसलमेर		प. स. सम	
		82–83	83–84	82–83	83–84	82–83	83–84	82–83	83–84
14	सब स्वास्थ्य								
	क. चिकित्सा सुविधानुसार								
	1. प्रा. स्वा, केन्द्र स्तरोन्नयन	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. नये प्रा. स्वा. केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. स. स्वा. केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
	4. उप केन्द्र	1	8	—	2	—	—	1	—
	5. स्वा. मार्ग दर्शक	250	208	58	82	31	33	24	26
	का. रोग चिकित्सा								
	1. कुष्ठ रोग	18							
	2. क्षय रोग								
	नये केसेज	400	400	175	117	165	155	159	168
	थूक जांच	—	1800	—	94				
	3. अंधेपन	500	700	202	65	58	276	20	—

155

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

पताका-"क"

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई राजस्थान, जयपुर के
वर्ष 1956-57 से 1982-83 तक के खर्चे का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि
1.	1956-57	1,24,475
2.	1957-58	1,00,036
3.	1958-59	1,25,000
4.	1969-60	98,836
5.	1960-61	98,802
6.	1961-62	2,84,200
7.	1962-63	2,98,000
8.	1963-64	2,98,800
9.	1964-65	2,98,600
10.	1965-66	6,98,200
11.	1966-67	6,98,497
12,	1967-68	7,35,150
13.	1968-69	9,01,037
14.	1969-70	9,32,527
15.	1970-71	9,51,012
16.	1971-72	15,41,939
17.	1972-73	10,15,998
18.	1973-74	10,41,712
19,	1974-75	13,19,605
20.	1975-76	13,22,109
21.	1976-77	14,52,132
22.	1977-78	16,13,790
23.	1978-79	30,54,076
24.	1979-80	32,15,000
25.	1980-81	33,88,000
26.	1981-82	37,03,000
27.	1982-83	44,83,000

पताका : "ख"

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राज. जयपुर द्वारा सन् 1956 से सन्, 1983-84 तक आयोजित किये गये शिविरों की सूची वर्ष वार:--

क्र. सं	नाम स्थान	वर्ष
1.	महावीरजी	1956
2.	गंगानगर	"
1.	चाकसू	1957-58
2.	लालसोट	"
3.	भीलवाड़ा	"
4.	लाडनू	"
5.	सागवाड़ा	"
6.	डीग	"
7.	नीमकाथाना	"
8.	कोठपूतली	"
9.	दौसा	"
1.	नोखा	1958-59
2.	जालोर	"
3.	माउन्ट आबू	"
4.	बांसवाड़ा	"
5.	बेगू	"
6.	भीलवाड़ा	"
7.	जेठाना	"
8.	बारी	"
9.	लाखेरी	"
10.	सवाईमाधोपुर	"
11.	नीमच	"
12.	खन्डार	"
1.	जैसलमेर	"
2.	खेरवाड़ा	"
3.	बांसवाड़ा	"
4.	सादड़ी	"
5.	शाहपुरा	"
7.	डीग	"
8.	बांदीकुई	"
9.	भीलवाड़ा	"
1.	बड़ोद	1960
2.	नायला	"
3.	महावीरजी	"

1	2	3
4.	मालपुरा	1960
5.	कोथून	,,
6.	प्रतापगढ़	,,
7.	डूंगरपुर	,,
8.	गडी	,,
9.	जैसलमेर	1960-61
10.	भीलवाड़ा	,,
1.	भीलवाड़ा	1961-62
2.	सादड़ी	,,
3.	पीपाड़सिटी	,,
4.	प. सांगन	,,
5.	लाडनू	,,
6.	झुन्झुनू	,,
7.	क कोटपूतली	,,
8.	बांसूर	,,
9.	लाखेरी	,,
1,	लाडनू	1962-63
2.	भानपुर	,,
3.	दौसा	,,
4.	केकड़ी	,,
5.	बून्दी	,,
6.	शाहपुरा	,,
7.	बारा	,,
8.	भीलवाड़ा	,,
9.	नाथद्वारा	,,
10.	राजसमन्द	,,
11.	सोजत रोड	,,
1.	नाथद्वारा	1963-64
2.	भीलवाड़ा	,,
3.	डूंगरपुर	,,
4.	निम्बाहेड़ा	,,
5.	चितौड़गढ़	,,
6.	नसीराबाद	,,
7.	झालरापाटन	,,
8.	बानसूर	,,

1	2	3
9.	जमवा रामगढ़	1963-64
10.	कोटपूतली	,,
11.	रिखबदेव	,,
12.	सीताबाड़ी	,,
1.	रायसिहनगर	1964-65
2.	पिंडवाड़ा	,,
3.	भिनाय	,,
4.	नेनवा	,,
5.	टोडारायसिंह	,,
6.	डिग्गी	1964-65
7.	चाकसू	,,
8.	सीताबाड़ी	,,
9.	जवाजा	,,
10.	टूंगा	,,
11.	गंगापुर	,,
12.	कोटपूतली	,,
13.	आंधी	,,
14.	भीलवाड़ा	,,
1.	पाली	1965-66
2.	चूरू	,,
3.	पिसांगन	,,
4.	निम्बाज	,,
5.	बड़ोद	,,
6.	रायसिहनगर	,,
7.	नापासर	,,
8.	खण्डार	,,
9.	मालपुरा	,,
10.	नीम का थाना	,,
11.	राजाखेड़ा	,,
12.	शाहपुरा	,,
1.	लक्ष्मणगढ़	1966-67
2.	सोजतरोड	,,
3.	बांदीकुई	,,
4.	खण्डार	,,
5.	लाडनू	,,

1	2	3
6.	निम्बाज	1966–67
7.	पिसांगन	,,
8.	शाहपुरा	,,
9.	टोंक	,,
10.	माउण्टआबू	,,
11.	सीताबाड़ी	,,
1.	सोजतरोड	1967–68
2.	पाघटा	,,
3.	खण्डार	,,
4.	बांदीकुई	,,
5.	पिसांगन	,,
6.	निमाज	,,
7.	गंगापुर	,,
8.	खेड़ली	,,
9.	अलीगढ़	,,
10.	शाहपुरा	,,
11.	सीताबाड़ी	,,
1.	सोजतरोड	1668–69
2.	देवली	,,
3.	सेवाली	,,
4.	गोविन्दगढ़	,,
5.	पीसांगन	,,
6.	सवाई माधोपुर	,,
7.	बून्दी	,,
8.	निमाज	,,
9.	शाहपुरा	,,
10.	झालरापाटन	,,
11.	सीताबाड़ी	,,
1.	लाडनू	1969–70
2.	सवाई माधोपुर	,,
3.	महुआ	,,
4.	सांवली	,,
5.	कटूम्बर	,,
6.	पीसांगन	,,
7.	जहाजपुर	,,
8.	पीपलियाकलां	,,

1	2	3
9.	डूंगरपुर	1969–70
10.	निम्बाहेड़ा	”
11.	गुमानपुरा	”
12.	सीताबाड़ी	”
1.	सरदारशहर	1970–71
2.	जायल	”
3.	पीपलियाकलां	”
4.	सादड़ी	”
5.	डूंगरपुर	”
6.	निम्बाहेड़ा	”
7.	जहाजपुर	”
8.	सीताबाड़ी	”
9.	नीम का थाना	”
10.	बग्गड़	”
11.	आहोर	”
12.	उनियारा	”
13.	चूरू	”
14.	बांगलादेश	”
1.	बड़ोद	1971–72
2.	विजयनगर	”
3.	पीसांगन	”
4.	सीताबाड़ी	”
5.	बस्सी	”
1.	सिवाना	1972–73
2.	भीनमाल	”
3.	पीपलियाकलां	”
4.	आसीन्द	”
5.	सीताबाड़ी	”
6.	खण्डार	”
7.	पीसांगन	”
8.	जहाजपुर	”
9.	नीमकाथाना	”
10.	गंगापुर	”
1.	खेड़ली	1973–74
2.	पीसांगन	”

1	2	3
3,	बाड़ी	1973–74
4.	गुलाबपुरा	,,
5.	भीलवाड़ा	,,
6.	सरदारशहर	,,
7.	जयपुर	,,
8.	पदमपुरा	,,
9.	बगरू	,,
10.	पीपलियाकलां	,,
11.	बोली	,,
12.	जहाजपुर	,,
1.	नगर	1974–75
2.	पदमपुरा	,,
3.	कोटपूतली	,,
4.	फलोदी	,,
5.	शिवगंज	,,
6.	ब्यावर	,,
7.	पीसांगन	,,
8.	बगड़ी	,,
9.	नोहर	,,
10.	भीनमाल	,,
11.	बड़ोद	,,
12.	गुजराती	,,
13.	सुजानगढ़	,,
14.	रोटरी क्लब	,,
15.	लायन्स क्लब	,,
16.	सीताबाड़ी	,,
17.	टोडारायसिंह	,,
1.	बीलत्रा	1975–76
2.	कोटा	,,
3.	महुआ	,,
4.	बून्दी	,,
5.	सलामाबाद	,,
6.	फलोदी	,,
7.	शिवगंज	,,

(162)

1	2	3
8.	दरियाबाद	1975-76
9.	पीसांगन	,,
10.	बेगू	,,
11.	बुरेटा	,,
12.	तबाना	,,
13.	निम्बाहेड़ा	,,
14.	भीनमाल	,,
15.	गंगापुर	,,
16.	रोटरी क्लब	,,
17.	सवाई माधोपुर	,,
18.	सीताबाड़ी	,,
19.	बेस होस्पिटल	,,
1.	कोटा	1976-77
2.	बगड़ी	,,
3.	गोविन्दगढ़	,,
4.	मण्डावा	,,
5.	भरतपुर	,,
6.	सांगानेर	,,
7.	पावटा	,,
8.	सुजानगढ़	,,
9.	ब्यावर	,,
10.	फलोदी	,,
11.	पीसांगन	,,
12.	बारा	,,
13.	बड़ोद	,,
14.	सांभर	,,
15.	बगड़ी	,,
16.	भवानी मण्डी	,,
17.	सीताबाड़ी	,,
18.	जयपुर सिटी-डिस्पे.	,,
1.	जयपुर रोटरी	1977-78
2.	वानसूर	,,
3.	गोविन्दगढ़	,,
4.	कोटा	,,
5.	मोलासार	,,

1	2	3
6.	पीसांगन	1977-78
7.	बनीपार्क	,,
8.	फलौदी	,,
9.	झूंटा	,,
10.	साँभर	,,
11.	सादड़ी	,,
12.	मालपुरा	,,
13.	कोलायत	,,
14.	डूंगरपुर	,,
15.	सीताबाड़ी	,,
16.	चांद खेड़ी	,,
17.	जयपुर रोटरी	,,
1.	फागी	1978-79
2.	कोटा	,,
3.	गोविन्दगढ़	,,
4.	भांखरोटा	,,
5.	बानसुर	,,
6.	जयपुर	,,
7.	डूंगरपुर	,,
8.	प्रतापगढ़	,,
9.	भगवानपुरा	,,
10.	फलोदी	,,
11.	ब्यावर	,,
12.	पीसांगन	,,
13.	किशनगढ़	,,
14.	बगड़ी	,,
15.	जयपुर	,,
16.	भीनमाल	,,
17.	साँभर	,,
18.	बड़ौद	,,
19.	भवानी मण्डी	,,
20.	गंगापुर सिटी	,,
21.	जयपुर	,,
22.	सीताबाड़ी	,,
1.	नोहर	1979-80

1	2	3
2.	बगरू	1979–80
3.	कोटा	”
4.	गोविन्दगढ़	”
5.	बस्सी	”
6.	बनीपार्क	”
7.	सादड़ी	”
8.	सिम्भलवाड़ा	”
9.	किशनगढ़	”
10.	नामनवाड़जी	”
11.	जोगणिया माता	”
12.	सागवाड़ा	”
13.	केवलनगर	”
14.	नोखा	”
15.	पीसांगन	”
16.	भवानी मण्डी	”
17.	गुलाबपुरा	”
18.	रोटरी क्लब	”
19.	महावीरजी	”
1.	पावटा	1980-81
2.	गुहाना	”
3.	गुजराती समाज	”
4.	केकड़ी	”
5.	कोटा	”
6.	सरमथुरा	”
7.	खण्डार	”
8.	मुकन्दगढ़	”
9.	मारोठ	”
10,	लूणकरणसर	”
11.	ब्यावर	”
12.	बनीपार्क	”
13.	फलोदी	”
14.	पीसांगन	”
15.	चित्तौड़	”
16.	जोगणिया माता	”
17.	किशनगढ़	”
18.	बानसी	”

1	2	3
19.	कसार	1980-81
20.	त्रिवेणी	,,
21.	साम्भर	,,
22.	बढ़ोद	,,
23.	भवानी मण्डी	,,
24.	सीताबाड़ी	,,
25.	माउण्ट आबू	,,
1.	हिण्डौन	1981-82
2.	केकड़ी	,,
3,	गोविंदगढ़	,,
4.	कोटा	,,
5.	नापासर	,,
6.	मुहाना	,,
7.	जोगणियामाता	,,
8.	निम्बाहेड़ा	,,
9.	पेच की बावड़ी	,,
10.	फलोदी	,,
11.	बामणवास	,,
12.	पीसांगन	,,
13.	मदनगंज	,,
14.	खिरणी	,,
15.	टोड़ाभीम	,,
16.	दौसा	,,
17.	भवानी मण्डी	,,
18.	रामगढ़	,,
19.	जयपुर रोटरी क्लब	,,
1.	सांवरिया	1982-83
2.	कोछोला	,,
3.	बन्धे का बालाजी	,,
4.	लूणियावास	,,
5.	जमवारामगढ़	,,
6.	पीपलियाकला	,,
7.	गुजराती समाज	,,
8.	कोलायत	,,
9.	सीकर	,,
10.	जोगणियामाता	,,

1	2	3
11.	महुआ	1982-83
12.	झुन्झुनू	,,
13.	केवलनगर	,,
14.	पीसांगन	,,
15.	कोटा	,,
16.	सपोटरा	,,
17.	त्रिवेणी	,,
18.	फूलियाकलां	,,
19.	भवानी मण्डी	,,
20.	महावीरजी	,,
1.	रोटरी क्लब	1983-84
2.	केकड़ी	,,
3.	प्रतापगढ़	,,
4.	रोहिड़ा	,,
5.	चोथ का बरवाड़ा	,,
6.	फागी	,,
7.	सांवरियाजी	,,
8.	नागेश्वर तीर्थ पेढ़ी	,,
9.	निम्बाहेड़ा	,,
10.	फलौदी	,,
11.	पीसांगन	,,
12.	रावतभाटा	,,
13.	तारानगर	,,
14.	सांभर	,,
15.	बड़ोद	,,

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

सूची "क"

वर्ष	राज्य सरकार से अनुदान	राज्य सरकार से एडहाक अनुदान	जन सहयोग	अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5	6
71–72	7321-00	–	18256-00	–	25577-00
72–73	13214-00	–	16374-00	–	29588-00
73–74	13279-00	–	5226-00	–	18505-00
74–75	20067-00	–	3900-00	5-05	23172-05
75–76	33837-00	–	15667-00	69-20	46516-20
76–77	47830-00	5500-00	34665-00	209-75	71347-75
77–78	36001-00	3000-00	22802-88	1417-65	63221-53
78–79	41003-00	–	21432-50	4231-10	66666-60
79–80	38383-00	–	19628-00	2401-82	60412-82
80–81	28284-00	–	18146-21	5775-18	62275-39
81–82	41787-00	10000-00	23138-78	3185-17	78110-95
82–83	83666-00	12000-00	15446-69	2316-30	113431-99

(168)

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान (अंध विद्यालय)
मोती कुण्ड, उदयपुर (राजस्थान)
आय-व्यय खाता
दिनांक 1.4.1977 से 31.3.1978 तक

व्यय		रकम	आय		रकम
वेतन—			**अनुदान—**		
मूल वेतन	44,774.19		शिक्षा विभाग, राज.		
महंगाई वेतन	3,086.80		द्वारा सन् 77–78 का–	33,222.00	
प्रोविडेन्ट फंड	1,502.21	49,363.20	जोड़िये सन् 76–77 का		
			समायोजन	2,779.00	
विविध व्यय–					
भवन किराया	2,220.00			36,001.00	
फर्नीचर मरम्मत	50.00				
साईकल मरम्मत	67.05				
वाद्य यन्त्र मरम्मत	132.00		**एडहोक अनुदान–**		
स्टेशनरी	293.16		(आयुक्त, नगर पालिका,		
पाठन सामग्री	109.33		उदयपुर)	3,000.00	39,001.00
पानी प्रकाश	180.63				
यात्रा व्यय	860.95				
पोस्टेज	33.00				
आडिट फीस	250.00				
दस्तकारी उद्योग	51.07				

1		2	3	4
वाचनालय	156.40		सहायता–	39,001.00
परीक्षा व्यय	2.65			
विज्ञापन	132.00		विविध दानदाताओं से प्राप्त	22,802.88
सांस्कृतिक कार्यक्रम	459.50		विशेष आय	1,350.00
अन्य व्यय	130.65	5,128.39	अन्य आय	20.00
			ब्याज	47.65
आय की व्यय से अधिकता जो लेखा पत्रक में ले जायी गयी ।		8,729.94		
योग		63,221.53		63,221.53

योग— रुपया तरसठ हजार दो सौ इक्कीस एवं पैसा तरपन मात्र ।

हिसाब जांचा व सही पाया अलावा कि इसी दिनांक की हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।

स्थान : उदयपुर (राज.)
दिनांक : 26.7.78

ह.
सचिव
प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
उदयपुर

ह./–
बी. एल. दोसी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स
182, बापू बाजार, उदयपुर

169

(170)

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
(अंध विद्यालय)
मोती कुण्ड, उदयपुर (राज.)
आय-व्यय खाता
(दिनांक 1.4.1978 से 31.3.79 तक का)

व्यय 1		रकम 2	आय 3		रकम 4
वेतन			**अनुदान**		
मूल वेतन	47,307.19		शिक्षा विभाग राज.		
महंगाई वेतन	5,225.61		वर्ष 1978-79	39,257.00	
प्रोविडेन्ट फंड	2,253.39	54,786.19	जोड़िये सन्		
			77-78 का समायोजन	1,746.00	41,003.00
विविध व्याज			**तदर्थ अनुदान**		
भवन किराया	2,400.00		आयुक्त नगर परिषद्,		3,900.00
फर्नीचर मरम्मत	286.55		उदयपुर		
साइकिल मरम्मत	6.00		**सहायता**		
पंखा मरम्मत	24.00				
स्टेशनरी व छपाई	778.76		विविध दानदाताओं से		21,432.50
पाठ्य सामग्री	20.50		बैंक व्याज		331.10
पानी-प्रकाश	178.75				
यात्रा व्यय	412.50				

1		2	3	4
पोस्टेज	11.55			
ऑडिट फीस	250.00			
दस्तकारी उद्योग	300.83			
वाचनालय	174.86			
परीक्षा व्यय	6.20			
खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.45			
विज्ञापन	155.60			
अन्य व्यय	180.46	5,237.01		
आय की व्यय से अधिकता जो लेखा पत्रक में ली जाये		6,643.40		
		66,666.60		66,666.60

स्थान–उदयपुर

ह०
सचिव
श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान,
उदयपुर (राज.)

ह०
बी. एल. दोसी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

171

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
(अंध विद्यालय)
मोती कुण्ड, उदयपुर (राजस्थान)
(आय-व्यय खाता दि. 1.4.1979 से 31.3.80 तक का)

व्यय 1		रकम 2	आय 3	रकम 4
वेतन :-			अनुदानः-	
मूल वेतन	43981.54		शिक्षा विभाग, राज. वर्ष 1979-80	38,383.00
महंगाई वेतन	6993.95		सहायता :-	
प्रो. फंड	1993.32	52,968.81	विविध दानदाताओं से	19,628.00
पोस्टेज		29.10	नोटिस से	1,874.47
मरम्मत		292.42	बैंक ब्याज	144.35
पानी तथा प्रकाश		162.34	अन्य आय	383.00
स्टेशनरी एवं छपाई		612.76		
पाठन सामग्री		192.55		
भवन किराया		2,400.00		
पुस्तकालय एवं वाचनालय		222 75		
खेल एवं सांस्कृतिक		169.50		
दस्तकारी उद्योग		173.02		
विज्ञापन		308.80		

1	2	3	4
ऑडिट फीस	250.00		
अन्य व्यय	190.18		
आय की व्यय से अधिकता जो लेखा पत्रक में ले जाई गई	2,440.38		
	60,412.82		60,412.82

योग : रुपया साठ हजार चार सौ बारह एवं पैसा बरीयासी मात्र।

हिसाब जांचा एवं सही पाया अलावा कि इसी
दिनांक की हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

स्थान : उदयपुर
दिनांक : 28.6.80

ह०/–
सचिव
श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान,
उदयपुर (राज,)

ह०/–
बी. एल. दोसी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
(अंध विद्यालय)
मोती कुण्ड, उदयपुर (राजस्थान)
आय-व्यय खाता दि. (1–4–1980 से 31–3–81 तक का)

व्यय		रकम	आय	रकम
मूल वेतन	47770·86		अनुदान :	
महंगाई भत्ता	13402·85		शिक्षा विभाग, राज.	
प्रो. फंड :	1765·46	62,939·17	वर्ष 1980–81	38,284·00
पोस्टेज		68·60	सहायता	
मरम्मत		121·30	विभिन्न दानदाताओं से	18,146·21
पानी तथा प्रकाश		348·16	नगर परिषद् उदयपुर से	5,000·00
स्टेशनरी एवं छपाई		1,680·50	अन्य आय	647·03
पाठन सामग्री		1.072·45	बैंक ब्याज	128·15
भवन किराया		2,400·00	व्यय की आय से अधिकता	
पुस्तकालय व वाचनालय		382·59	(जो लेखा पत्रक में ले जाई	
खेल व सांस्कृतिक		76·75	गई है)	9,305·55
दस्तकारी उद्योग		1,174·77		
विज्ञापन		187·20		
ऑडिट फीस		450·00		
अन्य व्यय		296·50		

1	2	3	4
परीक्षा व्यय	4·35		
यात्रा व्यय	308·60		
	71,510·94		71,510.94

रुपये इकहत्तर हजार पांच सौ दस एवं पैसे चौरानवे केवल ।
हिसाब को जांचा एवं सही पाया अलावा कि
इसी दिनांक की हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट
संलग्न है

स्थान : उदयपुर
दि. 16.6.81

ह०/–
सचिव,
प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
उदयपुर

ह०/–
बी. एल. दोसी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
(अंध विद्यालय)
अम्बामाता, उदयपुर (राज.)
आय-व्यय खाता दिनांक 31.3.1982 को समाप्त होने वाले वर्ष का

व्यय 1		रकम 2	आय 3		रकम 4
वेतन:—			अनुदान:—		
मूल वेतन	45937.71		शिक्षा विभाग, राज.		
महंगाई भत्ता	19962.57		वर्ष 1981–82 की प्राप्ति	41599.00	
अ. राहत	1663.30		जोड़िये वर्ष 78–79 की		
प्रो. फंड	2391.56		अस्वीकृत राशि जो		
वाहन भत्ता	2974.20	72,929.34	प्राप्त हुई	188.00	
यात्रा व्यय		2,422.20		41787.00	
पोस्टेज व्यय		67.65	तदर्थ अनुदान :—		
मरम्मत		138.15	शिक्षा विभाग राजस्थान	10000.00	51,787.00
पानी तथा प्रकाश व्यय		317.53			
स्टेशनरी एवं छपाई		692.65	सहायता :—		
पाठन सामग्री		718.00	विभिन्न दानदाताओं से		
पुस्तकालय व वाचनालय		308.71	प्राप्त	18138.68	
खेल व सांस्कृतिक व्यय		80.00			

1	2	3		4
दस्तकारी उद्योग	1,598.11	नगर परिषद्, उदयपुर से प्राप्त	5000.00	23,138.78
विज्ञापन व्यय	11.20			
परीक्षा व्यय	265.20	नोटिस वेतन		1,487.18
ऑडिट फीस	600.00	अन्य आय		
साइकल चोरी से हानि	376.00	बैंक ब्याज	654.79	
		अन्य आय	1043.20	1,697.99
		व्यय की आय से अधिकता जो कि लेखा पत्रक में ले जाई गई।		2,796.74
योग	80,907.69		योग	80,907.69

योग : रुपया अस्सी हजार नौ सौ सात एवं पैसा उनसित्तर मात्र।

हिसाब जांचा एवं सही पाया अलावा कि इसी दिनांक की हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

स्थान : उदयपुर
दिनांक : 21.5.82

ह०/–
सचिव,
श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
उदयपुर (राज.)

ह०/–
बी. एल. दोसी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
(अंध विद्यालय)
अंबामाता स्कीम, उदयपुर (राज.)
आय-व्यय खाता (दि. 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का)

प्रीवियस वर्ष रकम	व्यय मद	रुपया	रुपया	प्रीवियस वर्ष रकम	आय मद	रकम	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8
	वेतनः–				अनुदानः–		
	मूल वेतन	47742.12			शिक्षा विभाग राज.		
	महंगाई भत्ता	30022.38			सरकार द्वारा प्राप्त		
	अ. राहत	1649.52			82-83 को	69523.00	
	प्रो. फंड	2042.20			जोड़िये वर्ष 80-81		
	वाहन भत्ता	2089.68	83,545.90		के अंतिमीकरण की		
					राशि	14153.00	
	यात्रा व्यय		190.00				
	पोस्टेज व्यय		107.75		तदर्थ अनुदानः–	83666.00	
	मरम्मत व्यय		670.80		वर्ष 1981–82 के		
	पानी प्रकाश व्यय		542.49		लिये शिक्षा विभाग,		
	स्टेशनरी एवं छपाई व				राज. से प्राप्त	12000.00	95666.00
	पाठन सामग्री		1,674.80		सहायताः–		
	पुस्तकालय एवं वाचनालय		361.00		विभिन्न दानदाताओं		

1	2	3	4	5	6	7	8
खेल एवं सांस्कृतिक व्यय			247.00		से प्राप्त	10449 69	
विज्ञापन व्यय			120.00		नगर परिषद् उदयपुर		15449.69
परीक्षा व्यय			191.25		से प्राप्त	50000.00	
ऑडिट फीस			550.00				
अन्य व्यय			401.40		नोटिस पे वेतन		561.25
घिसारा (संलग्न सूची					अन्य आय :		
अनुसार (ब) आय की			2,186.21		दस्तकारी उद्योग	211.15	
व्यय से अधिकता जो कि लेखा					बैंक ब्याज	1513.90	
पत्रक में ले जाई गई)			22,643.39		अन्य आय	30.00	1755.05
		महायोग	113,431.99				113431.99

योग : एक लाख तेरह हजार चार सौ इकतीस रुपया एवं पैसा निन्यान्वे मात्र ।

हिसाब जांचा एवं सही पाया अलावा कि इसी

दिनांक की अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।

स्थान : उदयपुर

दिनांक 10 जून, 1983

ह०/-
सचिव,
श्री प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान
उदयपुर (राज.)

ह०/-
बी. एल. दोसी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
उदयपुर

179

180

परिशिष्ट--10

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची

परिशिष्ट "अ"

नागौर निर्वाचन क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 83-84 में चलाये गये पोषाहार केन्द्रों की सूची :—

क्र० सं०	स्थान	बस्ती का नाम	केन्द्र प्रभारी का नाम
1.	नागौर	1. नकास गेट नायक मुस्लिम बस्ती	श्री अलीमुद्दीन
		2. हरिजन बस्ती	श्री दौलतराम हरिजन
		3. हरिजन बस्ती	श्री चाथूराम हरिजन
		4. नाई बाड़ा आजाद चौक	श्री मुमताज अली
		5. कारपुरा कोली बस्ती	श्रीमती रजिया बेगम
		6. नायक बस्ती दिल्ली दरवाजा	श्री अर्जुनराम नायक
		7. सिकारिया बस्ती नकास गेट	श्रीमती सुशीला
		8. गाछा बस्ती	श्री रामकिशन गाछा (हरिजन)
		9. मास्टर बस्ती	श्री अन्नाराम मेघवाल
		10. डीडी दरगाह	श्री मो० इसहिद
		11. सोड़ी का बास	श्री लालाराम मेघवाल
		12. बडली रेगर बस्ती	श्री गजानन्द
		13. गाड़िया लुहार बस्ती	श्री अलाकश
		14. कुम्हारों का बास	श्री जगदीश प्रसाद
		15. सांसी बस्ती	श्री सरदारमल सांसी
		16. खटीक बस्ती	श्री मूलचन्द
		17. नायक बस्ती कुमारी दरवाजा	श्री कुम्भाराम नायक
		18. कुम्हारवाड़ा	श्री गोविन्दराम
		19. नया दरवाजा	श्री घनराज
		20. व्यापारियों का वास	श्री मो० शरीफ
		21. पीरजादों का वास	श्री शोकत खान
		22. बड़ा वास	श्री शोभाराम मेघवाल
		23. ढोली बस्ती	श्री अब्दुल रहमान
		24. सिन्दला वास	श्री अरजी मोहम्मद
		25. सांसी बस्ती (कालेज रोड)	श्री विष्णुराम नायक
		26. हरिजन बस्ती	श्री गोपाल लाल हरिजन
		27. इन्द्र कालोनी	श्री शंकरलाल मेघवाल
		28. पठानों का वास	श्री शोकत खान
		29. कुमारवाड़ा कुमारी दरवाजा	श्री भजनसिंह मेघवाल
		30. ब्रह्मपुरी केसहर	श्री भागीरथ

राजस्थान सरकार परिशिष्ट "ब"

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ 7 (1) (7) /अनु./सकवि/81-82/ जयपुर, दिनांक : 18-1-82

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम

राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुसंचालित किये जाने हेतु निम्न नियम प्रसारित करती है—

1. शीर्षक एवं प्रभाव क्षेत्र—ये नियम समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982" कहलायेंगे।

ये नियम दिनांक 1 फरवरी, 1982 से प्रभावशील होंगे एवं राजस्थान में विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों पर समान रूप से लागू होंगे।

2. परिभाषा—इसमें जब तक विषय या सन्दर्भ के विपरीत कोई अन्य बात न हो—

(1) "अधीक्षक" से अभिप्राय उस प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठतम अध्यापक से होगा जिसे अंशकालीन भत्ते पर अधीक्षक (वार्डन) के पद पर जिलाधीश/जिलाधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जायेगा।

(2) "अनुदानित छात्रावास" से अभिप्राय उन छात्रावासों से होगा जो समाज कल्याण विभाग से छात्रावास संचालन हेतु किसी भी प्रतिशत अथवा प्रकार का अनुदान प्राप्त करते हैं।

(3) "निदेशक" से अभिप्राय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।

(4) "राजकीय छात्रावास" से अभिप्राय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभागीय छात्रावासों से है।

(5) "विभाग" से अभिप्राय समाज कल्याण से है।

(6) "जिला अधिकारी" से अभिप्राय विभाग द्वारा नियुक्त जिला सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अथवा भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले उसके समकक्ष/अधिकृत अधिकारी से है।

(7) "सहायक अधीक्षक" से अभिप्राय उस कर्मचारी से है जो अधीक्षक के अधीन छात्रावास की दैनिक व्यवस्था के लिये विभाग द्वारा नियुक्त किया जावे।

182

3. छात्रावासों के वर्ग--इन नियमों के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों का वर्गीकरण निम्नलिखित होगा—

(1) "अ" श्रेणी छात्रावास--वे छात्रावास होगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 100 या अधिक होगी।

(2) "ब" श्रेणी छात्रावास—वे होंगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 50 से 99 तक होगी।

(3) "स" श्रेणी छात्रावास--वे होंगे जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 50 से कम होगी।

4. छात्र प्रवेश— राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश दिये जाने एवं अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रत्येक छात्रावास स्तर पर एक सलाहकार समिति होगी जिसके कार्य एवं गठन निम्न प्रकार होंगे—

(1) छात्रावास सलाहकार समिति नियमानुसार छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश एवं छात्रावास की व्यवस्था की देखरेख करेगी तथा समिति के सदस्य समय-समय पर छात्रावास का निरीक्षण करके व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझाव देने के अधिकारी होंगे।

(2) छात्रावास प्रवेश एवं प्रबंध सलाहकार समिति के निम्न सदस्य होंगे—

1. क्षेत्रीय विधायक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
2. क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान।
3. अनुदानित छात्रावासों के लिए संबन्धित स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि।
4. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक।
5. जिलाधीश द्वारा मनोनीत उप जिलाधीश, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार।
6. जिला-समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रमुख समाज कार्यकर्त्ता।
7. जहाँ छात्रावास हो वहाँ का वरिष्ठतम राजकीय कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य हो। सदस्य का मनोनयन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधीश की अनुमति से किया जायेगा।
8. प्रत्येक छात्रावास का अधीक्षक समिति का सदस्य संयोजक होगा।

(3) समिति की बैठक के कोरम के लिए समिति के कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

(4) समिति की प्रथम बैठक प्रवेश के समय होगी एवं दूसरी बैठक प्रत्येक वर्ष की 15

फरवरी के पूर्व कभी भी बुलानी होगी। बैठक की सूचना बैठक के 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

(5) समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण छात्रावास अधीक्षक सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजेंगे। यदि जिला अधिकारी किसी कारण से समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं हो तो उक्त विवरण एक सप्ताह में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सहायक निदेशक के पास पहुँच जाना चाहिए। यदि बैठक में कोई निर्णय नियमों के विरुद्ध लिया गया हो तो उसकी सूचना जिलाधिकारी शीघ्रातिशीघ्र निदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधीश को भेजेंगे। ऐसे निर्णय को निदेशक अथवा जिलाधीश द्वारा स्थगित किया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय निदेशक द्वारा दिया जायेगा।

(6) राजकीय छात्रावास एवं अनुदानित छात्रावास में उन छात्रों का प्रवेश वर्जित होगा जिनके माता पिता आयकर दाता हों।

(7) किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति के छात्र को जो छात्रावास से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहता हो, अर्थात् जिसके माता पिता या संरक्षक 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहते हों, छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परन्तु यह नियम मेहतर छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में परिधि के नियम में छूट देने का अधिकार, निदेशक को निहित होगा।

(8) साधारणतया अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रावासों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा परन्तु प्रथम वार अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को विशेष परिस्थिति में निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान की पूर्व स्वीकृति से प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को केवल रुपये 75/—मासिक छात्रावास भत्ता देय होगा। प्रत्येक असफल छात्र प्रार्थना पत्र के साथ 250 रु. मेस समिति खाते में जमा करा देगा जो कि बाद में उस अवस्था में लौटा दिये जावेंगे यदि निदेशक द्वारा कटौती में छूट दी जाती है।

(9) सर्व प्रथम पूर्व वर्ग के समस्त सफल छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। तत्पश्चात् रिक्त स्थानों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए लगभग बराबर सीटें सुरक्षित रखी जायेंगी।

अर्थात् यदि 50 छात्रों का छात्रावास है तो कक्षा 6 से 11 तक लगभग 6 छात्र प्रत्येक कक्षा में से लिये जावेंगे। प्रत्येक कक्षा में से नये छात्र का चयन मेरिट के आधार पर होगा। उक्त समिति कुल 5 प्रतिशत स्थान ऐसे छात्रों को अपने विवेकानुसार दे सकेगी जो कि खेलकूद एवं अन्य सृजनात्मक कार्यों में विशिष्ट हों।

(10) पूरक परीक्षाओं के छात्र को ग्रीष्मावकाश में छात्रावास में प्रवेश दिया जा कर आवास की सुविधा दी जा सकती है। परन्तु राशन व्यवस्था आदि छात्र स्वयं अपने खर्च पर करेगा।

(11) यदि कोई छात्र सत्र के बीच में छात्रावास छोड़ कर जाता है, तो ऐसे छात्र को पुनः छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में पुनः प्रवेश देने का अधिकार निदेशक को होगा।

(12) प्रत्येक छात्र द्वारा मेस समिति के खाते में 30 रु. काशन मनी जमा कराने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।

(13) छठी कक्षा से पूर्व के छात्रों को राजकीय छात्रावासों में प्रवेश नहीं दिया जावेगा परन्तु विमुक्त जातियों, घुमक्कड़ जातियों एवं सहरिया जाति के छात्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यदि इन जातियों में ऊँची कक्षा के छात्र वांछित संख्या में उपलब्ध न हों तो इसमें छूट देने का अधिकार निदेशक को होगा।

(14) सत्र का प्रारम्भ होने के एक माह पश्चात् अथवा प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश के अतिरिक्त किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। जब तक कि ऐसे मामलों में निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जावे।

(15) जिन जातियों हेतु छात्रावास स्वीकृत किया गया हो उन जातियों हेतु छात्रावास के 60 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। शेष 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित होंगे। उदाहरणार्थ अनुसूचित जाति छात्रावास में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जन-जातियों हेतु सुरक्षित होंगे। अनुसूचित जन जातियों के छात्रावासों में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित होंगे। अन्य जातियों के छात्रावासों में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों हेतु सुरक्षित होंगे। प्रत्येक छात्रावास में 10 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ी जातियों (Other Backward Classes) हेतु सुरक्षित होंगे व शेष 10 प्रतिशत स्थान अन्य समस्त जातियों हेतु सुरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों में 10 प्रतिशत स्थान मेहतर जाति के छात्रों हेतु सुरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अन्य/पिछड़ी जाति से भिन्न जातियों के छात्र जो छात्रावासों में रहेंगे उन्हें केवल रहने की सुविधा दी जायेगी। शेष सुविधायें जैसे भोजन, पुस्तकें, फीस, कपड़े, आदि पर व्यय वे स्वंय ही करेंगे।

5. राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में स्वीकृत स्टाफ का विवरण—

(1) प्रत्येक छात्रावास में एक अंशकालीन अधीक्षक होगा। अधीक्षक पद के लिए केवल ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जो कि स्थानीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठतम अध्यापक हो। "अ" अथवा "ब" श्रेणी छात्रावासों के अधीक्षक का मनोनयन जिलाधीश द्वारा किया जायेगा एवं "स" श्रेणी के छात्रावासों के अधीक्षक

185

का मनोनयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त मनोनयन करने से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से परामर्श किया जायेगा। स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों के अधीक्षक की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित संस्था से भी यथासंभव परामर्श लिया जायेगा। यदि ऐसे छात्रावास किसी शिक्षण संस्था से सम्बद्ध हैं तो यथा संभव उसी संस्था के प्रधानाध्यापक या उप सहायक प्रधानाध्यापक को अधीक्षक मनोनीत किया जायेगा। सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् अधीक्षक पद पर मनोनीत अध्यापक का परिवर्तन केवल जिलाधीक्ष अथवा निदेशक द्वारा किया जा सकेगा। छात्रावास अधीक्षक को निम्नलिखित दर से सवारी भत्ते का भुगतान प्रतिमाह जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा––

"अ" श्रेणी छात्रावास.......... 150/–

"ब" श्रेणी छात्रावास.......... 100/–

"स" श्रेणी छात्रावास.......... 75/–

परन्तु अधीक्षक को दिया जाने वाला भत्ता स्थानीय अंशकालीन अध्यापक को देय भत्ते से कम नहीं होगा।

(2) प्रत्येक छात्रावास में एक सहायक अधीक्षक होगा। "अ" व "ब" श्रेणी के छात्रावासों में सहायक अधीक्षक वेतन श्रृंखला 385–650 होंगे तथा "स" श्रेणी के छात्रावासों में सहायक अधीक्षक वेतन श्रृंखला 355–570 के होंगे।

(3) प्रत्येक छात्रावास में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में विशेष अध्यापन हेतु अंशकालीन अध्यापक प्रत्येक सत्र में 6 माह के लिए नियुक्त किये जावेंगे जो कि मुख्यत: कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को पढ़ायेंगे। उक्त अध्यापकों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जावेगी। ऐसी नियुक्ति करने से पूर्व वे जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्रधानाध्यापक से परामर्श लेंगे।

अंशकालीन अध्यापकों की संख्या "अ" व "ब" एवं "स" श्रेणी के छात्रावासों में क्रमश: 4, 3 व 2 होगी। प्रत्येक अंशकालीन अध्यापक को निम्नलिखित दर से मासिक सवारी भत्ता देय होगा––

1–10,000 तक आबादी वाले स्थानों पर	75/–
2–10,000 से 50,000 तक आबादी वाले स्थान पर	100/–
3–50,000 से एक लाख तक आबादी वाले स्थान पर	125/–
4–एक लाख से ऊपर आबादी वाले स्थान पर	150/–

(4) प्रत्येक छात्रावास में एक अंशकालीन चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी। चिकित्सक का मनोनयन जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सिफारिश पर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारी की

राय के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा । उक्त चिकित्सा अधिकारी को "अ" व "ब" श्रेणी छात्रावासों में 75/– रुपये प्रति माह एवं "स" श्रेणी छात्रावास में 50/– प्रति माह सवारी भत्ता के रूप में देय होगा ।

(5) प्रत्येक छात्रावास में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी जो छात्रावास में ही निवास करेगा एवं उसे छात्रावास में रहने का स्थान यथा संभव निःशुल्क दिया जायेगा ।

(6) प्रत्येक छात्रावास में आवश्यकतानुसार एक सफाई-कर्त्ता की नियुक्ति नियमानुसार अंशकालीन आधार पर की जायेगी ।

(7) ऐसे छात्रावास जो किसी शिक्षण संस्था से सम्बद्ध है, उसमें सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति अंशकालीन होगी एवं उन्हें क्रमशः रुपये 75/– एवं रु. 50/– प्रति माह सवारी भत्ता देय होगा । अंशकालीन कर्मचारी सम्बन्धित संस्था के कर्मचारियों में से ही नियुक्त किये जायेंगे ।

6. कर्त्तव्य--

(1) अधीक्षक (वार्डन) के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे—

1. छात्रावास का संचालन एवं अनुशासन ।
2. छात्रावास के मैस की सुचारू व्यवस्था ।
3. छात्रावासों के नियमित निरीक्षण एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था ।
4. छात्रों की प्रगति की पंजिकायें में रखना जिसमें छात्र की शाला एवं छात्रावास में उपस्थिति, अनुशासन, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में जानकारी अंकित हो, एवं,
5. सुझाव पुस्तिका रखना जिसमें समस्या तथा उनके निराकरण का विवरण अंकित हो ।

(2) सहायक अधीक्षक, छात्रावास एवं भोजनशाला का समस्त लेखा एवं पंजिकाओं को रखेगा एवं अधीक्षक को उनके समस्त कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण सहायता देगा । सहायक अधीक्षक मैस समिति का पदेन लेखाकार एवं कैशियर होगा । यदि उसके निवास हेतु स्थान उपलब्ध हो तो वह छात्रावास में निवास करेगा ।

(3) जिला अधिकारी समस्त व्यवस्था की देखरेख करेंगे एवं छात्रावास का मासिक निरीक्षण करेंगे तथा सभी कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों का पालन भलीभांति पूर्ण करायेंगे ।

(4) अंशकालीन चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से छात्रावास जायेंगे और सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे । किसी छात्र के बीमार होने पर

अधीक्षक/सहायक अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे जो तुरन्त छात्रावास जाकर छात्र का उपचार करेंगे एवं आवश्यकता होने पर उसको चिकित्सालय ले जावेंगे।

(5) अंशकालीन अध्यापक प्रतिदिन निश्चित समय पर छात्रावास जाकर मुख्यत: कक्षा 9 से 11 के छात्रों को कठिन विषय जैसे गणित, अंग्रेजी विज्ञान, आदि विषय पढ़ायेंगे। वे कमजोर छात्रों का विशेष ध्यान रखेंगे और उनकी प्रगति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे। आवश्यकता होने पर वे अन्य कक्षा के छात्रों को भी सहायता देंगे।

(6) भोजनशाला एवं छात्रावास की व्यवस्था, सफाई एवं चौकीदारी सम्बन्धी कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। छात्रों हेतु भोजन लाना, छात्रावास में पानी भरना, छात्रावास कार्यालय का कार्य करना आदि ऐसे कार्य, जो कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अपेक्षित हैं, छात्रावास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किये जायेंगे।

7. अनुशासन--

(1) किसी भी छात्र के अनुशासनहीन पाये जाने पर अधीक्षक/सहायक अधीक्षक जिला अधिकारी को विवरणात्मक रिपोर्ट भेजेंगे। जिलाधिकारी इसकी संक्षिप्त जाँच करेगा और रिपोर्ट में वर्णित तथ्य का छात्र अनुशासनहीन है अथवा छात्रावास में अन्य छात्रों पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है या पड़ना संभावित है, को सत्य पाने पर उस छात्र को 7 दिन का नोटिस देकर छात्रावास से निष्कासित कर देगा। अत्यन्त गंभीर मामलों में तुरन्त निष्कासन भी किया जा सकेगा।

(2) किसी भी तिमाही में छात्र की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम होने पर अधीक्षक द्वारा छात्र को छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा। इस प्रकार से निष्कासित छात्र को छात्रावास में विशेष परिस्थितियों में रहने की अनुमति जिलाधिकारी देंगे। परन्तु यदि वह छात्र दूसरी बार इसी प्रकार अनुपस्थित रहता है तो इस सम्बन्ध में छूट केवल निदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

8. सुविधायें—

प्रत्येक छात्रावास में निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी--

(1) भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन-तेल जूते आदि पर व्यय मैस समिति, जो कि इन नियमों के अन्तर्गत होगी, के द्वारा किया जावेगा। इस काम के लिए मैस समिति को कक्षा छ: से आठ तक के छात्रों हेतु 80/- रु० प्रति छात्र प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 तक छात्रों हेतु 85/-रु० प्रति छात्र प्रति माह की दर से कुल 9 माह हेतु राशि जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

(2) प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 60/- प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8

तक के छात्रों को 40/– प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जावेंगे। यह राशि सत्र के आरम्भ में एक मुश्त ही छात्रों को जिलाधिकारी/अधीक्षक द्वारा दी जायेगी।

(3) प्रति छात्र को निम्न सामान उपलब्ध कराया जावेगा--

(i) एक दरी

(ii) दो कम्बल

(iii) एक तकिया मय दो गिलाफ

(iv) दो चादर

(v) एक गद्दा

(4) प्रत्येक छात्र को निम्नानुसार बर्तन दिये जावेंगे--

1. एक थाली
2. दो कटोरी
3. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)

(5) प्रत्येक छात्र को एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता उपलब्ध कराया जावेगा।

(6) प्रत्येक छात्र को अपना सामान रखने हेतु एक अलमारी अथवा एक लोहे का बक्स दिया जावेगा।

(7) प्रत्येक छात्र को छात्रावास से दी जाने वाली सुविधाओं का एक चार्ट द्वारा सर्वदर्शित स्थान पर प्रदर्शन किया जावेगा।

(8) एक ताला बन्द सुझाव पेटी प्रत्येक छात्रावास में रखी जायेगी। अधीक्षक समय-समय पर उसे खोल कर सुझावों को एक पुस्तिका में नोट करते हुए समस्याओं का निदान करेंगे।

(9) **भोजनशाला की व्यवस्था एवं उनका संधारण—**

(1) प्रत्येक छात्रावास में एक भोजनशाला समिति (मैस समिति) होगी जिसके निम्न सदस्य होंगे--

1.	अधीक्षक (वार्डन)	अध्यक्ष
2.	उच्चतम कक्षा या उससे नीचे की कक्षा का एक छात्र	सचिव
3.	पांच अन्य छात्र	सदस्य
4.	सहायक अधीक्षक	पदेन लेखाकार व केशियर

(2) मेस समिति के सचिव का चयन छात्रावास द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जावेगा। कुल पांच सदस्यों में से दो चुने जायेंगे एवं शेष तीन सदस्य मनोनीत किये जायेंगे। चुनाव, अधीक्षक द्वारा सत्र के प्रारम्भ में ही गुप्त मतदान की रीति से कराये जायेंगे। अधीक्षक द्वारा मनोनयन उन तीन छात्रों का किया जावेगा। जिनके पिछली वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक आये हों। ये कक्षा 8, 9 एवं 10 से मनोनीत किये जावेंगे ताकि प्रत्येक कक्षा का एक छात्र मनोनीत हो सके। यदि उक्त कक्षा का कोई भी छात्र उपलब्ध न हो तो कक्षा 7 का छात्र उक्त प्रक्रिया से मनोनीत किया जायेगा।

(3) मेस समिति छात्रों के भोजन, नाश्ता, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूते आदि की व्यवस्था करेगी। समिति को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिये 80/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह तथा 9 से 11 तक के लिये 85/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह दिया जायेगा। कुल खर्चे में कम या अधिक खर्च 'मेस समिति' का उत्तरदायित्व होगा।

(4) भोजनशाला एवं छात्रों के अन्य सामान की खरीद, सहायक अधीक्षक एवं मेस समिति द्वारा मनोनीत छात्र/छात्रों द्वारा की जायेगी।

(5) मेस समिति की उपनियम (3) के अनुसार राशि जिलाधिकारी द्वारा मेस समिति के बैंक खाते में जमा कराई जावेगी। उक्त मेस समिति के खाते का संचालन अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक करेंगे एवं सम्पूर्ण लेखा रखने की जिम्मेदारी सहायक अधीक्षक की होगी। लेखा का निरीक्षण एवं परीक्षण अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(6) मेस समिति को राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्न होगी :--

(i) प्रथम किश्त सत्र के प्रारम्भ में ही स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर तीन माह के व्यय हेतु कुल राशि समिति के खाते में एक मुश्त जमा करा दी जायेगी।

(ii) तत्पश्चात् छात्रों की संख्या के आधार पर देय प्रत्येक तीन माह की राशि अग्रिम रूप से समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी। अन्तिम माह की राशि 9 माह पूर्ण होने पर जमा कराई जायेगी।

(iii) दूसरी एवं उसके पश्चात् दी जाने वाली किश्त सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों से प्राप्त मासिक उपस्थिति पत्र के आधार पर देय होगी उक्त उपस्थिति प्रत्येक तीन माह के प्रथम दो माह हेतु प्राप्त की जायेगी एवं तीसरे माह की उपस्थिति तिमाही में प्राप्त कर ली जायेगी। अनुदान राशि निम्न प्रकार से अनुपस्थिति के आधार पर ही काटी जायेगी :--

उपस्थिति	कटौती योग्य राशि
80 प्रतिशत से ऊपर	शून्य
65 से 80 प्रतिशत	1/3
50 से 65 प्रतिशत	2/3
35 से 50 प्रतिशत	3/4
35 से कम प्रतिशत	सम्पूर्ण राशि

(iv) यदि तीन या अधिक अवकाश जैसे दीपावली, दशहरा, होली आदि पर छात्र अनुपस्थित रहते हैं एवं अपने घर चले जाते हैं तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जायेगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य अवकाशों को दृष्टिगत रखते हुए ही वर्ष में नौ माह हेतु अनुदान निर्धारित किया गया है।

(v) सत्र के प्रारम्भ में मैस समिति गठन आदि व्यवस्था करने में यदि कुछ समय लगे तो मैस समिति के गठित होने तक प्रति छात्र 4/- रुपये प्रति छात्र प्रति दिन की दर से राशि मैस समिति के खाते से, प्रवेशित छात्रों को दी जायेगी। यह राशि 15 दिन से अधिक नहीं दी जायेगी व इसका समायोजन इन नियमों के अन्तर्गत देय राशि से प्रथम त्रैमास में कर लिया जायेगा।

(7) भोजनशाला समिति को विभागीय रसोइया उपलब्ध नहीं कराया जायेगा परन्तु प्रत्येक भोजनशाला समिति को छात्र संख्या के आधार पर प्रति रसोइया 250 रुपये प्रति माह तदर्थ अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। रसोइयों की संख्या का निर्धारण निम्न रूप से किया जायेगा। इन रसोइयों की नियुक्ति अंशकालीन आधार पर 10 माह के लिये की जायेगी तथा तदानुसार ही उन्हें वेतन देय होगा।

छात्र संख्या	रसोइयों की संख्या
25 या कम	1
25 से 49	2
50 से 99	3
100 या अधिक	4

यह राशि भी समिति के खाते में छात्रों को देय मासिक अनुदान के अतिरिक्त जमा करा दी जायेगी।

(8) उक्त भोजनशाला समिति का खाता स्थानीय बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सहायक अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(9) सहायक अधीक्षक, जो समिति के पदेन लेखाकार व कैशियर भी हैं अधीक्षक की देख-रेख में समिति के समस्त लेखों का संधारण करेंगे। अधीक्षक निर्देशानुसार

सहायक अधीक्षक समिति के लिये जिलाधिकारी से धनराशि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(10) छात्रों को रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण यथा सम्भव दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति आदि अधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत छात्रावासों में प्रशिक्षण का प्रबन्ध करवायेंगे तथा आवश्यकतानुसार निदेशक द्वारा अंशकालीन क्राफ्ट टीचर भी उक्त प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जायेगा।

(11) **अनुदानित छात्रावास मान्य एवं संचालन—**

(1) छात्रावासों के संचालन के लिए मान्यता एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पंजीकृत स्वैच्छिक सेवा संस्था द्वारा आवेदन-पत्र शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से चार माह पूर्व निदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह आवेदन-पत्र निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण आवेदन में विलम्ब हुआ है तो इस शर्त में छूट निदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

(2) आवेदन-पत्र निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके निष्पादन में निदेशक, समाज कल्याण विभाग निम्न बिन्दुओं के आधार पर विचार करेंगे—

(i) कि उन क्षेत्रों में प्रस्तावित छात्रावास पहले से चल रहे अन्य छात्रावास के होते हुए भी खोला जाना आवश्यक है एवं प्रस्तावित छात्रावास हेतु पर्याप्त भवन एवं अन्य साधन उपलब्ध हैं।

(ii) कि प्रस्तावित छात्रावास के लिये आवश्यक व्यय करने हेतु पर्याप्त साधन संस्था के पास उपलब्ध है।

(iii) कि आवेदक संस्था छात्रावास में निर्धारित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सक्षम है।

(iv) कि प्रस्तावित छात्रावास हेतु धनराशि विभाग के पास उस वर्ष से उपलब्ध है।

(v) कि ऐसे छात्रावास का निरीक्षण विभाग के किसी ऐसे अधिकारी, जो कि जिला स्तर से नीचे न हो द्वारा कर लिया गया है और वह उस बात से सन्तुष्ट है कि छात्रावास में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं।

(3) छात्रावास स्वीकृत किये जाने के लिये यह विशेष शर्त होगी कि उस छात्रावास में बिना किसी जातीय भेदभाव के समस्त पिछड़ी जाति जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति एवं सरकार द्वारा समय-समय पर मान्य एवं

(192)

घोषित अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को उन नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(4) प्रशासनिक दृष्टि से अथवा लेखा-जांच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अथवा संस्था द्वारा निर्धारित सुविधा उपलब्ध नहीं करने पर अथवा संस्था के साथ वित्तीय अभाव होने पर निदेशक उस संस्था की मान्यता रद्द कर सकेंगे तथा उस संस्था द्वारा संचालित छात्रावास का संचालन किसी अन्य अच्छी संस्था को निदेशक द्वारा सौंपा जायेगा या प्रशासक नियुक्त कर दिया जायेगा। उक्त प्रशासक विभाग के निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर का होगा। मान्यता रद्द करने पर छात्रावास की समस्त राजकीय सम्पत्ति व धनराशि संस्था से वापस ली जायेगी आवश्यकता पड़ने पर उस छात्रावास को राजकीय छात्रावास में परिवर्तित कर विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा।

(5) विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं होगा कि वे किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को स्वीकृत या संचालित छात्रावास को स्थानान्तरित (ट्रान्सफर) कर सकें। यदि छात्रावास संचालन में संस्था असमर्थ हो तो वह तीन माह पूर्व विभाग को सूचना देगी ताकि विभाग प्रशासक नियुक्त कर सके अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से छात्रावास संचालित करा सके अथवा राजकीय छात्रावास में परिवर्तित कर विभाग द्वारा संचालित करवा सके।

(6) (i) यह नियम अनुदानित छात्रावासों पर भी इसी प्रकार लागू होंगे जैसे राजकीय छात्रावासों पर प्रभावशील हैं।

(ii) अनुदानित छात्रावासों को विभाग द्वारा देय 90 प्रतिशत के विरुद्ध अब मैस समिति के खाते में राशि नियमानुसार जमा कराई जायेगी। यह राशि इन नियमों के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासों को दी जाने वाली राशि की तरह मैस समिति के खातों में छात्रों के आधार पर जमा कराई जायेगी तथा इसका व्यय भी इन्हीं नियमों के अनुसार किया जावेगा। केवल अनुदानित संस्था द्वारा नियुक्त सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन भत्ते, स्थायी सम्पत्ति एवं भवन किराया सम्बन्धी व्यय छात्रावास चलाने वाली संस्था स्वयं वहन करेगी। यह व्यय संस्था द्वारा व्यय की जाने वाली 10 प्रतिशत राशि के विरुद्ध भरना होगा।

(iii) भोजन, कपड़ा आदि पर व्यय हेतु भोजनशाला समिति को इन नियमों के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासों की भाँति दी जायेगी नियम, 8 (2) में वर्णित फीस, पुस्तकें आदि हेतु देय राशि भी जिलाधिकारी/अधीक्षक द्वारा उसी प्रकार वितरित की जावेंगी।

(iv) अन्य सुविधायें जो कि नियम 8 (3) से 8 (8) तक निर्धारित हैं संस्था द्वारा सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध कराई जावेंगी।

(v) अनुदानित संस्था द्वारा नियुक्त सहायक अधीक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वे ही कर्तव्य होंगे जो कि उनके समकक्ष कर्मचारियों के राजकीय छात्रावास में हैं।

(12) **निदेशक की विशेष शक्तियां :--**

छात्रावासों के संचालन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो निदेशक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह छात्रावास का उचित संचालन करने के उद्देश्य से ऐसे सभी निर्णय ले एवं कार्यवाही करे जो इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रतीत हों।

(13) **संशोधन :--**

इन नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार समाज कल्याण विभाग में निहित होगा।

(14) **नियमों की व्याख्या :--**

राज्य सरकार अथवा निदेशक द्वारा इस विषय पर अथवा इन विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित परिपत्र/निर्देश एवं मूल नियमों की व्याख्या जो निदेशक द्वारा की जायेगी वह अन्तिम होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०

(वी० सी० पाण्डे)

सचिव,

समाज कल्याण विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक: एफ 7 (1) (7)/अनु./सचिव/81-82/ जयपुर, दिनांक :

: : आदेश : :

राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982" में निम्न संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करती है।

ये संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 1982 से प्रभावी होंगे।

नियम–2

उपनियम 7, नया निम्न प्रकार से जोड़ा जावे :—

"विकास अधिकारी से अभिप्राय सम्बन्धित पंचायत समिति में इस पद पर नियुक्त विकास अधिकारी अथवा भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी से है।

वर्तमान उपनियम 7 को "उपनियम 8" पढ़ा जावे––

उपनियम 9 निम्न प्रकार से जोड़ा जावे --

"ग्रामीण छात्रावास" से तात्पर्य नगरपालिकाओं क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों से है।

नियम—4

उपनियम 2 (8) निम्न प्रकार जोड़ा जावे—

"ग्रामीण छात्रावासों के लिए सम्बन्धित विकास अधिकारी" उप नियम 5 की द्वितीय पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे––

"एवं सम्बन्धित विकास अधिकारी"

नियम––5

उपनियम 1 पैरा 2 की तीसरी पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे—"एवं ग्रामीण छात्रवासों हेतु विकास अधिकारी", उपनियम–3 की चौथी पंक्ति में 'जिलाधिकारी' शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे––

"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी,"

उपनियम–4 की पांचवों पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के बाद निम्न शब्द जोड़ा जावे––

"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम––7

उपनियम–1 की द्वितीय पंक्ति व तृतीय पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें––"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

उपनियम—2 की पाँचवीं पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जावें––"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम––8

उपनियम–1 की सातवीं पंक्ति में 'जिलाधिकारी' के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें—

"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

उपनियम-2 में चौथी पंक्ति में "अधीक्षक" शब्द के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें--
"अथवा ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम--9

वर्तमान नियम (9) को "नियम-9" पढ़ा जावे।

उपनियम-5 की प्रथम पंक्ति में "जिलाधिकारी" के बाद निम्न शब्द जोड़े जावें--
"एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी"

नियम--10

वर्तमान नियम (10) के बदले "नियम-10" पढ़ा जावे।

नियम--11

नया नियम 11 निम्नलिखित जोड़ा जावें--

"पंचायत समितियों के पी. डी. खातों में विभाग द्वारा उनको हस्तान्तरित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास के व्यय के लिए इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत राशि वर्ष में दो किश्तों के द्वारा माह जून एवं अक्टूबर में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसकी वित्तीय एवं लेखा व्यवस्था विभाग के द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार की जायेगी। स्थानान्तरित राशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना व उपयोगिता प्रमाणपत्र विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये जावेंगे।

नियम-11-वर्तमान 'नियम 11' को "नियम 12" पढ़ा जावेगा।

नियम-12-वर्तमान 'नियम 12' को "नियम 13" पढ़ा जावे।

नियम-13-वर्तमान 'नियम 13' को "नियम 14" पढ़ा जावे।

नियम-14-वर्तमान 'नियम 14' को "नियम 15" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह./-
(आर. के. सक्सेना)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (1) (7)/अनु. सकवि 81-82 31249-562 जयपुर, दिनांक 2. 6. 82

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

(1) विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(2) शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

(4) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(5) सभी जिलाधीश

(6) निजी सचिव, राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

(7) सचिव, जिला परिषद् ——————

(8) सभी जिलाधिकारी, समाज कल्याण विभाग,

(9) विकास अधिकारी, पंचायत समिति ——————

(10) निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग।

(11) मुख्यालय के सभी अधिकारीगण।

ह./–
उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

समाज कल्याण विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक : एफ 7 (1) (52) अनु. सकवि/81–82/58762 जयपुर दिनांक : 8-5-83

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 1982 में संशोधन आदेश

राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982" में इस विभाग के आदेश संख्या एफ 7 (1) (7) अनु./सकवि/81-82 31249-562 दिनांक 2-6-82 के अतिरिक्त निम्न संशोधन और किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

ये संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 1983 से प्रभावी होंगे ।

नियम–2 उपनियम (10) एवं (11) नया निम्न प्रकार से जोड़ा जावे--

(1) "अतिरिक्त अधीक्षक" से अभिप्राय उस कर्मचारी से है, जो अधीक्षक के अधीन अनुदानित छात्रावास की दैनिक व्यवस्था के लिये अनुदानित संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जावेगा ।

(11) "अन्य व्यय" से तात्पर्य छात्रावास संचालन हेतु भवन किराया, कार्यालय संचालन व्यय एवं ग्रीष्मावकाश में जब छात्रावास बन्द रहता है, उस समय के नल एवं बिजली के व्यय की राशि से है ।

उक्त व्यय हेतु राजकीय छात्रावासों के लिये बजट की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी तथा अनुदानित संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों हेतु राशि की व्यवस्था स्वयं सेवी संस्था के 10 प्रतिशत हिस्से की राशि से की जावेगी ।

नियम 4 (7) इस नियम के अन्तिम पैरा में अंकित "परन्तु यह नियम मेहतर छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगा" को विलोपित कर निम्न संशोधन किया जाता है ।

"परन्तु यह नियम मेहतर छात्र तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमक्कड़ जाति एवं सहरिया जाति की छात्राओं पर छात्रावास में प्रवेश देते समय लागू नहीं होगा ।"

नियम 4 (8) इस नियम को पूर्णतया विलोपित कर निम्न प्रकार से नया नियम पढ़ा जावे--

"साधारणतया अनुत्तीर्ण छात्र-छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जावेगा । किन्तु प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्र-छात्रा को विशेष परिस्थितियों में निदेशक निम्न शर्तों पर प्रवेश की स्वीकृति दे सकेगा--

(क) छात्र/छात्रा को उसी परिस्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा जब कि छात्रावास में स्थान रिक्त हो और कोई अन्य छात्र/छात्रा प्रवेश देने से वंचित नहीं रह गये हों ।

(ख) छात्र/छात्रा को प्रवेश देने की सिफारिश छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा की गई हो ।

(ग) छात्र/छात्रा को राजकोष में 100 रुपये जमा कराने होंगे, जिन्हें लौटाया नहीं जावेगा ।

(घ) छात्र/छात्रा को पुस्तक, स्टेशनरी, फीस देय नहीं होगी ।

(ङ) उसी छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जावेगा जो पूर्व में छात्रावास

में रहा हो और उसने किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं बरती हो तथा उसने कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन किया हो। इस हेतु छात्र/छात्रा को सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नियम 4 (9) इस नियम के अन्त में निम्न परन्तुक और पढ़ा जावे—"परन्तु यदि किसी कक्षा के लिये निर्धारित स्थान खाली रहते हैं तो वे स्थान उपलब्ध, उच्चतम कक्षा के छात्रों से भरे जायेंगे।

नियम 4 (13) इस नियम को पूर्णतया विलोपित कर निम्न प्रकार से संशोधित नियम पढ़ा जावे—

"छठी कक्षा से पूर्व के छात्रों को राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, परन्तु कक्षा 6 से पूर्व के विमुक्त जाति, घुमक्कड़ जाति एवं सहरिया जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

कक्षा 6 से पूर्व की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुख जाति, घुमक्कड़ जाति एवं सहरिया जाति की छात्राओं को कन्या छात्रावासों में प्रवेश दिया जा सकेगा। परन्तु प्रवेश देते समय रिक्त स्थानों पर कक्षा 6 से नीचे की छात्राओं को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

नियम 4 (15) इस नियम के अन्त में निम्न परन्तुक और पढ़ा जावे—"परन्तु यदि किसी छात्रावास में अन्य जातियों के लिये आरक्षित स्थानों की पूर्ति 31 अगस्त तक नहीं होती है तो सलाहकार समिति की सिफारिश पर जिस जाति के लिये छात्रावास है उस जाति के छात्रों को और उसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहते हैं तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति' जैसा भी प्रकरण हो, के छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

नियम 5 (1) इस नियम के पैराग्राफ के अन्त में निम्न प्रावधान पढ़ा जावे—'अंशकालीन अधीक्षक की नियुक्ति पूरे वर्ष के लिये की जावेगी। परन्तु अधीक्षक को वाहन भत्ता 10 माह के लिये ही देय होगा।

नियम 5 (1) में अंकित वाहन भत्तों की दरों के भुगतान के लिये अंकित निम्न शर्त को विलोपित किया जाता है।"

"परन्तु अधीक्षक को दिया जाने वाला भता स्थानीय अंशकालीन अध्यापक को देय भत्ते से कम नहीं होगा।

नियम 5 (3) इस नियम के द्वितीय पैराग्राफ को पूर्णतया विलोपित किया जाता है तथा इसके स्थान पर निम्न नियम जारी किया जाता है—

"प्रत्येक छात्रावास में दो अंशकालीन अध्यापक एक अंग्रेजी विषय हेतु तथा दूसरा गणित तथा विज्ञान विषय के लिये रखे जावेंगे। इन अंशकालीन अध्यापकों को निम्न दरों से मासिक सवारी-भत्ता दिया जावेगा।

(1) अंग्रेजी विषय हेतु 75/- रुपये प्रतिमाह

(2) विज्ञान एवं गणित विषय हेतु 125/- रुपये प्रतिमाह

परन्तु जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर के मुख्यालयों पर स्थित छात्रावासों में नियुक्त अशंकालीन अध्यापकों को 25/- रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वाहन-भत्ता देय होगा।

नियम 5 (4) इस नियम की अन्तिम पंक्ति में "प्रतिमाह सवारी भत्ते के रूप में देयहोगा" को विलोपित कर अन्तिम पंक्ति में निम्न शब्द जोड़ा जाता है–

"प्रति माह सवारी भत्ते के रूप में 10 माह के लिये देय होगा।"

नियम 6 नियम संख्या 6 के अन्त में, नियम संख्या 6 (7) निम्न प्रकार से, उप-नियम के रूप में जोड़ा जाता है —

6 (7) अतिरिक्त अधीक्षक का कार्य राजकीय छात्रावासों के लिये नियुक्त सहायक अधीक्षक के अनुरूप होगा। इन नियमों में जहां-2 'सहायक अधीक्षक' शब्द का उपयोग किया गया है वहां-वहां "अनुदानित छात्रावासों के लिये अतिरिक्त अधीक्षक" शब्द और पढ़ा जावें।

नियम 8 (1) नियम संख्या 8 (1) की अन्तिम लाइन में अंकित अवधि "कुल 9 माह हेतु राशि जिलाधिकारी एवं ग्रामीण छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी" को विलोपित किया जाता है। इसके स्थान पर निम्न प्रकार से संशोधन पढ़ा जावे –

नियम 8 (1) की अन्तिम लाइन "में प्रति माह की दर से जिलाधिकारी/ग्रामीण स्तर के छात्रावासों हेतु विकास अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से मैस समिति के खाते में राशि जमा करायी जावेगी।

(1) कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों हेतु 9 माह 15 दिन के लिये।

(2) कक्षा 10 एवं 11 के छात्रों हेतु 9 माह की अवधि के लिये।

नियम 9 (1) **भोजन शाला की व्यवस्था एवं उसके संधारण** हेतु अनुदानित छात्रावासों में मैस समिति का अध्यक्ष, अधीक्षक के स्थान पर अतिरिक्त अधीक्षक होगा।

नियम 9 (3) इस नियम की अन्तिम लाइन के आगे निम्न और जोड़ा जाता है—
"इस नियम में अंकित दरें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें होंगी।

नियम 9 (5) नियम 9 (5) को पूर्णतया विलोपित कर निम्न संशोधित नियम पढ़ा जावे--

मैस समिति को उपनियम 3 के अनुसार देय राशि जिलाधिकारी द्वारा मैस समिति के बैंक खाते में जमा करायी जावेगी। उक्त मैस समिति के बैंक खाते का संचालन अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक करेंगे एवं सम्पूर्ण लेखा रखने की जिम्मेदारी सहायक अधीक्षक/अतिरिक्त अधीक्षक की होगी। लेखों का निरीक्षण एवं परीक्षण अधीक्षक द्वारा किया जावेगा।

नियम 9 (6) नियम संख्या 9 (6) में अंकित पैरा I, II, III को पूर्णतया विलोपित करके निम्न संशोधित नियम पढ़ा जावे--

"मैस समिति को राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्न होगी—

(1) प्रथम किश्त सत्र के प्रारम्भ में स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) के व्यय हेतु समिति के खाते में एक मुश्त 30 जून तक जमा करादी जावेगी।

(2) द्वितीय किस्त माह (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) हेतु वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर माह जुलाई एवं अगस्त का उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 30 सितम्बर तक मैस समिति के खाते में जमा करादी जावेगी।

(3) क —तीसरी किश्त (जनवरी, फरवरी व मार्च) हेतु माह सितम्बर से नवम्बर तक की उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 31 दिसम्बर तक मैस समिति के खाते में जमा करादी जावेगी।

ख —अन्तिम किश्त 15 दिन की 25 मार्च तक माह दिसम्बर से फरवरी तक छात्रावासों के छात्रों के स्कूल की उपस्थिति प्राप्त कर मैस समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी। मार्च से सत्र समाप्ति तक की उपस्थिति का प्रमाण-पत्र नया सत्र चालू होने पर प्रथम किश्त स्वीकृत करने से पूर्व प्राप्त करली जावेगी तथा इस अवधि में अगर मैस समिति के खाते में कोई बचत हुई तो उस राशि का समायोजन प्रथम किश्त में कर लिया जावेगा।

ग —यदि छात्र विद्यालय में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित रहता है तो सर्वप्रथम छात्रावास अधीक्षक द्वारा उसे लिखित में चेतावनी दी जावेगी तथा इस क्रम में जिलाधिकारी को भी सूचित किया जावेगा। लिखित चेतावनी के बाद भी यदि छात्र विद्यालय में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित रहता है तो उसे छात्रावास अधीक्षक द्वारा निष्कासित कर दिया जावेगा तथा सूचना जिलाधिकारी को दे दी जावेगी।

नियम 9 (7) नियम संख्या 9 (7) में अंकित छात्र संख्या एवं रसोइयों की संख्या को विलोपित किया जाता है एवं निम्न प्रकार से संशोधित छात्र संख्या एवं रसोइयों की संख्या निर्धारित की जाती है—

छात्र संख्या	**रसोइयों की संख्या**
25 या कम	एक
26 से 50	दो
51 से 75	तीन
76 से आगे	चार

नियम 9 (8) नियम संख्या 9 (8) की द्वितीय पंक्ति में अध्यक्ष एवं सहायक अधीक्षक के आगे अतिरिक्त अधीक्षक शब्द और पढ़ा जावे।

नियम 9 (9) नियम संख्या 9 (9) की प्रथम पंक्ति में सहायक अधीक्षक के आगे अतिरिक्त अधीक्षक शब्द और पढ़ा जावे।

नियम संख्या (11) इस नियम की चौथी पंक्ति में माह जून के स्थान पर माह अप्रेल पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह./–
आर. के. सक्सेना,
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (1) (52)/अनु./सकवि/81-82/50763-59248

जयपुर, दिनांक : 8/9/83

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

(1) विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(2) शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।

(4) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(5) जिलाधीश, ————————

(6) निजी सचिव, मन्त्री, समाज कल्याण विभाग, जयपुर ।

(7) सचिव, जिला परिषद् ————————

(8) सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, ————————

(9) विकास अधिकारी, पंचायत समिति———— जिला ———— ————————

(10) निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग ।

(11) मुख्यालय के अधिकारीगण———— समाज कल्याण विभाग ।

(12) सहायक अधीक्षक, राजकीय छात्रावास, समाज कल्याण विभाग, ———— जिला ————

(13) सहायक अधीक्षक, अनुदानित छात्रावास, समाज कल्याण विभाग,———— जिला ————

(14) गार्ड फाइल ।

ह/–
(बी. एल. मेहरदा)
उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "स"

25 छात्रों के छात्रावास पर होने वाले व्यय का विवरण

क्र. सं.	विवरण	दर	अवधि	राशि
1.	अंशकालीन अधीक्षक का सवारी भत्ता	75/–	10 माह	750/–
2.	अंशकालीन अध्यापक का सवारी भत्ता	75/–	6 माह	450/–
	(दो पद)	125/–	6 माह	750/–
3.	अंशकालीन चिकित्सक का सवारी भत्ता	50/–	10 माह	500/–
4.	रसोईदार का भत्ता	250/–	10 माह	2,500/–
5.	भोजन, वस्त्र, जूते, बाल कटाई, तेल, साबुन आदि	103/– (औसत दर)	9 माह 15 दिन	23,800/–
6.	फीस, स्टेशनरी, पुस्तक	50/– (औसत दर)		1,250/–

25 छात्रों के छात्रावास पर 10 माह का व्यय 30,000 रुपये होता है जो कि एक छात्र पर एक माह में 120/– रुपये तथा एक छात्र पर एक दिन का व्यय 4/– रुपये प्रतिदिन आता है ।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 का परिशिष्ट

नाम विद्यालय–राज. दरबार मा. वि. स्थान–टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति की राशि जो भुगतान की गई
80–81	66		4	o	66	–	11400/–
81–82	66		3		—	–	राज्य कर्म. की हड़ताल के कारण लैप्स
82–83	68		8		55	5	11975/–
83–84	89		23		60	8	7800/–

माह 12/83 तक भुगतान की गई

नाम विद्यालय–आदर्श विद्या मन्दिर स्थान–टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति 6 से 8	जनजाति 6 से 8	
1	2	3	4	5	6	7	8
80–81							
81–82							
82–83	5	–	–	–	1	–	
83–84	2	–	–	–	–	–	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नाम विद्यालय–राज. उ. प्रा. वि. नं. 2 स्थान–टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्र संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की सूची		विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्था.	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
80–81	23		—		16	—	राशि 1600/–
81-82	34		2		—	2	राज्य कर्मचारी हड़ताल के कारण लैप्स
82–83	38		6		35	3	राशि 4750/–
83–84	56		7		—	—	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नाम विद्यालय–रा. उ. प्रा. वि. अमीरगंज स्थान–टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति भुगतान की राशि
80–81		108		4	102	1	6300/–
81–82		132		1	—	1	100/- राज्य कर्मचारी हड़ताल के कारण लैप्स
82–83		149		1	115	1	14500/–
83–84		146		2	—	1	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नाम विद्यालय–रा. उ. प्रा. वि. कोहना स्थान–टोंक जिला–टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1.	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति की भुगतान की गई राशि
80–81	16		--		16	–	1600/–
81–82	28.		--		--	--	राज्य कर्मचारी हड़ताल के कारण लैप्स
82–83	26		2		24	3	3000/–
83–84	30		3		--	—	—

नाम विद्यालय–राज. उ. प्रा. वि. मेहन्दी बाग स्थान–टोंक जिला–टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्था.	बाहरी	स्था.	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति भुगतान की राशि
80–81	36		3		30	2	3200/–
81–82	39		1		--	1	राज्य कर्मचारी हड़ताल के कारण लैप्स
82–83	47		--		38	--	4750/–
83–84	55		—		—	—	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण

नाम विद्यालय-राज. उ. प्रा वि. न्यू कोहना स्थान-टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति भुगतान की राशि
80–81	1	–	–	–	1	–	100/-
81–82	1	–	–	–	–	–	राज्य कर्म. की हड़ताल के कारण लैप्स
82–83	–	–	–	–	–	–	—
83–84	1	–	–	–	–	–	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नाम विद्यालय-सरस्वती शिक्षा सदन स्थान–टौंक जिला–टौंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
80–81	–	–			–	–	
81–82	–	–			–	–	
82–83	–	–			–	–	
83–84	2	–			–	–	अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नाम विद्यालय-रा. बा. उ. मा. वि. स्थान-टोंक जिला-टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति भुगतान की गई राशि
80-81	46		--		46	3	7300/-
81-82	15		12		--	--	राज. कर्म. की हड़ताल के कारण लैप्स
82-83	23		12		23	--	4375/-
83-84	20		3		20	3	2625/-

माह 1-83 तक भुगतान की गई

नाम विद्यालय-शारदा विद्या मंदिर स्थान-टोंक जिला-टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
80-81		-		-	-	-	-
81-82		-		-	-	-	छात्रवृति की भुगतान की गयी राशि
82-83		2		-	2	-	250/-
83-84		2		-	-	-	-

अतिरिक्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नोट:—उक्त सूचना कक्षा VI से XI तक दी जावे।

नाम विद्यालय-रा. उ. मा. वि. स्थान-टोंक जिला-टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
							छात्रवृत्ति भुगतान की गयी
80-81	197		49		160	37	39400/-
81-82	200		58		–	–	–
82-83	254		44		110	31	28200/-
83-84	210		47		137	44	37150/-

नोट—उक्त सूचना कक्षा VI से XI तक दी जावे।

नाम-विद्यालय राज.बा. उ. प्रा. वि. कोहना स्थान-टोंक जिला-टोंक

वर्ष	प्रवेशित छात्रों की संख्या				छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची		विशेष विवरण
	अनु. जाति		जनजाति				
	स्थानीय	बाहरी	स्थानीय	बाहरी	अनु. जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
80-81	3	–	–	–	3	–	300/-
81-82	5	–	–	–	–	–	राज्य कर्म. की हड़ताल के कारण लैप्स
82-83	–	–	–	–	–	–	अतिरिक्त बजट
83-84	5	–	–	–	5	–	आवंटन प्राप्त न होने के कारण

नोट—उक्त सूचना कक्षा VI से XI तक दी जावे।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की प्रति

शिकायत (अध्यक्ष) मंत्री भारतीय जनता पार्टी मण्डल, रावतभाटा।

दिनांक 7.8.83

विरुद्ध—श्री एस. एन. सिंह, सरपंच, पंचायत रावतभाटा।

1. शिकायत में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक आबादी भूमि विक्रय के सम्बन्ध में है जिस बाबत रिकार्ड देखा गया तो निम्न स्थिति ज्ञात हुई। कार्यवाही रजिस्टर को देखा गया। रजिस्टर के प्रारम्भ में पेज संख्या 1 से 210 तक का अंकन का प्रमाण पत्र है जिस पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर व छाप मोहर लगी हुई है। पृष्ठ संख्या 1 इसी पेज से प्रारम्भ किया है। आगे पृष्ठ संख्या 2 अंकित नहीं है व 3 शुरू कर दिया है जिस पर दिनांक 2.10.82 को हुई पंचायत की बैठक कार्यवाही अंकन है। पृष्ठ संख्या 3 से 10 तक ओवर राईटिंग से पृष्ठांक अंकन किए ये हुए हैं। पृष्ठ संख्या 11 पर 21.7.83 की प्रोसीडिंग अंकित है। इसके बाद रजिस्टर खाली है।

2. दिनांक 2.10.82 को पंचायत की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 2 में भूमि विक्रय बाबत निर्णय लिया गया है। जिसमें दर निम्न प्रकार तय की गई है :

बाजार की दुकानों का	70 पैसा प्रति वर्ग फीट
अन्य आबादी का	35 पैसा प्रति वर्ग फीट

यह निर्णय राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत किया है।

3. इसके पूर्व कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ कि पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक 23.3.82 में प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार निम्न प्रकार से निर्णय ले रखा है :

झोंपड़ियों के लिए पट्टे मिनिमम चार्जेज	35 पैसा प्रति वर्ग गज
दुकानों के लिए	70 पैसा प्रति वर्ग गज

इसी प्रस्ताव में पूर्व में वर्ग फीट अंकन था उसको काटकर वर्ग गज किया है यह शंकास्पद है। एक स्थान पर (सूक्ष्म हस्ताक्षर) किये हुए हैं।

4. राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 22 के तहत पंचायत द्वारा एक बार लिये गये निर्णय को रूपान्तर या अपखण्डन करने के लिए पंचायत को नियमानुसार पंचायत समिति में निर्धारित तरीके से अपील करनी होती है।

5. बैठक कार्यवाही रजिस्टर की फोटोस्टेट कापियां जो प्रस्तुत हुई हैं उसका मिलान कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 19.11.82 व 21.7.83 से करने पर भिन्न पाया गया। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि रिकार्ड में हेराफेरी हुई है।

6. कतिपय आबादी भूमि विक्रय की फाइलों को देखा गया :—

1. श्रीमती शकुन्तला देवी	प्रकरण	186
2. श्री इशरार अहमद खाँ	,,	180
3. श्री ललित कुमार	,,	167
4. श्रीमती सुशीला वाई	,,	9
5. श्री लाल चन्द चावड़ा	,,	166
6. श्री आमान भाई	,,	11
7. श्री दीप सिंह	,,	6
8. श्री बाबू लाल	,,	1
9. श्री उमाभाड कम्पनी रावतभाटा सरोज कुमार	,,	160
10. श्री करायत अत्थी	,,	179
11. श्री करायत अत्थी	,,	178
12. श्रीमती घीसी वाई	,,	113
13. श्री अलाबक्ष	,,	170
14. श्री नाथू पिता चान्द खाँ	,,	169
15. श्री वहीद बेग आर ए पी पी ड्राइवर	,,	8
16. श्री लाल चन्द छाबड़ा	,,	20
17. श्री जगदीश छाबड़ा	,,	24
18. श्री लाल चन्द छाबड़ा	,,	21
19. श्री देवी सिंह	,,	197
20. श्री विरेन्द्र पाल सिंह	,,	187
21. श्री ललित कुमार	,,	22

समस्त फाइलों के राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम संख्या 257 से 266 तक की पूर्ण प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है नियम संख्या 266 के अन्तर्गत शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा निम्नलिखित नियमों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।

राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम, संख्या 258 के तहत मौके का निरीक्षण नहीं किया गया है।

नियम संख्या 259 के तहत अस्थाई फैसला नहीं किया गया।

नियम संख्या 260 के तहत आपत्तियों के लिए सूचना पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

नियम संख्या 261 के तहत आपत्तियों का निवर्तन नहीं किया गया है।

नियम संख्या 262 के तहत भूमि को नीलाम नहीं किया गया है ।

नियम 265 के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया है ।

नियम संख्या 266 की पुष्टि नहीं की गई है ।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में कार्यवाही अवैधानिक पाई गई है । भूमि विक्रय व पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पंचायत के कोरम से नहीं लिया गया है ।

7. दिनांक 21.7.83 के पश्चात् पंचायत की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है । राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 21 (2) के तहत सरपंच को एक माह में दो बार बैठकें आयोजित करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं की गई हैं ।

वर्ष 1983-84 में केवल मात्र एक बैठक दिनांक 21.7.83 को बुलाई गई है जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई है । वर्ष 1982-83 में भी कुल आठ बैठकें ही सरपंच द्वारा बुलाई गई हैं ।

8. पंचायत का वर्ष 1983-84 का बजट पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ को जरिये पत्र संख्या 317 दिनांक 18.7.83 को भेजा जाना उल्लेख है जिस पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर हैं । बजट भेजने के पूर्व बजट की स्वीकृति पंचायत कोरम से भी ली जानी चाहिये थी जो नहीं ली गई । इस प्रकार सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम संख्या 290 से 293 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है ।

9. शिकायत के बिन्दु संख्या 11 के विवरण की पुष्टि में पंचायत द्वारा दिनांक 2.10.82 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 4 में यह तय किया गया कि 50,000/- रुपये की एफ. डी. बैंक आफ बड़ौदा शाखा, भैंसरोड़गढ़ में कराई जावे ।

10. रोकड़ बही व वाउचर फाइल को देखने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गईं :—

(1) दिनांक 2.11.83 से 28.12.83 तक आय/व्यय के ऊपर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं पाये गये ।

(2) दिनांक 2-11-83 को 5000/- रुपये की राशि छबड़ा ब्रादर्स, दिनांक 23-11-83 को 6500/- छबड़ा ब्रदर्स, दिनांक 16-11-83 को 1000/- रुपये की राशि मीना कुमारी को दिनांक 16-12-83 को 2000/-रुपये की राशि बुदुलसिंह को दिनांक 14-12-83 को, 3000/-रुपये स्वयं सरपंच एस. एन. सिंह दिनांक 16-12-83 को, 500/-रुपये श्री रमेश कुमार व दिनांक 23-12-83 को 6500/- रुपये मीना कुमारी को एडवान्स राशि दी गई जिसका कोई प्रयोजन अंकित नहीं किया गया है जिसका समय पर पंचायत की रोकड़ में समायोजन नहीं कर राशि का दुरुपयोग किया है ।

11. निर्माण कार्य :

(क) धर्मशाला निर्माण कार्य रावतभाटा :

इस कार्य का तखमीना 88082·00 का पंचायत समिति के उप-अभियन्ता द्वारा बनाया गया परन्तु यह तखमीना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं करवाया गया। इस कार्य को पंचायत की निजी आय से करवाने की स्वीकृति पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 17 8 83 से दी गई है। यह कार्य श्री आर. वी. सिंह ठेकेदार के मार्फत बी. एस. आर. दरों से 16·1% की अधिक दरों पर माह अप्रेल, 1983 से अगस्त, 1983 के मध्य करवाया गया, इस कार्य का अन्तिम माप एम. बी. नं. 2 के पेज नं. 13 से 26 तक पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा अंकित किया हुआ है। कार्य कुल 1,35,192/– रुपये का उक्त एम. बी. में दर्ज है। इस कार्य की सहायक अभियन्ता (सी. डी.) द्वारा दिनांक 4 व 5 जनवरी, 1984 को निरीक्षण एवं जाँच की गई है। मौके पर मिली जानकारी एवं मौजूदा कार्य की स्थिति का उन्होंने अपने विवेक से जाँच कर पुनः मूल्यांकन किया जो 99000/– रुपये का होता है। इस कार्य का चुकारा ठेकेदार को 1,18,969/– रुपये का किया गया है, जैसा कि एम. बी. नं. 2 के पेज नं. 25 व 26 पर अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न अनियमितता पाई गई है–

(1) तखमीना किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत नहीं कराया है।

(2) निर्माण कार्य के दौरान एक बार भी उप अभियन्ता से तथा इनसे ऊपर के अधिकारी द्वारा कार्य को चैक नहीं कराया है तथा भुगतान से पूर्व माप आदि चैक नहीं कराये गये हैं, इस स्थिति से कार्य पर वास्तविक राशि से अधिक भुगतान होने का संदेह है।

(ख) श्मशान घाट का निर्माण :

श्मशान घाट का निर्माण संबन्धित तखमीना पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा 11600/– रुपये का बनाया गया, कार्य श्री राधेश्याम ठेकेदार द्वारा बी. एस. आर. दरों से 8% ऊँची दरों पर वर्क आर्डर संख्या 532 दिनांक 16·2·83 से कराया गया। निर्माण कार्य माह फरवरी व मार्च, 83 के दौरान हुआ। कार्य के निरीक्षण का माप व बिल पंचायत समिति के उप अभियन्ता श्री भारद्वाज द्वारा एम. बी. नं. 1 पेज नं. 69 से 75 तक चढ़ाया गया जो 14188/– रुपये का है। सरपंच श्री एस. एन. सिंह ने इस निर्माण कार्य को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुँचाने के फलस्वरूप आवश्यक मरम्मत करानें हेतु एक तखमीना उप अभियन्ता द्वारा 4,895/–का बनाया। मरम्मत का कार्य श्री जगदीश ठेकेदार द्वारा किया गया। ठेकेदार को 5200/– रुपये का भुगतान किया गया जैसा कि एम. बी. नं. 2 के पेज नं. 2 पर अंकित है।

निर्माण कार्य आज जिस स्थिति में है उसका पुनः मूल्यांकन सहायक अभियन्ता

(सी. डी.) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 4, 5 जनवरी, 84 को किया गया जो कुल रुपये 8000/- रुपये ही होता है। इस कार्य में निम्न अनियमितता पाई गई है-

1. कार्य का तखमीना किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर शुदा नहीं है।
2. कार्य का भुगतान ठेकेदार को करने से पूर्व कार्य का निरीक्षण एवं कार्य का माप उप अभियन्ता से एवं उच्च अधिकारी द्वारा कराया जाने के पश्चात् ही किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप काफी अधिक मात्रा में भुगतान हुआ है।

(ग) फुटपाथ निर्माण कार्य :

1. पुलिस स्टेशन से छबीलदास के मकान तक :

(ग) (1) इस कार्य का तखमीना 28250/- रुपये का पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा बनाया गया। निर्माण कार्य श्री आर. बी. सिह, ठेकेदार द्वारा कराया गया जो माह जनवरी, 1983 में हुआ है। कार्य का माप पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा एम. बी. नं. 1 के पेज नं. 60 से 62 तक किये जाकर 32327/- रुपये का बिल बनाया गया। कार्य का पुनः मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (सी. डी.) चित्तौड़गढ़ द्वारा करने पर राशि 27000/- रुपये की आई।

इस प्रकार करीब 5000/- रुपये का अधिक भुगतान हुआ है।

(ग) (2) हरिजन बस्ती से मिश्रीलाल के मकान तक :

1. तखमीना राशि	38000/-
2. ठेकेदार	श्री आर. बी. सिंह
3. निर्माण कार्य की अवधि	दिसम्बर, 82 से जनवरी, 83 तक
4. उप अभियन्ता द्वारा माप—	एम. बी. प्रथम पेज नं. 56 से 59 तक।
5. कुल लागत-	61,406/-
6. पुनः मूल्यांकन करने पर राशि—	50,000/- द्वारा सहायक अभियन्ता
7. अधिक भुगतान-	उपरोक्त पैरा नं.-ख के अनुसार।

(घ) **शौचालय निर्माण कार्य :**

पंचायत द्वारा 4 अलग-अलग स्थानों पर शौचालय का निर्माण करने हेतु प्रत्येक शौचालय के लिये 10,750/- रुपये का तखमीना बनाया गया। कार्य श्री पन्ना लाल गहलोत, ठेकेदार द्वारा वर्क आर्डर संख्या 4075 दिनांक 18-10-82 के तहत कराया गया। कार्य का माप व बिल का भुगतान एस. बी. नं.-1 के पेज न. 63 से 68 पर अंकित है। कुल भुगतान 30,113/- रुपये का हुआ जबकि पुनः सहायक अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन करने पर कार्य की लागत 24,000/- रुपये ही पाई गई है। इस कार्य पर भी पूर्व के वैरा अनुसार अनियमितताएँ बरती गई हैं -

1. सक्षम अधिकारी से तखमीना स्वीकृत नहीं कराया है।

2. कार्य पर अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

ह०/

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी

चित्तौड़गढ़।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची

क्र. सं. 1	नाम 2	पिता का नाम 3	ग्राम पंचायत का नाम 4
1.	श्री कुंभाराम	श्री नीमाराम	बाकलिया
2.	,, गणेशाराम	,, कुशलाराम	,,
3.	,, हरदेवाराम	,, शेराराम	,,
4.	,, भंवराराम	,, गणपतराम	,,
5.	,, भंवरूराम	,, रामूराम	,,
6.	,, मांगीलाल	,, खूबाराम	,,
7.	,, छोगाराम	,, रेखाराम	,,
8.	,, चूनाराम	,, ज्ञानाराम	,,
9.	,, हिमताराम	,, चूनाराम	,,
10.	,, हनुमानपुरी	,, डूंगरपुरी	,,
11.	,, गोपालपुरी	,, भगवानपुरी	,,
12.	,, मानाराम	,, सुखदेवाराम	,,
13.	,, कालूराम	,, दानाराम	,,
14.	,, किस्तूराराम	,, दानाराम	,,
15.	,, गणेशाराम	,, तुलसाराम	,,
16.	,, बोदूराम	,, डूंगरराम	,,
17.	,, जीवणराम	,, हिमताराम	,,
18.	,, अमराराम	,, रामूराम	,,
19.	,, भैंराराम	,, घीसाराम	,,
20.	,, परताराम	,, लिछमन	,,
21.	,, मोहनराम	,, मानराम	,,
22.	,, भूराराम	,, नारायणराम	,,
23.	,, धीराराम	,, बोदूराम	,,
24.	,, घासीराम	,, मानाराम	,,
25.	,, भोलाराम	,, बरिमाराम	रताऊ
26.	,, बगसीराम	,, प्रहलादराम	,,
27.	,, रेखाराम	,, सादूराम	,,
28.	,, हनुमानराम	,, गोगाराम	,,
29.	,, छोगाराम	,, नानूराम	,,
30.	,, सूग्जाराम	,, जीवणराम	,,
31.	,, हनुमानराम	,, सोहनराम	,,

1	2	3	4
32.	श्री रामकरण	श्री मघाराम	रताऊ
33.	,, गोपाल	,, लिखना	,,
34.	,, मांगीलाल	,, पुरखाराम	सिलनवाद
35.	,, जीवणराम	,, रूपाराम	,,
36.	,, भंवरलाल	,, रूपाराम	,,
37.	,, कस्तूराराम	,, करीमाराम	,,
38.	,, मिसाराम	,, लालूराम	,,
39.	,, दीपाराम	,, कुलछाराम	,,
40.	,, बालाराम	,, परसाराम	गैनाणा
41.	श्री मतीलिछमा	,, गोपालाराम	,,
42.	श्री भोलाराम	,, गोराराम	,,
43.	,, सोहनराम	,, बक्शाराम	,,
44.	,, अनाराम	,, रहीमाराम	,,
45.	,, सुगनाराम	,, रहीमाराम	,,
46.	,, नरसाराम	,, लिछमनराम	,,

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची

पंचायत समिति, डग (झालावाड़)

क्र. सं.	पंचायत समिति के अधीन विद्यालयों के नाम	प्रत्येक पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों की संख्या	उन पाठशालाओं के नाम जो अध्यापकों के अभाव में बन्द हैं
1	2	3	4
1.	प्राथमिक विद्यालय, नूतन, डग	6	
2.	प्राथमिक विद्या. ब्रांच, डग	13	
3.	प्रा. वि. कन्या, डग	6	
4.	,, उदयपुर	1	
5.	,, चाचुनी	2	
6.	,, देवगढ	2	
7.	,, रतनपुरा	2	
8.	,, जगदीशपुरा	2	
9.	,, जम्मु मियांका खेड़ा	1	
10.	,, तिसाई	1	
11.	,, धाराखेड़ी	1	
12.	,, गढ़ा	1	
13.	,, डोबड़ा	1	
14.	,, टीकड़ा	1	
15.	,, छान	1	
16.	,, गणेशपुरा	1	
17.	,, मगवालिया	1	
18.	,, पडासली	1	
19.	,, कंलूखेडा	1	
20.	,, लुहारिया	1	
21.	,, गोविन्दपुरा	1	
22.	,, फाजीलपुर	1	
23.	,, धतुरिया	1	
24.	,, हरनावदा	1	
25.	,, गुनाई	1	
26.	,, क्यासरा	1	

(218)

1	2	3	4
27.	प्राथमिक विद्यालय पाडला	1	
28.	,, उमरिया	1	
29.	,, पीपलिया कलां	1	
30.	,, पीपलिया खुर्द	2	
31.	,, पतलाई	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है।
32.	,, निपानिया	1	
33.	,, दूधलाई	1	
34.	,, मंदिरपुर	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है।
35.	,, भडका	1	
36.	,, किशन नगर	1	
37.	,, खमला	1	
38.	,, सारंगा खेड़ा	1	
39.	,, राजपुरा	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है।
40.	,, चौकड़ी खुर्द	–	,,
41.	,, गरलावदा	3	
42.	,, आवर	6	
43.	,, भीमनी	2	
44.	,, मिनपुर	2	
45.	,, खेखरिया खुर्द	2	
46.	,, गुराडियाकलां	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है।
47.	,, जाजनी	1	
48.	,, बडिया	1	
49.	,, डाबला	1	
50.	,, कबीरी	1	
51.	,, मोरू खेड़ी	1	
52.	,, नाथू खेड़ी	1	
53.	,, ठीकरिया	1	
54.	,, बिस्तुनिया	1	
55.	,, गुराडिया खुर्द	1	
56.	,, खोल खेड़ी	1	

1	2		3	4
57.	प्राथमिक विद्यालय दाता का खेडा		1	
58.	,,	खेड़ा	1	
59.	,,	खण्डार	1	
60.	,,	नूतन गंगधार	6	
61.	,,	प्राचीन गंगधार	6	
62.	,,	जेताखेडी	1	
63.	,,	साकरिया	1	
64.	,,	गुराडिया झाला	1	
65.	,,	निपानियाकालू	1	
66.	,,	हसामदी	1	
67.	,,	केलाखेड़ा	1	
68.	,,	टीगरिया	1	
69.	,,	पीपल्दा	1	
70.	,,	खुरचनिया	1	
71.	,,	लूनाखेड़ा	1	
72.	,,	गुराडिया ईसर	1	
73.	,,	मुनारी	1	
74.	,,	ढाबला	2	
75.	,,	सरवर	1	
76.	,,	बडियालाख	1	
77.	,,	चाडा	1	
78.	,,	बाहुयाहीरजी	1	
79.	,,	आक्यापरमार	1	
80.	,,	मगसी	1	
81.	,,	वेडला	2	
82.	,,	बडियावीरजी	1	
83.	,,	विरानिया	1	
84.	,,	चिश्तीपुरा	1	
85.	,,	कोलपी	1	
86.	,,	आदर्श चौमेला	13	
87.	,,	कन्या चौमेला	7	
88.	,,	बीलाखेड़ी	1	
89.	,,	सिधला	1	
90.	,,	रनायरा	1	

1	2	3	4
91.	प्राथमिक विद्यालय पाडलिया	1	
92.	,, फागडिया	1	
93.	,, सालरिया	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है।
94.	,, मामोडिया	1	
95.	,, आक्या गेहलोत	1	
96.	,, हरनी खेड़ा	1	
97.	,, भाटखेड़ी	1	
98.	,, कीटिया	1	
99.	,, सेदरा	–	नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी हैं।
100.	,, पीपलाई	1	
101.	,, रावन गुराडी	1	
102.	,, पारा पीपली	1	
103.	,, कुमठिया	1	
104.	,, बिलावली	1	
105.	,, भडकर	1	
106.	,, बावन देवरिया	1	
107.	,, बनकडी	1	
108.	,, लाखाखेती उमठ	1	
109.	,, कछनारा	1	
110.	,, चोरबड़ी	1	
111.	,, कोलवा गुजरान	1	
112.	,, गुराडिया देवड़ा	1	
113.	,, निपानिया झाला	1	

221

पं. स. मनोहरथाना

क्रमांक	पंचायत समिति के अधीन पाठशालाओं के नाम	प्रत्येक पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों की संख्या	उन पाठशालाओं के नाम जो अध्यापकों के अभाव में बंद हैं
1	2	3	4
1.	बांदरी	1	शाला बन्द नहीं है
2.	हनौता	1	— —
3.	मिश्रोली	3	— —
4.	मादिया महेश	2	— —
5.	मदनपुरिया	1	— —
6.	अरनिया	2	— —
7.	पर्वती	2	— —
8.	मैठून	2	— —
9.	कूकलवाड़ा	4	— —
10.	मोरेली	4	— —
11.	निछवा	2	— —
12.	ऊनी	2	— —
13.	फोकरड़ा	2	— —
14.	लसूड़िया गेन्द	1	— —
15.	गरवाड़ा	1	— —
16.	तुरकाड़िया	2	— —
17.	बीन्दा	2	— —
18.	महुआ खेड़ा	2	— —
19.	नया गांव	1	— —
20.	मवासा	1	— —
21.	सलावद	2	— —
22.	लापसिया	1	— —
23.	रानीपुरा	1	— —
24.	देवरी चंचल	1	— —
25.	खेजड़ा	2	— —
26.	बामलाबेह	1	— —
27.	देवकादार	1	— —
28.	डेकड़िया खेड़ी	1	— —
29.	सरखंडिया	1	— —
30.	देवरी देव	1	— —
31.	देवरी जागीर	1	— —

1	2	3	4	
32.	खुरी	1	शाला बन्द नहीं है	
33.	बड़बद	2	–	–
34.	चाचोरनी	1	–	–
35.	बन्दा	1	–	–
36.	बांसखेड़ा	1	–	–
37.	गोड़िया	1	–	–
38.	मोग्या बेहू	1	–	–
39.	खेड़ी	1	–	–
40.	घड़ावली	1	–	–
41.	गोरिया खेड़ा पोदार	1	–	–
42.	झिरी	1	–	–
43.	हनोत्या लोढान	1	–	–
44.	चांदपुरा भीलान	1	–	–
45.	बिसलाई	1	–	–
46.	गुराड़ी	1	–	–
47.	रूपाहेड़ा	1	–	–
48.	आंकखेड़ी	1	–	–
49.	पहाड़पुरा	1	–	–
50.	गरबील्या	1	–	–
51.	मदनपुरा	1	–	–
52.	खांखरा	1	–	–
53.	पिन्डोला	1	–	–
54.	दांगीपुरा	1	–	–
55.	खोड़ी वीर	1	–	–
56.	मोगया वेहू भीलान	1	–	–
57.	खानपुरिया	1	–	–
58.	छुआड़िया	1	–	–
59.	चितोड़ा	1	–	–
60.	टोडरा	2	–	–
61.	टोडरी जगन्नाथ	2	–	–
62.	भोजपुर	1	–	–
63.	कानवा	1	–	–
64.	महाराजपुरा	1	–	–
65.	घोड़ा खेड़ा	1	–	–
66.	को. मालियान	1	–	–
67.	रतनपुरा	1	–	–
68.	मानपुरा	1	–	–

1	2	3	4	
69.	लाड़पुरा	1	शाला बन्द नहीं है	
70.	टी. मीरा	1	–	–
71.	बड़गांव	1	–	–
72.	झिरमी	1	–	–
73.	ठीकरिया	2	–	–
74.	रोछड़ी	1	–	–
75.	समरोल	1	–	–
76.	पट्टी	1	–	–
77.	पछेटा	1	–	–
78.	खजूरा	1	–	–
79.	गजवाड़ा	1	–	–
80.	कन्या जावर	1	–	–
81.	जावर	1	–	–
82.	सावला	1	–	–
83.	बतावा	1	–	–
84.	शीरली	1	–	–
85.	अर्जुनपुरा	1	–	–
86.	गनेशपुरा	1	–	–
87.	टकलोन	1	–	–
88.	चट्टूखेड़ी	1	–	–
89.	मनपसर	1	–	–
90.	खेरखेड़ा	1	–	–
91.	कन्या मनोहरथाना	13	–	–
92.	उ. प्रा. वि. कामखेड़ा	2	–	–
93.	ल. शाह	1	–	–
94.	बुधवाड़ा	2	–	–

ह०/
सचिव,
जिला कर्मचारी वर्ग समिति,
झालावाड़

2245

क. सं	पं. सं. के अधीन पाठशालाओं के नाम	प्रत्येक पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों की संख्या	उन पाठशालाओं के नाम जो अध्यापकों के अभाव में बन्द हैं।
1	2	3	4
1.	आकोदिया	1	
2.	बछलाई	1	
3.	गुणदी	2	
4.	गुराड़िया (गादिया)	1	
5.	कोदर नगर	1	
6.	कलोतिया	1	
7.	कनवाड़ा	2	
8.	कोटड़ा प्रताप	1	
9.	कादलखेड़ी	2	
10,	लालगांव	2	
11.	मोड़ी	1	
12.	पाऊखेड़ा	1	
13.	पगारिया	1	
14.	मेलमर	2	
15.	रोशनवाड़ा	2	
16.	हनोतिया दुवलिया	1	
17.	सामिया	2	
18.	सेमलिया	3	
19.	कन्या सिरपोई	रिक्त	
20.	ओडियाखेड़ी	1	
21.	बोरडा	2	
22.	बोरखेड़ी	2	
23.	गेलोती	1	
24.	गेलानी	1	
25.	हेमड़ा	1	
26.	हुड़मतिया हिन्दूसिंह	5	
27.	करमाखेड़ी	1	
28.	केसरपुरा	1	
29.	खटकड	1	
30.	कुण्डला प्रताप	1	
31,	खेड़ा सिन्दुरिया	रिक्त	

1	2	3	4
32.	पीथाखेड़ी	1	
33.	सिन्दुरिया	2	
34.	सिरपोई गुजरान	1	
35.	नकलंग	1	
36.	धतूरिया कलां	1	
37.	आदाखेड़ी	2	
38.	वाकीपुरा	1	
39.	विजनिया खेड़ी	1	
40.	बरखेड़ी	1	
41.	वासखेड़ी	1	
42.	छोड़ी	1	
43.	डोला	2	
44.	दाता	2	
45.	दिलावरा	1	
46.	देवची	1	
47.	धाराखेड़ी	1	
48.	धारुखेड़ी	1	
49.	गोबिन्दपुरा	1	
50.	गरदनखेड़ी	1	
51,	गुराडिया शेरपुर	1	
52.	जैताखेड़ी	1	
53.	किराखेड़ी	1	
54.	खरापा खुर्द	1	
55.	खेराना	1	
56.	होलीखेड़ा	1	
57,	कोलवी	1	
58.	हरनावदापाया	1	
59.	हनोतिया धरोनियां	1	
60.	हनोतिया कोटड़ी	1	
61.	मायाखेड़ी	1	
62.	नराना	1	
63.	निम्बाहेड़ा	1	
64.	नोलाई	1	
65.	रमायमाहू	1	
66.	रामपुरिया	1	

226

1	2	3	4
67.	सेमली चौहान	1	
68.	रसूलपुरा	1	
69.	सरखेड़ी	1	
70.	सारंगाखेड़ा	1	
71.	सरोनिया	2	
72.	शेरपुरा	1	
73.	निपानिया	1	
74.	आजमपुर	2	
75.	बानोर	2	
76.	बोरबन्द औसाव	1	
77.	बोरबन्द (खास)	1	
78.	चवण्डिया	1	
79.	चवली	1	
80.	डावल	1	
81.	दोबड़ा	1	
82.	दूबड़ी	1	
83.	कन्या दीवलखेड़ा	1	
84.	फतहगढ़	2	
85.	गरवाड़ी	1	
86.	झींकड़ी	1	
87.	कालीत लाई	2	
88.	कोटड़ी खुर्द	1	
89.	सेजरपुरा	1	
90.	मूण्डला जागीर	1	
91.	पालखण्डा	1	
92.	परासोली	2	
93.	रावल	1	
94.	रघुनाथपुरा	1	
95.	छात्र रायपुर	5	
96.	कन्या रायपुर	4	
97.	रूपारेल	1	
98.	रामपुरिया	2	
99.	सैमलीभवानी	2	
100.	सेमली खाम	2	

1	2	3	4
101.	सोयला	1	
102.	सोयली	1	
103.	तेलियाखेड़ी	1	
104.	सेमली कल्याण	1	
105.	प्रहरी कल्याण	1	
106.	खेजड़िया	निल	नवीन विद्यालय खोले गये हैं। अतः इनमें अब नियुक्तियां की जायेंगी।
107.	सावंतखेड़ा	निल	
108.	सिलोरी	निल	
109.	खामनी	निल	
110.	ताल	निल	
111.	रूपाखेड़ी	निल	
112.	बाल्दा	निल	
113.	ढडेरा	निल	
114.	सार्मरिया	3	क्रमोन्नत होकर उच्च प्राथ. बन गया है।
	कुल कार्यरत योग :—	143	रिक्त पद 13, मानदंड के अनुसार 13 आवश्यकता

हरकचन्द गुप्ता
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पिड़ावा मु० सुनेल
जिला झालावाड़

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

पाली जिले की भेड़ों में रोगों की रोकथाम हेतु दवाइयों पर हुए व्यय का ब्यौरा प्रसार केन्द्र पंचायत समितिवार

जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक

वर्ष	प्रसार केन्द्र जैतारण पं. स. जैतारण	प्रसार केन्द्र रायपुर पं. स. रायपुर	प्रसार केन्द्र चण्डावल पं. स. सोजत रायपुर	प्र. केन्द्र सोजत पं. स. सोजत	प्र. केन्द्र मा. जंक्शन पं. स. खारची	प्र. केन्द्र देसूरी पं. स. देसूरी	प्र. केन्द्र बाली पं. स. बाली	प्र. केन्द्र सुमेरपुर पं. स. सुमेरपुर	प्र. केन्द्र रोहिट पं. स. रोहिट	प्र. केन्द्र पाली पं. स. पाली	योग
जून, 80 से मार्च, 81	5421.50	4663.50	6765.00	5610.00	5760.00	5137.00	4347.00	4147.00	3710.00	4524.07	50085.07
अप्रेल, 81 से मार्च, 82	5490.00	4113.00	4471.00	4758.C0	4877.00	4386.00	4431.00	7728.00	4609.42	5716.00	50579.42
अप्रेल, 82 से मार्च, 83	5990.00	5776.00	3865.00	5011.73	4435.00	3855.00	4423.00	5470.00	4005.00	5705.00	48935.73
अप्रेल, 83 से दिस., 1983	6368.00	2196.00	5430·00	6408.00	2496.00	2298.00	2394.00	5495.55	2196.00	6418.00	41699.55